राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का अट्ठाईसवां दिवस [संख्या: 15

बुधवार,

24 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुन: आप सबका ध्यान मेरी जो इंटेंट है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। रूल-31 के पार्ट-2 में लिखा हुआ है, 'प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने में साधारणत: पांच मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जाए।' प्रयत्न किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिये। एक अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं इसलिए मैंने कहा कि प्रश्नकर्ता को ही दो प्रश्न पूछने की परमीशन दी जाएगी। मेरे अलावा भी इस प्रयास में और तरीका हो सकता है। प्रतिपक्ष के नेता और जितने भी सदस्य हैं उनसे बैठकर चर्चा करेंगे कि ऐसे और कौनसे प्रयास हो सकते हैं कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं, उसके अलावा तरीका हो सकता है उस पर भी एक्शन और कर लेंगे, तब तक आप इस प्रश्न काल में भागीदारी निभाएं। इसलिए मेरा विपक्ष के नेता से निवेदन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपकी भावना का सम्मान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न विधान सभा में पूछे जा सकें, इसमें किसी की दोराय नहीं है, लेकिन यह जो एक परिपाटी बनाई कि केवल प्रश्नकर्ता ही प्रश्न पूछेगा, यह नियम के खिलाफ है। कारण क्या है कि प्रश्न का जवाब जब मंत्री पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वह प्रोपर्टी हाउस की हो जाती है। अगर केवल यही करना है तो फिर प्रश्न को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सीधा ही जिसने प्रश्न पूछा है उसके पास तो चला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया, प्रश्न का उत्तर फिर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, फिर तो सीधा ही वह प्रश्न पूछे और आप जवाब दो तो और समय बचेगा। यह इसका अभिप्राय नहीं है। अब किसको अलाउ करें, कितना अलाउ करें, प्रश्न किस नेचर का है, केवल उसके विधान सभा क्षेत्र और उसके एरिये की समस्या का है तो उसको आप उस तक सीमित कर सकते हैं। अगर वह संभाग स्तर की समस्या है तो उसको, अगर वह स्टेट लेवल की समस्या से संबंधित है तो उस प्रश्न की ग्रेविटी समझ करके आपको कम से कम दो लोगों को उसमें अलाउ करना चाहिए। इसमें आपकी मंशा में कुछ नहीं है लेकिन जो समझने में अंतर है केवल और केवल वही पूछेगा, इस पर हम कभी भी एग्री नहीं होंगे। हम यह चाहेंगे कि आप अगर इस व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ मंशा रखते हैं और बात करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि केवल और केवल वही पूछेगा और हम यहां बैठे-बैठे तमाशबीन की तरह एक घंटे केवल नाटक देखते रहेंगे, इसके लिए तो हम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, मैंने फिर आपको निवेदन किया है कि इसमें वर्ड एंडेवर, प्रयास...मैंने अध्यक्ष के रूप में प्रयास किया कि दो प्रश्न हो सकते हैं, यह कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जैसा आपने सजेस्ट किया है, इन बातों पर भी चर्चा करेंगे लेकिन हमारा सबका मिलकर प्रयत्न होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हाउस में डिस्कस किये जाएं। इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे पर मैं अभी इस पर ज्यादा डिस्कशन अलाउ नहीं करूंगा। मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप अपनी पार्टी के सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दें जिससे हम बैठकर इस बारे में चर्चा कर सकें और जैसा आपने कहा, क्योंकि मैंने आज स्वयं राज्य सभा की...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल खतम होने के बाद अगर आप बैठ करके कोई नयी चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, हां, बिलकुल कोई तकलीफ नहीं है। मैंने आज स्वयं राज्य सभा में सम्माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे, जो माननीय चेयरपर्सन रहे, वह जब वहां पर चेयर पर गये तब उन्होंने स्वयं ने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को करने के लिए राज्य सभा में यह व्यवस्था

(श्री अध्यक्ष)

की है कि प्रश्नकर्ता को ही प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाएगी। यह मैंने खुद वहां राज्य सभा से पता लगाया है इसलिए मेरा कोई अपना सोच नहीं है। पर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि It was my endeavor. यह मेरा प्रयास था। मेरे प्रयास का मतलब मैं जो सोच रहा हूं वह सही नहीं है, आप जो बता रहे हैं और कोई चर्चा करके, इस प्रश्न काल के बाद में बैठ जाएंगे। इसको और अच्छा कर सकते हैं प्रश्न काल में, ऐसी मेरी मंशा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न में भागीदारी निभाएं।

श्री गोपी चन्द मीणा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतें

303. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जन समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्थान सम्पर्क के नाम से पोर्टल में कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? यदि हां, तो किन-किन विषयों को राजस्थान सम्पर्क में दर्ज योग्य नहीं मानकर निरस्त किया जाता है? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) किसी विभाग विशेष का अधिकारी संबंधित विषय 181 अथवा राजस्थान सम्पर्क का विषय नहीं होना निर्धारित करता है? नियमों की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। जन समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्थान सम्पर्क के नाम से पोर्टल में कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सेन्टर फोर गुड गवर्नेंस द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा अगर शिकायत निम्नलिखित श्रेणी से होती है तो काल सेन्टर द्वारा वह सीधे लेवल-2 अधिकारी के पास निरस्त के लिए भिजवा दी जाती है:-

1. कार्मिक/सेवा से संबंधी प्रकरण, जिसमें राज्य बीमा, भविष्य निधि एवं पेंशन प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे।
2. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।

दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री)

(2) जी नहीं। यद्यपि सेन्टर फोर गुड गवर्नेंस द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विभागाध्यक्ष के पास सम्पर्क हैल्प लाइन पर परिवेदना मैपिंग का अधिकार होता है। जारी किये गये पत्र दिनांक 19/05/2017 की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो ये 181 में शिकायत प्रकरण दर्ज किये जाते हैं इनको निरस्त कर दिया जाता है तो बार-बार शिकायत निरस्त करने का कारण बताएं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि कोई भी शिकायत 181 पर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद में जब तक वह व्यक्ति हण्ड्रेड परसेंट संतुष्ट नहीं होता है तब तक उस शिकायत को ड्रोप नहीं किया जाता। उसको वापस काल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा और जब वह व्यक्ति संतुष्ट होगा तभी वह शिकायत ड्रोप की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार जो शिकायत निरस्त कर दी जाती है, यह उसकी सहमति के बिना ही निरस्त कर दी जाती है। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं माननीय सदस्य को पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसमें मुख्य मंत्री जी ने जनता के प्रति जवाबदेही, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार लाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जो वादा किया है उसके तहत हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की हमारे पास कोई भी ग्रिवेंस आती है तो उस व्यक्ति को हण्ड्रेड परसेंट सुना जाए और जब तक वह संतुष्ट नहीं होता है तब तक हम ड्रोप नहीं करते हैं। यदि ड्रोप हो भी जाती है तो उसको री-ओपन भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल झाड़ोल।

किसानों के कर्जे माफ

304. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किसानों को 2 लाख तक के सम्पूर्ण कर्जमाफी की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों के कर्ज माफ किये गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): यह सही है कि राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 19.12.2018 जारी किया है जिसके तहत राज्य की सहकारी बैंकों के निर्दिष्ट पात्रताधारक किसानों का दिनांक 30.11.2018 को बकाया समस्त अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि ऋणों के सम्बन्ध में भी ऋण माफी का निर्णय लिया है, जिसके तहत सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के अवधिपार ऋण खातों, जिनमें दिनांक 30.11.2018 को राशि रुपये 2.00 लाख से कम का अवधिपार बकाया हो, को योजनान्तर्गत माफी हेतु मान्य किया गया है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 19 लाख 71 हजार किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जा चुका है। योजना क्रियान्वयन जारी है।

नेशनल बैंक, शिड्यूल्ड बैंक एवं आरआरबी से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत है, को माफ करने के लिए बैंकों से परामर्श कर वन टाइम सैटलमेण्ट स्कीम (ओ.टी.एस.) लाये जाने हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जवाब दिया है सहकारी बैंक के मध्यकालीन/दीर्घकालीन किसानों के अवधिपार ऋण माफ करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो डिफाल्टर हैं उनका आप माफ कर देंगे लेकिन जो ईमानदार आदमी है नियमानुसार कर्जा चुका रहा है उन किसानों का कर्जा भी आप माफ करेंगे क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने घोषणा की थी सरकारी बैंकों से ऋण माफ करने की, वह तो कर दी है। अवधिपार के लिए सैटलमेंट की बात कही गयी है। बाकी तो सभी किसानों का, जो घोषणा की गयी थी उसके अनुसार माफ कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि उन लोगों का क्या दोष है? फिर तो वे भी कर्जा भरेंगे ही नहीं। सम्पूर्ण कर्जा भी आपने कहा।

दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नेशनलाइज बैंक हैं, उनके कर्जे के लिये आपने समिति गठित कर दी। जब आपने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था तब उसमें भी लिखना चाहिये था कि जो सरकारी केन्द्रीय बैंक हैं, उन बैंकों का हम माफ करेंगे। जनता कम से कम गुमराह नहीं होती।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जो घोषणा की गई थी उसमें सरकारी बैंकों का फसली ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी लेकिन जब पूरे राजस्थान की मांग आई कि अन्य किसान जो संकटग्रस्त हैं, उनका क्या दोष है, उनका भी माफ करना चाहिये तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बैंकों से बात की है और वन टाइम सैटलमेंट की स्कीम जारी है, बातचीत चल रही है, दो मीटिंगें हो चुकी हैं और जल्दी ही अच्छे निर्णय आएंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, शुरू से हम इस बात को बार-बार आग्रहपूर्वक कह रहे हैं, इसका अर्थ हमारा यह है कि जो बात आप कह रहे हो, वह केवल शब्दों में हो रही है। आपने लिखा है कि फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया, यह तो समझ में आ गया, तारीख भी आपकी समझ में आ गई, पर हुआ या नहीं हुआ, इसकी परिणति नीचे हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कोई जवाब देना ही नहीं चाहते कि कितने लोगों का किया और कितना पैसा किया।

दूसरा आपने कहा कि 19 लाख 71 हजार किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जा चुका है। मैं आपको कह रहा हूं कि उस किसान को नहीं पहुंचा है और उसके कारण से वापस ऋण लेने का जो उसका अधिकार बनता है, वह अधिकार नहीं बना है और उसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान इस राजस्थान को रहा है। हमने इसका स्थगन भी दिया है। हम चाहते हैं कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकार इस पर डिटेल में बताये। कारण यह है कि यह जो 31 जुलाई है, यह फसली बीमा की लास्ट तारीख है। अगर वह कर्जा लेगा ही नहीं तो उसकी फसली बीमा की पालिसी का जो पैसा कटना था, वह कटेगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि उसकी खरीफ की फसल का फसल बीमा भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न के उत्तर से नहीं आयेगा, इनसे एक स्टेटमेंट दिलवाओ कि यह हो गया, यह नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आपका स्थगन प्रस्ताव भी है, यह प्रश्न भी आ गया। आज सरकार इस बारे में स्टेटमेंट देगी, समय मैं निर्धारित कर दूंगा। अगला प्रश्न, श्री राजेन्द्र राठौड़।

लू व तापघात से मृत लोगों को मुआवजा

305. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जून से 10 जून, 2019 तक जिलों में रेड अलर्ट घोषित किये जाने के पश्चात् एहतियात के तौर पर क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लू व तापघात से मृत लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जिलों में रेड अलर्ट घोषित किये जाने के पश्चात् एहतियात के तौर पर की गई व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नई दिल्ली द्वारा भिजवाई एडवाइजरी एवं हीट वेव की गाइड लाइन अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों को दिशा-निर्देश दिये गये।
2. सभी चिकित्सा संस्थानों में रोगी के उपचार हेतु आपातकालीन किट में ओ.आर.एस., ड्रिप सैट, आई.वी. फ्लूइ (जी.एन.एस./ जी.डी. डब्ल्यू/ रिंगर लेक्टेट) एवं आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई।
3. जन साधारण से लू-तापघात से प्रभावित होने पर बचाव के उपायों की जानकारी, प्रचार-प्रसार आडियो-वीडियो आदि के द्वारा किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

4. चिकित्सा संस्थानों में कूलर, पंखे व पेयजल व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

5. निदेशालय स्तर पर हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भी लूतापघात के बारे में चर्चा की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता देय है। लू-तापघात प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं होने के कारण सहायता देय नहीं है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जिस रेड अलर्ट की आपने बात कही, इस रेड अलर्ट को जारी करने के मापदण्ड क्या हैं? इसको उद्घोषित किस अधिकारी द्वारा किया जाता है और इसके उद्घोषित करने के पश्चात् सरकार ने एडवाइजरी पढ़कर सुना दी, राज्य सरकार ने इसके लिये क्या-क्या कदम उठाये? इन बातों का जवाब दे दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत विद्वान सदस्य हैं। यह जानते हैं कि यह चिकित्सा विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा से संबंधित सवाल था इसीलिए इसका एक बिन्दु आपने डिलीट किया है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह प्राकृतिक आपदा विभाग से संबंधित है। मैंने चिकित्सा विभाग से संबंधित आपको जवाब दिये हैं। उसमें आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड 1 विलोपित कर दिया, मैं उसमें पूछ ही नहीं रहा। आपने खुद ने अपने उत्तर में कहा कि इसमें रेड अलर्ट घोषित किये जाने के पश्चात् एहतियात के तौर पर ये-ये कदम उठाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपसे चर्चा हो गई थी, चिकित्सा विभाग तो रेड अलर्ट घोषित नहीं करता, रेड अलर्ट की उनको जानकारी मिलती है उसके बाद एडवाइजरी देता है। एडवाइजरी के बाद जो भी फाल आउट है, उसके संबंध में प्रश्न पूछें, ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं कि चिकित्सा विभाग रैड अलर्ट नहीं करता, पर रेड अलर्ट करने की आपके पास जानकारी आने का माध्यम क्या है? आप अपनी एडवाइजरी के हिसाब से इस काम को करते हो। मंत्री महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कितना तापमान होने पर...यह रेड अलर्ट के आधार पर चिकित्सा संस्थानों में आपने बताया कि आपने इंतजाम किया कूलर का, आई.वी फ्लूड का। कितने चिकित्सालयों में कितना-कितना इंतजाम आपने किया? नंबर एक बात। कितने चिकित्सालय में चिकित्सा के दौरान कितने लोगों के तापमान ज्यादा होने से मृत्यु होने के आंकड़े आपके पास हों तो वह बता दो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल सही है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार एक जगह का वास्तविक तापमान और उसके सामान्य तापमान के बीच में जो अंतर होता है, उसको हीट वेव कहते हैं। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान पहुंच जाता है तो उससे हीट वेव चलती है। यदि तापमान में वृद्धि 5-6 डिग्री सेल्सियस तक है तो उसको लू कहते हैं जिसको अंग्रेजी में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य हीट वेव कहते हैं। जब यह 7 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है तो इसको गंभीर लू कहते हैं। 1 जून से 10 जून का माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, अध्यक्ष महोदय, इसमें अधिकतम तीन लोगों की मृत्यु हुई है। दो व्यक्ति बारां के थे, एक व्यक्ति जालौर का था। जिस जालौर वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह बाड़मेर का रहने वाला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, गर्मी के प्रकोप की वजह से कोई भी लू की चपेट में आ सकता है। इसमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दोपहर में धूप में जो श्रमिक काम करते हैं, यात्री हैं, खिलाड़ी हैं, ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति ज्यादा ग्रसित होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लू के लक्षण यह होते हैं कि शरीर में लवण और पानी अपर्याप्त होता है और गर्म वातावरण में लू व तापघात के निम्नांकित लक्षण प्रभावित होते हैं। सिर का भारीपन, सिरदर्द, अधिक प्यास लगना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, जी मिचलाना, सिर चकराना, शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का तापमान 104 डिग्री फारेनहाइट से अधिक हो जाना, पसीना आना बंद हो जाना, मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा हो जाना, अत्यधिक प्यास लगना, बेहोशी जैसी स्थिति होना, बेहोश हो जाना। अध्यक्ष महोदय, इसमें समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु भी हो जाती है।

(श्री रघु शर्मा)

प्रदेश में 15 मार्च से 14 जुलाई तक अत्यधिक गर्मी का दौर रहा है। कुल 161 लोग बीमार हुए, मरीजों का उपचार भी किया गया और उसमें तीन आदमियों की कैजुअल्टी हुई, जो मैंने आपको निवेदन कर दिया। और कुछ पूछना हो तो बताइए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने कहा कि बाहर का तापमान बढ़ता है उसके कारण से हीट वेव के चक्कर में लोग आते हैं तो क्या नरेगा में और स्कूलों में आपके द्वारा इनके समय में परिवर्तन करने के लिये कोई दिशा-निर्देश उस समय जारी किये गये थे या टास्क कम करने की बात कही गई थी?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित है लेकिन यह विद्वान माननीय सदस्य हैं, यह मुझे उलझाना चाहते हैं। आप मेरे डिपार्टमेंट का सवाल करो, मैं जवाब देने को तैयार हूं। आप दो बार चिकित्सा मंत्री रहे हो, आप अपना दिमाग चिकित्सा मंत्रालय पर लगाओ, मैं जवाब दूंगा आपको।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कटारिया जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका सिर भारी क्यों रहता है? कहीं आप तो इस रेड अलर्ट के चक्कर में नहीं आ गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कटारिया जी पूछेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपदा राहत के तहत सारे ही विभागों की आपदा राहत की स्टेट लेवल की मीटिंग होती है और उसमें आपके विभाग को भी उस समय सारे डाइरेक्शन दिये जाते हैं। अधिक वर्षा भी हो सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिये जिला स्तर पर आपने क्या-क्या तैयारी करने के निर्देश दे दिये हैं कि वहां किस-किस प्रकार की दवाइयां और कैसा-कैसा सामान वहां रहेगा, इसका निर्देश दिया है या नहीं दिया है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा निर्देश दिया है और इसके लिये हमने जी.एन.एस. ग्लूकोज फ्लूड रखा है जो डायबिटीज के पेशेंट्स को चढ़ाया जाता है। जी.डी.डब्ल्यू. शरीर में

(श्री रघु शर्मा)

पानी को रिप्लेसमेंट करने के लिये फ्लूड होता है। रिंगर लेक्टेट जो पानी की कमी और खून की कमी के रिप्लेसमेंट के लिये होता है। सारे चिकित्सालयों में हमारी एडवाइजरी जारी होती है। जो दवाइयां इसके लिये उपलब्ध होनी चाहिये, जो भी लू प्रभावित इलाका है, सभी जगह दवाइयों का प्रोक्योरमेंट करते हैं। क्योंकि गर्मी के महीने तय होते हैं, जब लू और तापमान बढ़ता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह एक साल की बात नहीं है। यह व्यवस्था हर साल होती है। जब आप सरकार में थे, तब भी विभाग यह व्यवस्था करता था और आज हम हैं तो हम भी यह व्यवस्था करते हैं। राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की लू और ताप घात से मृत्यु नहीं हो, इसके इंतजाम चिकित्सा विभाग करता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री सुरेश टाक।

दिव्यांगों को राजकीय सेवा में भर्ती की कार्ययोजना

306. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में उच्च माध्यमिक एवं स्नातक उत्तीर्ण दिव्यांग (मूक-बधिर, दृष्टिहीन व अन्य) श्रेणी के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्या-क्या योजनाएं कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय सेवा में इनकी भर्ती हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजन जो स्वयं रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं ऐसे विशेष योग्यजनों को 5.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध करवायी जा रही है एवं अधिकतम राशि 50,000 रुपये या ऋण का 50 प्रतिशत जो भी दोनों में कम हो, अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है। योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को अधिसूचना के साथ प्रकाशन उपरान्त उक्त अधिनियम की धारा 101

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 का निर्माण कर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24 जनवरी, 2019 को किया जा चुका है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 5 में विशेष योग्यजनों को सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार के जन घोषणा-पत्र के अनुसार दिव्यांग और उसके परिवार को बीपीएल की सुविधाएं देने की घोषणा की हुई है। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि बीपीएल की समस्त सुविधाएं कब से लागू की जा रही हैं? सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाती है, उनमें दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, आपने ऐसा बताया है। दिव्यांगों की अलग-अलग श्रेणियां हैं। मूक/बधिर अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हैं, क्या वे लोग भी इसमें शामिल हैं? अगर वे शामिल नहीं हैं तो इनके लिये सरकार की क्या योजना है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा है, मैंने उत्तर में स्पष्ट लिखा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को और उसके बाद इसमें संशोधन करके 3 परसेंट की जगह 4 परसेंट करके नौकरी में 1 परसेंट बढ़ाया गया है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें विशेष कार्य योजना की आवश्यकता है या नहीं? मैंने पहले स्पष्ट कहा कि जब शुरू में 23 प्रकार की योजनाएं थीं, जिनके अंदर इनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन उसके बाद इसमें 60 प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, 23 की जगह 60 हो गयी हैं, इनके ऊपर इनको व्यावसायिक गतिविधियां करने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि क्या विशेष योग्यजनों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने का विचार रखते हैं? एक परसेंट बढ़ा दिया, अब कोई योजना करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरा एक रिलेवेंट क्वेश्चन ही है। प्रश्न के अनुसार मेरा कवेश्चन है। मैं बीपीएल की सुविधा के बारे में जानना चाह रहा हूं कि बीपीएल की सुविधाएं कब से देना चाह रही है? क्या इसमें मूक और बधिर शामिल हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वे तो शामिल हैं, लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं, ये बीपीएल की सुविधा इसमें शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, यह इंट्रेस्टिंग प्रश्न आपके नोटिस में रहे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अधिसूचित रहे। धारा 101 के अंतर्गत 2018 में नियम बने। मतलब यह 2016 से 2018 तक लागू नहीं हुआ? इसका यही मतलब हुआ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह सही है कि यह 2016 में बना, इसके नियम 2018 में बने और उसके अंदर भी जनवरी, 2019 में संशोधन करके भर्ती में 3 परसेंट से 4 परसेंट किया है।

श्री अध्यक्ष: 2016 से 2019 तक दिव्यांगों को कोई लाभ मिला?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, मेरा सवाल है। मेरा सवाल बाकी है। मेरा सवाल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें प्लीज। दो प्रश्न हो गये। आप बैठें। मैंने सुना है, आप चैक करना। पब्बाराम जी।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

307. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भामाशाह रोजगार सृजन योजना का संचालन कब से किया जा रहा है? इस योजनान्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है? संबंधित मानदण्डों/नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 31 मार्च, 2019 तक कितने आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया तथा कितने आवेदकों को लाभान्वित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना को सरकार भविष्य में भी निरन्तर जारी रखे जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश भामाशाह रोजगार सृजन योजना का संचालन 13 दिसम्बर, 2015 से किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत राज्य के बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है। संबंधित मानदण्डों/ नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 31 मार्च, 2019 तक 1254 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया तथा जिनमें से 320 आवेदकों को बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत ऋण वितरित किया गया। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके स्थान पर नई योजना लायी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल आवेदन 1254 आये और 320 स्वीकृत हुए। निश्चित तौर से इसमें शर्त कुछ कड़ी है। कड़ी शर्तों के चलते ये आवेदन कम स्वीकृत हुए हैं। इसमें ब्याज भी 4 परसेंट है और पांच वर्ष में वापस जमा कराना होता है। ऐसी स्थिति में वह रोजगार प्राप्त करने वाला, इकाई लगाने वाला व्यक्ति पांच साल में वापस जमा नहीं करा सकेगा। क्या आप इन शर्तों को ढीला करके इस ब्याज को कम करके नयी योजना में लाना चाहते हैं? मुझे पता है कि आपको भामाशाह नाम से तो चिढ़ है। भामाशाह के नाम से तो नहीं करेंगे, परंतु जिस नाम से भी करें, इन शर्तों को ढीली करें, जिससे रोजगार सृजन हो। क्या दस लाख से ज्यादा राशि के लिये भी इस योजना को लागू करेंगे?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे पूछा कि कम आवेदन मंजूर हुए हैं, यह सही बात है। बैंकों ने नोन वायबल बताकर कम आवेदन सैंक्शन किये। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस साल नयी योजना मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 50 करोड़ रुपये का प्रावधान हर साल किया गया है। इनकी योजना में 4 साल में केवल 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था, इनकी योजना में 25 लाख तक का ही लोन आवेदक को मिलता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी बजट में जो नयी योजना की घोषणा की है,

(श्री परसादी लाल)

उसमें 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर भी 8 परसेंट तक अनुदान होगा। हमने विभाग की समीक्षा की और माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाए कि यह भामाशाह योजना एक तरह से युवकों और बेराजगारों से मजाक है। इसलिए नयी योजना का रूप दिया है। मुझे विश्वास है कि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। आपकी केवल व्यक्तिगत के लिये योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में संस्था को भी जोड़ा है। पुराने जो संस्थागत लोन हैं, उनको भी, सोसाइटियों को भी, एनजीओ को भी, सब शामिल करने की नयी योजना प्रस्तावित है, उसको ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि युवकों और बेरोजगारों और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले और इस पर हम 8 परसेंट तक का ब्याज अनुदान देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रधान मंत्री मुद्रा लोन योजना में जितने सरल नियम हैं, यहां तक कि उसमें गारन्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे सरल नियमों को इस नयी योजना में भी आप लागू करना चाहते हैं अथवा अपने हिसाब से ही इसको सैट करना चाहते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, नयी योजना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को भी हम देखेंगे और उसको भी एग्जामिन करवा लेंगे। हम चाहते हैं कि योजना का ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। ऐसी योजना का हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में पौष्टिक आहार का भौतिक सत्यापन

308. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर पात्र महिलाओं एवं बालकों को पौष्टिक आहार देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ महिला समूह द्वारा तैयार किया गया पौष्टिक आहार दिया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? सराड़ा, सलूम्बर, सेमारी, झल्लारा चारों पंचायत समितियों का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमृतलाल मीणा)

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर कितने महिला समूह हैं? पौष्टिक आहार तैयार करने का कार्य कौन कर रहा है? कितने सैक्टर हैं? कौन-कौन सैक्टर सुपरवाइजर कहां-कहां नियुक्त हैं? आंगनबाड़ियों में नामांकित बालकों की स्थिति एवं उपस्थिति का भौतिक सत्यापन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र से पौष्टिक आहार से प्रतिमाह कितनी पात्र महिला एवं बालक लाभान्वित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित पौष्टिक पूरक पोषाहार दिया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित किये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 467 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अधीन पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 104 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टेक होम राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही 467 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गर्म पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार का निर्माण स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाकर आपूर्ति किया जाता है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में 23 सैक्टर हैं। सैक्टरवार महिला पर्यवेक्षकों के पदस्थापन की स्थिति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बालकों की स्थिति एवं उपस्थिति का

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

भौतिक सत्यापन महिला पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो रहे पात्र महिलाओं एवं बालकों का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 से 06 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास व विद्यालयों में प्रवेश के लिए बच्चों को तैयार करने हेतु पांच आयामों शारीरिक विकास, भाषा विकास, रचनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर आधारित गतिविधियां करवायी जाती हैं, जिससे बच्चे स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार हो सकें।

आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकार का प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि विधान सभा के अलावा पूरे प्रदेश में पोषाहार का इतना बड़ा घोटाला है कि चार बच्चे आते हैं तो चालीस का नाम लिखते हैं। यह पूरे प्रदेश का विषय है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं महिला हैं और आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत कितनी बालिकाओं को सेनेट्री नैपकिन पूरे प्रदेश में और मेरे क्षेत्र में उपलब्ध करायें? वह भी सदन की टेबल पर रखिए। प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान इन समूहों को किया जाता है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि पूरा प्रदेश का पोषाहार का बहुत चिंतनीय विषय है। हम भी मानते हैं कि विषय बहुत चिंतनीय है क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं और किशोरियों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। इसी के संदर्भ में मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस बात के लिए बहुत चिंतित थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट घोषणा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चाकसू परियोजना में पोस मशीन द्वारा

(श्रीमती ममता भूपेश)

पोषाहार वितरण की व्यवस्था की गई है जिससे सच्चाई रहे, बच्चा उसके अंदर पंजीकृत हो। पोस मशीन में उसका रजिस्ट्रेशन हो तो अनियमितताओं की जो समस्या प्रदेश में आ रही है, वह आने वाले समय में नहीं आए। मैं यह माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं। साथ ही माननीय सदस्य ने सेनेट्री नैपकिन बंटने की जो चिंता व्यक्त की है तो मेडिकल विभाग द्वारा हमारे विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता, सहयोगिनी, आशा, साथिन और तमाम हमारी पांचों तरह की जो वर्कर हैं, वे सब गांव-गांव जाकर सेनेट्री नैपकिन की अवेयरनैस के लिए काम कर रही हैं और वहां वितरण भी कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को यह भी पूछना चाहूंगा कि यह देखने में आया है पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति के पास सौ-सौ से अधिक समूह हैं। यह जानकारी हमारे सामने आई है पूरे राज्य में। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसी वर्ष में पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बायोमैट्रिक पोस मशीन लगाने का विचार रखते हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बता चुकी हूं। दोबारा कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहल करते हुए बजट घोषणा के अंदर पोस मशीन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चाकसू परियोजना में शुरूआत की और आने वाले समय में बजट की उपलब्धता के आधार पर यह कार्य किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

जनजाति आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति

309. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2013 से 15 जून, 2019 तक कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर संभागीय आयुक्त के पास ही

(श्री रामलाल मीणा)

जनजाति आयुक्त का भी चार्ज है जिससे यथा समय कार्य पूर्ण नहीं होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति आयुक्त के पद पर अन्य अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। आदिवासियों के उत्थान के लिए स्वीकृत राशि का लगभग पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। राशि का उपयोग वास्तविक मांग, कार्यों, योजना की प्रगति अनुसार किया जाता है। वर्ष 2013-14 से 15 जून, 2019 तक स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि निम्नानुसार है:-

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पहला शब्द जी हां, नहीं है। जी नहीं है।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया) जी नहीं।

(राशि लाख रु.)

वर्ष	**स्वीकृत राशि**	**व्यय राशि**	**प्रतिशत**
2013-14	47828.92	47308.76	98.61
2014-15	43722.97	41581.82	95.10
2015-16	53440.85	51835.04	97.00
2016-17	51723.26	46854.84	90.59
2017-18	50281.72	49624.62	98.69
2018-19	55106.02	53793.79	97.62
2019-20 (15 जून, 2019 तक)	11275.45	5667.67	50.27

वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2019-20 में लेखा अनुदान पारित होने से आईएफएमएस पर स्वीकृत राशि 11275.45 लाख रु. के विरुद्ध माह जून 2019 तक 5667.67 लाख रु. व्यय किया गया है। व्यय राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) संभागीय आयुक्त, उदयपुर एवं जनजाति आयुक्त का एक ही पद होकर पदनाम संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर है। समस्त कार्य यथा समय पूर्ण होते हैं। जनजाति आयुक्त

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

के पद पर सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक आधार पर अधिकारी लगाये जाते हैं। संभागीय आयुक्त एवं जनजाति आयुक्त पर पृथक अधिकारी लगाने का प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया है कि वर्ष 2019-20 का बजट, मेरे पूर्व के प्रश्न में उन्होंने बताया, उसमें हो रहा है कि 9480.79 करोड़ और अभी इन्होंने जो बताया है, उसमें 11275.45 करोड़ आ रहा है। इस राशि में अंतर आ रहा है। दूसरा, 2016 में 90 परसेंट ही खर्च हुआ, 2015-16 में 97 परसेंट ही खर्च हुआ, 98.69, 2017 में खर्च हुआ। कई विभागों का चार परसेंट, पांच परसेंट तो बजट ही होता है। इतनी राशि खर्च नहीं हो पाती है। यह निश्चित ही चिंता का विषय है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए माननीय सदस्य। प्रश्न पूछिए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इसी का प्रश्न है। जो आय-व्यय बताया है उसी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रश्न यह है कि इतनी राशि जो बच गई है, अगर यह कार्य मौक़े पर उपयुक्त नहीं है तो इनकी नई स्वीकृति जारी करके इसको खर्च किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को भी सेम नेचर का क्वेश्चन आया था। सबसे पहले 22 तारीख के क्वेश्चन में 2019-20 में 10 जून तक का आंसर था। आज के क्वेश्चन में 15 जून तक का है। इसलिए राशि में जरूर अंतर है। जहां तक लैप्स होने वाली बातें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता 275 और इस तरह की राशि आती है जो पी डी अकाउण्ट में जमा हो जाती है जिससे लैप्स नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक 2016-17 की बात है, इसमें समस्त राशि राज्य सरकार के माध्यम से पी.डी. खाते में ट्रांसफर हो जाती है। इस कारण

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

राशि लैप्स नहीं होती है। जिन-जिन खातों में, जहां तक काम की बात है, गाइडलाइन के अनुसार हम तमाम स्वीकृत काम करते हैं।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माना है कि वास्तव में पैसे लैप्स नहीं होते, लेकिन अभी तक, आज तक 96 परसेंट पैसा ही खर्च हुआ है, 4 परसेंट पैसा अभी भी बच रहा है। जो कार्य स्वीकृत हो गए लेकिन मौक़े पर या तो उनकी आवश्यकता नहीं है या उनको पूरा नहीं कराया गया। पूरा नहीं कराया गया है तो पूरा कराया जाए, आवश्यकता नहीं हैं तो उनको निरस्त करके नये कार्य शुरू किए जाएं ताकि पैसे का सदुपयोग हो जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने पी.डी. खाता बताया, यह इस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। पैसा ट्रांसफर कर देते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट उसमें जमा-खर्च दिखा देता है। आपको इन कामों की यू सी 2013-14 से लेकर अब तक, जिसकी यू सी प्राप्त हो गई कि वास्तव में फील्ड में काम हो गया, वह कितना है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा अन्य विभागों को काम की स्वीकृति के अनुसार पैसा दिया जाता है। पहली किश्त में उसका 40 परसेंट पैसा दिया जाता है, बाकी पैसा काम की गुणवत्ता और काम की प्रोग्रेस के आधार पर विभाग ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो पैसा सेविंग होता है वह पी.डी. खाते में जमा होता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी ने जो चिंता व्यक्त की है, उसकी जानकारी करके बता दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसमें यह नहीं है। इसमें यह है कि विशेष केन्द्रीय सहायता और संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत जो पैसा भारत सरकार से आ रहा है, उस भारत सरकार की आय और व्यय के बीच अंतर है। बाकी हैड में नहीं है। विभाग में, कृपया इसमें देखें कि जो अंतर है, भारत सरकार का पैसा दो हैड में आ रहा है, उसकी एक्सपंडीचर और रेवेन्यू के बीच अंतर है। उसको विभाग के हिसाब से चैक कराएं।

अगला प्रश्न, श्री अर्जुन लाल जीनगर।

पर्यावरण संतुलन की कार्ययोजना

310. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, कम होते वन, कम होता जल पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा पर्यावरण सन्तुलन के लिए कोई ठोस योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रकृति में पर्यावरण संतुलन के लिए कोई ठोस कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: पर्यावरण मंत्री जी।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, कम होते वन एवं कम होते जल के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण संतुलन के लिये नियमित कार्य किया जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में राज्य पर्यावरण नीति लागू की थी। वर्तमान सरकार द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का पुनर्गठन कर नवीन इसी के साथ वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान (Action Plan) तैयार किया जायेगा।

देश की प्रदूषित नदियों की सूची में सम्मिलित राज्य की दो नदियों यथा नदी (चम्बल नदी एवं बनास नदी) की सफाई की योजना बनाई जाकर क्रियान्वित किया जाता है।

देश में वायु गुणवत्ता मानकों के निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले 102 शहरों में से राज्य के पांच शहर कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर सम्मिलित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इन शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई जाकर क्रियान्वित किया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (CEPI) के अन्तर्गत राज्य के नामित शहरों यथा भिवाड़ी, जोधपुर, पाली एवं जयपुर के लिए कार्ययोजना बनाई गयी है एवं इसके अनुसार कार्य किया जाता है।

(2) जी हां। उत्तर खण्ड 1 के अनुसार है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

महोदय ने जवाब दिया कि चम्बल नदी, बनास नदी में सफाई का काम चलेगा, क्रियान्वित होगा, कब होगा पता नहीं। अब तक तो कुछ हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा प्रश्न यह है पर्यावरण सुधार के लिए नदियों से खनन किया जा रहा है, मार्बल वेस्ट निकल रहा है, जितना भी मार्बल वेस्ट है उसको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई वृक्षारोपण नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्रश्न यह है कि एसिड युक्त पानी बोर में छोड़ा जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। वेस्ट मार्बल बाहर पड़ा हुआ है, उसके संबंध में आपकी क्या कार्ययोजना है, अब तक आपने क्या किया है?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्यूबवैल में गंदे पानी की बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य कोई स्थान बता दें, जांच करवा लेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): इसके साथ ही, जो वेस्ट डाला जा रहा है, वह किस जगह डाला जा रहा है उसकी शिकायत करें, उसका भी समाधान करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): यह आप सरकार की....

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): किस जगह वेस्ट डाला जा रहा है यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): वेस्ट कहां डाला जा रहा है, किस जगह डाला जा रहा है, यह तो बताओ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कहां डाला जा रहा है, यह तो सरकार को...

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब आपको मदद करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं पूछ लूं एक प्रश्न?

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब। प्रश्न सुन लो, प्रश्न कैसे पूछते हैं, समझ लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, आपने पांच सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के नाम लिए हैं और आपने यह कहा कि हम इसकी कार्य योजना बना रहे हैं। आप इसकी कार्य योजना कब तक बना लेंगे, इसके बारे में आप बताएं। आपने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए एक्शन प्लान बना रहे हैं, आपका यह एक्शन प्लान कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, एक महीने में, दो महीने में, दस महीने में? वह बता दीजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच शहर हैं इनके लिए एनजीटी ने 8.10.2018 को निर्देश दिए थे। इसकी पालना में 31.12.2018 को राजस्थान सरकार ने, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड नई दिल्ली में प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उसके अनुसार यहां वाहन से धुआं निकलता है, उद्योगों से कचरा निकलता है, ठोस कचरा नगरपालिका का है। इसके अलावा सड़कों से उड़ने वाली धूल है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए विभाग ने जगह-जगह वायु नियंत्रण यंत्र लगाए हैं। ठोस कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, वाजिब अली।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया। बैठिए हो गया। अगला प्रश्न, वाजिब अली।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। प्लीज बैठें। वाजिब अली।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज बैठें। अलाउ नहीं होगा। वाजिब अली जी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री अध्यक्ष: कोई माननीय अध्यक्ष नहीं है। कोई अंकित नहीं होगा। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

नगर (भरतपुर) में खेल स्टेडियम की स्थापना

311. श्री वाजिब अली (नगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के तहत कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (**श्री अशोक**): (1) जी हां। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं के तहत कार्य किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो विवरण मुझे मिला है, पूर्व में स्वीकृत कार्य और आने वाले कार्य, यह सारे कार्य केवल 8 या 10 ज़िलों में ही हो रहे हैं। सरकार की क्या योजना है कि यह विकास के कार्य प्रांत के सभी जगह पहुंचें?

मेरा दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण युवा केन्द्र, क्या यह योजना भरतपुर तक पहुंच गई है? अगर नहीं तो कब तक हमें इसका लाभ मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि सारे खेलों से सम्बन्धित विकास कार्य 8 से 10 जिलों में ही चल रहे हैं, ये पूर्व सरकार के अलाट किये हुए कार्य हैं और चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में खेल स्टेडियम के कार्य नियम के तहत चलें, यह बजट की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से सरकार मानसिकता रखती है कि ऐसा नहीं हो कि 5 या 10 जिलों में ही ज्यादा खेल स्टेडियम

(श्री अशोक)

बनें, 33 ही जिलों के लोगों को बराबर अधिकार है। हर जिले के अन्दर ये कार्यक्रम शुरू हों, ऐसी मानसिकता रखते हैं और बहुत जल्दी चरणबद्ध तरीके से उसको किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय सदस्य वाजिब अलीजी।

श्री वाजिब अली (नगर): मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या ग्रामीण युवा केन्द्र भरतपुर जिले में खुल रहे हैं और नगर विधान सभा में ये केन्द्र कब तक खुल जाएंगे?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आपने विधान सभा का पूछा है, एक सैकिण्ड। माननीय सदस्य, प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण युवा केन्द्र के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण युवा केन्द्र प्रारम्भ किये जा रहे हैं। अब तक 15 जिलों की 3898 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवा केन्द्र संचालित हैं, जिनको खेल विभाग द्वारा 5,17,96,102 रुपये, खेल के उपकरण, वालीबाल, फुटबाल, हाकी और तीरंदाजी आदि उपलब्ध कराये गये हैं। बाकी जो बची पंचायतें हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): प्रश्न संख्या 424.

श्री अध्यक्ष: 312 है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): प्रश्न संख्या 424 है, साहब। क्रम संख्या 312 है, प्रश्न संख्या 424 है।

श्री अध्यक्ष: 312 है।

पाली में श्रम कल्याण योजना के आनलाइन आवेदन

312. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर में भवन संनिर्माण श्रमिक कल्याण योजना में किस-किस ई-मित्र केन्द्र से 01 जनवरी, 2018 से किस-किस माह में, किस योजना में कितने-कितने आवेदन आनलाइन किये गये एवं इनमें से किस-किस ई-मित्र केन्द्र के किस-किस माह में किस-किस योजना में कितने-कितने आवेदन स्वीकृत किये गये एवं कितने-कितने आवेदन निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(2) क्या यह सही है कि कुछ विशेष ई-मित्र केन्द्रों के आवेदनों की ही ज्यादा स्वीकृतियां जारी की गईं? यदि हां, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सुलभ आवास योजना के भी अधिकांश प्रकरण कुछ विशेष ई-मित्र केन्द्रों के जरिये ही आनलाइन किये गये हैं एवं इन्हीं केन्द्रों से आनलाइन हुए आवेदनों में ही ज्यादा स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो इसके भी क्या-क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार को उक्त प्रकरणों में स्वीकृति के लिये विभाग के अधिकारियों द्वारा बिचौलिये/दलालों के माध्यम से अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई थीं एवं इनमें कुछ ईमित्र केन्द्रों के संचालकों की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया था? प्राप्त शिकायतों की प्रति, यदि जांच की गई तो जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) पाली शहर में ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से योजनावार किये गये आवेदनों में किस-किस ई-मित्र केन्द्र के माहवार किस-किस योजना में कितने आवेदन स्वीकृत एवं खारिज किये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल के आनलाइन पोर्टल पर सभी आवेदनो को पहले आओ पहले पाओ (फीफो) सिद्धान्त पर निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। वरीयता क्रम को तोड़ने अथवा विशेष ई-मित्र केन्द्रों के आवेदनों पर ही स्वीकृतियां जारी करने का अधिकार किसी स्वीकृतकर्ता अधिकारी को नहीं दिया गया है।

(3) पाली शहर में नवीनतम स्थिति के अनुसार सुलभ्य आवास योजना के अन्तर्गत कुल 626 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 5 आवेदनों को निरस्त किया गया है, 320 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लम्बित हैं, 164 प्रकरण विभाग के स्तर पर लम्बित हैं तथा केवल 137 प्रकरणों में अभी तक स्वीकृति जारी की गई है। उपरोक्तानुसार स्वीकृत 137 प्रकरणों में 18 अलग-अलग ई-मित्र केन्द्रों के द्वारा प्रस्तुत हुए थे। अतः यह तथ्य सही नहीं है कि किसी विशेष ई-मित्र केन्द्र के द्वारा किये गये आवेदनों में ही स्वीकृति दी गई है। ई-मित्र केन्द्रवार किये गये आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(4) मण्डल की सुलभ्य आवास योजना में स्वीकृति के लिए बिचौलिये/दलालों के माध्यम से भ्रष्टाचार किये जाने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 16.03.2019 को दैनिक समाचार पत्र में तीन सिलिकोसिस मरीजों से कमीशन वसूलने वाले बिचौलिये की खबर प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा दिनांक 27.03.2019 को जरिये पत्र जिला कलेक्टर पाली को दोषी ई-मित्र केन्द्र का लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से रद्द कराने एवं नियमानुसार सख्त कार्यवाही कराने हेतु लिखा गया था एवं उप श्रम आयुक्त पाली से समाचार पत्र में छपी उक्त खबर के क्रम में जांच उपरान्त कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। प्रासंगिक है कि पाली जिले में कराये गये सोशल आडिट में 35 पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा 9 लाभान्वित हिताधिकारी अपात्र पाये गये। अपात्र लाभान्वितों से वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बिन्दु संख्या 4 में जो उत्तर दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। माननीय मंत्री महोदय मैंने खुद ने शिकायत भेजी है माननीय मुख्य मंत्रीजी को और आपको भी, कृपया उस शिकायत को देखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बातें नहीं करें, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक आप मुझे बता दें कि शिक्षा कौशल में तो आपके 2522 आवेदन आये, जो आपने सूची दी है, उसमें से कितने मंजूर हुए और सुलभ आवास में 626 में से 137 स्वीकृत हो गये। ये 137 कब आनलाइन किये गये और कितने दिनों के भीतर उनकी स्वीकृति जारी कर दी, यह थोड़ी आप मुझे जानकारी दे दें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 137 स्वीकृत हुए हैं, ये 01 जनवरी, 2018 से आज तक के हैं, जो आपने क्वेश्चन लगाया था, उसी का जवाब है। यह तो इसी दौरान स्वीकृत हुए हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा, आपने जो पूछा है कि विद्यार्थियों के कितने स्वीकृत हुए हैं, तो इसमें कुल आवेदन, जो स्वीकृत हुए हैं वह 2282 हैं, जो शिक्षा के छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृत हुए हैं।

अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि पाली के

(श्री टीकाराम जूली)

अन्दर भ्रष्टाचार की जो शिकायतें थीं, काफी समय से आ रही थीं, और चूंकि आपने प्रश्न में भी जो कहा है, 01 जनवरी से जो आपने मांगा है, तो इसके दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था, वह लग रहा था कि सब लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे थे, इस दौरान की सारी जो स्वीकृतियां थीं, वह जब हमारी नालेज में मार्च के अन्दर आईं तो मार्च में आते ही हमने इनके खिलाफ कार्यवाही की है, और तकरीबन 25, आज की तारीख तक 25 ई-मित्र केन्द्रों पर हमने कार्यवाही की है। पाली की भी जो शिकायत थी, उसके खिलाफ 27 मार्च को उसको निलम्बित भी किया गया है, साथ ही उसके खिलाफ हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इसके अलावा आपने जो अलग-अलग योजनाओं का विवरण मांगा है, अलग-अलग योजनाओं का वह विवरण भी हम आपको दे देंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है कि यह जो सुलभ आवास योजना में आपने 137 प्रकरण स्वीकृत किये हैं, क्या इनकी जांच करवाएंगे, ताकि आपको विभाग की सारी हकीकत पता चल जाये कि आपके अधिकारियों ने न तो इनका भौतिक सत्यापन किया है, न कुछ देखा। मात्र सैटिंग के कारण ये सारे के सारे स्वीकृत हो गये। आप इनकी जांच कराएंगे? इतना बता दें, थोड़ा सा।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछले समय में स्कीम्स की जो मोनिटरिंग थी, वह एकदम ही ढीली थी, जिसकी वजह से लगातार इन योजनाओं के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो बताया है, उनकी जांच भी कराएंगे। साथ ही, अब जो हमने इसको शुरू किया है, जिस प्रकार से रेलवे का रिजर्वेशन होता है, उसी प्रकार से फीफो की भी पद्धति ऐसी चलेगी, जिसमें जो कमियां रह गई थीं, उनको भी हम दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, डा. राजकुमार।

संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन की कार्ययोजना

313. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के कुल कितने महाविद्यालय/विद्यालय संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि सामान्य शिक्षा के मुकाबले संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय/विद्यालय काफी कम हैं, जिसके कारण संस्कृत शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार सामान्य शिक्षा के मुकाबले संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय/विद्यालय दस प्रतिशत तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा तथा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा **(डा. सुभाष गर्ग)** : (1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन 1797 राजकीय एवं 496 अराजकीय विद्यालय/ महाविद्यालय संचालित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय/विद्यालय सामान्य शिक्षा की तुलना में कम हैं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा संस्कृत का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के लिये लगातार प्रयास किया जा रहा है। सामान्य शिक्षा के मुकाबले संस्कृत विद्यालय खोलने एवं क्रमोन्नत करने के लिये प्रतिशत तय करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। संस्कृत शिक्षा के नवीन विद्यालय खोलने/महाविद्यालय खोले जाने एवं क्रमोन्नत किये जाने के लिये विभागीय नीति निर्धारित है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में संस्कृत शिक्षा व भाषा को प्रोत्साहन देने एवं वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड की स्थापना का बिन्दु निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अनुमोदित प्रारम्भिक कार्ययोजना का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, 2009 से 2013 तक हमारी सरकार ने राज्य में संस्कृत शिक्षा में ऐतिहासिक काम करते हुए 680 नये संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय खोले। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2018 तक संस्कृत और संस्कृति की बात करने वाली भा.ज.पा. सरकार ने क्या एक भी संस्कृत विद्यालय खोला या एक भी महाविद्यालय खोला? क्या सही है कि बी.जे.पी. के बड़े नेता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न पूछें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): और राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत के गांव खाचरियावास में कांग्रेस सरकार ने संस्कृत महिला महाविद्यालय खोला था, उस संस्कृत महिला महाविद्यालय को भा.ज.पा. सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सहशिक्षा का महाविद्यालय बना दिया?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, यह बात सही है कि गत भा.ज.पा. सरकार के द्वारा एक भी विद्यालय और एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया।

दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इसका प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूं और डिमाण्ड रिप्लाई के समय भी दे चुका हूं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सर, 12 सवाल आने चाहिए थे आपके हिसाब से नियमों के तहत। आज कुल मिलाकर 10 ही सवाल आए हैं, 11 आए हैं। 19 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सवाल लगाए, वे आज उत्तर से वंचित रह गये तो इस बात पर आप अगर पुनर्विचार करें तो कम से कम इस बात पर भी पुनर्विचार करें कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा सवाल आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बड़े पैमाने पर किए जा रहे बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री छगन सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में किसानों को फसली ऋण स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में मानसून की बेरुखी के कारण अकाल पड़ने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण की स्वीकृति में राइडर लगाने के कारण किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में स्वीकृत पेयजल योजना में बदलाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री बाबुलाल (झाड़ोल), सदस्य की ओर से उदयपुर से गुजरात वाया झाड़ोल होकर प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग 58-ई के निर्माण हेतु वन विभाग की स्वीकृति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से रावतसर थाना क्षेत्र से गायब हुए दो व्यक्तियों के काफी समय बीत जाने के उपरांत भी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा कराने की तिथि 31 जुलाई, 2019 को नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर से रतनपुर-शामलाजी खण्ड तक निर्माणाधीन राजमार्ग में उदयपुर तथा डूंगरपुर जिले के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर अंतर्गत पुलिस चौकी सवाईपुर तथा पुलिस थाना बड़लियास क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप, रानी पदमावती तथा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कहानियां हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के पुलिस थाना जसरासर में मृतक श्याम सुन्दर हत्याकांड प्रकरण में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के अधिकांश गांवों में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं पचास अन्य सदस्यों की ओर से किसानों की कर्जमाफी व प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को नहीं दिये जाने से किसानों में व्याप्त भयंकर आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं पचास अन्य सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव पर आज सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिया जाएगा।

(15) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में उचित मूल्य की दुकानों पर फंगस वाला गेहूं वितरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से मानसून की बेरुखी से पाली जिले के मुख्य पेयजल स्रोत जवाई बांध में सिर्फ 4 से 5 दिनों तक का पानी ही शेष रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(18) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से मानसून की बेरुखी से जयपुर, दौसा एवं अजमेर आदि जिलों के मुख्य पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्रीमती अनिता भदेल, श्री ज्ञानचंद पारख एवं श्री रामलाल शर्मा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर, जालौर एवं सिरोही जिले के लिए 52 वर्ष पूर्व बनी माही बजाज परियोजना को गति देकर क्षेत्र की पानी की समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

(3) श्री रामप्रसाद, सदस्य की ओर से दक्षिणी राजस्थान के ऐतिहासिक महापुरुष राणा पूंजा भील की मूर्ति लगाकर चौराहे का नामकरण किये जाने के संबंध में।

(4) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू के रीको क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण का समाधान किये जाने के संबंध में।

(5) श्री बाबूलाल (कठूमर), सदस्य की ओर से कठूमर (अलवर) उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(6) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से नर्सिंग भर्ती, 2013 के विज्ञापित पदों में बजट का अभाव बताते हुए की गई कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री रूपाराम (मकराना), सदस्य की ओर से नगर परिषद्, मकराना में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में लोक जुम्बिश परियोजना के बंद होने से नियमितीकरण से वंचित कार्मिकों को नियमित किये जाने के संबंध में।

(9) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से झालावाड़ नगर परिषद् में कुल 35 पार्षदों में से 24 पार्षदों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की ग्राम पंचायत कुंवारिया में सैकड़ों मजदूरों को विगत डेढ़ माह से कार्य नहीं मिलने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सोजत शहर में गुजरने वाले स्टेट हाईवे संख्या-58 पर बाईपास बनवाए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा के हनुमान नगर में गंदे नाले के पानी को रोके जाने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मानननीय सदस्यों के प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(पढ़ी मानी गयी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 24 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं। श्री जोराराम कुमावत, सदस्य द्वारा प्रस्तुत विषय वर्तमान सत्र में सदन में उठाया जा चुका है अत: उन्हें सदन में विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं होगी। शेष 3 पर्चियां निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य द्वारा किशनगढ़, अजमेर में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन कराये जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य द्वारा अलवर जिले में बढ़ते अपराध से आमजन में भय व्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अमृत लाल मीणा, सदस्य द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की समयावधि निश्चित किये जाने तथा सर्किल आफिस स्तर पर समस्या का निस्तारण करने के संबंध में।

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसकी चिंता कल ही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहकर की कि जयपुर एक हैरिटेज शहर है परंतु यहां आते ही दुर्घटनाओं के बारे में सुनकर डर लगता है। उन्होंने कल ही सरकार के जो महाधिवक्ता हैं, उनको यह कहा कि एक समग्र प्लान ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा के बारे में बनाकर प्रस्तुत करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब हम यहां सदन में चर्चा कर रहे थे, नारायण सिंह तिराहे पर एक रईसजादे ने फिर बेलगाम दौड़ती हुई अपनी गाड़ी से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मगन सिंह को कुचल कर रख दिया और कल ही एक भावना गुप्ता, वर्ल्ड ट्रेड पार्क से खरीददारी करके निकल रही थी, तेज रफ्तार की एक गाड़ी ने उनको कुचल कर रख दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहुत गलत परम्परा है। आप प्लीज अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सदन आहूत हुआ है तब से एक जेडी.ए. का चौराहा, जिससे हम सब लोग कई बार निकले हैं, वह खूनी चौराहे के रूप में तब्दील हो गया। एक सप्ताह के अंदर उस चौराहे पर चार लोग दुर्घटना होकर काल-कवलित हो गये और राजस्थान पत्रिका ने एक एडिटोरियल लिखा- 'यह सबक कब?' मतलब, इसने सारे सिस्टम को बेनकाब कर दिया इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जन आक्रोश जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब रईसजादे कुचल कर जिंदगी को जाते हैं, उनकी चिता ठंडी भी नहीं होती और वह बिलकुल आई.पी.सी. की धारा 379, 337 और 306(ए) में जमानत लेकर अपने घर चले जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर, कुम्हेर की घटना धनबाड़ा में हुई। योग करते हुए मार्निंग वाक करते हुए छह लोग कुचले गये। चालक परसुराम मीणा छह घंटे के बाद जमानत लेकर अपने घर पहुंच गया।

इसी 21 जुलाई को मेरे गृह जिले के तीन नौजवान राजगढ़ बूचावास के मंडेला के अंदर कुचले गये। तेज रफ्तार की स्विफ्ट गाड़ी ने कुचल दिया और तीन घंटों के अंदर चालक को जमानत मिल गयी। कोटा-सांगोद के अंदर हरनावदा स्टेट हाई-वे पर दो बच्चे जो गेहूं लेने निकले थे, एक लग्जरी गाड़ी ने टक्कर मारी, वाहन चालक को पकड़ा और कुछ घंटों में जमानत मिल गयी। यही हालत जो सिद्धार्थ शर्मा थे, उसने अभय डागा को कुचला। मैं यह निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। यातायात मंत्रीजी, आप विराजे हैं, राजस्थान दुर्घटनाओं के मामले में देश में चौथे स्थान पर है और पांच हत्याएं राजस्थान में रोज होती हैं और यह जो आपकी सड़क हत्यारी हो गयी है राजस्थान की, 29 हत्याएं सड़क दुर्घटना के माध्यम से हत्यारी सड़क कर रही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब वाहन चालक, जिससे एक भी मृत्यु हो जाए, उस वाहन चालक का आप लाइसेंस रद्द क्यों नहीं करते। एक वर्ष के लिये तुरंत उसका लाइसेंस निलम्बित हो जाए और लाइसेंस दुबारा जब जारी हो, जब उसकी सारी दक्षता की जांच हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़ा ही संवेदनशील मामला है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। पर किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, अभी आपने इस डागा के मामले के अंदर धारा 304 और 308 लगायी है। सभी लोगों पर धारा 304, 308 और 185 मोटर व्हीकल एक्ट में इनका चालान क्यों नहीं हो और एक स्पेशल पी.पी. नियुक्त हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मामला जाए और मैं यातायात मंत्रीजी को कहना चाहूंगा रोड सेफ्टी के लिये, आपने आज पढ़ा होगा, एक कंसल्टिंग इंजीनियरिंग ग्रुप है, उसने आज बढ़िया लिखा है कि यह जो जे.एल.एन. मार्ग है, उसके अंदर 11 चौराहे डिफेक्टिव हैं, इन सब पर निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए और मैं निवेदन करूं कि आठ बजे से पहले तो आपकी सिग्नल लाइट चालू होती नहीं, बच्चे स्कूल जाना चालू हो जाते हैं। इन सबको ठीक कराओ और यह रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांटना बंद करो। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): लाइसेंस की दक्षता करो, वरना ये खूनी सड़कें इसी तरह से लोगों का जीवन लेती रहेंगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ ने सदन का ध्यान बहुत गंभीर मामले की तरफ दिलाया। रोजाना सारे अख़बार- राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, समाचार जगत, डेली न्यूज, सबमें इस तरह की खबरें आ रही हैं और यह सड़क दुर्घटना रोकना हमारे लिये एक चुनौती है। सड़क दुर्घटनाएं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

रोकने के लिये सरकार बहुत गंभीर है। जिस दिन जे.डी.ए. सर्किल की और गणेश जी के चौराहे की घटना हुई, उसके बाद यहां सब अधिकारियों को विधान सभा में बुलाकर डाइरेक्शन दिये गये। सारे अधिकारी मौके पर गये। कालीचरण जी सराफ भी मौके पर गये थे। अध्यक्षजी, कालीचरण जी ने तो वहां चुनौती देकर कहा था कि यदि यहां पर डिवाइडर नहीं बनाये तो मैं धरना दूंगा। लेकिन, मैं आपके लिये रिक्वेस्ट कर दूं अध्यक्षजी की अनुमति से, कि वहां डिवाइडर के लिये फिर आप भी समझ गये कि वहां पर डिवाइडर बनाना ठीक नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): स्पीड ब्रेकर के लिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, स्पीड ब्रेकर के लिये आपने कहा था। मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के इंजीनियर्स की एक टीम लगायी गयी है जवाहर लाल नेहरू मार्ग के लिये, जो पूरे रोड पर इस तरह की व्यवस्था करने की तैयारी कर रही है कि एक्सीडेंट नहीं हों। रात को जो ये बार चल रहे हैं, जो लेट तक चलते हैं, उसके लिये भी हम तैयारी कर रहे हैं कि लेट में जो लोग शराब पीकर निकलते हैं, बाद में गाड़ी दौड़ाते हैं, वह रईसजादा जो भी निकला, मगनसिंह पुलिस वाले को अपनी गाड़ी पर घसीटते हुए निकला। एक भावना गुप्ता, जो आज हास्पिटल में है। अभय डागा की डैथ हो गयी। दो भाइयों का बहुत जबर्दस्त एक्सीडेंट हुआ दिन में, जब एक कार वाले ने टक्कर मारी, 20 फीट ऊपर दूर जाकर गिरे और दोनों भाइयों की डैथ हो गयी, पूरा परिवार हिल गया। पूरे राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हमने बड़ी गंभीरता के साथ तय किया कि पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतों से लेकर वार्डों तक 50-50 सड़क सुरक्षा अग्रदूत हम बनाने जा रहे हैं, जिनको सरकार एन.जी.ओ. के साथ मिलकर 50-50 हैलमेट देगी और ऐसे लोगों को चिह्नित कर रहे हैं जो लोगों को, जहां पर भी प्रोब्लम है, वह आगे बढ़कर मदद करने के लिये आगे आएं, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिये आगे आएं। हमने यह भी तय कर दिया कि इन लोगों के लाइसेंस कैंसिल किये गये हैं। आगे के लिये जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट करेगा, उनके सबके लाइसेंस कैंसिल करने के दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल किये जाएंगे और कोई भी यह नहीं समझे कि सड़क दुर्घटना के बाद, यहां तक तैयारी हम कर रहे हैं कि जो लोग शराब पीकर सड़क दुर्घटना कर देते हैं, जिसमें किसी की डैथ हो जाती है, उसके लिये हम सख्त से सख्त क्या कार्यवाही कर सकते

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हैं, उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी है। यह कमेटी जल्दी फैसला करेगी कि तुरंत उसकी जमानत हो जाती है, उससे हम भी बहुत ज्यादा घबराये हुए हैं कि वह जमानत होकर निकल जाता है।

बालवाहिनी के मामले में आपको पता है, सात दिन से लगातार अभियान चल रहा है, और भी सदन के जो माननीय सदस्य हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास भी कोई अच्छे से अच्छा सुझाव हो, आप बताएं। परिवहन विभाग और राजस्थान की सरकार किसी भी कीमत पर सड़क दुर्घटनाएं रोकना चाहती है, आपके सबके सुझाव आमंत्रित हैं। जो भी अच्छे से अच्छा सुझाव देगा, हमने तो पूरे राजस्थान में प्रसारित किया है, उसको हम सम्मानित भी करेंगे और सदन का जो भी सदस्य, आपको लगता है कहीं पर कोई अधिकारी या कर्मचारी पूरी तरह से ड्यूटी नहीं निभा रहा है, कहीं पर कोई कमी है तो आप बताना, हम उसमें भी तय करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अध्यक्षजी, सरकार गंभीर है। सारे कदम उठाये जा रहे हैं। सख्त से सख्त कदम उठाये जाएंगे और जो सड़क दुर्घटना करेगा, इस तरह की लापरवाही के साथ, उनके लाइसेंस रद्द किये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नो प्लीज, नोट अलाउड। प्लीज बैठिए, नोट अलाउड। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) बहुत बढ़िया है। आप बैठें, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। नियम भी बढ़िया है।

अजमेर शहर में उचित मूल्य की दुकानों पर खराब गेहूं का वितरण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान अजमेर की उचित मूल्य की दुकानों पर जो गेहूं, खाद्यान्न वितरण हुआ है पिछले दो महीनों से, उसकी ओर इंगित करना चाहूंगी। पिछले दो माह से वार्ड नंबर 33, 34 और 35 में सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों पर जो गेहूं वितरण किया जा रहा है, वह पूरी तरह से फंगस वाला गेहूं है। उसको इंसान तो क्या, पशु भी नहीं खा सकता। एक ओर तो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई मिलावटी पदार्थ नहीं बिके, उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी और एक्शन लिया जाएगा, अभियान चलेगा। दूसरी

(श्रीमती अनिता भदेल)

तरफ ही सरकार यदि ऐसा काम करे तो फिर कार्यवाही करने के लिये कौन आएगा? इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि जो जिलाधीश महोदय ने लैटर लिखा है इस गेहूं के बारे में, वहां अब नया गेहूं भिजवाएं उन सब दुकानों पर और नया गेहूं उनको वितरित हो, क्योंकि जो गेहूं लेने वाले उपभोक्ता हैं, वह सारे के सारे उपभोक्ता नितान्त गरीब हैं और इसीलिये इन दुकानों से गेहूं लेते हैं। यदि उनके पास पैसा होता तो दूसरी दुकान से भी गेहूं ले सकते थे। इसलिए मैं इतना ही ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आइन्दा इस तरह का गेहूं एक तो वितरित न हो और यदि पहले वितरित हो गया है तो वह गेहूं वापस जमा हो और उसकी जगह नया गेहूं उनको वितरित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जवाब तो दें मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं, प्लीज। प्लीज, मंत्रीजी बैठें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह जवाब देना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला नाम पुकार लिया है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज, मैंने पुकार लिया है ज्ञानचंद पारख साहब को।

कमजोर मानूसन के चलते जवाई बांध का चिंताजनक जल स्तर

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जलदाय मंत्रीजी की पूरी जानकारी में है कि जवाई बांध में पानी लगभग खतम होने के कगार पर है, सिर्फ चार-पांच दिन का पानी मुश्किल से बचा है। आपको यह भी जानकारी है कि पाली शहर और रोहट तहसील के जितने भी गांव हैं, वहां आने वाले दिनों में पेयजल की भारी समस्या पैदा होगी। अब तक तो आपके अधिकारियों ने जितना पानी था, उसका बेहतर मैनेजमेंट करके संकट नहीं आने दिया, पर पानी नहीं होगा तो आपके अधिकारी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने जितनी स्वीकृतियां हमारे अधिकारियों ने मांगी, वह सारी जारी कर दीं, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा, आपने कतई कंजूसी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

नहीं की, काटा-काटी भी नहीं की। पर यह मामला ट्रैन का है। अब पानी ट्रेन से आएगा पर ट्रैन आपके अकेले के हाथ में नहीं है, आपको सरकार से या केन्द्र सरकार से बात करनी होगी। पहले यह घोषणा थी कि 24 तारीख से ट्रैन के माध्यम से पानी को पाली पहुंचा देंगे, आज 24 तारीख आ गयी पर अभी लगता नहीं कि दो-तीन दिन तक ट्रैन के माध्यम से पाली पानी आएगा और ट्रैन से ज्यादा से ज्यादा कितना पानी आप ला पाओगे, मुश्किल से एक करोड़ लीटर जबकि पाली की आवश्यकता तीन करोड़ लीटर की है, तो यह एक करोड़ की तो सुनिश्चितता ट्रैन के माध्यम से है, क्योंकि चार फेरे कम-से-कम होंगे न, तो ट्रैक पर कितना ट्रैफिक है, उसको भी यह रेल विभाग वाले देखेंगे, केवल आपके कहने मात्र से नहीं कर देंगे वह। आपके उच्च अधिकारी रेल विभाग के अधिकारियों से बात करें कि कितने फेरे अधिकतम हो सकते हैं और ट्रैन की व्यवस्था कैसे होगी, इसकी सुनिश्चितता भी करें। इसके साथ ही जो आपके वैकल्पिक स्रोत हैं, चाहे पुराने डेरे हैं, कोई बावड़ी है, तो उनको भी आप दुरुस्त करवाएं और वहां से कितना पानी मिल सकता है, यह देखें। साथ में नए हैण्डपम्प और ट्यूबवैल की बात की जानकारी भी आप दे दें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नोट अलाउड। (व्यवधान) आप बैठें माननीय मंत्रीजी। आप लिखकर भेज दें। आप सीनियर हैं, यह तरीका नहीं है। माननीय रामलाल शर्मा। (व्यवधान) तरीका नहीं है। नोट अलाउड। यह कोई तरीका नहीं है पुष्पेन्द्र सिंहजी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप लिखकर देते, आपने लिखकर दिया है? नो प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: अब रिकार्ड नहीं होगा। माननीय रामलाल जी शर्मा। यह कोई तरीका नहीं है। यह तरीका नहीं है। रिकार्ड नहीं होगा। रामलाल शर्माजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: कोई तकलीफ नहीं। प्लीज, आप सीनियर आदमी हैं। नियम तोड़ रहे हैं। आपने लिखकर दिया। आपको समझ में नहीं आया क्या? कानून है, नियम हैं। नहीं, अलाउड नहीं है। Not allowed, I say not allowed. आप बैठें प्लीज। श्री रामलाल शर्मा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: कोई रिकार्ड नहीं होगा। मुझे नेम लेना पड़ेगा आपका। आप सीनियर आदमी हैं। प्लीज, बैठें। आप नियम खुद तोड़ेंगे। नियम तोड़ने के लिये अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, बैठें आप। गंभीरता सबको मालूम है, उन्होंने प्रश्न उठा दिया। सरकार का ध्यान है, गंभीरता है, आपके प्रश्न करने से क्या होगा? लिखकर दें, यह तरीका नहीं है। श्री रामलाल शर्मा।

बीसलपुर बांध में पानी की कमी

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा में चारों जिलों के अन्दर पेयजल आपूर्ति का अगर सबसे बड़ा स्रोत है तो वो बीसलपुर का बांध है और राजस्थान के प्रमुख अखबारों ने सरकार को एक बार नहीं बार-बार चेता दिया कि आज की तारीख में अब दस दिन का पानी शेष बचा है, अब आठ दिन का पानी शेष बचा है, अब सात दिन का पानी शेष बचा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक जयपुर सहित अन्य जिलों में पेयजल आपूर्ति की क्या व्यवस्था रहेगी, उसकी चिंता नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति को अनाज नहीं मिले, खाने को रोटी नहीं मिले तो वो दो-तीन दिन का समय आराम से निकाल सकता है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दो-तीन घंटे भी पीने का पानी नहीं मिला तो वो कैसे अपना जीवन-यापन करेगा, वो कैसे जी सकेगा?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सीधा-सीधा इतना ही निवेदन है कि जयपुर जिले के पूरे विधान सभा क्षेत्र, दौसा के विधान सभा क्षेत्र, आपके अजमेर के, आज भी आपके पास कुछ दिनों का पानी शेष बचा है, अभी तक सरकार ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की है। आप सदन को बताएं कि आप ट्यूबवैल खोदने का काम करोगे या ट्रेन चलाने का काम करोगे? इसके साथ ही मेरा चौमूं भी है, जो आपने पहले जे.डी.ए. की स्कीम दी थी वो स्कीम पूरी होने के बाद में आने वाले समय में वो स्कीम भी दम तोड़ रही है, इसको भी आप बीसलपुर से जोड़ने का विचार रखते हो या नहीं रखते हो? जयपुर की जनता को, 90 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनको आप पीने का पानी कैसे उपलब्ध कराओगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सरकार से चाहूंगा कि आप कम से कम

(श्री रामलाल शर्मा)

जनता को आश्वस्त करें, आने वाले समय में आपका कानून-व्यवस्था बनाये रखना भी मुश्किल रहेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। निर्देश है, जैसा माननीय सदस्य सब एजिटेट हैं, पानी की समस्या चाहे पाली में हो चाहे सब जगह हो, सरकार कल स्टेटमेंट दे जिससे राजस्थान में पीने के पानी के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ...(व्यवधान) पर्ची पर चर्चा। श्री वासुदेव देवनानी जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

किशनगढ़ (अजमेर) में धर्म परिवर्तन से स्थानीय लोगों में आक्रोश

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कल किशनगढ़ में हुई घटना की ओर आकर्षित कर रहा हूं जिसके कारण आज किशनगढ़ में तनाव है।

कल देवडूंगरी क्षेत्र में मीरा बावड़ी रोड पर एक गोवर्धन साहू का घर है, गरीब का घर है, उस पर हाउसिंग बोर्ड से तीन ईसाई महिलाएं, जो पिछले हाउसिंग बोर्ड में रहती हैं, वह प्रत्येक मंगलवार को प्रार्थना कराने के लिए आती हैं। वह प्रार्थना तो कराने आएं लेकिन प्रार्थना के नाम पर 12 से 15 वर्ष के बच्चे-बच्चियों को आर्थिक मदद के नाम पर प्रलोभन देकर के वहां धर्मांतरण करने का दबाव बनाया जाता है। अपने-अपने घरों से उनसे आग्रह किया जाता है कि भगवान की मूर्ति हटाओ, हिन्दू देवताओं की मूर्ति हटाओ, वहां विष वमन करती हैं जिसके कारण से आज परिवार टूटने लगे हैं।

वहां रहने वाले श्रीमान् पवन जी और शर्मा जी नामक दो सज्जनों ने कई लोगों से आकर के गुहार की कि हमारे परिवार बचा लो। इस पर वहां साहू समाज के दो लोग, अशोक साहू और मेघराज साहू गोवर्धन जी के घर गये, समझाने गये कि आप इसको बंद करो, इसके कारण से तनाव हो रहा है लेकिन वहां पर गोवर्धन नहीं माना क्योंकि पैसे के लालच में था। गाली गलौज किया, सारे पड़ौसी इकट्ठे हो गये और उस विवाद के आधार पर वहां पर गोवर्धन के घर से पत्थरबाजी होने लगी। इसके पीछे मुख्य सरगना हाउसिंग बोर्ड में रहने वाला यूनिट कलेक्शन नामक दुकान चलाने वाला व्यक्ति है। उसको पैसे की व्यवस्था वो ही करता है। आज पुलिस को जब पवन और शर्मा जी शिकायत करने पहुंचे तो उनको रात भर थाने में बंद किया। अध्यक्ष

(श्री वासुदेव देवनानी)

महोदय, राजस्थान धर्मांतरण फैक्ट्री के रूप में चल रहा है। गरीब बच्चों को टार्गेट किया जा रहा है। मेरे अजमेर में अजय नगर, मदार, ब्यावर, लाडपुरा में इस प्रकार के सत्संग के नाम पर इस प्रकार के धर्मांतरण के काम हो रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर, थड़ी मार्केट, वरुण पथ पर दुकानें चल रही हैं। मेरे घर के पास में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वहां पर इस सज्जन के घर में इस प्रकार के सत्संग के नाम पर धर्मांतरण हो रहे हैं, इसको सरकार तुरंत रोके। केवल आईवाश करके कि, साहब, वो शराब पीये हुए था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पिता लड़ रहा है कि मेरा घर बचाओ, उसकी पत्नी और बच्ची कहां जाएं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, नहीं, अलाउ नहीं, नोट अलाउ।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज सारा राजस्थान ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): धर्मांतरण पैसे के लालच में हो रहा है। इसके आधार पर कुछ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह राजस्थान में फैल रहा है ... (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब तो दिलवाओ ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, सामान्य मामला नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: धर्मांतरण पर कार्यवाही करेगी सरकार ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नियम 131 के तहत, श्री बाबुलाल। (व्यवधान) श्री अशोक लाहोटी। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री का नहीं सुन रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मांग संख्या 29 पर प्रस्ताव रखें। प्रस्ताव रखें आप मांग संख्या 29 पर।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,17,69,13,000/- (बासठ अरब सत्रह करोड़ उनहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। (व्यवधान)

(मांग संख्या 29 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। अनिता भदेल, डिबेट पर बोलना है? डिबेट पर बोलना है? (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अनिता भदेल, आपको डिबेट पर बोलना है? अनिता भदेल, डिबेट पर बोलना है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, एक बार व्यवस्था तो करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपको डिबेट पर बोलना है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बोलना है पर आप व्यवस्था करा दीजिए न।

श्री अध्यक्ष: बोलना शुरू करिये। शुरू करिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप व्यवस्था करा दीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप व्यवस्था कराइये न, मैं बोलूंगी कैसे ...(व्यवधान) मैं बोलना चाहती हूं पर आप व्यवस्था करा दीजिए माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र पारीक। राजेन्द्र पारीक।

मांग संख्या 29 पर विचार

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, ऐसे सब्जैक्ट पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं जो आम इन्सान के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक सीधा उससे जुड़ाव रखता है, चाहे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए या मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, इस विभाग की आवश्यकता हमें हर वक्त परिलक्षित होती है। वर्षों पहले इस विभाग के पास में न कोई बहुत ज्यादा संसाधन हो पाते थे, न संसाधन होते थे न आबादी थी और न इस तरह की आवश्यकताएं महसूस होती थीं क्योंकि तत्समय जो हालात थे, लोगों की आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से आबादी का विस्तार हुआ, जिस तरह से लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, जिस तरह से लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, धीरे-धीरे आवश्यकताएं महसूस होने लगीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि आम आदमी सीधा नगर परिषद्, नगरपालिका या कारपोरेशन का जो भी है, उससे सीधा जुड़ाव रखता है और इन सारी संस्थाओं से इस बात की अपेक्षा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

भी रखता है कि ये सारी संस्थाएं उसके जीवन में होने वाली रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उस पर वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगी। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर की आपसे चर्चा करूं, सीकर बहुत सीमित क्षेत्र में था, दो-ढाई किलोमीटर के रेडियस में पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, आबादी बहुत सीमित थी, संसाधन भी सीमित थे, आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं लेकिन आज जिस तरह से वहां पर शैक्षणिक संस्थाओं की वजह से विकास हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अपने स्थान पर जाएं प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य ने और माननीय विपक्ष के नेताओं ने, सभी सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न पर सरकार जानकारी लेकर कल सदन में स्टेटमेंट दे। श्री राजेन्द्र पारीक। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, अनिता भदेल का नाम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज, यह तरीका नहीं है। उन्होंने बोल लिया, let him speak, यह कोई तरीका नहीं है। राजेन्द्र पारीक बोलें। (व्यवधान) प्लीज बैठें आप नीचे। प्लीज, नीचे बैठें। गलत परम्परा नहीं, बैठो नीचे। नीचे बैठो, नीचे बैठें। यह गलत परम्परा नहीं, आपकी पार्टी के लीडर फिर खड़े हो जाते हैं। माननीय राजेन्द्र पारीक।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): साहब, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। ध्यान आकर्षण गया अब हल्ले में।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): जिस तरह से आबादी का विस्तार हुआ है, हमारी सोच में परिवर्तन हुआ है, हमारे चिन्तन में परिवर्तन हुआ है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं और उसी अनुरूप आज चाहे नगरपालिका हो या कारपोरेशन हो या परिषद हो, धीरे-धीरे उन सबकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सीकर की चर्चा करूं। सीकर बहुत सीमित क्षेत्र में था। आबादी बहुत कम थी। बमुश्किल कभी नाली या आधा किलोमीटर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सड़क की आवश्यकता महसूस होती थी लेकिन आज जिस तरह से सीकर विकसित हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में आज सीकर अग्रणी है। कोटा के बाद में सीकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। तदनुरूप ही सीकर में जो बाहर से आकर के बच्चे रहते हैं, एक पूरी नगरपालिका नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड के मध्य स्थित हो गई। एक लाख के करीब बच्चे आज बाहर से आकर के वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी हालत में नगर परिषद् की जो आय है, वह आबादी के अनुपात में बहुत कम है। हम जिस विकास की बात करते हैं, वह विकास के सारे संसाधन भी नगर परिषद्, नगरपालिकाएं या कारपोरेशन उस अनुरूप जुटा नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): अध्यक्ष महोदय, इंसान का स्वभाव है कि वह सोते हुए स्वप्न देखता है, लेकिन मेरे साथ परेशानी यह हुई कि मैं जागते हुए स्वप्न देखने लगा। मैं अपने छात्र जीवन से जस्ट बाहर निकला, सामाजिक क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया। इस वक्त सीकर के अस्पताल में मेरा बराबर जाना-आना रहता था। वहां जाकर मैं किसी की पीड़ा दूर कर सकूं, किसी को कुछ सहयोग कर सकूं। उस वक्त मुझे कुछ बहनों ने मिलकर यह बात बताई कि सीकर के अस्पताल में जो महिला विंग है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आप उसको किसी के सहयोग से ठीक करा सकते हैं तो करें। उस समय नगरपालिका की आय सीमित थी। फिर भी मैंने मेरे वहां जो साथी थे, मेरे जो वार्ड के पार्षद थे, वहां जो ई.ओ. थे, उनसे चर्चा करके, उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही।

अध्यक्ष महोदय, सोते हुए जब आदमी सपने देखता है तो उसको भूल जाता है, लेकिन जागते हुए यदि आदमी स्वप्न देखता है तो भूलता नहीं, बल्कि वह स्वप्न उसको बार-बार पीड़ित करते हैं, आहत करते हैं। उस वक्त का एक स्वप्न, जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया, 1990 में मैं विधायक बना, तब मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ। उन महिलाओं के चेहरे मेरे सामने बार-बार आने लगे कि भाई, तुम्हें सीकर में जनाना अस्पताल के बारे में कहा था। क्या हुआ उसका? मैं उससे इतना ज्यादा आहत हो गया कि मैंने एक संकल्प ले लिया कि सीकर में यदि इंडिपेंडेंट जनाना अस्पताल नहीं बन पाएगा, जब तक उसकी नींव नहीं रखी जाएगी, मैं अन्न का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक विजन था, एक स्वप्न था। मैं उससे पीड़ित था। उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने संकल्प लिया। सरकारों की आर्थिक हालत का अंदाजा आप इससे लगा लें कि 13 माह तक लगातार मुझे अन्न का त्याग करना पड़ा। तदुपरांत सीकर में जनाना अस्पताल का छोटा-सा फाउंडेशन भी हुआ। क्या परिस्थितियां हुई कि 1991 में जिस छोटे से अस्पताल का शिलान्यास हुआ, वह कुछ एनजीओज के माध्यम से, कुछ ट्रस्टीज के माध्यम से, सरकार से चर्चा की गई और सरकार ने उसको बजाय सरकारी रखने के, प्राइवेट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा का शमन तो हो गया। सीकर में एक इंडिपेंडेंट अस्पताल बन गया, लेकिन मेरे मन में जो संकल्प था कि सीकर में सरकारी स्तर पर एक इंडिपेंडेंट अस्पताल मैं बनाऊं। वह पीड़ा मुझे बरसों तक सालती रही। वह पीड़ा कब दूर हुई, 2012 में, जब मैं मंत्री बना और माननीय अशोक गहलोत जी से जाकर मैंने अपनी पीड़ा बताई। 1990 की पीड़ा, उससे पहले मेरे छात्र जीवन की पीड़ा का शमन कब हुआ? 2012 में हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जागते हुए स्वप्न देखना पीड़ा देता है। यह पीड़ा किसी भी विषय में हो, किसी के डवलपमेंट के विषय में हो, विजन के विषय में हो। यदि आदमी स्वप्न देखता है तो पीड़ा निश्चित मिलती है। कुछ ऐसी ही पीड़ा लेकर सीकर में जब मैं जन प्रतिनिधि बना तो मेरे सामने भी एक यक्ष प्रश्न था कि सीकर का जो स्वप्न मैं देख रहा हूं, वह कैसा सीकर होना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको यह जानकारी दूं कि सीकर जयपुर के नजदीक होने के कारण, उसकी जो बनावट है वह खूबसूरत है। जयपुर का सीधा असर सीकर पर पड़ा। सीकर में सड़कें चौड़ी बनीं, सीकर में चौराहे अच्छे बने। जिस तरह से जयपुर के चौराहे हैं, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, चांदपोल, सूरजपोल गेट, जैसे यहां हैं, वैसे का वैसा ही हमारे उस वक्त के जो महाराजा साहब थे, उन्होंने सीकर में भी बनाया। लेकिन राव राजा कब तक बनाते? यह जिम्मेदारियां जन प्रतिनिधियों को मिल गई। जन प्रतिनिधियों के पास साधन सीमित थे।

अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा इस बात से लगाएं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजे हुए हैं, उसी नवलगढ़ रोड पर रहते हैं। झुंझुनूं के जो

(श्री राजेन्द्र पारीक)

और 7-8 विधायक आते हैं, वह भी रहते हैं। मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने देखा कि लेबर पेन से पीड़ित एक महिला, रेलवे फाटक बंद होने से इस पार से उस पार नहीं जा पा रही है। उसके परिजन उस तड़पती महिला को एक खाट पर लिटाते हैं। फिर पास के एक दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं। मैं लाचार, बेबस खड़ा-खड़ा देखता रहा। उस समय साधन नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा के प्रांगण में मैंने उस वक्त के जो हमारे मुख्य मंत्री थे माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत, उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, सीकर में एक आरओबी बननी चाहिए। साधन सीमित थे। मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। रेलवे ओवर ब्रिज बनना जिसकी कीमत साढ़े 7 करोड़ थी, मुश्किल हो गया। मुझे इसी सदन के प्रांगण में संकल्प करना पड़ा कि मैं तब तक अन्न का त्याग करता हूं, जब तक नवलगढ़ रोड की पुलिया का फाउंडेशन नहीं होगा। मुझे उसका 27 माह तक इंतजार करना पड़ा। तब माननीय भैरोंसिंह जी ने, जो उस वक्त के रेल राज्य मंत्री थे दिग्विजय सिंह जी और माननीय अशोक गहलोत साहब ने दिया।

(12.35 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि एक आरओबी के निर्माण में जिसकी कीमत मात्र साढ़े 7 करोड़ थी, उसके निर्माण में कितनी एजेंसियां लगीं, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, कृषि उपज मंडी, नगर परिषद्, यह हालात थे हमारे। इन हालातों की वजह यह थी कि संसाधन सीमित थे। सरकारों के पास आय कम थी। जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपकी पीड़ा भले ही कितनी ही बड़ी हो, साधन सम्पन्न होने के बाद ही आप कर सकते हैं। जब आपके पास सरप्लस फंड है तभी आप किसी ऐसी चीज की परिकल्पना कर सकते हैं जिसको आप विकास के रूप में जानते हैं।

सभापति महोदय, इनसे मैं अकेला पीड़ित नहीं हूं। इस सदन में 200 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। मैं एक व्यक्तिगत आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सदन में एक जन प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। हमारी विचारधारा भले ही अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आपका और मेरा, सबका संकल्प एक है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, उसका एक विजन देखें, स्वप्न देखें। उनको साकार करने के लिए हम एकजुट होकर के संकल्प करें।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सभापति महोदय, हम यहां पर क्या कर रहे हैं? मुझे इस सदन में आते हुए लंबा समय हो गया। हम डिटर्जेंट सोप के एड की तरह से बिहेव करते हैं। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। यह कब तक करते रहेंगे? कोई इसकी सीमा है? जो यहां बैठे हुए 200 विधायक हैं, हम ब्रांड एम्बेसेडर हैं।

सभापति महोदय, हम जिस तरह का बिहेव दूसरे प्रदेशों में जाकर के करते हैं, उससे हमारी इमेज बनती है। हम यदि दूसरे प्रदेशों में जाकर के यह कहेंगे कि हमारे यहां राजस्थान में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है, गांवों की स्थिति बहुत खराब है, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक बीमारू प्रदेश है। लेकिन यदि हम बाहर के प्रदेशों में जाकर के यह कहेंगे कि हमारा प्रदेश सुरक्षित है, विकासोन्मुखी है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छे अस्पताल हैं, अच्छी स्कूलें हैं। वहां पर आपकी एक इमेज बनेगी। हम 200 विधायक एक ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बात का परचम फहरा सकते हैं कि हमारा राजस्थान अग्रणी स्टेट्स में से है। लेकिन हम अपनी वाणी को इतनी दरिद्र कर लें कि बजाय यह कहने के कि हमारा स्टेट अच्छा है, हम केवल दलगत राजनीति में उलझकर यह कहने लग जाएंगे कि हमारा स्टेट अच्छा नहीं है तो क्या मैसेज जाएगा? यही हो रहा है।

सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। इस सदन में एक दिन सुनिश्चित करें कि जिसमें हम सरकार की टोटल फेल्योर के बारे में चर्चा करें। उधर बैठे हैं, वह भी कभी सरकार में थे। इधर बैठे हैं, यह भी सरकार में हैं। कल कौन होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सरकारों का आना-जाना है। वह क्यों है, क्योंकि जो दीपक हवाओं में जलता है,

'खुली छतों के दीये कब के बुझ गए होते,

कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है'।

पर कतरने वाले लोग उधर भी बैठे हुए हैं और इधर भी बैठे हुए हैं। कभी हम जीतकर के आते हैं और कभी वह जीतकर के आते हैं। क्षमता दोनों में है, लेकिन एक बात जो मैं आपसे बार-बार आग्रह करता हूं कि आज जिस बात

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की हम चिंता और सोच कर रहे हैं, यह सदियों पहले की बातें हैं। जब युवाओं के पास सोच नहीं था, जब युवाओं के पास चिंतन नहीं था, हम अभावग्रस्त थे। खाने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, चलने को साइकिल भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी।

सभापति महोदय, मैंने जब बचपन में साइकिल खरीदी तो मुझे बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। 116 रुपये में साइकिल खरीदी थी। मैंने उस साइकिल को इम्पाला की तरह से रखा। कूपी लेकर के उसकी सफाई करना। उस पर जब मैं स्टाइल से ऐसे बैठता था तो मैं आकाश में उड़ता हुआ महसूस करता था। आज वह हालत नहीं है, आज युवा शक्ति की सोच बदल गई है। यहां बैठे हुए 200 लोगों से वे यह नहीं पूछते कि आप किस पार्टी के हो। मैंने आपको वोट दिया है, मुझे अच्छी स्कूल चाहिए। मैंने आपको अपना जन प्रतिनिधि चुना है, मुझे अच्छा अस्पताल चाहिए। मुझे अच्छी सड़कें चाहिए, मुझे अच्छा पीने का पानी चाहिए, मुझे अच्छी सारी सुविधाएं चाहिए, मुझे अच्छा आडिटोरियम चाहिए, मुझे अच्छे पार्क चाहिए, मुझे घूमने के लिए जगह चाहिए। हम यहां क्या करते हैं, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, आप क्या कर लेंगे, मैं क्या कर लूंगा।

माननीय सभापति महोदय, कई बार तो बारह-बारह घंटे तक हम इस पर चर्चा करते हैं और बाहर जाकर कपड़े झाड़ते हैं और घर जाकर क्या कहते हैं, खूब सुलटाया उनको, किसको सुलटाया? किसी को नहीं सुलटाया, माननीय सभापति महोदय, वह खुद निपट रहे हैं। उनकी सोच इतनी संकुचित हो गई कि जो कुछ उनको करना चाहिए था वह किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था, बारह घंटे, तेरह घंटे तक आपस के जीभ के लबालब किए।

माननीय सभापति महोदय, अपने मन की एक बात आपसे शेयर करता हूं। आदमी जब दिल और दिमाग एक साथ करके अपनी वाणी निकालता है उस वाणी में सच्चाई होती है लेकिन हम यहां क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीभ की लबालब करते हैं। न मन में उनके खोट है, न मन में हमारे खोट है। हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जीभ का, जीभ का इस्तेमाल, माननीय सभापति महोदय, आवाज है, किसी भी रूप में आप कर लें, लेकिन वह किसी तरह का संदेश नहीं दे सकती। संदेश कौनसी बात देगी, जो दिल और दिमाग दोनों संयुक्त होकर मुझे कहेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप इस आसन पर बैठे हैं, आपकी निष्पक्षता नि:संदेह है, जब यह मेरी आत्मा से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बात निकलेगी, इन शब्दों का अर्थ है। हम क्या करते हैं, पूरी तरह से बैठकर इस सदन का जो समय है वह खराब कर रहे हैं। हम कितने ह्यूमन आवर्स को नष्ट कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी यह नहीं बनती कि इस राष्ट्र की सम्पत्ति, इस राष्ट्र की अमूल्य धरोहर जो हमारे पास है, माननीय सभापति महोदय, किस बात का वहम है, समय पांच वर्ष का निश्चित है, तारीख निश्चित है। पीछे कैसेट बज रहा है, 'चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना', फिर क्या कर लोगे? फिर सिवाय पश्चाताप और प्रायश्चित के आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा उस दिन, यदि मैं पांच वर्ष के अपने जीवनकाल में उनका सही इस्तेमाल यदि कर लेता तो आज मेरे पास में एक धरोहर होती, एक सम्पत्ति होगी, एक संचित निधि मेरे पास होती कि मैंने अपने समय का सदुपयोग किया।

माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं। मैं भी इस सदन का सदस्य रहा हूं, युवा भी रहा हूं, उत्तेजना भी रही है, जोश भी रहा है, गुस्सा भी रहा है, सब तरह की बातें रही हैं, लेकिन उन क्षणों में मैंने गलती से जो बिहेव किया उसकी पीड़ा, माननीय सभापति महोदय, तीस वर्ष बाद आज सालती है मुझे, तकलीफ देती है कि उस वक्त मैंने वह व्यवहार क्यों किया? माननीय सभापति महोदय, वह व्यवहार मैंने इसलिए किया, मुझे उस वक्त यह शिक्षा देने वाला कोई मिला नहीं। आज मैं अपने बेटे के साथ बैठता हूं वह बेटा मुझसे यह प्रश्न पूछता है, पापा, क्या करते हो सारे दिन आप? मैं उसे कहता हूं, बेटा, वह हमको गालियां निकालते हैं और हम उनको गालियां निकालते हैं। यह काम है आपका? काम तो नहीं है लेकिन हमको जो शिक्षा मिली है, हम वही कर रहे हैं। इसमें सुधार कौन करेगा? इस दीपक को कौन प्रज्ज्वलित करेगा? कोई बाहर से नहीं आएगा। यह दीपक प्रज्ज्वलित होगा, आपके और हमारे सहयोग से। क्यों नहीं हम इस बात का संकल्प लेते हैं, एक दिन सुनिश्चित हो, सरकार की विफलता के बारे में खुलकर चर्चा करें लेकिन रोज यही चर्चा? आप ऐसे, मैं ऐसा, आप ऐसे, मैं ऐसा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन से आह्वान करूंगा कि इस सब्जैक्ट पर आज आपकी चर्चा सारगर्भित होनी चाहिए। एक ऐसा विजनरी आदमी हमारे पास बैठा हुआ है, माननीय शान्ती धारीवाल, जो हमारे यूडीएच

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मंत्री के रूप में हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कहते हुए हंस रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मेरे स्वप्न जो मैंने जागते हुए देखे, जो मेरे पास मेरा विजन था, उस स्वप्न को साकार करने वाले जो शिल्पकार थे उसमें माननीय अशोक गहलोत के बाद में यदि दूसरा नाम किसी का मैं लूं तो शान्ती धारीवाल है, जिसका मैं नाम लेकर फख्र के साथ कह सकता हूं कि सीकर में मैंने स्मृति वन बनाया जो राजस्थान का श्रेष्ठ स्मृति वन है। सीकर में मैंने विजन संजोया, एक अच्छा अस्पताल बनाया 100 बैड का। सीकर में मैने आडिटोरियम की कल्पना की, सीकर में मैंने अच्छी सड़कें बनाईं, माननीय सभापति महोदय, सीकर को मैं रूरल से अरबनाइजेशन में ले गया। यह तब मुमकिन हुआ जब माननीय अशोक गहलोत के बाद में माननीय शान्ती धारीवालजी ने मेरे स्वप्न की ताबीर को परवान चढ़ाने की कोशिश की, मुझे पूरा सहयोग दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से, आप सबके माध्यम से माननीय शान्ती धारीवाल को आज बधाई देना चाहता हूं। यह विजनरी आदमी हमारे पास है, एक सोच है, एक चिंता है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एक बात की ईर्ष्या भी है शान्ती धारीवालजी से, ये सारा विजन ले जाकर कोटा में ही क्यों थरप देते हैं? जो सपने ये कोटा के लिए देखते हैं, वह सारे स्वप्न दूसरे माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हैं उनके वहां जाकर क्यों नहीं देखते?

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आज जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, छोटी-छोटी नगरपालिकाएं हैं, छोटी-छोटी नगर परिषदें हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जैसा चाहने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कारपोरेशन के साधन सीमित नहीं होते, बड़ा शहर होता है, बड़ी उसकी आय का जरिया होता है लेकिन छोटी-छोटी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों की आय बड़ी सीमित है। आबादी का दबाव उनके ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। एक समस्या बड़ी अजीब सी है एक सड़क बनी, पीछे से बिजली विभाग वाले आए, तोड़ कर चले गए। दुबारा रिपेयर की इतने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

में पीएचईडी वाले आ गए, तोड़ कर चले गए। फिर रिपेयर की, इतने में पता चला कि मोबाइल वाले आ गए, वह तोड़कर चले गए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि एक समन्वित प्रयास होना चाहिए, सारे विभाग बैठकर यह जो आज की पीड़ाएं हैं, यह तब की हैं जब हमारे पास साधन कम थे। अब भले एक किलोमीटर सड़क बनाइए लेकिन एक किलोमीटर सड़क बनाने से पहले आप उन सारी परेशानियों को दूर कीजिए, चाहे वह पीएचईडी से सम्बन्धित हो, चाहे बिजली विभाग से सम्बन्धित हो या बीएसएनएल से सम्बन्धित हो, चाहे किसी और विभाग से सम्बन्धित हो, एक किलोमीटर की सड़क तो आपके ऐसी बने जिसके स्पेसीफिकेशन अच्छे हों, जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण बने और वह कम से कम दस-बारह वर्ष चले। लेकिन यह कब मुमकिन होगा जब मंत्री स्तर पर सारे सैक्रेटरीज को बुलाकर, आफिसर्स को बुलाकर उसके बारे में चिंतन और सोच करेंगे। मुश्किल क्या है, माननीय सभापति महोदय, कोई विधायक चुन कर आता है, उसके पास विजन भी है, सोचता भी बहुत है, लेकिन वह बेबस और लाचार है। वह अच्छी सड़कें बनाना चाहता है, अच्छी नालियां बनाना चाहता है, अच्छे पार्क्स बनना चाहता है लेकिन किसके पास जाकर कहे? मेरा आपके माध्यम से आग्रह यह है कि भले चीज कम बनें लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर सभी विधान सभा क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय करके वहां क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। यदि आपको लगता है कि वहां पर हैरिटेज महत्व की चीज है, उसे संरक्षित करें। यदि आपको लगता है कि वहां पर अच्छे एजुकेशन का है उसके लिए आपको क्या आवश्यकताएं हैं वह तय करें। हमको एक समन्वित प्रयास करना पड़ेगा, सारे सैक्रेटरीज को एक साथ बैठाकर एक समन्वित एक ऐसा डाकूमेंट तैयार करना पड़ेगा, बजाय हम उसका इम्प्लीमेंटेशन दस साल में करें लेकिन कंक्रीट आपके प्रपोजल तो हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है।

माननीय सभापति महोदय, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अर्थाभाव में पूरी नहीं की जा सकतीं। अब आप अंदाजा लगाएं, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है, सारे माननीय सदस्य जो भी बैठे हैं, इनक्लूडिंग मिनिस्टर्स, आपके डीएलओ की मीटिंग होती है तो आप वहां जाते हैं, ट्रैफिक के बारे में खूब चर्चा होती है, आपके सामने नाना प्रकार के विजन परोसे जाते हैं, समाधान क्या निकला? जीरो। मीडिया के बंधु आपके बारे में छापते रहते हैं, फेल, फेल, फेल, कौन फेल? कौन पास?

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में नन्दी के बारे में भी काफी चर्चा हुई। नन्दी की समस्या को हमने बहुत छोटी सी समस्या मान लिया और सदन में चर्चा करके हमने यह महसूस कर लिया कि समस्या का समाधान तो हो ही गया, हमने सदन में चर्चा कर ली। माननीय सभापति महोदय, समाधान नहीं हुआ। समस्या का एहसास कब होता है, जब किसी के परिवार का नौजवान बेटा उस नन्दी से टकराकर अपने प्राण की आहूति दे देता है। मेरे सामने भी, माननीय सभापति महोदय, एक ऐसा नौजवान जो तीसरे दिन एक्सपोर्ट गारमेंट के बिजनस के लिए विदेश जाना चाहता था, 28 साल का नौजवान अचानक मोटरसाइकल से टकराया और मौके पर ही डैथ हो गई। मैंने लोगों को आह्वान किया, लोगों को बुलाया, लोगों से बात की, लोगों को प्रेरित किया, लोगों ने सहयोग किया। एक नन्दी शाला का निर्माण मैंने किया, माननीय सभापति महोदय, उसके फोडर के लिए जो मैंने चारागृह बनाया है, 120 फीट लम्बा, 50 फीट चौड़ा और 25 फीट हाइट का, चारे से पूरा भर दिया लेकिन नन्दी सीमित नहीं है। बाहर से रोज नन्दी ट्रकों में भरकर छोटी-छोटी गाड़ियों में डालकर शहर में छोड़ देते हैं, आप कितने अंदर डालेंगे? डालेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, डालेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। मैं सरकार को अपना सुझाव देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, सरकार से वार्ता करें। यदि शहरों के पास में बिलकुल शहरी क्षेत्र की आबादी के नजदीक फोरेस्ट की लैंड है तो नरेगा के माध्यम से उस पर चारदीवारी बने और नरेगा के मजदूरों को वहां पर लगाएं। यह समस्या आज आपको बहुत छोटी लगती है और इसके साथ-साथ हाई-वेज जो हैं, जहां हम टोल कलेक्ट करते हैं, टोल को भी हमें इसमें इन्वाल्व करना पड़ेगा। जिस पंचायत क्षेत्र में जो एरिया गुजरता है, सड़कों पर हाई-वेज पर क्या होता है, अचानक यदि कोई पशु आ गया तो पता चला कोई आदमी उससे टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

हमें इस सारे सिस्टम को एक सांइटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा। यदि टोल इसमें इन्वाल्व होगा तो वह टोल जो कि पैसा वसूल करेगा, पंचायत को इन्वाल्व करेगा और पंचायत की जिम्मेदारी लगाएगा कि आपके क्षेत्र में जो पशु घूमते हैं, वे पशु आपकी जिम्मेदारी हैं, आप उन्हें उठाकर के किसी नंदीशाला में रखें। गायों को पालने वाले ये गोरक्षक तो बहुत मिल जाएंगे और गोरक्षा के लिये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह जो पीला पट्टा गले में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

डालते हैं, वह एके-47 से भी ज्यादा पावरफुल है। पीला पट्टा आपने गले में डाल लिया, इसका मतलब आप लाइसेंसी हो एके-47 के।

सभापति महोदय, आपको भी पता है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां भी मेले लगते हैं नागौर में। मेले बंद हो गये पशुओं वाले। इसी डर से कि मेलों में खरीद-फरोख्त ही नहीं होती। कौन खरीदेगा इन्हें? मेरा एक और सुझाव है। शहरों की एक बड़ी समस्या है नंदी। हमको सोर्टेड सीमन काम में लेना पड़ेगा। हमें इस बात को एन्श्योर करना पड़ेगा कि अब जो पशु पैदा होंगे, जो नंदी पैदा होंगे, गायें पैदा होंगी, उनके लिये यदि हम सोर्टेड सीमन काम में लेंगे तो गाय की बछड़ी ही होगी, कम से कम उसे अपने घर में रखकर पालने की हालत तो होगी।

यह समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन राज्य स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस पर विचार और मंथन होना चाहिए। मंत्री जी आप यहां बैठे हुए हैं। मेरा आपको यह सुझाव है कि आप इस पर राज्य स्तर पर चर्चा करें। यदि सिटीज और कस्बों के पड़ौस में कोई फोरेस्ट लैंड पड़ी हुई है तो वहां नरेगा के माध्यम से आप निर्माण कराएं, नरेगा के मजदूरों को आप उसमें डालें। धामण घास और सेवण घास वहां लगाएं ताकि पशुओं को चारा मिले। पशु भी पोलीथिन खाने से बच जाएंगे और आपके शहर भी थोड़े साफ-सुथरे होंगे। वरना मंदिरों के पास जो महिलाएं जाती हैं सुबह-सुबह, वे पशु कब किसे मार दें, पता नहीं। उन्हें आवारा नहीं कह सकते। वे बेसहारा हैं। उसे लाकर किसी ने छोड़ दिया है, वह क्या करेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं दो-तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को और दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको टोकता हूं तो इसलिये आप भी मुझे टोकेंगे, पर मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। मैं आपसे सहमत हूं। माननीय सभापति महोदय, एक बीओटी की सड़क बनती है। सड़क शहर के बीच से भी निकलती है। शहर का क्षेत्र छोड़कर के दोनों तरफ सड़क बना दी जाती है और शहर को यूं माना जाता है जैसे यह कोई फोरेन लैंड हो। वह शहरी क्षेत्र भी पीडब्ल्यूडी का ही है भले ही उसे नगरपालिका देख रही हो। उसमें दिक्कत यह है कि दो व्हीकल्स बीओटी से आते हैं, बीओटी की सड़कों के स्पेसिफिकेशंस अलग हैं और जो शहर की नगरपालिका और नगर परिषदों की सड़कें हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस अलग हैं।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सड़कों का ट्रैफिक जब शहर में से गुजरता है तो वे सड़कें जो हमारी स्पेसिफिकेशन के लेवल की नहीं हैं, वे जल्दी टूटती हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप इस बात को एन्श्योर करें कि जो बीओटी की सड़कें हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट कर रही हैं और वह सड़क यदि आपके शहर के मध्य से गुजर रही है, वह सड़क बननी चाहिए, भले ही वह आपके जीरो किलोमीटर में है या नहीं है। वह सड़क आवश्यक रूप से बननी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक स्लोगन बड़ा जोरों से चल रहा है- 'स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन', इसकी चर्चा करते थकते ही नहीं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं स्वच्छता पसंद व्यक्ति हूं। इस मिशन के साथ-साथ यदि माननीय प्रधान मंत्री जी उस लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा यह भी कर देते कि मुझे इस मिशन को कामयाब करना है और इस मिशन को कामयाब करने में, अच्छा उन्हें सैनिक और बना दिया। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उन्हें सैनिक का दर्जा दे दिया- सफाई सैनिक। उस सैनिक की हालत आज यह है कि डस्ट और गंदगी से परेशान होकर के उसे कब दमा हो जाए और अपनी जान को वह अलविदा कह दे, यह पता नहीं।

जितना खर्चा अमिताभ बच्चन और विद्या बालन के ऐड पर लगाया, बंद करो भई बंद करो, उतना ऐड का खर्चा यदि हम बीस हजार सफाई कर्मचारियों को दे देते तो ज्यादा अच्छा काम होता। कभी तो अमिताभ बच्चन ऐड पर आता है, कभी विद्या बालन आती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अंतिम एक मिनट है आपके पास। आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 में प्रावधान है कि नगरपालिका क्षेत्र में जो सीमित लैंड है, चाहे सिवायचक हो या किसी भी तरह की जमीन हो, इसमें यह प्रोविजन किया हुआ है कि यह सारी जो आपकी लैंड है, यह नगर परिषद् में समाहित होगी, लेकिन कब समाहित होगी, जब कलेक्टर उसे अलाउ करेगा। कई बार कलेक्टर अलाउ नहीं करता है। इसमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में हमने संशोधन कर दिया तो स्वत: ही आपकी भूमि जो कि नगरपालिका क्षेत्र में है, वह ट्रांसफर हो जाएगी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय मंत्री महोदय, मेरा यह सुझाव है। इसे आप एन्श्योर करें, क्योंकि भूमियों पर कब्जे होते हैं और भूमि को खाली देखकर कोई भी आदमी इधर से उधर कर देता है। कई बार ऐसे लोग उसे अलाट करा लेते हैं, जिनकी उपयोगिता भी नहीं होती और कलेक्टर साहब की यह मजबूरी होती है कि पोलिटिकल प्रेशर के कारण वह उसे अलाट कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 103(1)(ix) में स्टाम्प ड्यूटी पर दस प्रतिशत सरचार्ज लागू किया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, सरचार्ज तो लागू कर दिया और यह इसलिये लागू किया था जिससे कि हम नगरपालिकाओं की आय बढ़ाएंगे, क्योंकि 1998 में जब चुंगी समाप्त हुई तो उसके बाद में नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत को सुदृढ़ करने के लिये यह सरचार्ज लगाया था। मेरा आपको यह सुझाव है कि जिला हैडक्वार्टर पर जो स्टांप ड्यूटी है, जिसे आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के अलग से खाते में आप डलवा दें, भले ही उसे आबादी के हिसाब से आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन इसे आपको एन्श्योर करना पड़ेगा कि यह आय जो हम ले रहे हैं, यह हम उन्हें दें।

सभापति महोदय, इसके अलावा नगर विकास, राजस्थान आवासन और इनका एक परिपत्र है 15.04.2010 का, यूआईटीज का, जेडीए का और इनका। ये जो भी प्रोपर्टी सेल करेंगे, उस पर जो इनकी आमदनी होगी, उसका पंद्रह प्रतिशत नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों को देंगे। ये दे नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आप यदि मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: मैंने अगला नाम पुकार दिया है। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): नहीं बोलूंगा, मुझे दिक्कत नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे पास चार ऐसे सुझाव और हैं। मैं आपकी आज्ञा से टेबल करता हूं ताकि मंत्री महोदय के पास पहुंच जाएं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय के कमरे में आप सीधा दे दें

(श्री सभापति)

उन्हें। यह टेबल वाली परम्परा आप नहीं रखें। आप सीधा उन्हें दे दें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और हम सब लोगों का किसी न किसी रूप में वास्ता उन सब चीजों से पड़ता है। निश्चित रूप से शहर यदि स्मार्ट होते हैं तो आने वाले समय में जो लोग वहां रहते हैं, उन्हें आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिलता है और वे और सुखद जीवन जी सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब जैसे-जैसे युग बदल रहा है, उस तरह से नयी-नयी चीजों को सीखना बहुत आवश्यक है, लेकिन शायद हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, वे यह नहीं चाहते कि जो स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधि चुनकर आएं, वे कुछ समझदार हों, कुछ पढ़े-लिखे हों और पढ़े-लिखे होने के कारण से वे स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ ठीक से चर्चा कर सकें और ठीक से चर्चा करके अपने जिन प्रस्तावों को वे स्वीकृत कराते हैं, जो काम वे कराना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कानून की पेचीदगियों को पढ़ा-लिखा व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। उसे कोई अफसर बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया कि जन प्रतिनिधियों की जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता थी, उसी को खतम कर दिया। होना तो बल्कि यह चाहिए था कि जन प्रतिनिधियों की मिनिमम शैक्षणिक योग्यता को स्थानीय स्तर से बढ़ाकर राज्य सरकार और फिर केन्द्र सरकार में भी ले जाया जाता तो हम निश्चित रूप से और अच्छे ढंग से तार्किक ढंग से बात कर सकते थे और उसे आगे बढ़ा सकते थे।

(13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझती हूं कि कोई भी जो स्मार्ट शहर है उसको स्मार्ट लीडर की आवश्यकता होती है। जिसका विजन स्मार्ट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्मार्ट ही होता है और वह एग्जीक्यूट भी बहुत स्मार्ट तरीके से कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, सीईओ, डवलपर्स और एग्जीक्यूटर्स की विशेष भूमिका होती है इसलिए

(श्रीमती अनिता भदेल)

इन भूमिका वाले सब लोगों को बहुत अच्छे से शैक्षणिक योग्यता में दक्ष होना चाहिए ताकि हम उन शहरों में अच्छे से काम कर सकें जो शहर हमें जीने के लिए बहुत आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश में एक्ट लागू है, नगर निगम, एडीए और आवासन बोर्ड का एक्ट लागू है लेकिन एक्ट लागू होने के बावजूद भी हम व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके नये सर्कुलर्स निकाल देते हैं। वे इतने सारे सर्कुलर्स निकल जाते हैं कि अधिकारियों को ही पता नहीं होता कि किस सर्कुलर पर काम करना है, किस सर्कुलर पर काम नहीं करना। लैण्ड-यूज और ले-आउट प्लान, क्योंकि नगर का नियोजन करना, नगर को बसाना कि आने वाले 50 पीढ़ियों तक वह नगर ठीक ढंग से उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह बहुत आवश्यक है, लेकिन हम आज की आवश्यकता को महसूस करते हैं बल्कि 30 साल बाद जो हमारी, शहर की आवश्यकता होने वाली हैं उनको हम नजरंदाज करते हैं और उसी के कारण से आज हमारे शहरों की सांसें फूल रही हैं। वहां सड़क पर यातायात का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि आबादी ठीक ढंग से रह नहीं सकती तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप ये सर्कुलर्स निकालना बन्द करें और जो आपने एक एक्ट बनाया है उस एक्ट की पालना और जो मास्टर प्लान आपने शहरों के लिए बनाये हैं उन शहरों के मास्टर प्लान में आप किसी भी प्रकार का रद्दोबदल न करें क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख रुख अख्तियार किया है। जो आपने ग्रीन पट्टी छोड़ी है, जो आपने खेलकूद के मैदान छोड़े हैं, जो आपने और आफिस परपज की चीजों के लिए इस्तेमाल के लिए जो जगह छोड़ी हैं, आप उनका लैण्ड यूज चैंज करके, भू-रूपान्तरण करके आप उन सुविधाओं को भी खतम करना चाहते हैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह का मास्टर प्लान बनाया जाए कि वो मास्टर प्लान आने वाले 30 सालों की आवश्यकता के अनुसार हो। माननीय सभापति महोदय, कई बार मास्टर प्लान बनाते समय हम इतनी चीजों को नजरंदाज करते हैं कि जहां आज स्कूल्स चले रहे हैं, उनको हम हरी पट्टी डिक्लेयर कर देते हैं, जहां आबादी बसी हुई है उसको हम खुले में डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का खेल बहुत जोरों से चलता है। यदि आपने मास्टर प्लान बनाया और उसको प्रकाशित कर दिया

(श्रीमती अनिता भदेल)

और प्रकाशित करते समय जहां आवासीय कालोनी है उसको खुले में आपने दिखा दिया और आपने आपत्तियां मांग लीं तो फिर आपत्तियों का निस्तारण बिना लेन-देन के नहीं होगा। अब जो पहले से बसे हुए लोग हैं उस क्षेत्र को आप कैसे खुला हुआ मास्टर प्लान में दिखा सकते हैं? हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण से जो सरकार को बहुत परेशानी आई वह इसी कारण से आई क्योंकि हमने मास्टर प्लान को कभी प्रैक्टिकल बनने नहीं दिया, कभी प्रैक्टिकल होने नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे अजमेर शहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। मेरा अजमेर शहर ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा पुष्कर, चूंकि पुष्कर में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मन्दिर है और अजमेर में ख्वाजा की दरगाह है, लाखों लोग, फ्लोटिंग पापुलेशन अजमेर में इन दोनों तीर्थस्थलों के कारण से आती है। यहां हिन्दू भी आता है और मुसलमान भी आता है। यात्री और जायरीन इतनी अधिक संख्या में आते हैं कि यदि चौड़ी सड़कें न हों और छठ वाले दिन शुक्रवार को नमाज होती है तो अजमेर शहर में हर शुक्रवार को यातायात का ऐसा जाम लगता है कि यह अजमेर शहर है या किसी दूसरी सिटी में तो हम नहीं आ गये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि पुष्कर भी ब्रह्मा जी की नगरी है और अजमेर भी दरगाह के कारण से यात्रियों का वहां आना-जाना रहता है इसलिए विकास की दृष्टि से एक लम्बी प्लानिंग होनी चाहिए। विकास ऐसा हो कि 30-35 साल तक उस विकास में फिर आने वाले समय में कोई और आवश्यकता महसूस न हो, कोई और जरूरत महसूस न हो।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के लिए गौरव पथ की योजना बनाई थी और उन नगरपालिकाओं में गौरव पथ भी दिये थे। पुष्कर में भी एक बहुत सुन्दर गौरव पथ बनकर तैयार हुआ है लेकिन उस गौरव पथ पर न तो डिवाइडर लगा है और न ही उस पर स्ट्रीट लाइट लगी है इसलिए यदि उस काम को पूरा किया जाएगा तो निश्चित रूप से पुष्कर, जो धार्मिक तीर्थस्थल है, आने वाले समय में पुष्कर का मेला होने वाला है तो उससे पहले ये सारे काम हो जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले यात्रियों के लिए ठीक होगा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं माननीय मंत्री महोदय को अजमेर के मास्टर प्लान के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। अजमेर का मास्टर प्लान 2023 तक के लिए लागू है और अब आज 2019-2020 के बाद नये मास्टर प्लान की आवश्यकता होगी। लेकिन कई बार प्रोसेस इतना लम्बा हो जाता है कि वो टाइम पूरा हो जाता है और नया मास्टर प्लान आता नहीं है इसलिए नये मास्टर प्लान की प्रक्रिया अभी से हो और कम से कम 20 वर्षों के लिए उस मास्टर प्लान की प्लानिंग की जाए तब जाकर हम शहर को आगे विकसित कर पायेंगे, आगे बढ़ा पायेंगे। इसी तरह से मैं मास्टर प्लान की कुछ खामियों के बारे में जिक्र करना चाहूंगी जो खामियां आने वाले मास्टर प्लान में न हो। इस मास्टर प्लान में जो खाईलैण्ड योजना है..... माननीय राजेन्द्र जी भाईसाहब, हमारे विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ चर्चा कर लें, आप बाद में जाकर चर्चा कर लेना। मैं मंत्री जी को कुछ विशेष चीजें ध्यान दिलाना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जो खाईलैण्ड योजना है उस खाईलैण्ड योजना में आधे पार्ट को कामर्शियल, व्यावसायिक दर्शा रखा है, सड़क के इस पार वाला हिस्सा तो व्यावसायिक है और सड़क के उस पार वाला हिस्सा व्यावसायिक नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि सड़क के इस तरफ वाला हिस्सा व्यावसायिक है तो सड़क के उस तरफ वाला हिस्सा भी व्यावसायिक होना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चूंकि यह पिक एण्ड चूज की नीति अपनाई जाती है इसलिए यदि नगर निगम की खाईलैण्ड की योजना है तो वो तो व्यावसायिक होगी और उसके सामने वाली सड़क पर यदि निजी खातेदारों की या निजी आवास बने होंगे तो वह व्यावसायिक नहीं होगी, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए।

इसी तरह से, चूंकि अजमेर बहुत पुराना शहर है और परकोटा का शहर अलग है और बाहर जो नया विकसित शहर है वह अलग है। हमारे परकोटे के बायलाज अलग हैं और बाहर के क्षेत्र के बायलाज अलग हैं। लेकिन जब कोई परकोटे में रहने वाला व्यक्ति यदि अपने निर्माण की स्वीकृति के लिए जाता है तो उसको यह कहकर मना कर दिया जाता है कि यह तो परकोटे के अन्दर है। परकोटे के अन्दर है तो कोई बात नहीं लेकिन परकोटे के अन्दर के बायलाज एप्लाई करते हुए उसको स्वीकृति दे दो, उसको रद्द मत करो। यदि आप स्वीकृत नहीं करते हो तो फिर व्यक्ति अवैध निर्माण करता है और अवैध निर्माण करने के कारण से कई बार इस परकोटे के अन्दर 7 फीट

(श्रीमती अनिता भदेल)

की सड़क पर चार मंजिल मकान अवैध बना है। अब स्वीकृति समय पर नहीं मिलती है और उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह से निर्माण करना होता है तो न तो वहां फायर ब्रिगेड जा सकती है और न कोई और सुविधा वहां पहुंचाई जा सकती है यदि कोई हादसा हो जाए तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि परकोटे के बायलाज लागू होने चाहिए और उन बायलाज के अनुसार उसको निर्माण की स्वीकृति मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं अवैध निर्माण के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि बिल्डिंग बायलाज के नोर्म्स के अनुसार जितने निर्माण हुए हैं चाहे वो व्यावसायिक निर्माण हैं, चाहे वे काम्प्लैक्स हैं, चाहे अपना कोई संस्थानिक निर्माण है, हम पहले तो व्यक्ति को निर्माण की आवासीय स्वीकृति जारी कर देते हैं, फिर व्यक्ति आवासीय स्वीकृति की आड़ पर व्यावसायिक निर्माण कर लेता है। पूरा निर्माण हो जाता है तब तक हमको पता नहीं चलता है कि वो व्यावसायिक कर रहा है या आवासीय कर रहा है। सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यदि आवासीय निर्माण वो व्यक्ति करता है तो उसमें किचन होता है, उसमें स्टोर होता है, उसमें लैट्रिन-बाथरूम होता है, उसमें बैडरूम होता है, उसमें ड्राइंग रूम होता है लेकिन उस आवासीय स्वीकृति की आड़ में पूरा निर्माण हो जाता है। अधिकारी देखते नहीं हैं कि उसमें किचन या लैट-बाथ है और पूरा निर्माण होने के बाद में उसको सीज करने जाते हैं। चलिये ठीक है, आपने सीज कर दिया। अब यहां से जो डीएलबी का स्तर है, उस डीएलबी स्तर से कुछ लोग तो जो सीज की कार्यवाही होती है उसको खुलवाकर चले जाते हैं और कुछ लोगों को, जिनकी एप्रोच नहीं होती, जिनको जानकारी नहीं होती उनका सीज है तो वो दस साल से सीज ही पडा रहता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय को इतना ही निवेदन है कि आपने बायलाज बना रखे हैं, स्पष्ट बायलाज हैं, जब बायलाज स्पष्ट हैं तो आप कम्पाउंड क्यों करते हैं कि हम एक व्यक्ति का तो कम्पाउंड कर लेंगे और दूसरे व्यक्ति का कम्पाउंड नहीं करेंगे। यदि उसने सैट-बैक में कुछ निर्माण कर लिया है तो उस सैट-बैक को हम रैगुलराइज कर देंगे और किसी के सैट-बैक को हम रैगुलराइज नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको सैट-बैक को रैगुलराइज ही करना है तो फिर एक्ट किसलिए है? फिर बायलाज किसलिए हैं? इसी कारण से लोगों को आदत हो गई है कि हमारा तो बाद में कम्पाउंड हो जाएगा इसलिए बना लो। किसी अधिकारी से मिलकर कम्पाउंड कर लेंगे इसलिए बाद में बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि ये जो शहर में अवैध निर्माण हुए हैं उन अवैध निर्माणों पर सब पर एक जैसी कार्यवाही हो तो निश्चित रूप से सब लोग उस कानून की पालना करेंगे और उनको भय भी होगा कि हमें कानून की पालना करनी है और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि शहर में आगजनी की घटनाएं बहुत होती हैं और आगजनी की घटनाएं होते हुए, कई बार ऐसा होता है कि हम फायर ब्रिगेड को वहां तक नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड वहां तक पहुंचाई जाए, ऐसा ही बायलाज हम बनाएं। इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी मंजिल को ही अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

तीसरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत चर्चा कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन की, मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं इस प्रदेश में सवा सात करोड़ लोग हैं, और सवा सात करोड़ लोगों की तुलना में सफाई कर्मचारी कितने हैं। सात करोड़ लोग यदि गंदगी फैलाएं और उसकी अपेक्षा 50 हजार सफाई कर्मचारी सफाई करें तो क्या यह सम्भव है कि वे सफाई कर सकते हैं? इसलिए यह स्वच्छ भारत अभियान लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग मोटिवेट हों और खुद गंदगी ही न करें। क्योंकि, गंदगी करेंगे तो सफाई करने की आवश्यकता होगी और यदि गंदगी ही नहीं होगी तो निश्चित रूप से उस सफाई कर्मचारियों का भी भला होगा और उसको भी कम टास्क मिलेगा, कम बीट मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि स्थानीय नगर निकायों में सफाई और स्ट्रीट लाइट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। यदि ये छोटी-छोटी सुविधाएं भी हम नहीं दे पाएं तो निश्चित रूप से आज के इस विकसित युग में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिह्न होगा सरकारों के ऊपर कि हम इतनी छोटी-छोटी सुविधाएं भी नहीं दे पाएं।

मेरा निवेदन है कि सफाई कर्मचारी जो दिन में, सुबह और शाम तीन-चार घंटे और 4 घंटे शाम को काम करता है। आप देखिएगा, हम विदेशों की तर्ज पर जाना चाहते हैं, वैसी सफाई रखना चाहते हैं, पर क्या सफाई कर्मचारियों को हम वैसी सुविधाएं देते हैं? क्या उनको हम किट उपलब्ध कराते हैं? क्या उनको मास्क उपलब्ध कराते हैं? उनको क्या झाड़ू और बाकी के संसाधन उपलब्ध कराते हैं? वह व्यक्ति सारे संसाधन खुद लेकर आता है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसको सुरक्षा का, हाइजीन का कोई किट उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऐसी स्थिति में उस सफाई कर्मचारी की क्या हालत होती है, 50-60 की औसत उम्र में वह 70-80 साल का बूढ़ा लगता है, वह किसी काम के लायक नहीं रहता है। फिर होता क्या है जो नियमित सफाई कर्मचारी है, वह तो घर बैठता है और उसकी जगह पर फिर कान्ट्रेक्ट का कोई सफाई कर्मचारी आकर उसकी बीट को संभालता है। वह एवरेज उम्र भी प्राप्त नहीं कर पाता और पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है।

मेरा निवेदन है कि ये सफाई कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे शहरों के लिए, इसलिए इन सफाई कर्मचारियों की जो जायज मांगें हैं, उनको पूरा किया जाए। जो संसाधन इनको हमें उपलब्ध कराने चाहिए, वह हम समय पर और प्रतिवर्ष उपलब्ध कराएं और साथ-साथ में जो इनका वेतन है, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिल रहा है। फिर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे सफाई करें, कैसे कर सकते हैं? जिनको खाने को दाने नहीं, जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती है, समय पर वे मन लगाकर सफाई कैसे कर सकते हैं। फिर, शिकायतें आती हैं, फिर हम कहते हैं इंस्पैक्टर साहब, देखिए ये सड़क साफ नहीं हैं, वह कचरा नहीं उठा है। एक बार झाड़ू लगाकर के कोई देखें तो उसको पता पड़ेगा कि सफाई कर्मचारी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं, जितने समारोह स्थल हैं क्योंकि कचरा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है और यदि हम शहरों की आबोहवा को ठीक करना चाहते हैं तो ठोस कचरे का प्रबंधन हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। पहले तो इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो पैसा आया है, वह इस स्वच्छ भारत अभियान में ही लगे, उसको डायवर्ट नहीं किया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जितनी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, उतनी व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए। क्योंकि, जहां कचरे का डम्पिंग होता है, उस डम्पिंग जगह पर प्रत्येक शहर के बाहर कचरा डम्पिंग जगह पर, प्रत्येक शहर के बाहर कचरा डम्पिंग मिल जाएगा, जयपुर के बाहर भी, पूरा एक गांव का गांव कचरे

(श्रीमती अनिता भदेल)

से लदा पड़ा है और अजमेर में भी इसी प्रकार से माखूपुरा हाईवे पर पूरा का पूरा माखूपुरा गांव चारों तरफ, उसकी जमीन जहरीली हो गई है, पानी उसके अंदर से जहरीला हो गया है, क्योंकि पूरे शहर का कचरा वहां डम्प होता है इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, इस डम्प कचरे का भी निस्तारण ठीक प्रकार से हो।

पिछली बार हमारी सरकार ने जितने बगीचे हैं, उन सब बगीचों के अंदर खाद बनाने के लिए लाखों रुपये के संयंत्र लगाए थे, जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा में लगे, सब जगह लगे। मेरा इतना-सा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि ये जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो हमें आउटपुट दें, रिजल्ट दें। रिजल्ट देकर के हम उसका काम कर सकें और उसको हम उपयोग में ले सकें तो उस पैसे का हम ज्यादा अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। उससे जो हमें मिलना चाहिए था, वह हम वापस प्राप्त कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी लाइट्स के बारे में, बिजली की बचत के लिए पूरे प्रदेश में एलईडी लाइटें लगाई गईं। वे एलईडी लाइटें, धीरे-धीरे शहर विकसित होते हैं, रोज नई कालोनियां बनती हैं, 2014-15 के बीच में अजमेर शहर में एलईडी लाइटें लगीं और फिक्स हो गई कि ये 20 हजार एलईडी लाइटें अजमेर में लगी हैं। माननीय मंत्री महोदय, अब बीस हजार से ज्यादा एक भी लाइट हम नहीं लगा सकते, भले ही विकसित हो जाए। वो हमने उस समय तय कर दिया कि 20 हजार लगी है तो 20 हजार ही लगेगी, एक भी ज्यादा नहीं लगेगी। अब जो नई कालोनियां बस गईं, जहां नये लोग बस गये, जहां सड़क बन गई, पानी की लाइनें चली गईं, कम से कम वहां एलईडी लाइट लगाने की आप व्यवस्था करें। उनको कहें कि इसको और एक्सटेंड करें, ताकि उन लोगों को भी सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, स्थानीय निकाय में सबसे ज्यादा परेशानी, यहां 200 माननीय सदस्य आते हैं, वे सब सहमत होंगे इस बात से कि हर छोटी-छोटी चीज के लिए एप्रोच लगाना पड़ता है, कोई निर्माण की स्वीकृति लेनी है तो कितने सारे मामले अभी आपके भी ध्यान में आए होंगे। फलां एंटी करप्शन में पकड़े गये, नगर निगम का ईओ पकड़ा गया, नगर निगम का अकाउंटेंट पकड़ा गया, तो जितनी भी स्वीकृतियां हैं, आप देखिए मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र की स्वीकृति के लिए भी किसी को रिश्वत देनी पड़ जाए तो बहुत शर्म की बात है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसीलिए यह जो एनओसी नगर निगम से जारी होती है, चाहे वह आनलाइन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हो, चाहे वह विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो, चाहे वह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वह भवन निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे ट्रैक लाइसेंस हो, चाहे ई-आक्शन हो, इन सबमें यदि आप आनलाइन की व्यवस्था कर देंगे माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से कुछ करप्शन को हम रोक पाएंगे और यदि करप्शन को हम रोक पाएंगे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से सुविधाएं दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, दो बिल पिछली सरकार ने पास किए आवास हेतु और उनमें प्रधान मंत्री आवास योजना अभी चल रही है। पूरा डीएलबी और पूरा स्थानीय निकाय विभाग ये सब इसमें लगे हुए हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना की सैंक्शन प्रत्येक शहर में मिल जाए। अधिक से अधिक कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को और अधिक से अधिक गरीब लोगों को ये आवास उपलब्ध करवा दिए जाएं।

सभापति महोदय, मैं अजमेर के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 21 हजार लोगों का सर्वे हुआ और उस 21 हजार लोगों में, जो सर्वे करने वाली कम्पनी थी, उन्होंने केवल 12 हजार लोगों के ही आवेदन पत्र उपलब्ध करवाए हैं और उसमें से बाकी के आवेदन पत्र कहां हैं, कोई पता नहीं है। अब जो 12 हजार आवेदन पत्र उपलब्ध हुए हैं, उन 12 हजार में सर्वे का काम चल रहा है कि वास्तव में वह उचित है या नहीं है? उनके पास कोई भूखण्ड तो नहीं है, इस प्रकार का दुबारा सर्वे का काम चल रहा है तो मेरा निवेदन यह है कि ये जो 21 हजार सर्वे हुए हैं, वे 21 के 21 हजार का वापस सर्वे होना चाहिए, क्योंकि केन्द्र सरकार आवास के लिए पैसा दे रही है, जगह भी हम उपलब्ध करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें इस योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब वर्ग तक पहुंचाना चाहिए, ताकि गरीब को इसका लाभ मिल सके।

एक मैं रेरा के बारे में, माननीय सभापति महोदय, कुछ निवेदन करना चाहूंगी, मंत्रीजी को भी इसके बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगी। रैरा, जो लागू किया गया है कि अवैध कालोनियां नहीं बसें, बिल्डर और खरीददार के बीच में फेयर डील हो और यह फेयर डील के कारण से बहुत सारी समस्याएं थीं। आपके समय में मंत्रीजी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछली बार भी यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

लम्बे समय तक अटका रहा और अल्टीमेटली अब जाकर के लागू हुआ। रैरा में हो क्या रहा है, रैरा में कई पुराने बाबू और बुजुर्ग लोगों को लगाया गया है, जिनको इसके बारे में समझ भी नहीं है, स्टाफ भी बहुत कम है और रैरा अभी फिलहाल जयपुर तक ही सीमित है। जबकि यह जयपुर से बाहर पूरे प्रदेश में होना चाहिए तो कोई ऐसा उपाय करें मंत्री महोदय, कि स्थानीय स्तर पर आप किसी को भी नोमीनेट करें। प्रत्येक नगर निकाय के लिए, प्रत्येक शहर के लिए रैरा के अधिकारियों को आप नोमीनेट करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां जो अवैध कालोनियां बस रही हैं, उनको हम रोक पाएंगे और साथ ही साथ जो साढ़े चार सौ बिल्डर्स के खिलाफ जो कमप्लेंट आई हैं, पूरे राजस्थान से उन कमप्लेंट का भी निस्तारण हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ठीक प्रकार के आफिस नहीं हैं, हमारे पास ई-गवर्नेंस की चीजें नहीं हैं। यदि ये सब हम उपलब्ध करा लें तो निश्चित रूप से ये जो शिकायतें आईं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बना है, यदि यह कानून उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा तो यह भी कागजों में दफन हो जाएगा, इसलिए इसको आप करने की कोशिश करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, इसके अलावा जो बिल्डर्स और डवलपर्स हैं, खरीददार हैं, ये तीन इसमें महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेकिन एक चौथी महत्वपूर्ण कड़ी है वह है ब्रोकर क्योंकि ब्रोकर जाकर उसके बारे में बताता है लेकिन ब्रोकर को इसमें इन्क्लूड किया गया है या नहीं किया गया है, कितने ब्रोकर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है शायद पूरे प्रदेश भर में हजार बिल्डर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और बहुत सारे जो टाउनशिप काटने वाले लोग हैं वो इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, यदि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको ले आउट प्लान लाना पड़ेगा, उनको लैण्ड कन्वर्जन लाना पड़ेगा, उनको बाकी की सारी चीजें करनी पड़ेंगी और इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो मेरा पहला निवेदन है कि अधिक से अधिक प्रत्येक शहर में कैम्प लगाकर रजिस्ट्रेशन हो, लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी हो, ताकि लोग जब खरीदने जायें अपने घरों को तो वो रजिस्ट्रेशन नम्बर पूछे कि रैरा का रजिस्ट्रेशन नम्बर आपके पास है कि नहीं है तभी वो खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक फेयर डील मिल पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जिक्र किया। मैं एक जिक्र और करना चाहूंगी सी.एम. जन आवास के

(श्रीमती अनिता भदेल)

बारे में। पिछली बार हमारी जब सरकार थी तब गरीबों के लिए सी.एम. जन आवास की योजना लांच की थी और माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि उस योजना में जो बिल्डर था और जो डवलपर था, उस बिल्डर को और डवलपर को अपनी निजी भूमि उपलब्ध करानी थी। उस भूमि का 25 परसेंट उसको डवलप करके उसके हिस्से में आता और वह उसको पूरा करना था हुआ क्या कि 2020 और 2022 तक यह प्रोजेक्ट उनको पूरा करना था, लेकिन मजे की बात यह है कि 2020 तो आने ही वाला है लेकिन अभी तक कई प्रोजेक्ट्स पर तो काम शुरू ही नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उनको लैण्ड डवलप करके दी है सरकार ने उनका लैण्ड यूज़ चैंज करके दिया है उनका ले आउट प्लान पास करके दिया है फ्री आफ कोस्ट। उनसे कोई पैसा नहीं लिया इस एवज में कि वो गरीबों को मकान बना करके देंगे लेकिन अभी तक उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया तो पूरा कब करेंगे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात चूंकि एडीए ने और स्थानीय निकाय यूआईटीज ने उनको कन्वर्जन करके दिया है इसलिए कन्वर्जन की कोस्ट उनसे नहीं ली तो इसके बदले में जो खरीदार आएंगे, मकानों के खरीदार जो आएंगे, उसको चाहिए कि वो मकानों के खरीदारों के लिये या तो पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाएं या फिर वो लाटरी निकालें। अभी तक स्थानीय प्रशासन को यह बात पता ही नहीं है कि किसी ने मकान बना दिये उसने दे भी दिये। किनको दिये, किनको नहीं दिये, कोई ब्यौरा कोई लेखा-जोखा उनके पास नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि वो ब्यौरा लेकर रखे ताकि लोगों से चीटिंग न हो।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी कि जो बीएसयूपी में आपके टाइम में जब आप पिछली बार मिनिस्टर थे तब बीएसयूपी की योजना आप लेकर आये थे जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन के तहत, उस बीएसयूपी में भी अजमेर में साढ़े तीन सौ मकान बने। अब मजे की बात यह है कि करीब हजार करोड़ रुपया उन मकानों पर लग गया लेकिन आज दस साल हो गये उनका आज तक किसी को आबंटन नहीं हुआ। लोग खिड़की, दरवाजे लेकर के भाग गये और अवैध अतिक्रमी आकर के उन मकानों में बस गये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भगवानगंज योजना में लगभग 284 मकान हैं और अब मैं उनसे पूछती हूं कि इन मकानों को

(श्रीमती अनिता भदेल)

आबंटित करो। इतने सारे गरीब लोग हैं वो मांग रहे हैं मकान, तो एडीए का जवाब होता है कि हमने सिर्फ संख्या का सर्वे किया था कि इतनी संख्या में लोग हैं, न तो हमको नाम पता है और न हमको उसका पता पता है जो पात्र व्यक्ति है तो हम दें किसको ये मकान। लगभग एक हजार करोड़ रुपया सरकार का उसमें इन्वेस्ट हु आ, लेकिन आज हमें यह पता नहीं कि हमें मकान किसको देने हैं। हमने मकान बना दिये। लोग खिड़की, दरवाजे उठाकर ले गये और अब वो खंडहर हो गये तो यह सरकार के पैसे को चूना लगा कि नहीं लगा? तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाएं जिनमें सरकार खुद बनाती है उन योजनाओं को अवाइड करना चाहिए और ये जो सी.एम. जनआवास योजना जो पिछली बार लांच हुई वो योजना बैटर है। आप चाहो तो उसको कोई और नाम दे सकते हो क्योंकि जैसे आप कर ही रहे हो कि सारी योजनाओं के नाम बदल रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब आप जल्दी से समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं जल्दी से कर रही हूं। मैं मुद्दे की बात कह रही हूं। मैंने कोई भी इर्रिलेवेंट चीज नहीं की है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: थोड़ा जल्दी करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको एक बार करेंगे तो ठीक रहेगा। दो चीजें और कहकर अपनी बात को मैं पूरा करूंगी, माननीय सभापति महोदय, कि स्थानीय प्रशासन में जो कमी है स्टाफ की, वह इतनी कमी है कि यदि कोई एक जेईएन, हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी वाहवाही के लिए नगरपालिका को नगर परिषद् और नगर परिषद को नगर निगम बना देते हैं क्योंकि इनको तो आर्डर ही करना है, कागज ही लिखना है लेकिन उसमें उसके अनुसार हमने स्टाफ बढ़ाया क्या, उसके अनुसार हमने पद सृजित किये क्या, इसकी चिन्ता करने वाला कोई नहीं है। अजमेर नगर परिषद् से नगर निगम बन गया। 10-15 साल हो गये लेकिन वहां आज भी जोनल व्यवस्था नहीं है। एक हैल्थ आफिसर भी नहीं है वहां पर कम से कम इतने बड़े नगर निगम में एक हैल्थ आफिसर तो होना चाहिए। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिसको धीरे-धीरे करके हमने हैल्थ आफिसर बना दिया और वह हैल्थ आफिसर का काम कर रहा है

(श्रीमती अनिता भदेल)

तो कैसे अजमेर की हैल्थ सुधर सकती है। मेरे को यह बात समझ में नहीं आती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करती हूं कि अनेकों बार बहुत सारी चीजों में करप्शन के कारण से स्थानीय निकाय ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता तो क्या हम इस करप्शन को रोकने के लिए जो हमारे जन प्रतिनिधि आते हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, क्या हम उनको प्रशिक्षण देने का काम कर सकते हैं? क्योंकि कभी भी प्रशिक्षण पर कोई गौर नहीं करता और यदि प्रशिक्षण होता है तो वह औरी-फौरी हो जाती है कि चलो करना है इसलिए उसको कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताती हूं क्योंकि मैं नगर परिषद् की पार्षद रही, नगर परिषद् की सभापति रही और उस वजह से आज इन चीजों को समझने में मुझे आसानी होती है कि नगर परिषद् में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बाकी जो नगर परिषद् का कभी हिस्सा नहीं बने उन्हें नहीं पता पड़ता कि नगर परिषद् में क्या चल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री महोदय, देखो सरकारें आती जाती रहती हैं किसी की भी सरकार हो। मैं जब नगर परिषद् में सभापति थी तो मेरे पर चार्ज लगा गाड़ी का और फिर मैंने सारे डाक्युमेंट दिये। हमारी सरकार आ गई 2003 में, 1998 की बात है और फिर जो मैंने वो सारे फैक्ट दिये तो उनको लगा कि हां, नहीं-नहीं आपके तो फैक्ट ठीक हैं तो चार्ज मुझ पर से खतम हो गया। सरकार अभी बदली और कांग्रेस की सरकार आई। अब ये कांग्रेस की सरकार आते से ही आपने जो बीजेपी के कई जो महापौर हैं जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अंट-शंट कार्यवाही करना शुरू कर दी। हमारे कोटपूतली, चाकसू और केकड़ी, माननीय रघु शर्मा जी के चूंकि उनके दल के नहीं हैं वो, मित्तल जी को सस्पेंड कर दिया तो ऐसा मत करिये। अगर कोई लीगली चार्ज है तो निश्चित रूप से करिये परंतु ...(व्यवधान) स्टे आ गया वह बात अलग है क्योंकि कोर्ट में जाते ही तो कोर्ट रिलीफ दे देता है पर मेरा निवेदन यह है कि आप उन फैक्ट्स को तो देखिये कि फैक्ट्स हैं क्या और उन फैक्ट्स को करेंगे तो निश्चित रूप से यह ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात। एक अंतिम बात रह गई

(श्रीमती अनिता भदेल)

थी। आवारा पशुओं के बारे में अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जोधपुर में चूंकि जोधपुर से माननीय मुख्य मंत्री जी आते हैं इसलिए वहां दुग्ध पालकों के लिए पूरी अलग से स्कीम है और वहां बस भी गये लोग तो जोधपुर ही राजस्थान नहीं है। राजस्थान में अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, आपका कोटा भी आता है, बीकानेर भी आता है, चूरू भी आता है, उदयपुर भी आता है, राजसमन्द भी आता है। 295 नगरपालिकाएं और नगर निगम आते हैं। (व्यवधान) झालावाड़ तो है ही खैर।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपकी बात माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में आ गई। श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं-नहीं, लास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संयम जी, बस एक बात। मैं बैठ रही हूं वैसे ही। मैं तो बैठने वाली थी, एक बात मेरे को ध्यान में आ गई।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, मैंने नाम पुकार लिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां बिलकुल ठीक है ... (व्यवधान) गाय की बात है माननीय सभापति महोदय, मैं गाय के लिए बोल रही थी। गाय पर जो जुर्माना लगता है यदि वह सड़क पर पकड़ी जाये तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगता है। अब जो दुग्ध पालक हैं वो इतने पैसे वाले तो हैं नहीं, नहीं तो वो गाय क्यों पालते। पांच हजार रुपये जुर्माना और दूसरी बार में दस हजार रुपये जुर्माना तो यह जुर्माना तो हम कम कराना नहीं चाह रहे आपसे कि आप कम करो, पर मेरा निवेदन इतना है कि जो शहर में बस गये लोग, जो शहर में दुग्ध पालक हैं, जो गाय पालते हैं उनके लिए कोई अलग से स्कीम बना करके यदि उनको वहां आप प्लाट दे देंगे, हर शहर में यदि इस प्रकार की स्कीम बना देंगे तो शहर की मुख्य सड़कों पर गाय और नन्दी नहीं आएंगे। उनको सुविधा होगी वो अपना व्यापार भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे नगरीय विकास की मांग पर अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा वह नवां दशक पिछली सदी का, जब सालों से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होते थे और सरकारों ने यह मान लिया था कि यह चुनाव करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगह-जगह पर तहसीलदारों के रूप में प्रशासक बैठा रखे थे और वो प्रशासक ही काम करते थे और पहली बार आप ही के जिले से माननीय सभापति महोदय, सुमेरपुर नगरपालिका की हाई कोर्ट में रिट लगी कि सत्रह साल से सुमेरपुर नगरपालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं और जहां से आप चुनकर आते हैं माननीय सभापति महोदय, उस पाली नगर परिषद् के चुनाव करवाने की भी हाई कोर्ट में रिट लगी। हाई कोर्ट ने दोनों ही जगह पर चुनाव करवाने के आदेश दिये और तब वह चुनाव हुए। लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन सरकारों ने यह नहीं सोचा कि इन स्थानीय निकायों का चुनाव करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके का एक वातावरण बनता चला गया कि नागरिक अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रहे, अपनी इच्छा के जन प्रतिनिधि चुनने से वंचित रहे, अपनी इच्छा का बोर्ड चुनने से वंचित रहे और ऐसे ही दौर में हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस चीज को समझा और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक इकाई बनाने के लिये और स्थानीय निकायों को संवैधानिक इकाई बनाने के लिये भारत की पार्लियामेंट में 73वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट और 74वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाये। माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा से उन संशोधनों के पारित होने के बाद राज्य सभा में सहयोग नहीं किया और वह संशोधन पारित नहीं हो सके। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी और देश को 73वें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट और 74वें कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से स्थानीय निकायों को संवैधानिक इकाई बनने का अवसर मिला। हम कहते हैं लोकल सैल्फ गवर्नमेंट, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी कि हम इन स्थानीय निकायों को लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के रूप में चलाएं, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हमने उसके बाद इस दिशा में कोशिश की है? क्या हमारी योजना, हमारी सरकार की सोच,

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारे उन स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों को स्वशासन उपलब्ध कराने का अवसर देने का है? माननीय सभापति महोदय, आपका स्वयं का स्थानीय निकाय की राजनीति का लंबा अनुभव है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की लाइट में जिस दिशा में इन निकायों को मजबूत करने के लिये आगे बढ़ना चाहिये था, सभापति महोदय, हम नहीं बढ़ पाये। आप करोड़ों रुपया ग्रांट के रूप में और दूसरी चीजों के रूप में इन स्थानीय निकायों को देते हैं, आपकी मानिटरिंग का क्या सिस्टम है? आपने डिवीजनल हैडक्वार्टर पर एक-एक डीडीआर बैठा रखा है, जिसके जिम्मे 25 से 30 स्थानीय निकायों का दायित्व है और वह कभी जाकर उन निकायों में क्या हो रहा है, वह देखने का काम नहीं करता। वह एक दिन का दौरा बनायेगा और 15-20 नगरपालिकाओं में नमस्कार करते हुए वापस निकल जायेगा। कोई धणी धोरी नहीं है। स्थानीय निकाय में क्या हो रहा है, क्या आपकी स्कीम्स हैं, क्या मानिटरिंग हो रही है, क्या पट्टे बन रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा। आपकी ग्राम पंचायत की व्यवस्था को देखिए, ग्राम पंचायत समिति है, उसके ऊपर बीडीओ बैठा हुआ है, बीडीओ के ऊपर एक एसीईओ बैठा हुआ है, एसीईओ के ऊपर एक सीईओ बैठा हुआ है, आपके पास क्या है? जिले में आपके पास क्या है? आपकी स्थानीय निकाय की व्यवस्था में कुछ भी हो जाये, कोई देखने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव दूंगा आप असिस्टेंट डाइरेक्टर का हर जिला स्तर पर एक पद क्रिएट कीजिए। सिर्फ 33 पद आपको क्रिएट करने हैं, बाकी सिस्टम आप वो का वो रखिए ताकि नगरपालिका आपकी रीच में आये। इसके लिये आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको आरएएस को और उनको बैठाने की भी जरूरत नहीं है। आरटीएस को भी लाने की जरूरत नहीं है। आपके राजस्थान का म्युनिसिपल सर्विस का अधिकारी जो कमिश्नर तक जा रहा है, उसका एक प्रमोशन और कीजिए। यह असिस्टेंट डाइरेक्टर के रूप में राजस्थान म्युनिसिपल सर्विस के कमिश्नर लेवल के अधिकारी को प्रमोट करके बैठाइए, उनके ऊपर जो आपके डीडीआर बैठे हुए हैं, वह ठीक हैं। तब तो आप इन स्थानीय निकायों को जवाबदेह बना सकेंगे, इनके काम पर कोई निगरानी रख सकेंगे, इन पर वाच रख सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

(श्री संयम लोढ़ा)

की सबसे प्रिय जगह, माउंट आबू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माउंट आबू राजस्थान की नाक है, राजस्थान का गौरव है लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सबसे कमजोर प्राथमिकता पर माउंट आबू है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि सबसे पहले तो आप आबू विकास समिति की बैठक बुलवाइए जिसके माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष हैं। एक ऐसी जगह जो कुदरत ने आपको दी है, जिसका आप अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लाभ उठा सकते हैं, जहां हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं और उसको और राजस्थान की इकोनोमी के लिहाज से उसको और अधिक सार्थक योगदान करने के लिये कैसे उपयोग कर सकें, उसका रास्ता ढूंढा जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हो क्या रहा है, 25 जून, 2009 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माउंट आबू को ईको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया। उस आर्डर के बिन्दु संख्या 3 के पैरा नंबर 7 में उल्लेख किया गया कि रिपेयर, रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन, मानिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वह इसकी जांच का अनुमोदन करेगी। हर पत्रावली की जांच करके अनुमोदन करेगी और नगरपालिका स्वीकृति देगी। यह मानिटरिंग कमेटी बनने के बाद दो साल में सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिये थे कि आप माउंट आबू का जोनल मास्टर प्लान बनाकर लागू करें। दो साल के अंदर मानिटरिंग कमेटी ने एक पत्रावली का निस्तारण नहीं किया और अब 10.10.2015 को पर्यावरण मंत्रालय ने मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन किया और आपने इस मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद बिल्डिंग बायलाज का नोटिफिकेशन किया 9 मार्च, 2019 को। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1.4.2019 को आपके डाइरेक्टर ने निर्माण की इजाजतों के लिये कमेटी का गठन किया और कमेटी क्या बनाई, शहरी क्षेत्र में एसडीओ चेयरमैन, कमिश्नर मैम्बर और सीनियर टाउन प्लानर मैम्बर। ग्रामीण क्षेत्र में क्या कमेटी बनाई, एसडीएम चेयरमैन, बीडीओ मैम्बर और सीनियर टाउन प्लानर मैम्बर। क्या यह सारा काम स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच के अनुरूप है? आप जन प्रतिनिधियों को पूरी कार्यवाही से बिलकुल बाहर रखना चाहते हैं? क्यों रखना चाहते हैं? वहां पर इतना धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह जो कमेटी बनाई गई थी, वह इसलिए बनाई गई थी कि भवन निर्माण स्वीकृति के लिये फाइलें पैंडिंग पड़ी हुई थीं और जन प्रतिनिधि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

काम नहीं कर सकते थे क्योंकि लोक सभा के चुनावों के लिये आचार संहिता लग गई थी, यह कमेटी तब तक के लिये थी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर यह कमेटी तब तक के लिये थी तो आज आप यहां आदेश प्रस्तुत कर देना कि हमने उस कमेटी को विदड्रा कर लिया है। मैं तो उसी जिले से आता हूं, आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज तक आपने भी कुछ नहीं कहा।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आज कह दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा में जैसे प्रभु के पट खुलते हैं तो पट का नियत समय होता है। अब इनके पट जब खुलते हैं मैं उस समय जा नहीं पाया, मैं गया तब पट बंद थे।

श्री सभापति: इनके पट तो हमेशा खुले रहते हैं। इनको सारी जानकारी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब आपने फर्मा दिया तो, मैं बहुत अनुशासित सदस्य हूं, आसन की बात तो मानना ही है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वहां पर जो बिल्टअप एरिये का नोटिफाई किया है, उसमें किसी जगह तो दे दिया कि आप 60 परसेंट तक कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, किसी में दे दिया आप 40 परसेंट कर सकेंगे, किसी में दे दिया आप 80 परसेंट कर सकेंगे। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि जिनके भी 1500 फीट के भूखण्ड हैं वहां आप बीआर का प्रावधान हटा दें, उन्हें अलाउ करें, यह मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय का विजन बता दिया। पूरा राजस्थान जानता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं और पूरे राजस्थान की जनता ने इनको जो जनादेश दिया है, वह सारी स्थितियों को ठीक करने के लिये दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जब आप उत्तर दें, जयपुर में यह द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार परियोजना आई, इसका काम हुआ। आप यह बता दें कि इसका टेंडर कब हुआ है और इसके टेंडर में किस किसने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या दरें कोट हुईं? किसको टेंडर अवार्ड किया गया? मेरा आरोप है

(श्री संयम लोढ़ा)

कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आउट आफ टर्न टेंडर कर करके यह सारा काम करवाया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आज वे इस सदन में घोषणा करें कि वे विधान सभा के सदस्यों की कमेटी के माध्यम से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका कोई आरोप है तो आप नियमों में लेकर आ जाएं। आप तो बहुत विद्वान हो। इसमें दिक्कत कहां पर है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से जवाब मांग रहा हूं।

श्री सभापति: अभी तो आप मांग पर बात करो। माननीय सदस्य आप मांग पर सरकार को सुझाव दो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुझाव क्या? कोई घोटाला हुआ है तो बोलेंगे नहीं?

श्री सभापति: आप मेहरबानी करके नियमों में आ जाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नियमों में ही बोल रहा हूं। आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। यह नियमों में है।

श्री सभापति: नहीं, आरोप लगाना है तो नियमों में आएं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप सुनिए। टेंडर हुए कि नहीं हुए? क्या यह पूछना नियमों में नहीं है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप खुद जानते हैं कि यदि आपको आरोप लगाना है तो नियमों में नोटिस देकर लगाओ, इसमें आपको क्या दिक्कत है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आरोप किसी व्यक्ति पर नहीं है। पिछली सरकार की कार्य प्रणाली पर है। दस बार यहां पर बात करेंगे। किसी का नाम लेकर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। राजस्थान की जनता के धन की लूट हुई और राजस्थान की जनता को जानने का पूरा अधिकार है ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आसन को धमका रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप यह भी बताएं कि द्रव्यवती प्रोजेक्ट की जो डिजाइन थी, उस डिजाइन से परे हटकर कौन-कौन से काम हुए? किसके कहने से हुए, किसके आदेश से हुए? माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें तो पूरी जानकारी रखें। माननीय सभापति महोदय, इसको ले जाने का क्या मोटिव था? वहां पर लास्ट पाइंट में ढूंढ नदी में जाकर क्या हालात बन गये? चिकित्सा मंत्री ने अपने उत्तर में दो दिन पहले कहा कि पूरा क्षेत्र मच्छरों के आतंक से ग्रसित हो गया है। यह क्यों हुआ? सैकड़ों करोड़ रुपये लगाने के बाद भी अमानीशाह नाला और दूसरी जगह से जो पानी आ रहा है, उसका आपने प्रयोजन क्यों नहीं किया, इसके अंदर। माननीय सभापति महोदय, इतनी तीव्र गति से भुगतान हुआ, 1600 करोड़ समथिंग का यह प्रोजेक्ट है, 90 परसेंट से ज्यादा का इसका पेमेंट कर दिया। अभी तक नदी के दोनों लैंड स्केपिंग का काम नहीं हुआ, 17 हजार वृक्ष लगाने थे, वह काम नहीं हुआ, 650 मीटर के अंदर चैनल का काम नहीं हुआ। वाकवे रेलिंग, दीवार, वृक्षारोपण, यह सारा काम बाकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की जनता के जेहन में सवाल हैं। आपकी पारदर्शी सरकार है और आप लोगों को यह भरोसा देकर आये हैं कि हम भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टोलरेंस वाले लोग हैं। जिन अधिकारियों ने बिना प्रक्रिया का पालन किये, बिना लेखा नियमों का पालन किये, बिना टेंडर नियमों का पालन किये यह सारा काम किया है। आप सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताएं कि राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये की अनियमितता करने वाला अधिकारी कौन है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा पैलेसिया बड़ा प्रोजेक्ट था। उसका क्या हुआ? महाराजा उम्मेद मिल्स को यह जमीन रियायती दर पर दी गयी थी। आप ही की सरकार थी। आपने उसका आवासीय रूपान्तरण किया। नक़्शे अनुमोदित किये। पहला विवाद ऊंचाई की सीमा को लेकर पड़ा और फिर राज बदल गया। इन्होंने आकर कहा कि नक्शे गलत स्वीकृत किये गये। पहले तो अथोरिटी ने उसको डिफेंड किया, लेकिन फिर नक्शा स्वीकृत कर दिया। पार्टी हाई कोर्ट में गयी। हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी। यह क्या खेल है? माननीय मंत्री

(श्री संयम लोढ़ा)

जी, आप जब उत्तर दें तो बताना कि कौन अधिकारी हैं, जिन्होंने स्वीकृत किया। अब वह सब क्लियर हो गया। उनका पूरा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया। फिर बार-बार उन नक्शों के अंदर घोंचे डालने वाले लोग कौन थे? किसके इशारे पर डाले गये? सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, हाई कोर्ट तक मैटर गया। जिन अधिकारियों ने गलत घोंचे लगाए हैं, वकीलों की फीस उनकी जेब से आप वसूल करिये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता का पैसा इस तरीके से लुटाने के लिये नहीं है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजमहल, क्या हुआ था? पहले तो आपने वहां पर तोड़ फोड़ करवा दी। फिर ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि आधी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाकर आप वापस व्यवस्था कर रहे हो। राजस्थान की जनता के पैसे से वापस मरम्मत करवा रहे हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप उस प्रकरण की भी सारी जानकारी सामने लाएं। आज भी वह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। डिफेमेशन है, कंटैम्प्ट है, सारी चीजों की कार्यवाही विचाराधीन है। लोगों ने हमें यह सेवा करने के लिये राज दिया है, हमारी सनक के आधार पर किसी को परेशान करने के लिये नहीं, किसी के मान-सम्मान में खलल डालने के लिये नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आतिश मार्केट जयपुर में, जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी, अरबन डिपार्टमेंट में माफिया काम कर रहा है और अधिकारी इस माफिया का हिस्सा बने हुए हैं। आतिश मार्केट में एक व्यक्ति की एक बिल्डिंग थी। क्या हुआ? कम्पन्सेशन में आपने जगतपुरा में 9 बीघा जमीन दे दी। क्या आपके पास उनका रिकार्ड नहीं है कि जयपुर में कौन-कौनसी प्रापर्टी उनसे ताल्लुक रखती थी? सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा, खाली उस वक्त जो तय हुआ है विलय के वक्त में, उसके आधार पर ही आप अपनी प्रापर्टी चिह्नित कर लेंगे, जयपुर में जेडीए की प्रापर्टी, सरकार की प्रापर्टी तो आपका यह खाली खजाना भर जाएगा और जयपुर की जनता मालामाल हो जाएगी। आपकी इतनी लैंड है, लेकिन आपके आफिसर्स मिले हुए हैं। गलत समझौते करते हैं, लोगों को गलत फायदा पहुंचाते हैं, उससे ये सारी स्थितियां पैदा होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने

(श्री संयम लोढ़ा)

स्थानीय निकायों के चुनाव में जो पिछली सरकार ने लोगों के अधिकारों का हनन किया था, आपने शैक्षणिक योग्यता की उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वार्डों का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि छोटा वार्ड करने से लोगों की सेवा करने में आसानी होगी। लोगों को सेवा करने वाले ज्यादा जन प्रतिनिधि मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि जिला कलेक्टर के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, उनमें स्टेट लेवल पर हियरिंग के लिये आप एक कमेटी बनाइये। अगर वहां पर लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो स्टेट लेवल पर उनका समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ? 100 स्मार्ट सिटी चयनित हुई। हम कहां खड़े हैं? जयपुर 38 नंबर पर है, उदयपुर 37 पर है, कोटा 36 पर है। आपने 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जब आप जवाब दें तो यह भी बताना कि स्मार्ट सिटी जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का क्या हाल किया? जब आप खर्च का विवरण देंगे तो पता चल जाएगा।

(13.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसके माध्यम से आप करीब 19-20 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। नाश्ते में भी दे रहे हैं, खाने में भी दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के किस कस्बे में इनकी वैन कहां जाकर खड़ी होती है, इसका कोई पता नहीं चलता है। मेरे शिवगंज होम टाउन में मुझे एक बार बताया कि गाय मर गयी। वहां जाकर देखा तो इनका जो बचा हुआ खाना है, वह डाला था, वह खाना खाकर गाय मर गयी। फिर एक बात और है। आपने जिसको भी इस काम का ठेका दिया है, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने प्रेरणा तो अम्मा से ली, तमिलनाडु की अम्मा जो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक कर दी। आपने ठेका तो इनको दे दिया, आपने इनको यह भी अधिकार दे दिया कि लोगों से चंदा करें। वह ट्रस्ट लोगों से चंदा इकट्ठा करता है, लोगों से पैसे ले रहा है। आपके पास उसका रिकार्ड है? ऐसे ट्रस्ट को आपने यह जिम्मेदारी क्यों दी कि आपके नाम पर और आपके दिये हुए काम पर लोगों से पैसा भी वसूल करें और आपको हिसाब भी दें। सभापति महोदय, मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि सोच अच्छी है। नाश्ता कम पैसे में मिलना चाहिए, खाना भी मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए जहां से इन्होंने प्रेरणा ली है, आप भी प्रैक्टिकल रूप में देखिये। जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला स्तर पर इस काम को शुरू करिये। इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फूड मिल सकेगा और यह जो पैसे की हेराफेरी हो रही है, उससे बचा जा सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने मुख्य मंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में एक लाख मकानों का लक्ष्य रखा था। क्या हुआ? कहां हवा हो गए? क्या उपलब्धि हो गई? मेरे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर सिरोही में 165 ऐसे परिवार हैं, जिनके पास रहने का भूखण्ड नहीं है। एक को भी इन पांच साल के अंदर न तो भूखण्ड, न उसके अंदर किसी तरह का आवास हम उपलब्ध करा सके।

आरयूआईडीपी फेज-3, क्या रहा? आपने पहले टोंक, पाली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, भीलवाड़ा, ये 6 लिए। काम नहीं करा पाए आप। आपको री-टेंडर करने पड़े। हनुमानगढ़, टोंक री-टेंडर आपने किए। अभी आपने सात कर रखे हैं इसमें बांसवाड़ा, बीकानेर, माउंटआबू, कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। क्या प्रोग्रेस है? सालों-साल इतनी मंद गति से काम आपका चल रहा है कि यह कहने की बात नहीं है। जयपुर मैट्रो, पूरे पांच साल निकाल दिए। आप प्रथम चरण करके गये। इनका 2017-18 का टार्गेट था जिस काम को 25 परसेंट करने का, रिवाइज टार्गेट 15 परसेंट पर लाए और कमप्लीट कितना किया, 13 परसेंट। 50 परसेंट से भी कम। यह उपलब्धि है आपकी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मुझे धन्यवाद देना होगा आपको, मंत्री जी, और बधाई भी देनी पड़ेगी। वह इसलिए क्योंकि आपने चैयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से कराने का निर्णय किया। आपकी पिछली सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया था। जब हर कस्बे के लोगों को यह अधिकार मिला कि वह अपना जन-प्रतिनिधि स्वयं चुने, लेकिन इनको यह पता था कि हम सीधे चुनाव में चुनकर नहीं आ सकते हैं। हम तो हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टर हैं। कर्नाटक में अभी पूरा देश देख रहा है कि कैसे इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। गोवा में भी पूरे देश ने देखा है। मेघालय में भी देश ने देखा है। ये हॉर्स ट्रेडिंग के मंसूबे आपने विफल किए चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करवाकर।

(श्री संयम लोढ़ा)

मानननीय सभापति महोदय, मुझे आपकी बात में बात मिलानी पड़ेगी। आप बधाई के पात्र हैं। आपने यूनेस्को की विश्व हैरिटेज सिटी में जयपुर के परकोटे को शामिल करवाया। राजस्थान का नागरिक गौरवान्वित है आपके प्रयास से कि आपने विगत बीस साल में जो प्रयास किए स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में, आज उसी का नतीजा है कि हम यह उपलब्धि प्राप्त कर सके।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्लास्टिक पकड़ते हैं। आपका यह नोटिफिकेशन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय का। आपके अधिकारियों को ट्रेनिंग दें कि आपने किस स्तर के प्लास्टिक को अलाउ कर रखा है। वे जाते हैं सफाई कर्मचारियों की एक टीम लेकर और ऐसी बड़ी-बड़ी दुकानों में घुस जाते हैं, जैसे वह व्यापारी नहीं हों, कोई चोर हों, लुटेरे हों, डाकू हों, ऐसे सामान भरकर लेकर आएंगे और व्यापारियों को जलील करेंगे। यह किसने अधिकार दिया है। जिसका जीएसटी नंबर है, ई-बिल है, रिकार्ड पर आपने जिसको अलाउ कर रखा है। यह आपका अप्रयुक्त या पुन:चक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन से कम नहीं होगी, जिनका इक्यावन का है, उनका भी उठाकर ले आते हैं। कलेक्टर को बता देते हैं कि यह 51 से ऊपर का अलाउ है। कोई हियरिंग नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन मामलों में आप सख्ती रखिए। व्यापारी प्रतिष्ठित लोग हैं। इस तरह से उनको जलील करना और अब सबको समझ में आ चुका है। हल्की क्वालिटी का कोई भी यूज नहीं करता है। आप जानते हैं हमारे वहां के टाउन, कामर्शियल टाउन हैं। बम्बई का आदमी वहां माल खरीदने आता है। साड़ियों के अंदर वह प्लास्टिक यूज होता है और इस तरीके से जाकर जलील करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसमें भी ध्यान दें।

अब मास्टर प्लान की बात। माननीय सभापति महोदय, कैसे मास्टर प्लान बनता है? कैसे उसकी धज्जियां उड़ती हैं? पिछली बार आपकी सरकार थी। मास्टर प्लान आपने बनवाए। आपने किसी प्राइवेट फर्म को काम दे दिया। घर पर बैठकर, अपने आफिस में बैठकर मास्टर प्लान बनाते हैं। चीफ टाउन प्लानर भेज देता है। कैबिनेट एप्रूव कर देती है। लागू हो जाता है। मैंने जब मेरे यहां के मास्टर प्लान का अध्ययन किया तो देखा कि जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान था, जहां पर मकान बने हुए हैं, मास्टर प्लान में बाईपास प्रपोज कर दिया। जहां पर शाप्स हैं, जहां पर बैंक हैं, उस रोड पर रेजीडेंशियल प्रपोज कर

(श्री संयम लोढ़ा)

दिया। मैं एमएलए नहीं था उस समय। मैं हार गया था। जब मैं चीफ टाउन प्लानर से मिला और मैंने उनको बताया कि ये क्या है, उन्होंने मुझको कहा कि हमारे एसटीपी को भेजूंगा। इन प्राइवेट फर्मों पर यह मास्टर प्लान मत छोड़िए। कहां क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ग्राम पंचायतें भी कई बार, अधिकारी जब अपने दफ्तर में बैठे-बैठे बना देते हैं, ये गांव और ये गांव, दिस एंड दिस, ये पता नहीं कि बीच में पहाड़ खड़ा है। सभापति महोदय, मेरे वहां एक ऐसी ग्राम पंचायत बना दी, वाण, वाण और मोचाल 13 किलोमीटर का फर्क, बीच में एक पहाड़ खड़ा है और दोनों को पास मानते हुए घर बैठे पंचायत बना दी। पहले की बात है। मास्टर प्लान के हम हत्यारे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के हम हत्यारे हैं। जो मास्टर प्लान में प्रावधान किया हो, हमें किसी की परवाह नहीं। क्या कहा हाई कोर्ट ने? लगता है दो-चार को जेल नहीं भेजेंगे, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। मास्टर प्लान मामले में हाई कोर्ट की तल्ख मौखिक टिप्पणी और याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जयपुर में खो-नागोरियान में 1222 हैक्टेयर जमीन का अनधिकृत नियमितीकरण से कई बड़े अधिकारी जुड़े हैं और इस मामले में पहले एसटीपी ने मना कर दिया था। इसके बाद भी नियमन कर दिया। आज के जो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं, वह न्याय मित्र हैं इसमें। जब हाई कोर्ट इस याचिका की सुनवाई कर रहा था तब वह न्याय मित्र थे। उन्होंने क्या कहा, न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों की किसी तरह की पालना नहीं की जा रही है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के जेडीए व नगर निगम के दावों को गलत बताते हुए नागौरी गेट पुलिस थाने के सामने सड़क पर स्ट्रक्चर निर्माण की जानकारी दी। माननीय सभापति महोदय, किस तरह की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? ग्रीन बैल्ट, हमारे लिए ग्रीन बैल्ट नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाप्त ही कर रहा हूं। मास्टर प्लान की कम्पलाइंस रिपोर्ट जो जाकर देते हैं, वह अपने आप में कंटेम्प्ट आफ कोर्ट है। क्या चरागाह के लिए आर्डर किया है?

श्री सभापति: समय सीमा में बांधना होगा, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं उसी में लगा हुआ हूं। एक बात मैं आपको और निवेदन कर दूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं दो मिनट में खतम ही कर रहा हूं। आप थोड़ी कृपा रखें। हमारे तो न तो ये हैं और न ये हैं। हमारे तो आप ही हैं। हमारी रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं।

श्री सभापति: ये जितने भी बैठे हैं, 200 माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये राजस्थान आवासन मंडल का एक फीगर मैं आपको सुना दूं। ये जो आर्थिक समीक्षा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप समय दें। कोई बात नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, बुलाओ।

श्री सभापति: मैं समय से बंधा हुआ हूं। समय की अपनी सीमा है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, 2018-19 में आपने जो प्राप्तियों का लक्ष्य रखा। आप सुनिए, ये आपके कर्म ही पढ़ रहा हूं मैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज आप सहयोग करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2018-19 में एक हजार लाख का आपने टार्गेट रखा और एचीवमेंट क्या रहा हाउसिंग बोर्ड का, 296.7 लाख और व्यय का आपने रखा 203 करोड़ और खर्चा कितना कर पाए 91 लाख करोड़ रुपये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दो बातें मुझे करनी हैं। महत्वपूर्ण हैं, रुकिए आप। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा सफाई कर्मियों की भर्ती। इनकी सरकार में सफाई कर्मियों की भर्ती में हजारों की तादाद में फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के लोग आए और नौकरी लग गए।

श्री सभापति: माननीय उपनेता महोदय, प्रोवोक मत करिए आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 40 मिनट हो गए बोलते हुए।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग करिए माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कर रहा हूं। आप मेरे मिनट मत

(श्री संयम लोढ़ा)

गिनिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने एक झाड़ू निकाला नहीं, एक नाली साफ की नहीं और नौकरियों में लगकर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मेरी बात सुनिए। वाल्मीकि समाज के लोगों के हितों पर यह कुठाराघात हो रहा है। मैं यह नहीं चाहता कि वे सफाई का ही काम करें। वे प्रोफेसर बनें, टीचर बनें, एसडीओ बनें...

श्री सभापति: डाक्टर राजकुमार शर्मा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लेकिन ये एक ऐसा रोजगार है जो आज भी वे लोग ही करते हैं। पिछले दरवाजे से लोग फर्जी तरीके से नौकरियां ले रहे हैं। मैं मंत्री जी आपसे चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जो ये फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, इसकी आप जांच कराएं।

सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा सिरोही नगर परिषद् में टेम्परेरी सफाई कर्मी और डीडीआर, डेपुटेशन कहां कह रहा है, जोधपुर, पाली में?

(14.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आखिरी बात कह रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए, आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, विराजें, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट अलाउ कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। जावाल, सिरोही ज़िले का सबसे बड़ा कस्बा है। आपके पास नगरपालिका घोषित करने की फ़ाइल विचाराधीन है। जावाल को नगरपालिका बनाओ। सिरोही को सीवरेज में आपने 175 करोड़ रुपये दिए हैं, आपका धन्यवाद। सिरोही को आपने टाउन हाल दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। और देते रहना।

श्री सभापति: विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं शुरुआत मेरे नवलगढ़ क्षेत्र से ही करना चाहता हूं।

श्री सभापति: यह प्रतिस्पर्धा नहीं रखें कि उसने ज्यादा बोला, इसलिए मैं भी ज्यादा बोलूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, बैठना आपको है। समय निर्धारण, अध्यक्ष महोदय की तरफ से निर्देश था इनको बुलाने का, आप भी बोले, मैं भी बोला, तो बोलना क्या है, अपन को सबको एक दूसरे से बोलना है लेकिन समय की सीमा का तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे भी अपेक्षा रखता हूं कि बारम्बार मुझे आग्रह नहीं करना पड़े, समय का ध्यान रखें। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं हो कि वह ज्यादा बोला तो मैं भी ज्यादा बोलूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): कई क़स्बों के अंदर सीवरेज योजना स्वीकृत हुई थी। आज किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल हुए, उन शहरों के अंदर क्या हालत कर दी है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।

22.1.2006 को मेरे नवलगढ़ में, बीजेपी सरकार ने उस मामले को रोक लिया था, फिर 2016 में चालू हुआ। अब चौथी बार इस परियोजना के कार्य पूर्ण करने की अवधि बढ़ाई गई, जिसकी अवधि 30.9.2019 रखी है। पूरा शहर चारों तरफ से खोद रखा है। मेरे यहां ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहां-जहां सीवरेज योजना के कार्य चल रहे हैं आप कहीं भी पता कर लीजिए, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अभी संयम लोढ़ा जी कह रहे थे नगरपालिका बनाओ। हमारे गांव में हम कहते हैं कि इसको बना दें क्या नगरपालिका, तो वह मना कर रहे हैं कि हमें तो ग्राम पंचायत में रहने दो, नगरपालिका मत बनाओ। आप अंदाजा लगा लीजिए कि नगरपालिका के नाम पर किस तरह से लोगों का विश्वास उठ गया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि हर तरीके से उनका शोषण होता है, आप इस चीज को देख लीजिए।

काश्तकारों की जमीनों का मुआवजा, यह मामला बहुत बार आता है। मैं जिस कमेटी का आप लोगों के आशीर्वाद से चेयरमैन हूं, मेरे पास भी पता नहीं ऐसे कितने वाद आए कि आज किसी भी परियोजना का काश्तकार को, आप तो कर लेते हो, उसके बाद वह जेडीए से लेकर सरकार के बीच चक्कर काटते रहते हैं। आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जितने भी केस पैंडिंग पड़े हैं क्योंकि पिछली सरकार में तो आपको पता है

(डा. राजकुमार शर्मा)

न कि क्या सिस्टम था। कम से कम अपने तो उनको रिलीफ दो। वहां पर अपन ने मॉल बना, कारखाने बना दिए, पता नहीं कौन-कौन सी परियोजनाएं ले आए, लेकिन उन लोगों को विकसित भूमि देनी थी, वह नहीं मिल पाई।

रिक्त पदों की यह हालत है, चाहे विकास प्राधिकरण हो, नगर सुधार न्यास हो या नगरपालिका हो, बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं। जेडीए में तो 20 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई। जयपुर जेडीए में तो यह स्थिति है कि 20 सालों से मेरे हिसाब से कोई भर्ती भी नहीं हुई है, जैसी कि मेरे पास सूचना है।

मैं जयपुर मैट्रो के लिए निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब को और आदरणीय धारीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सैकण्ड फेज के लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा है। मैं उसमें एक सुझाव देना चाहूंगा। आप जयपुरजयपुर में तो मैट्रो को घुमा रहे हो, लेकिन जब तक हम लोग जयपुर से चौमूं, जयपुर से कालवाड़, जयपुर से महापुरा, जयपुर से चाकसू, जयपुर से कूकस, जयपुर से बस्सी, आस पास की इन जगहों को हम नहीं जोड़ेंगे तो आने वाले समय में ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। कोई भी व्यक्ति चांदपोल से बैठकर छोटी चौपड़ नहीं उतरना चाहता। वह कहां पर गाड़ी खड़ी करेगा, इतनी देर में तो वह पैदल ही पहुंच जाएगा।

हमारा जयपुर हब बन चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय में लाखों की तादाद में बच्चे आस पास के सराउंडिंग एरिया से, बाहर से पढ़ने आते हैं। मेरा आदरणीय धारीवाल साहब से निवेदन है कि इन क़स्बों तक मैट्रो रखो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैट्रो जो घाटे में चल रही है इतने लोग आएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं।

जयपुर-दिल्ली, आगरा रोड, आज जयपुर की जितनी भी एंट्रीज हैं, वह सब अच्छी हैं। लेकिन दिल्ली रोड से आओ, आगरा से आओ, जवाहर नगर होते हुए आप यूनिवर्सिटी तक आओ, आपकी हालत खराब हो जाएगी। कोई ट्यूरिस्ट गलती से उस रास्ते से आ गया तो वापस भाग जाएगा कि कहां से मैं इस गंदे शहर में आ गया। अभी माननीय सदस्य आ रहे हैं, इनका राजनीतिक संरक्षण तो सालों से उनको प्राप्त है ही। हम तो नहीं चाह रहे कि हमारा भी कोई संरक्षण उनको मिले।

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हमारी सरकार की है, जिस तरीके से आपने बरकत नगर, अर्जुन नगर फाटक पर कितने मकानों को तोड़ा और वहां पर सड़कें बनायीं, गोपालपुरा बाईपास पर तोड़े, तो क्यों नहीं हम दिल्ली रोड़ पर भी करें। वहां पर लोगों ने कच्चे मकान बना रखे हैं, आप वहां पर शाम के समय जाकर देखो, रोड तक अतिक्रमण आ जाते हैं, वहां गाड़ी नहीं चला सकते। आपकी इच्छा शक्ति है तो उसको हटाकर रास्ते को चौड़ा कराइये। वर्ना मेरा एक सुझाव है कि यूनिवर्सिटी के लास्ट का पीछे का कोना है, वहां से लेकर पंडित नवलकिशोर शर्मा जी के नाम से सर्किल का नामकरण किया है वहां तक एक फ्लाई ओवर बनवा दीजिए ताकि आगरा जाने वाले उधर से उतर कर आगरा चले जाएंगे और दिल्ली जाने वाले सीधे दिल्ली चले जाएंगे। मेरा यह निवेदन है और आपको यह करना भी होगा। आप उस रोड से जाइये, आपको खुद को पता चल जाएगा कि उस रास्ते में क्या स्थिति है। यह मेरा आपको एक सुझाव है।

हमारी सरकार संस्थाओं को जमीन आबंटित करती है। आप कोई सी निजी संस्था ले लो, चाहे आप अस्पताल ले लो या स्कूल ले लो। करोड़ों-अरबों रुपये की ज़मीनें हम लोग उनको दे देते हैं, लेकिन वह लोग उसके बाद जनता का कितना ध्यान रखते हैं, आप सब लोग समझते हैं। इसलिए उन पर भी ऐसा कुछ हो, हम लोग उनको दबा सकें, मजबूर कर सकें कि गरीब आदमी की सुनो, गरीब आदमी को रिलीफ दो। निजी अस्पतालों को हमने करोड़ों रुपये की जमीनें आबंटित की हैं अगर उनको हम फोन कर देते हैं कि यह गरीब आदमी है आपने बेवजह इसको 3-4 दिन तक वेंटीलेटर पर रखा, इसका पैसा कम कर दो, तो वहां से रेस्पोंस क्या आता है वह आपको बता दूं, अगर दस लाख का बिल है तो लास्ट में उसका फोन आता है कि भाईसाहब दस हजार रुपये कम किए हैं। अगर उनके ऊपर हमारा बस नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए कि उनको करोड़ों रुपये की जमीनें हमने क्यों दीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवदन करना चाहूंगा, आप सिंधी कैम्प पर भी देख लो, वहां ट्रैफिक के क्या हालात हैं। सारी निजी बसें खड़ी रहती हैं। आप नारायणसिंह सर्किल देख लो, आप संसारचन्द्र रोड देख लो, मोतीडूंगरी पर देख लो, कितनी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं जो अपने ट्रक खड़े करती हैं। जब ट्रांसपोर्ट नगर सरकार, जेडीए की तरफ से प्रस्तावित है तो आप

(डा. राजकुमार शर्मा)

क्यों नहीं शिफ्ट करते हो। कम से कम यह तो करो ताकि लोगों को लगे कि सरकार के अंदर कुछ चेंज हुआ है। मेरे यह सुझाव थे।

सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना लेकिन अभी एक आदेश जारी हुआ है, क्षेत्रीय उप निदेशक +++ 12.07.2019 को इसी महीने के अंदर, एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है कि कोई भी राजसेवक अपने सेवा संबंधी कार्य हेतु अपने उच्चाधिकारियों पर राजनीतिक दवाब नहीं डलवाएंगे। (व्यवधान) मैं आपको सुना रहा हूं, एक बार सुनो तो सही कि यह लोग बैठे-बैठे क्या-क्या घालमेल करते हैं। यदि वह ऐसा करेंगे तो उसे गंभीरता से लिया जाकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी व उसका अभिलेख रखा जाएगा, सूचित होवे। आधा काम तो आदरणीय न्यायालय ने कर दिया। थोड़ी बहुत हम किसी की सिफारिश कर देते हैं तो ऐसे अधिकारी आ गए। आप जिस पद पर बैठी हो, क्या राजनीतिक सिफारिश से नहीं बैठी क्या? आपकी ऐसी कौनसी काबिलियत है? जयपुर डीएलबी में आपको पदोन्नति दे दी गई, वहां पर आपको पदस्थापित कर दिया, आप भी वहां पर राजनीतिक दखल से ही बैठी हो। (व्यवधान) मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि जयपुर में उनको बिठाया जाए। लेकिन यह करके क्या आप उनको दबाना चाहते हो। आज डीएलबी की स्थिति क्या है, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। मैंने कहा कि कमेटी का चेयरमैन आपके आशीर्वाद से बना हूं, एक-एक चीज को देख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा मुद्दा है, राजस्थान के विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान, जोनल प्लान बनाने के संबंध में घोटाले। घोटाला नहीं घोटाले। 2010-11 के अंदर राज्य सरकार ने नियोजित विकास के उद्देश्य से 182 नगरपालिका, नगर परिषदों के मास्टर प्लान बनाए जाने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण नगर नियोजन विभाग, जिसका कि प्राथमिक दायित्व राज्य के मास्टर प्लान बनाये जाने का है, मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी उसको नहीं दी गई, लेकिन किसको दी गई, इन्होंने तय किया, 2010-11 के अन्दर हमारी सरकार थी कि आउट सोर्स से बनाये जाने का निर्णय लिया और उक्त कार्यों के अन्दर 75 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ।

(डा. राजकुमार शर्मा)

2010-11 में 75 करोड़ रुपये का, शेम-शेम, आगे डबल शेम भी होना है। शुरुआत वहां से हुई।

ये समस्त मास्टर प्लान बनाये जाने का काम नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में आवास विकास संस्थान के माध्यम से कराया गया बल्कि उस वक्त म्युनिसिपल एक्ट आ चुका था, नगरपालिका अधिनियम आ चुका था, लेकिन जान बूझकर जिन भी अधिकारियों ने उस दिन शुरुआत की, मैं आपको कह रहा हूं, अभी ये कह रहे थे कि उन लोगों को आप दण्डित करो, जिन लोगों ने द्रव्यवती प्रोजेक्ट लेट किया। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने ख्वाब दिखाया पिछली सरकार को कि द्रव्यवती प्रोजेक्ट ऐसा बनेगा, यहां पर लोग रात को आएंगे, रात को यहां पर रोशनी होगी, अच्छा पानी होगा और उसके अन्दर लोग-बाग मकान बनायेंगे और रात को वहां पर खूब घूमेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी, जिन भी अधिकारियों ने ख्वाब दिखाये द्रव्यवती प्रोजेक्ट के नाम पर, और मैं कह रहा हूं पैसे का इतना दुरुपयोग किया गया, जितना पैसा उस खड्डे में, गहरे काले कुएं में, मैं काला कुआं बोलूंगा, द्रव्यवती प्रोजेक्ट नहीं, वह काला कुआं प्रोजेक्ट है। आज पास में खड़े नहीं हो सकते। क्या जयपुर में पानी बहता है क्या, राजस्थान में कोई नदी है जो बहती है? वहां गुजरात के अन्दर या साउथ के अन्दर नदियां हैं, जो बहती हैं, इसलिये वहां पर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। उस गंदे पानी में अगर कोई किसी को मार कर पटक गया तो उसके हड्डियां भी नहीं मिलने वाली। इसलिये पैसे का दुरुपयोग किया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि आउट सोर्स से वह किया, 75 करोड़ रुपये गये, बर्बाद कर दिये। उसके बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि वह जो 2010-11 के अन्दर हुआ, वह 2031 तक मान्य था, 2031 से पहले उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी, 20 साल का प्रावधान उसके अन्दर रखा था, 20 साल का। लेकिन देखिये, उसके बाद 2009 में उक्त मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही में नगर निकायों की कोई सहमति नहीं ली गई। जब नगर निकायों की सहमति नहीं ली गई, वहां के विधायकों से नहीं पूछा गया, फिर वह प्रोजेक्ट बनायेगा कौन? बनाया, गूगल पर। एक बहुत बड़ा गिरोह है, वह गिरोह 2009 में शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। उस गिरोह की परतें खोलेंगे। जो लोग भी जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी किस पर तय की जा रही है! चेयरमैन पर और ई.ओ. के ऊपर।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कार्य करवाने का एक आदेश जारी हुआ डी.एल.बी. से, निदेशक महोदय ने 10.01.2018 को किया कि जो नगरीय निकाय हैं, वहां तो उनको विश्वास में नहीं लिया गया, इसलिये बहुत त्रुटियां हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं इसलिये दुबारा किया जायेगा और लैटर जारी कर दिया। उसके बीच के अन्दर एक चीज और आ गई, वह आ गई भारत सरकार की अमृत योजना, जिसमें 75 करोड़ रुपये फूंके गये। उस अमृत योजना के नाम से एक करोड़ 62 लाख रुपये सेम प्लान, जोनल प्लान बनाने के नाम पर खर्च कर दिये। यानी दो बार हो गये।

अब तीसरा और सुन लो आप, 2018-2019 में राज्य सरकार ने वापस जोनल प्लान बनाने की कार्यवाही का बीड़ा नगर नियोजन विभाग के माध्यम से उठा लिया। टैक्निकल बिड व फाइनेंशल बिड नहीं करते हुए, अपने चहेते लोगों को बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए करोड़ों रुपये के कार्य आबंटित कर दिये। अभी, जो चल रहा है, रोजाना अखबारों के अन्दर आप शाबासी पढ़ रहे होंगे। अब लैटर जारी हुआ कि हम यह जो एजेंसी है, इनको आपके पास भेज रहे हैं, और आप फटाफट-फटाफट दुरुस्तीकरण करो, वापस जोनल प्लान के नाम से तीसरी ठगी करना शुरू कर दिया।

जब वहां के चेयरमैन ने या ई.ओ. ने चिट्ठी लिखी कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम किस मद में पैसा दें, तो उन्होंने पहले लिखा कि आप स्वयं के मद में से दें तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसा मद ही नहीं है, तो किसी भी मद से कर दो। किसी भी मद से कर दो, लेकिन पैसा दे दो। पैसा दे दिया गया। जब थोड़ी शिकायतें हुईं, तो यहां डी.एल.बी. से वापस लैटर जारी हुआ। उस चिट्ठी में लिखा गया कि आप पैसा देने से पहले डी.एल.बी. से अनुमोदन करवाएं। अनुमोदन कराने से पहले तो एक करोड़-तीस लाख-सत्तर लाख-चालीस लाख-पचास लाख-डेढ़ करोड़, पता नहीं कितनी नगरपालिकाओं से पेमेंट आ चुका था। फिर उन्होंने लिखा कि हम तो पेमेंट ही कर चुके, अनुमोदन कहां से आयेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि साढ़े चार सौ करोड़ रुपया तो समाप्त कर दिया। आज तक तो वह मानचित्र भी नहीं बना। विकास के कार्य तो बाद की बात है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

शहर तो पता नहीं कब बसेगा, मोडे खा गये साढ़े चार सौ करोड़ तो पहले ही। साढ़े चार सौ करोड़, एक ही चीज का, मतलब मानचित्र बनाने के नाम पर, एक ही एजेंसी घूम-घूम कर, हम तह तक जाएंगे, माननीय सभापति महोदय, ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी बैठे हैं, आप इसका पता करवाओ कि अमृत योजना के नाम से 2010 के अन्दर भी 75 करोड़ और अभी भी कम से कम इसमें 100 करोड़ का घोटाला है, जो तीसरे फेज के अन्दर उन्होंने वापस उसी जोनल प्लान के नाम पर ठगे हैं। अब किसको सज़ा दे रहे हैं। नगरपालिका ई.ओ. जिम्मेदार है? नगरपालिका चेयरमैन जिम्मेदार है? वे लोग आते हैं, हमारे पास में रोते हैं। वे कहते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी, ये देखिये एक-एक आदेश की कापी हमारे पास पड़ी है, जो डी.एल.बी. ने हमें जारी किये, राजस्थान सरकार ने जारी किये और हम पर फोन करके दबाव बनाया गया और हमारे पास उनके फोन की रिकार्डिंग भी है। आप उनको सज़ा दे रहे हो, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी तो रक्षा करो और जो मोटे मगरमच्छ हैं, जिन्होंने यह जो काम किया है, आज तक जितना भी यह घपला किया है उसकी जांच हमारी कमेटी तो करेगी, हम आडिट भी करवाएंगे और आज भी मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी भी जो जांच की जा रही है, वह सिर्फ एक फर्म के लिये की जा रही है। अभी तक वे पांच-सात जो बड़े डाकू हैं, अभी तक उन पर कोई जांच नहीं चली है। इसलिये मैं सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, इस बात से सदन को अवगत भी कराना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि विधायक से कम से कम स्वायत्त शासन मंत्रीजी, यह जब चौथी बार और जायेगा, मुझे पता है तीन तो फेल हो गये, चौथी बार और भेजोगे किसी न किसी को, तो एम.एल.एज. को तो कमेटी में लो। हम लोग वहां के विधायक हैं। हमें पता है कि कौनसा खेत कहां पर है, क्या-क्या डवलप करना है तो हम लोग वहां पर बताएंगे, नगरपालिका चेयरमैन बतायेगा।

हमारे यहां पर सौ बीघा का किसी महाजन का एक खेत पड़ा था, उसके अन्दर खेल ग्राउण्ड दिखा दिया। हमारी तो बदनामी और कर दी। वहां से किसी गांव वाले ने कह दिया जाकर, बोले कि सौ बीघा के अन्दर खेल ग्राउण्ड राजकुमार ने जान बूझकर करवाया है, ताकि जमीन को सरकारी कर सके या खुद कहीं बेच सके। आप सोचिये, हम क्यों बेइज्जती बर्दाश्त करें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

गलती इनकी, जो गूगल पर बैठकर नवलगढ़ के अन्दर जोनल प्लान तैयार कर दिया। कभी उन्होंने वहां जाने की जरूरत ही नहीं समझी। इसलिये आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में सारा सदन गम्भीर है। सबके साथ ही ऐसा हुआ है। किसी एम.एल.ए. से पूछा गया? किसी माननीय सदस्य से जोनल प्लान के मामले में आज तक नहीं पूछा गया। तीन बार फेरी करके आ गये। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट जो यह गिरोह बना रखा है, जिन्होंने अपने घरवालों के नाम से एजेंसियां बना रखी हैं। उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से पैसा उठाया गया। काम हुआ ही नहीं है, मानचित्र बना नहीं है, प्लान बना नहीं है और करोड़ों रुपये उनके खाते में पहुंच गये, उनका पेमेंट हो चुका है। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे शहरों का सपना है। आप सब लोग स्मार्ट सिटी के नाम से सपना रात को लेकर सोते हैं लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उनका सामना जिस प्रकार से सांडों से होता है, जो रोजाना मार रहे हैं, तीन-तीन, चार-चार हत्याएं तो मेरे यहां पर हो गईं। ऐसे मारा कि सांडों ने तीन व्यक्तियों को मार दिया, ट्यूरिस्ट्स को मार दिया। इसके लिये हमारी प्रार्थना यही है, सभापति महोदय, कि इसमें सदन को बहुत ही गम्भीरता से देखना चाहिये और जोनल-प्लान के नाम पर जो घोटाला किया गया है, निश्चित रूप से इसकी परतें बाहर आनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर, जो चर्चा हो रही है, उसमें समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं इस चर्चा में भाग लूं, इसके पहले, सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि प्रदेश की राजधानी जयपुर, जिसमें बैठ करके आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड हैरिटेज सूची में यहां के परकोटे को शामिल किया है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

आपने सुना होगा कि भगवान की मूर्ति की तो प्राण-प्रतिष्ठा होती है, पर विश्व में जयपुर एक ऐसा शहर है, जिसकी महाराजा जयसिंहजी ने प्राण-प्रतिष्ठा करवाई और प्राण-प्रतिष्ठा करवा करके इस जयपुर शहर को बसाया।

(श्री कालीचरण सराफ)

माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने स्तुति-गान में पराकाष्ठा कर दी। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज से 16 महीने पहले फरवरी, 2018 में पहली एप्लीकेशन विश्व धरोहर में परकोटे को शामिल किया जाए, इसके लिए भेजी गयी थी। इसके वैल्युएशन में करीब डेढ़ साल का समय लगा। एप्लीकेशन के बाद सितम्बर, 2018 में यूनेस्को से टीम आई और इसके बाद शनिवार, 6 जुलाई, 2019 को जयपुर का परकोटा विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया। 20 साल से यह प्रयास चल रहा था और जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया यानी, कम से कम इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करना चाहूंगा परंतु आज विश्व मानचित्र पर जयपुर की जो पहचान बनी है, टूरिस्ट यहां पर आज हजारों की संख्या में आ रहे हैं इसमें और बढ़ोतरी होगी परंतु आज जयपुर नगर निगम जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शहर में सफाई करने की है, उसके बारे में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जयपुर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, यह हमारे जयपुर के महापौर भी मान चुके हैं। हमारे जो जयपुर नगर निगम के सी.ई.ओ. हैं, उन्होंने भी यह कहा कि सफाई व्यवस्था बिलकुल चरमराई हुई है। माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं भी दौरे पर गये थे तो सफाई व्यवस्था जिस प्रकार की है, उसकी आपको जानकारी है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवर लाइन्स चोक हो रही हैं। गर्मी में कचरे से संक्रमण और बीमारियां फैलने की स्थिति बन गयी है। घर-घर कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी जिस बी.वी.जी. कम्पनी पर है, आधे शहर में कचरा कलेक्शन का काम उन्होंने बंद कर दिया है और नगर निगम की तो पोल खुल गई। उन्होंने कहा कि हमने सारे नाले साफ कर दिये। जयपुर में थोड़ी सी बरसात आई, 50 स्थानों पर पानी भरने की स्थिति पैदा हुई।

माननीय सभापति महोदय, बी.वी.जी. कम्पनी यह कहती है कि हमारा 110 करोड़ रुपया बकाया है और मेयर और सी.ई.ओ. कहते हैं कि पैसा बकाया नहीं है। इस झगड़े में आज जिस प्रकार से जयपुर की स्थिति बदतर होती जा रही है और जिस प्रकार से नगर निगम के अधिकारी केवल पैसा बटोरने में

(श्री कालीचरण सराफ)

लगे हुए हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आपको उसके छह उदाहरण देना चाहूंगा और मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप जीरो टालरेंस पर भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप इन, जो बातें मैं बता रहा हूं उन पर आप एक्शन लें और निश्चित रूप से इनकी एसी.डी. से जांच कराएं।

माननीय सभापति महोदय, पहला प्रकरण। राजीव आवास योजना में गुलशन राय एंड कम्पनी, ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी और अन्य कई कम्पनियां जिनके कई स्तरों पर अधिकारियों ने फाइलों पर आब्जेक्शन लिखे हैं, भारी भ्रष्टाचार है, इनको पेमेंट करने का आदेश हो गया।

इसी प्रकार से दूसरा प्रकरण। प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, अमित एंटरप्राइजेज, बी.आर. एंटरप्राइजेज, बलवीर डिटेक्टिव सर्विस, छोटेलाल वीरेंद्र कुमार जैन, इन सब फर्मों के केस पी.एफ. डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, जिसमें नगर निगम पर 25 करोड़ रुपये की पैनल्टी भी लग सकती है। नगर निगम ने साढ़े छह करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देकर कोर्ट में इनके खिलाफ, यह नगर निगम केस लड़ रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब फर्मों को भी, इनके बिल पास हो गये हैं और भुगतान की तैयारी कर ली गयी है।

तीसरा प्रकरण, इसी प्रकार के नगर निगम के फायर विभाग में सैकड़ों फायर-मैन की भर्ती हो जाने के बाद भी जब भी अन्य अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत पड़ती थी तो आपदा प्रबंधन विभाग, नागरिक सुरक्षा के लोगों को लेते रहे हैं परंतु अब एच.आर. मल्टी-क्लीन सिस्टम फर्म को ठेका दिया गया है और इस फर्म को गलत तरीके से क्वालिफाई भी किया गया है। जांच करेंगे तो पता लग जाएगा कि इससे किसको फायदा हो रहा है?

चौथा, नगर निगम में पांच हजार नए कर्मचारियों की भर्ती हो गयी है, उसके बाद भी 550 व्यक्तियों को ठेके पर लेने का नया टेंडर जारी किया गया है और ग्लोबल मैन पावर सर्विस व कंसल्टेंट फर्म को नियम विरुद्ध इसका ठेका दिया गया है। आज आप मंत्री हैं, हम विधायक हैं, किसी के यहां पर कोई पांच-पांच लोग नहीं लगे हैं पर इन्होंने यह क्या कहा कि यह 550 लोग इसलिए लगाये हैं कि जो पार्षद कार्यालय हैं, वहां पर यह पांच-पांच लोग लगेंगे। आधे से ज्यादा वार्डों में अभी यह पार्षद कार्यालय नहीं हैं और एक भी

(श्री कालीचरण सराफ)

पार्षद के यहां पांच कर्मचारी नहीं लगे हैं। इसका ऊपर ही ऊपर पेमेंट उठाया जा रहा है।

इसी प्रकार से पांचवां मामला। महोदय, 8 मार्च को राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लगी थी। 5 व 6 मार्च को लगभग 350 करोड़ से ज्यादा के टेंडरों की फाइल एप्रूवल हो गयी और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेंडर एप्रूवल की फाइलें नगर निगम में 27 जगहों पर जाती हैं और फिर वर्क आर्डर होते हैं। इस कार्य के लिए सरकार के द्वारा 50 दिनों का समय का निर्धारण भी किया हुआ है और लगभग 25 प्रतिशत टेंडर इन 50 दिनों में वर्क आर्डर नहीं होने के कारण निरस्त भी होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 5 व 6 मार्च को बिना टेंडर कमेटी की मीटिंग करवाए, पूरी 27 जगहों पर, महापौर के कार्यालय में बैठकर इन टेंडरों पर साइन करवाए गये तथा फाइनल किया गया और वर्क आर्डर दे दिया गया। 8 मार्च को आचार संहिता लगने के कारण नगर निगम में 8 मार्च को फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया जो कि 13 मार्च को वर्क आर्डर होने के बाद ही चालू किया गया। इसमें न तो दरों को जस्टिफाई किया गया, न ही तुलना की गयी और आनन-फानन में आचार संहिता से पहले-पहले वर्क आर्डर जारी कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर निगम की आय मात्र 65 करोड़ रुपये है और वित्त विभाग और डी.एल.बी. ने दिनांक 25.02.2015 को एक आदेश संख्या 4081 में यह साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्थानीय निकाय अपनी आय से 20 प्रतिशत से ज्यादा के कार्यादेश या टेंडर नहीं दे सकते और इससे ज्यादा यदि कार्य करवाने हैं तो राज्य सरकार, वित्त विभाग से अनुमति ले जबकि नगर निगम, जयपुर ने अभी तक 550 करोड़ रुपये से ज्यादा के वर्क आर्डर जारी कर दिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपसे इसकी, सरकार से क्या इसकी परमिशन ली? इसकी जांच करवाई जाए, नहीं तो यह सारा पैसा क्योंकि नगर निगम की आय तो केवल 65 करोड़ रुपये है तो यह सारा पैसा सरकार को भुगतना पड़ेगा।

छठा मामला, यह बड़ा सीरियस मामला है कि नगर निगम जयपुर ने एक निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश की एक कम्पनी को जयपुर में 100 जगह पर कियोस्क लगाने की अनुमति दी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, यह गंभीर घोटाला है। जिस प्रकार से जयपुर शहर की बेशकीमती जमीन को,

(श्री कालीचरण सराफ)

किसी ज्यूस बेचने वाली कम्पनी को अनुमति दी जाएगी, यह बिलकुल गलत है। इस तरह से कियोस्क या दुकान लगाने की अनुमति सिर्फ सरस पार्लर को दी हुई है। आप जयपुर के हैं इसलिए मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो स्वयं राजस्थान सरकार का उपक्रम है। आज हिमाचल प्रदेश की एक कम्पनी को 100 ज्यूस सेंटर खोलने के लिए जमीन दी जाएगी, कितना किराया होगा, कितनी जमीन होगी? इसके बारे में राज्य सरकार से कोई राय नहीं ली गयी। आज चालीस हजार थड़ी, ठेला वाले जयपुर शहर में अपना व्यवसाय करते हैं। लोकल ज्यूस वाले और गन्ने वाले अपना व्यवसाय करते हैं। गली-गली में सब बैठे हुए हैं परंतु इनको तो हम अभी तक दुकानें अलाट नहीं कर पाए और यह हिमाचल प्रदेश की कम्पनी को 100 जगह कियोस्क लगाने की अनुमति देकर यह बंदरबांट की जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया इस बारे में संज्ञान ले और इसकी ए.सी.डी. से जांच करवाए और इनके जितने भी कागज के यह डाकूमेंट्स हैं, यह आप अगर चाहेंगे तो मैं मंत्रीजी को दे दूंगा।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि 24 जून, 2011 को जयपुर की एक महती योजना, जो लाइफ लाइन है, 47 किलोमीटर लम्बी रिंग रोड, वह 21 माह में बननी थी, परन्तु आठ साल हो गये, वह अभी तक नहीं बनी। पूर्ववर्ती सरकार ने सभी पक्षों के विवादों का निपटारा कर दिया, 27 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन भी हो गया। अब अजमेर रोड से टोंक रोड, यह 27 किलोमीटर की रिंग रोड जनता के लिये खोल भी दी गयी है और अब टोंक रोड से आगरा रोड का 20 किलोमीटर का काम बचा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि यह प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया, अब कम से कम केन्द्रीय सरकार से तालमेल बिठाकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, इसका निश्चित रूप से प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर शहर की पार्किंग समस्या, विशेष रूप से परकोटे के अंदर की जो पार्किंग समस्या है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह स्थिति है कि गाड़ियां बाजार में खड़ी होती हैं, जिसके कारण चारदीवारी में रहने वाले लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। इससे जगह-जगह जाम की स्थिति रहती है। इसके लिये सरकार ने रामनिवास गार्डन में अंडर-ग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की थी, जिसमें 914 गाड़ियां खड़ी

(श्री कालीचरण सराफ)

हो सकती हैं और शहर में आतिश मार्केट में भी पार्किंग की व्यवस्था की, जिसमें लगभग 50 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं परन्तु यह व्यवस्था अपर्याप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि चारदीवारी के अंदर और स्थान चिह्नित किये जाएं और वहां पार्किंग डवलप की जाए। शहर के अंदर मेरा सुझाव है कि चौगान स्टेडियम के बाहर का खुला मैदान है, वहां पार्किंग बनायी जा सकती है। इसी प्रकार पुराने पी.एच.क्यू. आफिस में, क्योंकि अब पी.एच.क्यू. आफिस शिफ्ट हो गया वहां पर, जलेबी चौक में और रामलीला मैदान में भी अंडर-ग्राउंड पार्किंग डवलप की जा सकती है। इसके बारे में भी सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और इसके बाद यदि शहर में दिन में हम फोर-व्हीलर्स की एण्ट्री को बन्द कर देंगे और जे.डी.ए. यदि शटल बस चलाएगा, जिसकी नि:शुल्क सेवा ग्राहकों को और आमजन को मिलेगी तो जो ट्रैफिक की अव्यवस्था रहती है, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि रामनिवास अंडर-ग्राउंड में अभी तक 1300 रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाता था और अब जे.डी.ए. ने इसे एक साथ बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। इतने में तो गाड़ी की किश्त भी भरी जा सकती है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो यह घोषणा करें कि यह जो बढ़ा हुआ शुल्क है इसको हम वापस ले रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बढ़ाया किसने था, यह बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बढ़ा दिया, 4 हजार रुपये कर दिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बढ़ाया किसने?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): किसी ने भी बढ़ाया, जे.डी.ए. ने बढ़ाया तो इसको विदड्रा कर लीजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आपने बढ़ाया है, क्या बात कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, हमारे टाइम में नहीं बढ़ा है। अभी बढ़ा है। हमने नहीं बढ़ाया। खैर, अब आप वापस कर लीजिए। मान लीजिए हमने बढ़ा दिया तो आप वापस कर लो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर आसन की तरफ देखकर बोलें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, दूसरी समस्या जयपुर शहर में जो है, वह प्रमुख रूप से गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा जो कृषि भूमि पर बनी हुई कालोनियां हैं उनके नियमन की हैं। नियमन की घोषणा हर सरकार करती है, परन्तु उसमें कोई न कोई राइडर लगा देती है। जैसे अभी मैं उदाहरण के लिये बताऊं कि यह राइडर लगा दिया कि 1999 तक बसी हुई कालोनियों का नियमन होगा। उसके बाद जो कालोनियां बसीं, उनका क्या करोगे? मेरा यह सुझाव है कि सरकार अपने स्तर पर जयपुर शहर का सर्वे करवाये और जितनी भी कृषि भूमि पर बसाई हुई गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो कालोनियां हैं, उनका एक साथ कैम्प लगाकर हम नियमन करें जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, विशेष रूप से माननीय मैं बताना चाहूंगा लालकोठी क्षेत्र, इसमें 13 आवासीय कालोनियां हैं, जिसमें लगभग 850 भूखण्डधारी हैं, जिनमें से अब तक 258 भूखण्डधारियों को तो लीजडीड जारी हो गयी। करोड़ों रुपये जे.डी.ए. में 2006 से जमा हैं। अलग-अलग समय पर, अलग-अलग सरकारों ने नियमन के आदेश भी निकाले, परन्तु कोई न कोई अड़चन के कारण नियमन का मामला अटकता रहा। पृथ्वीराज नगर योजना का जिस तर्ज पर आपने नियमन किया, उसी प्रकार से यदि लालकोठी की इन 13 कालोनियों का भी नियमन कर लेंगे तो वहां के लोगों को इससे निजात मिलेगी।

इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खसरा नम्बर 477 और 481, जो पूर्व में ग्राम भोजपुरा के नाम से जाने जाते थे और वर्तमान में ओझाजी के नाम से यह जाना जाता है, इस जमीन पर 50 वर्ष पहले से झोंपड़े बनाकर कई लोग परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। इस जमीन को राज्य सरकार ने अवाप्त कर लिया था। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में जे.डी.ए. के नाम दर्ज है। इस जमीन पर वर्तमान में पूर्व में रह रहे परिवारों ने पक्के मकान बना लिये, बहुमंजिले मकान बना लिये, जिनमें उनके पूर्वजों के समय से ही नल-बिजली के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। हाउस टैक्स भी यह देते हैं और भूमि रूपान्तरण शुल्क भी इनका जमा है। कुछ लोगों ने जे.डी.ए. की करोड़ों रुपये की जो बेशकीमती जमीन खाली पड़ी है, उस पर कब्जा कर लिया, तारबंदी कर

(श्री कालीचरण सराफ)

ली और भी जो खाली जमीन पड़ी है, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और जो करोड़ों रुपये की जमीन खाली पड़ी है, उसको तो जे.डी.ए. कब्जे में ले और जो वर्षों से लोग वहां रह रहे हैं, उनको कैम्प लगाकर नियमित करने की कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। जयपुर शहर में जिस तेजी के साथ जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है, आने वाले दिनों में इससे बहुत दिक्कत होगी। मेरा यह कहना है कि जैसे मुम्बई में उप नगरीय व्यवस्था है, मलाड है, अंधेरी है, बोरीवली है, जिस प्रकार से उप-नगर वहां पर डवलप हुए हैं, उसी प्रकार से यदि चौमूं, शिवदासपुरा, अचरोल, बस्सी, वाटिका, बगरू जैसे कस्बों को उप-नगरों में यदि हम विकसित करेंगे तो निश्चित रूप से जयपुर शहर में जनसंख्या का दबाव कम होगा और यह केवल हम यहां मकान बना दें, उससे नहीं होगा। इसके लिये जो सुविधाएं, जो एक शहर के लिये आवश्यक हैं, जैसे स्कूल आवश्यक है, कालेज आवश्यक है, बड़े-बड़े माल्स आवश्यक हैं, पिक्चर हाल आवश्यक हैं और यातायात से जोड़े जाने का जो साधन है, यह सब सुविधाएं यदि हम उपलब्ध करवाएंगे तो निश्चित रूप से यह शहर उप-नगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित होंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी मैट्रो ट्रेन के दूसरे फेज का काम शीघ्र करने की बात कही है। मेरा यह सुझाव है कि दूसरे फेज में आप जो घोषणा करें, जो आप मास्टर प्लान बनाएं, जो रोडमैप बनाएं, शिवदासपुरा से इसको चालू करें, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से एयरपोर्ट, जे.एल.एन. मार्ग, टोंक रोड, एम.आई.रोड, स्टेशन रोड, झोटवाड़ा रोड, सीकर रोड, वी.के.आई. इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए चौमूं तक यदि मैट्रो से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो उप-नगरीय व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उसके बारे में हम विचार कर पाएंगे।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, आज चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने भी आपका ध्यान आकर्षित किया कि यहां जे.एल.एन. मार्ग और टोंक रोड पर स्थित रामबाग चौराहा, जे.डी.ए. चौराहा, ओ.टी.एस. चौराहों पर आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जे.डी.ए. चौराहे पर चार लोगों की मौत हुई। मेरा यह मानना है, मैं स्वयं ही मौके पर गया। पहले जे.डी.ए. चौराहे पर सर्किल बना हुआ था, रामबाग चौराहे पर सर्किल बना हुआ था तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, परन्तु क्या पता किस एक्सपर्ट ने यह राय दी कि इन सर्किलों को हटा दिया जाए। अब आप नई

(श्री कालीचरण सराफ)

दिल्ली में देखिए, हर चौराहे पर सर्किल बना हुआ है। इसलिए वहां एक्सीडेंट कम होते हैं। मेरा यह सुझाव है और मैं मांग करना चाहूंगा यातायात मंत्रीजी अभी यहां बैठे हैं कि रामबाग चौराहे, जे.डी.ए. चौराहे पर और ओ.टी.एस. चौराहे पर, इन तीनों पर आप दुबारा सर्किल बनवाइए और स्पीड ब्रेकर लगवाइए और इसका स्थायी समाधान यह है कि यहां जिस प्रकार गुर्जर की थड़ी में अपन ने अंडर-पास बनवाया है....(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस प्रकार का अंडर-पास या ओवर-ब्रिज यदि हम बनाएंगे तो एक्सीडेंट से निजात मिल सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कठपुतली नगर कच्ची बस्ती और वाल्मीकि कच्ची बस्ती आती है, जो जयपुर के पाश इलाके अमरूदों के बाग़ में बसी हुई है। +++

श्री सभापति: जो मामले कोर्ट में सब-जुडिस है, उसकी चर्चा नहीं करें आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा। +++

श्री सभापति: नहीं, आप आलोचना करें, नहीं करें, इसमें अलाउ नहीं करता मैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप बात सुनिए तो सही।

श्री सभापति: नहीं, काहे को सुनूं तो मैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यदि आपको गलत लगे तो निकलवा देना कार्यवाही से।

श्री सभापति: मुझे नहीं सुनना है और मैं अलाउ नहीं करूंगा। जो भी कोर्ट के इश्यू को किया है इसको एक्सपंज करें, विलोपित करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केस तो चलता रहेगा पर कठपुतली नगर कच्ची बस्ती को ...

श्री सभापति: मैं नहीं सुन रहा हूं और माननीय सदस्य, आसन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जो मामले कोर्ट में सबजुडिस हैं उस पर आप किसी भी तरह की चर्चा करें। मैं सुनने में इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं जो बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। आपको कोई चर्चा नहीं करनी है। आपको जो भी कुछ कहना है अपने उसमें रहें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): +++ और मैं जो कहना चाहता हूं ...

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, सबजुडिस मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती, आपकी रूलिंग दी हुई है।

श्री सभापति: रूलिंग दी हुई है और मैंने कह दिया वह एक्सपंज होगा, विलोपित होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं यह कहना चाहता हूं +++ यहां बस्ती वालों के ऊपर नहीं चल रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं किया जाय।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अच्छा ठीक है।

मेरा कहना यह है कि जो आपके 7 हजार 800 फ्लैट खाली पड़े हैं उनमें जो यह नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं कठपुतली नगर, इनको यदि वहां बसा दिया जाए तो उनको यह निजात मिल सकती है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नम्बर 57 और 58 के बीच में करतारपुरा बरसाती नाला बहता है, इसके दोनों और लगभग 60 कालोनियां बसी हुई हैं और इन कालानियों में 50 हजार लोग निवास करते हैं। इन कालोनियों में सीवरेज नहीं होने के कारण सीवरेज का सारा पानी नाले के अन्दर जाता है जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में लोग भयंकर बदबू से परेशान रहते हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय स्मार्ट सिटी योजना के जगह-जगह छोटे-छोटे एसटीपी प्लांट लगाकर इन कालोनियों में सीवरेज लाइन डालने का काम स्वीकृत करवाया था। कुछ दिन तो काम चला पर अभी वह काम बंद है, मेरा यह कहना है कि इसको तुरन्त चालू करवाया जाए।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

इसी प्रकार से वार्ड नम्बर 52 और 53 जहां आवासन मण्डल और जे.डी.ए. ने मालवीय नगर बसाया था, उस समय इन दोनों वार्डों में सीवर लाइन डाली गई थी। उस समय यहां की जनसंख्या लगभग 20 हजार थी। इस कालोनी को बसे लगलग 35 साल हो गये और आज इन दोनों वार्डों की जनसंख्या एक लाख के लगभग हो गई, कल्ला साहब भी वहीं रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यह सीवर लाइन पुरानी हो गई, जीर्ण-शीर्ण हो गई, जगह-जगह लीकेज है, यदि इस सीवरेज लाइन को बदला जाए और वहां चौड़ी सीवरेज लाइन डाली जाए तो इस समस्या से निजात मिल सकती है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री रामनारायण मीना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय, एक मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय, मेरे इलाके में रिहायशी इलाकों में कई जगह बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें खुल गईं और उससे आये दिन झगड़े होते हैं, धरने-प्रदर्शन होते हैं तो मेरा कहना यह है कि इन सबका सर्वे किया जाए और जो मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के चल रहीं हैं उनको तुरन्त बंद करने की कार्यवाही की जाए।

इसके अलावा एक और प्रमुख समस्या है कि जयपुर शहर में लगभग 40-45 हजार थड़ी-ठेले वाले अपना व्यवसाय करते हैं, मेरा यह कहना है कि इनका सर्वे करके और इनको व्यवस्थित रूप से यदि हम बसाएं, पक्की दुकानें दें तो यह अपना रोजगार भी कर पायेंगे और जनता को भी इससे निजात मिलेगी।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका रुतबा देखते हुए लगता नहीं कि आपकी बिना इजाजत के ...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, 10 तारीख को सदन के नेता ने बजट पेश किया था और 11 तारीख को बजट पर बहस शुरू हुई थी।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है, मैंने रामनारायण जी मीना को अलाउ किया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, उस समय आपने एक उलाहना दिया था कि बुआ जी, बुआ जी करते हो, कभी चुनड़ी तो आप ओढ़ाते नहीं।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं बुआ जी के लिए चुनड़ी लेकर आया हूं। आप कहो तो मैं आपको भेंट कर दूं या मैं बुआ जी को जाकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। सभापति को काहे को ओढ़ा रहे हो ...(व्यवधान) विराजिये आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके हुकुम की तामील की है और मैं चाहूंगा कि बुआ जी को तो कब ओढ़ाओगे, आप फूफा जी को ओढ़ा आओ ऊपर।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, बहुत सीरियस बात है, डिप्टी लीडर हैं और आसन बहुत गरिमापूर्ण है। आसन के बारे में चुनड़ी ओढ़ाना, यह इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। यह क्या है कोई, यह सदन है, सदन में जो भी शब्द बोलो, नाप तोल कर बोलना चाहिए। मैं समझता हूं डिप्टी लीडर को इस तरह की बात पर क्षमा मांगनी चाहिए आपसे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इनको चुनड़ी क्यों ओढ़ाओ इनके ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पर उस बात को तो मैं कहूंगा, सभापति महोदय, आप इनको धन्यवाद तो दो। चुनड़ी कैसी लेकर आये हैं, देखो, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें आप। माननीय सदस्य, मैं तो चौमूं का मान करके और इंटेलिजेंट समझ रहा था, मौका था चुनड़ी के बजाय इसको यदि मेरे लिए साफा बना देते तो आपका भी मान रह जाता। जो जहां चीज देनी चाहिए वहां देनी चाहिए। न तो आप पर यह आरोप लगता कि आप आसन की वह कर रहे हो और मैं भी इस बात से आह्लादित होता कि, मेरे जो हैं साले साहब के लड़के... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): नहीं, यह आपने बिलकुल सही कहा। बुआ जी के लिए चुनड़ी और फूफा जी के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजिये। श्री रामनारायण मीना। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): गलत है यह, ऐसे नहीं होना चाहिए। फूफा जी के लिए कैसे भूल जाते हो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मंत्री महोदय को इनसे माफी मांगनी चाहिए जो आपका सम्मान नहीं चाहते।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह बिलकुल सही कहा, इनको यदि ओढ़ाना है तो आप शाल ओढ़ाइये। चुनड़ी किसको ओढ़ाई जाती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अब ये बुआ जी और फूफा जी का संवाद खतम कर दिया, विराजिये अब आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अब बुआ जी फूफा जी हो गयी, बैठ जाओ।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, बैठ जाइये। विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): देखिये, सभापति महोदय, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप तो वास्तव में सीकर के हो, जब आपके मन की बातें होती हैं तो बड़ा आता है सभापति जी और वैसे वो आना भी चाहिए।

अभी कालीचरण जी सराफ जयपुर को लेकर बोल रहे थे और जयपुर की बहुत गम्भीर बात इन्होंने उठाई।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था कि कालीचरण जी सराफ ने अंत में अपने वाद-विवाद में जो भी कुछ कहा कि, साहब, थड़ियां चल रही हैं और वो दुकानें चल रही हैं। मैं यह जानता हूं, मेरे 30 साल के अनुभव में मैंने कालीचरण जी का रुतबा जो देखा है, बिना इनकी इजाजत के वहां कुछ नहीं चलता।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): क्या बात है। यह बात आपने सही कही, इसका मतलब ...

श्री सभापति: यह किसी को खुश करने के लिए यहां पर कह रहे हैं, बाकी चलता इनके रुतबे से ही है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, दिक्कत इनके नहीं, अब क्या है इनके बुढ़ापा आ गया और जब बुढ़ापा आ जाता है ये छोटे भाई इनकी मदद करते हैं हम। अब क्या है इनकी स्थिति वह नहीं रही पहले वाली। सभापति जी, इन्होंने जो मामला उठाया, एक तो आपने सड़क दुर्घटना का बहुत गम्भीर मामला उठाया।

श्री सभापति: तो थोड़ा इनका एनर्जी लेवल बढ़ाओ, शाम को कोई जूस-वूस पिलाओ इनको। आप भी सहयोग करें इनका।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह एनर्जी मेरे लायक नहीं है, साहब।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): वह जो जवानी की दवाई है न, राठौड़ साहब, इनको गोली दे देना आज। एक गोली राठौड़ साहब इनको उपलब्ध करा देंगे, उससे इनके वापस जवानी आ जायेगी।

श्री सभापति: चलिये आपका आभार कालीचरण जी सराफ की तरफ से। श्री रामनारायण मीना।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, एक मिनट, वे बोल लेंगे।

सभापति जी, इन्होंने बहुत गम्भीर मामला उठाया लेकिन सभापति जी की आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं। आपने एक बात तो ठीक कही कि जयपुर में सर्कल बनने चाहिए और मैंने देखा है, दिल्ली में एक्सीडेंट कम हैं तो मैं भी चाहता हूं, आप मेरी तरफ से भी लिख लेना, जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतना गम्भीर मामला है, यह सड़क दुर्घटनाएं रोकना पूरे सदन की

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जिम्मेदारी है और सदन की आवाज बाहर तक जानी चाहिए कि जयपुर में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उससे पूरी विधान सभा दुःखी है, एक-एक सदस्य दुखी है और इसको लेकर हम जितनी योजना बनाएं, चाहे सर्कल बनाना पड़े, चाहे हमें प्लानिंग बदलनी पड़े, चाहे हमें इंजीनियरिंग से, सारों से राय लेकर कुछ करना पड़े लेकिन जयपुर में दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए।

साथ में, सभापति महोदय, जो आपने मामला उठाया, जब हम विपक्ष में थे तब हमने यह मामला उठाया था और कहा था, यह जो बीवीजी कम्पनी है जब से यह आई, यह आपके जमाने में आई, तब मैंने खुद ने जाकर ए.सी.डी. में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। यह आपके जमाने की आई हुई बीवीजी कम्पनी है। और यह जो नगर निगम है, आपके जमाने में जो ठेके हुए अधिकतर चल रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं उनको तो हम देख लेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन आपके जमाने में जो हुए हैं वे सारे काम उल्टे आपके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उनकी जांच कराओ और इनकी भी जांच कराओ।

श्री सभापति: विराजिये। यह कोई वाद-विवाद का विषय नहीं है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): दोनों की जांच कराएं न।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हां। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, प्लीज सहयोग करें, सहयोग करिये। श्री रामनारायण मीना।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सभापति महोदय, केवल एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट, मीना साहब।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): साहब, एक मिनट। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में ये एक्सीडेंट रुकें, इस तरह का काम करें। न केवल जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में रुकें।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पूरे राजस्थान की ही प्लानिंग है, आप निश्चिंत रहो।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर विचार हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज शांत रहें, कृपया शांत रहें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्योंकि जिस प्रकार से कर्मचारी कम हो रहे हैं नगरपालिकाओं में, नगर परिषद् में, नगर निगम में और जो ठेका प्रथा की बात हुई है, यह भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी देन है। माननीय सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का, जिस तरह से नक्शे बनाये जा रहे हैं आयोजना विभाग के द्वारा, एक भी नगरपालिका को सही ढंग से नियोजित तरीके से विकास हो, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में नगरपालिका इटावा है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई काम हो नहीं पा रहा और पिछली दफा, पिछले टेन्योर में जो वहां के विधायक थे या जो वहां के चेयरमैन थे उनकी अनदेखी के कारण मानिये, किसी भी तरह से मानिये, जयपुर के ठेकेदारों ने 200 किलोमीटर दूर जाकर के छोटी नगरपालिका में ठेके लिये। जो काम किया गया है, वह इतने घटिया स्तर का है कि उसकी यदि जांच की जाए तो वह गुणवत्ता में ठीक नहीं बैठता है। गिट्टी का नाप भी सही नहीं है। सीमेंट और रेती का मिश्रण सही नहीं है।

सभापति महोदय, जो परिस्थितियां नगरपालिकाओं की बन रही हैं, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा कि जिस प्रकार से यूआईडीपी द्वारा सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, एक भी नगरपालिका में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। पहले सीवरेज लाइनें डाली गईं। उसके बाद चैम्बर बनाने के लिए दुबारा खोदा गया। उसके बाद पाइप लाइन के लीकेज निकालने के लिए दुबारा डाला गया। पाइप लाइन मात्र 8 इंच की है। जहां 2 लाख की आबादी हो, उस शहर में 8 इंच की पाइप लाइन डाली जाएगी तो कितने दिन वह चल पाएगी। यह बड़ा ही विचारणीय मुद्दा है। इसके बारे में आपको देखना चाहिए।

(श्री रामनारायण मीना)

सभापति महोदय, माननीय विधायक कालीचरण जी अभी चले गए। इन्होंने जयपुर के प्राण प्रतिष्ठा की बात की। यह सही है, इसकी बसावट के टाइम पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन उसी शहर में 100 से ज्यादा मूर्तियों को जिस कदर तोड़ा गया, गंदे नाले में डाला गया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, यह भी धर्म के नाम पर हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है।

सभापति महोदय, अभी बातें हो रही थीं, आपने भी फर्माया नंदी के बारे में। जिस तरह से गायों के बारे में बात हो रही है। किसी भी नगरपालिका में जो गौशालाएं हैं, उनकी देखरेख नहीं हो रही है। जिस प्रकार से गौ शालाओं का मैनेजमेंट है, इसको सुदृढ़ किया जाना भी बहुत जरूरी है। जहां-जहां भी नगर परिषद् और नगर निगम गौ शालाएं चला रहे हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय, एक कांट्रेक्ट लेबर के बारे में भी बात हो रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। हालात खराब हैं। कांट्रेक्ट लेबर में भी ग्रेजुएट लड़के जिस प्रकार से आ रहे हैं, उनको ढाई हजार रुपया महीना, 3 हजार रुपया महीना जिस तरह से ठेकेदार दे रहा है, 100 रुपये रोज के हिसाब से, यह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। चूंकि हमें एम्प्लायमेंट देना है पढ़े-लिखे लोगों को तो इनकी भर्ती के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने की जो बात हो रही है, इसको कोई भी ठीक नहीं मान सकता है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि ठेकेदारों के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसमें गरीबों का, लेबर का जो शोषण हो रहा है, वह किसी भी तरह से उचित नहीं है।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं का गठन भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। छोटी नगरपालिकाएं और जहां बड़ी पंचायतें हैं, उनको नहीं लिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में सुल्तानपुर एक विकसित कस्बा है। वहां 16 हजार मतदाता हैं। वहां की आबादी निश्चित तौर पर 20-25 हजार के करीब है। सुल्तानपुर जो कोटा में है, उस नगरपालिका का गठन किया जाए तो उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। सुल्तानपुर का विकास हो सकेगा। आसपास के गांव वालों को आने-जाने में नगरपालिका की सुविधा मिल सकेगी।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि नियोजित विकास की बात की जा रही है। पहले मास्टर प्लान बना करते थे। अब प्लान

(श्री रामनारायण मीना)

नहीं बनाए जा रहे हैं। कालोनी को निजी व्यवसायियों द्वारा पट्टे काटकर के, फर्जी ढंग से पट्टे देकर के जब उसका विस्तार हो जाता है तो उसके बाद उसके नियमन की बात की जाती है। वहां न सड़कें ठीक हैं, न सड़क की चौड़ाई ठीक है। वहां न सीवरेज लाइन है, वहां न पाइप लाइन है। यह जो नियोजित विकास की बात हो रही है, वह पहले होनी चाहिए।

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने की 3-4 दिन बातें होती हैं। उसके बाद अतिक्रमणों की अनदेखी की जाती है। एक भी छोटी नगरपालिका नहीं है जहां नियोजित विकास की बात हो रही हो। उससे नगरपालिका की आय में भी इजाफा नहीं हो पा रहा है। इससे कब्जा करने वाले, अतिक्रमणकारियों को फायदा हो रहा है।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से नियोजन में जन प्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, यह ठीक नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि अफसरशाही हावी हो रही है। उसके कारण से जो काम होना चाहिए, वह ठीक नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा हमने कच्ची बस्तियों, वाल्मीकि बस्तियों के बारे में बात की। गंदी बस्तियों का सुधार होना चाहिए। वह छोटी नगरपालिकाओं में दिख नहीं पा रहा है। आप किसी भी नगरपालिका में जाकर के देख लीजिए। सीकर की बात अलग है, जहां चौड़ी सड़कें हैं। कोटा की बात अलग है, जहां से स्वायत्त शासन मंत्री जी आते हैं लेकिन बीकानेर की गलियों में भी सुधार होना चाहिए। वहां भी विकास होना चाहिए। छोटी नगरपालिकाओं की हालत तो उससे भी खराब है। काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। यह राजनैतिक दबाव के आधार पर मानिए या अफसरशाही मानिए, यह सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है।

सभापति महोदय, आप देखिए कि मेरे यहां नगरपालिका भवन बना हुआ है। गंदी बस्तियों में भी दिक्कत है। शौच आदि जाने के लिए जो बनाए गए हैं, वहां न तो पानी का इंतजाम है और न ही ठीक ढंग से सीवरेज लाइनें हैं। उनकी देखरेख की भी माकूल व्यवस्था नहीं है। यह सारी बातें जब तक नहीं होंगी, तब तक हम इसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहूंगा कि जो भी स्थिति है प्रदेश की, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले प्लान बनाए जा रहे थे, पिछली सरकार के द्वारा उसमें ढील दी गई। जिस तरह से गूगल के माध्यम

(श्री रामनारायण मीना)

से नक़्शे बनाए जा रहे हैं, इससे नगरपालिकाओं की स्थिति ठीक नहीं है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी अर्ज करें, आप भी कैबिनेट में हैं। सुल्तानपुर जैसी पंचायत को नगरपालिका बनाया जाए और उसका नियोजित विकास किया जाए। यही मुझे कहना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद। आभार।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, अनुदान की मांग 29 पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की चर्चा में मैं सबसे पहले मेरे दूसरे विधायक साथी, डूंगरगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइनें डालकर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज प्लांट लगवाने की मांग करता हूं। मैं डूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार की भी मांग करता हूं। मैं डूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में इंदिरा गांधी कैनाल से पीने के मीठे पानी की व्यवस्था की मांग करता हूं। साथ ही मैं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ प्यालीनुमा शहर है जिसमें पेयजल की भी दिक्कत इसी वजह से रहती है और पानी निकासी की व्यवस्था भी इसी वजह से खराब रहती है। इसको आप सुधारने का काम करें।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ और भादरा समेत जोनल प्लान के नाम पर करोड़ों रुपयों के घोटाले गत दिनों हुए थे। वहां की नगरपालिका के ईओ सस्पैंड हुए थे। उन समेत कई नगरपालिकाओं के ईओ को सस्पैंड किया गया था। डूंगरगढ़ की स्थिति अलग है। हमारे यहां जो नगरपालिका का ईओ सस्पैंड हुआ, उसको दूसरी जगह लगाया गया। वह कोर्ट से बहाल हुआ लेकिन डूंगरगढ़ में जो सबसे बड़ा घोटाला था, साढ़े 3 करोड़ का, वह ईओ आज भी वहीं है। वहां की जनता का अपमान भी करता है। मेरी सरकार से इल्तिजा है कि जिस पर इतने बड़े घोटाले का आरोप हो और सरकार की ढीली कार्यवाही की वजह से उनको कोर्ट से स्टे मिल गया। वह फिर वहीं बैठकर के जनता के शोषण का काम करते हैं। आप इस पर तुरंत कार्यवाही करने का काम करें।

सभापति महोदय, मेरी भादरा विधान सभा क्षेत्र में पिछले ढाई साल से सीवरेज निर्माण की बात चल रही है, लेकिन अभी तक उसके काम में तेजी

(श्री बलवान पूनियां)

नहीं है। सारे साथियों की राय आ रही है कि लेट लतीफी हर जगह चल रही है, 8 इंच का एक पाइप डाला जा रहा है, जो 5 साल बाद में किसी काम का नहीं बचेगा। करोड़ों रुपये यों ही खराब कर दिए गए। वह काम में नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि तुरंत उस सीवरेज के काम को कमप्लीट करवाया जाए।

सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र में मेरे यहां भी जोनल प्लान के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इसमें सिर्फ ईओ ही नहीं, और लोग भी जिम्मेदार थे। जन प्रतिनिधि भी जिम्मेदार थे। मैं कहता हूं कि उन सब लोगों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही हो। विधान सभा क्षेत्र के सी 65 के रेलवे फाटक का अंडर ब्रिज बनाने की मांग बार-बार उठती रही है जो जनता के लिए बेहद जरूरी है। हमारे वहां श्मशान भूमि और कब्रिस्तान आमने -सामने है जिसकी वजह से लोगों की अर्थियां और जनाजे रुक जाते हैं इसलिए अंडर ब्रिज बनाने की मांग मैं फिर आज सदन में दोहराता हूं। समुचित पानी निकासी की भी मेरे शहर में दिक्कत है, उसका समाधान किया जाए। भादरा क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था की मांग भी मैं करता हूं। ये सारी मांगें चलती रहेंगी, रूटीन की मांग है सारे लोग करते हैं।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, नगर आयोजना की बात और विकास की बात है तो मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण इश्यू और महत्वपूर्ण मुद्दे पर इंगित करना चाहूंगा। आज सदन में कार्यवाही चल रही थी, एक चर्चा आई कि धर्मांतरण हो रहा है। मैं बड़े भारी दु:ख के साथ कह रहा हूं, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में आज इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए जिस तरीके की माननीय सभापति महोदय, आप सीकर के विधायक के तौर पर बोल रहे थे और आप यह कह रहे थे कि हमें अफसोस होगा कि जिस दिन हम यहां मैम्बर नहीं बचेंगे, एक साधारण लोगों की तरह हो जाएंगे तब हमें अफसोस होगा कि हमने हमारे जमाने में क्या किया? आज यह बीज बो कौन रहा है, यह फसल कौन उगा रहा है, इस फसल को कौन काट रहा है?

माननीय सभापति महोदय, आज जब इस मुद्दे पर चर्चा करनी थी नगर आयोजना की, मैं सो नहीं पाया रात को, मैं चाहता हूं आज कौनसे नगरों की बात कर रहे हो, आपके उन नगरों से अच्छे तो हमारे वो गांव हैं जहां

(श्री बलवान पूनियां)

आज भी लोग प्यार-प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, वहां आज भी लोग एकजुटता के साथ रहना पसंद करते हैं, प्यार-प्रेम से रहते हैं। मैं उन नगरों की आलोचना करना चाहता हूं जहां लोग बड़ी-बड़ी मंजिलों के बीच रहते हैं, उन सड़कों पर हिन्दू-मुसलमान के नाम पर कत्ल कर देते हैं। जहां सिख और ईसाई के नाम पर जनता को बांटने का काम करते हैं। राजस्थान प्रदेश जैसा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा भाईचारे की बातें, सबसे ज्यादा त्यौहार, रीति-रिवाज है, वहां पर जानवर के नाम पर शहर अति संवेदनशील इसलिए हो जाते हैं, साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। यह दंगों के बीज कौन बोते हैं? आज चर्चा कर रहे थे नन्दी की, 1998 में जिस दिन नागौर का मेला बंद हुआ था, उस दिन यह गाय माता आवारा हुई थी, उसके बच्चे आवारा हुए थे। उन बच्चों के नाम पर गले में भगवा पट्टा डालकर जो लोग धंधा कर रहे हैं, मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूं। मैंने देखा है, मैंने पकड़वाया है उन लोगों को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है जो ट्रक रोककर यह कहते थे कि गौवंश ले जा रहे हैं। वे हरियाणा में जाकर उन गौवंश वालों से पैसे ले लिया करते थे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम गाय को गौमाता मानते हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज मुझे बोलने दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। (व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान) आप विराजिए। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

मेरा सभी से आग्रह है, उत्तेजना पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भी माननीय सदस्य, कोई उत्तेजना नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं की, पहले भी सदन में काफी उत्तेजना रह चुकी है, कोई उत्तेजना नहीं हो। आप बिलकुल कंफाइन करें। सीधे-सीधे चर्चा करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं डिफाइन करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा नौजवानों के कत्ल हुए, मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में हुए, 32 नौजवान आवारा पशुओं से टकरा कर मर गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज होम डिपार्टमेंट की कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा इसके लिए। सीधे-सीधे चर्चा करें नगर आयोजना पर। इस विषय पर चर्चा करनी है तो आप किसी दूसरे माध्यम से आइए। माननीय अध्यक्ष महोदय को आप लिखकर दीजिए ताकि उस पर चर्चा हो। मैं अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, सीमित रखें। प्लीज माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, सहयोग करूंगा तो आप मुझे आगे बोलने देंगे? ट्रैक मुझे बताओ न? माननीय सभापति महोदय, आप इसलिए दबाव में आ रहे हैं, इस देश में चर्चाएं होती हैं, इस प्रदेश में चर्चाएं होती हैं।

श्री सभापति: मैं किसी दबाव में नहीं हूं माननीय सदस्य। मैं चाहता हूं कि यह सदन शांतिपूर्वक चले। माननीय सदस्य, सहयोग करें। एक मिनट विराजिए आप।

सदन में सारगर्भित चर्चा हो रही है। आप भी समझते हैं, जिस क्षेत्र से मैं भी आता हूं, कचरे के ढेर लगे रहते हैं तब हमको पीड़ा होती है, लेकिन कचरे का निस्तारण कैसे होगा, इस पर हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जगह-जगह बरसात का पानी भर जाता है, आप और हम सब परेशान होते हैं लेकिन उसका निस्तारण कैसे होगा, उस पर आप और हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। वही बात आज केवल और केवल इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इनका समाधान कैसे हो। हर माननीय विधायक इस बात से परेशान है, हमको इस बात पर चर्चा करनी है, आप भी सहयोग करें, मैं भी यह चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय भी यह चाहते हैं, सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, हमारे सदस्य उस पर प्रकाश डालें। कृपया सहयोग करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। कचरे के ढेर के चर्चे की बात करते हैं। जब सफाई व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरे तरीके से उन चीजों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, वह चीजें पीछे छूट जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, समाज में जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है, मैं चाहता हूं कि वह जहर बंद किया जाए, मैं यह बात भी चाहता हूं कि साम्प्रदायिक एकजुटता की सद्भावना की बात आगे बढ़े, प्रदेश का तभी विकास होगा। विकास के मुद्दे तभी आगे बढ़ेंगे, सफाई की व्यवस्थाएं तभी

(श्री बलवान पूनियां)

आगे बढ़ेंगी, अच्छा सांस लेने की लोगों को तभी आदत पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई उत्तेजना पैदा नहीं करना चाहता। मैं यह बात चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रदेश में माहौल है, जिस माहौल की प्रदेश की जनता और नौजवानों की स्थिति बनी है, आप और हम सब लोग इसको बदलने का काम करेंगे। मैं यही तो चाहता हूं कि तेजी से हमारे यहां मुद्दा आधारित राजनीति आगे बढ़े, तेजी से हमारे यहां जनता के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात आगे बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ इंगित करना चाहता था क्योंकि आज मुद्दा सिर्फ नगर आयोजना का नहीं, आज प्रादेशिक विकास का मुद्दा भी प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज के साथ यह फोन भी है। सोशल मीडिया इसमें चलता है, आप देखेंगे, फोन खोलेंगे नहीं कि उससे पहले ही लोग इसमें जहर उगलना प्रारम्भ कर देते हैं। इन चीजों पर हमें प्रदेश के विकास की चर्चा के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे से बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग इस सदन में बैठे हैं जो इन चीजों पर बहुत बार चर्चा भी करते हैं लेकिन जो वातावरण बना हुआ है वह वातावरण अच्छा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरे किस रास्ते से आऊं, रास्ते तो चारों तरफ से फोन खोलते ही बंद हो जाते हैं। आज जब मैं सदन में घुस रहा था तो आज यह पूछा गया मीडिया के द्वारा कि धर्मांतरण पर आप बोलिए। मैं तो इस कम्पनी पर बोलना चाहता हूं बीवीजी कम्पनी पर जो भ्रष्टाचार कर गई। ये तो कह रहे हैं कि ये लेकर आए और ये कह रहे हैं कि ये लेकर आए। मैंने उनको भी कहा, मैं किस धर्मांतरण पर बोलूं? मैं तो बीवीजी कम्पनी पर बोलूंगा जो डेढ़ रुपया किलो कचरा उठाने का ले रही थी लेकिन कचरा उसने उठाया नहीं। मैं तो बोलूंगा जोनल प्लान पर, जो जोनल प्लान के नाम पर करोड़ों रुपये ले गए। मैं बोलूंगा अडाणी और अम्बानी पर जो हमारे खून-पसीने की कमाई को लूट रहे हैं। मैं बोलूंगा बिजली की उन कम्पनियों पर, जो हमें लूट रही हैं, शहर के उपभोक्ताओं को लूट रही हैं, गांव के उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। मैं प्रदेश विकास की बात में इस बात को कैसे शामिल नहीं करूं? मैं कैसे शामिल नहीं करूंगा हमारी एकजुटता की बात को, हमारे भाईचारे की बात को, मैं कैसे शामिल नहीं करूंगा लोगों की एकजुटता को। मैं उस इलाके से आता हूं जिस इलाके में गोगामेड़ी का मेला लगता है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है। साम्प्रदायिक दंगे की रणनीति बनाई गई। माननीय

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, हमने बचाया है, हमने 17 घंटे लगातार जान पर खेलते हुए उस दंगे को कैसे नाकाम किया है। मैं कैसे जिक्र न करूं कि एक मस्जिद के अंदर गलत नारे लिखने का प्रयोग किया और दूसरे ने किसी मंदिर पर। हमने बैठकर सुलझाया है, प्रदेश के अखबारों में इस बात को नहीं छपने दिया, मैं कैसे जिक्र नहीं करूं इस सदन में। मुझे जिक्र करना पड़ेगा, मैं भी इस प्रदेश में रहता हूं, मैं भी इस प्रदेश की जनता द्वारा जिता कर आया हुआ हूं। मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि हमें इस रास्ते से आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाला वक्त हमसे जवाब मांगेगा, यह जवाब मांगेगा कि मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में 49 गांव और 7 पंचायत परिसीमन में हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां गौशाला 95 पंचायतों में है, 95 पंचायतों में गौशाला बनी हुई है। सबसे बढ़िया, सबसे जोरदार लेकिन जिन शहरों पर हम नाज करते हैं, सबमें आवारा पशु इतने हैं, इतने आवारा पशु जिनके नाम पर लोग खड़े होकर नाच रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों में उनके घर के पास आवारा पशु खड़े रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी जवानी के दिनों में एक गाय, गाय की बछिया गांव में आवारा घूम रही थी, मैंने घर में लाकर बांध कर उसका दूध पीया है। क्या बात कर रहे हो? मैंने किसान आंदोलन लड़ा, फिर बीजेपी की सरकार थी, मुझे जेल में ठोक दिया, वह गाय दुबारा ब्याई नहीं, घर वालों ने गौशाला में छोड़ दिया, मुझे बड़ा भारी दुःख हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक-एक चीज को भुगता है। मैं चाहता हूं, और लोग न भुगतें इसलिए शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा आवारा पशु हैं, इनके निस्तारण के लिए सबसे पहले पशु मेले शुरू करवाओ, उसके बाद इनका बधियाकरण करो। नम्बर तीन बात जो आपने कही थी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि गाय बछिया ही बछिया पैदा करे, यह व्यवस्था हो क्योंकि हम गांव और शहर को अलग-अलग नहीं देख सकते। आज गांव से निकलकर लोग शहर में आना चाहते हैं लेकिन शहरों की स्थितियां ठीक नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक जिक्र चलता है ऐसा, जब बात चलती है पार्टियों की तो कहते हैं कि आरएसएस को कांग्रेस ने पाला और आरएसएस-बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पक्षधर है। यह देश

(श्री बलवान पूनियां)

धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यद्दा, सबसे ज्यादा आरएसएस को कांग्रेस ने पाला है क्योंकि उसने हमेशा ही धर्मनिरपेक्षता की बात की है लेकिन आज जो प्रदेश में, देश में स्थिति है, इसे हमें समझना होगा और हमारी एकजुटता को कायम रखना होगा।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। माननीय सदस्य, बोलते समय अपने गले का भी ध्यान रखें। मैंने पहले भी आपसे कहा था।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति जी, मैं इनके गले का इलाज लाया हूं साथ में।

श्री सभापति: डा. रघु शर्मा से कह दूंगा, वे इनका गला दिखवा देंगे। आप अपनी बात कहिए सीधे-सीधे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह कंठ सुधारक वटी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप गला दिखवा जरूर सकते हैं, लेकिन गला पकड़ने नहीं देंगे हम।

श्री सभापति: मैं पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, गला दिखवाने की बात कर रहा हूं डा रघु शर्मा से। मैं अपेक्षा करूंगा कि वे आज ही आपका गला देखें। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइए। कोई आपके लिये अलग से लिबर्टी नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सर, संख्या में इधर के लोग ज्यादा हैं तो इन्होंने मीठी-मीठी बातें ज्यादा कीं।

श्री सभापति: मैं इधर जब घंटी बजाऊंगा तो फिर कहीं की बात नहीं रहेगी, सीधे-सीधे कहिए आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): हमारे बलवान जी और बलजीत जी आजकल इधर ही मिले हुए हैं तो ये भी मीठी-मीठी बातें ज्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं सरकार को शुगर न हो जाए। मैं तो नीम की सी ही बात करूंगा जो इन्हें कड़वी तो लगेगी, पर इनके लिये गुणकारी जरूर है।

सभापति महोदय, आज शहरों की जो स्थिति है, आज के दिन 38 प्रतिशत आबादी जयपुर सहित पूरे राजस्थान के शहरों में रह रही है। यदि मैं इनकी ग्रोथ रेट की बात करूं तो 2025 तक यह 53 प्रतिशत आबादी शहरों में आ जाएगी। सभापति महोदय, हमारे शहरों की ग्रोथ रेट 23.12 परसेंट है,

(श्री अशोक लाहोटी)

जबकि गांवों की जो ग्रोथ रेट है, वह 12 परसेंट है। यदि हम इस बजट में देखें, पूरे गवर्नमेंट सैक्टर की अगर बात करें तो चाहे गवर्नमेंट हमारी रही हो, आपकी गवर्नमेंट ने कभी शहरों और शहरों की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया।

जिस प्रकार से शहरों की दयनीय स्थिति है, आज यदि हमारे पूरे संभाग मुख्यालयों सहित बात करूं तो छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में आप देखेंगे मंत्री जी, आपको तो शहरों के काम का बहुत लम्बा अनुभव है, राजस्थान में हम गौरवान्वित हैं कि आप से ज्यादा शहरों का अनुभव किसी को नहीं है और आज आप मंत्री हैं। आज चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, नालियों और सीवरेज के तो दर्शन ही नहीं हैं, चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं, जगह-जगह पानी भरा पड़ा है और कीचड़ फैल रहा है, बंदर, कुत्ते, सूअर और आवारा पशु, इनकी कोई गिनती नहीं है। यदि मैं खेल के मैदान और गार्डन की बात करूं, पार्किंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत ही इक्कीसवीं सदी की बात हो जाएगी। यातायात जाम और प्रदूषण की भी अभी यहां बात हुई।

सभापति जी, जो विषय आपने उठाया, मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह गम्भीर चर्चा है, छोटी-मोटी नगरपालिकाएं आपके यहां भी हैं, आपस में बात न करके थोड़ा इधर भी ध्यान दे दें। यह जिस प्रकार का डवलपमेंट शहरों में हो रहा है,...

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति जी, जो मुद्दा आपने उठाया कि नॉन-प्लान डवलपमेंट, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नॉन-प्लान डवलपमेंट के कारण, डवलपमेंट अथोरिटी नहीं होने के कारण और सिंगल रेस्पांसिबिलिटी नहीं होने के कारण इन शहरों में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं।

सभापति जी, आपको आश्चर्य होगा, जो आपने विषय उठाया था, मैं केवल जयपुर का ही बताऊं तो मंत्री जी, आप ये फीगर लिख लें। पिछले दस साल में जयपुर में 28 हजार करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। उसके बाद आप और हम सब भी जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर में जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जेडीए, नगर निगम, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, सार्वजनिक

(श्री अशोक लाहोटी)

निर्माण विभाग, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मैट्रो, रूडसिको, सिस्को, हाउसिंग बोर्ड, केबल और डिजिटल नेटवर्क, आवास विकास और रीको। ये पंद्रह एजेंसियां तो मुझे याद थीं जो मैंने आपको गिनायी हैं, और भी बहुत सारी होंगी। सभापति जी, जब तक इन एजेंसियों को हम एक जगह नहीं करेंगे, बहुत सारे उदाहरण आपने भी दिये, एक सी-स्कीम में, अभी थोड़े दिन पहले आपने अख़बार में पढ़ा जब मैं मेयर था कि एक ड्रेनेज टूटी और साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च हुए। जब उसकी पड़ताल की गयी तो यह पता चला कि यह ड्रेनेज तो जेडीए ने डाली, रोड बनायी नगर निगम ने और वहां पर एक बीएसएनएल ने कोई केबल डालने का काम किया और वहां से होल रहने के कारण पानी उसमें चला गया और साढ़े तीन करोड़ का वह सुराख पड़ा।

इस तरह का नॉन-प्लान डवलपमेंट हम करते हैं। पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन वह ओवरलैपिंग में जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज मंत्री महोदय जो विराजे हुए हैं, इसकी कोई एक सिंगल अथोरिटी बनाने का काम अगर आप कर दें तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा काम होगा कि हम शहरों के डवलपमेंट के लिये एक साल भर का प्लान एप्रूव कर दें।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यहां कालोनी तो छोड़ें, गलियां भी बांटी हुई हैं कि कौनसी गली निगम में है और कौन-सी जेडीए में है। सभापति महोदय, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। 2008 से 2013 में आपकी सरकार रही, आपने पूरे पांच साल में बजट दिया शहरों के लिये 13262 करोड़ रुपये और 2013 से 2018 में जब हमारी सरकार रही तो हमने शहरों के लिये पांच साल का बजट दिया 30440 करोड़ रुपये।

सभापति महोदय, यही नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो आपको यह होगा, इस बार के बजट में तो कमाल ही हो गया। इस बार का जो आपने इतना बड़ा बजट दे दिया कि पिछले साल के 7243 करोड़ के बजट को आपने 11 प्रतिशत कम करके 6423 करोड़ का बजट दिया है। हम तो सोच रहे थे कि धारीवाल साहब, आप तो ओम शांती के किस्से सुनते थे कि अबकी बार तो शहरों का पूरा विकास हो जाएगा, यह तो आपने 11 परसेंट कम कर दिया और इसमें भी आपको कैपिटल तो मात्र 1155 करोड़ रुपये मिली है। हम शहरों

(श्री अशोक लाहोटी)

पर दिन भर विकास की चर्चा भी करेंगे, केवल 1155 करोड़ रुपये। यह है हमारे शहरों का हाल। यदि इसे अनुपात की दृष्टि से देखें तो यह 2 लाख 33 करोड़ के विशाल बजट में 38 प्रतिशत जनसंख्या का जो बजट है, वह 85 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए था और आपने दिया है मात्र 6 हजार 423 करोड़ रुपये, जो है केवल 2.75 percent of the total budget. यह हमारे शहरों का हाल है।

हम बात करते हैं कि शहर कचरे में सड़ रहे हैं। शहरों का हम विकास करने की बात कर रहे हैं। हम शहरों के डवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बाकी बातें तो बाद में करके मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात जरूर रखना चाहूंगा। मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सैकड़ों कालोनियां हैं जो सोसाइटी के पट्टे पर कट गयीं। ऐसी हजारों कालोनियां हैं, आपके कोटा में भी हैं। जब लोग इनमें जाते हैं तो यूआईटी और जेडीए कहते हैं कि ये एप्रूव्ड नहीं हैं और जब निगम में जाते हैं तो वे कहते हैं, हम काम नहीं करेंगे। आखिर ये लोग कहां जाएं, किसके पास जाएं और सबसे बड़ी बात इन्हें अवैध कालोनियां बताते हैं, मैं यह कहूंगा कि ये अवैध नहीं, सैल्फ मेड कालोनीज हैं। ये लोग वहां पर रहने लग गये हैं। लाखों लोग वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास पीने को पानी नहीं है, चलने को सड़क नहीं है। मंत्री महोदय, इसके लिये एक डैडिकेटेड प्लान बनाकर कोई स्पेशल योजना बनायी जाए। ऐसे कई निर्णय आपका मंत्रिमंडल कर चुका है कि जहां पर आबादी बस गयी, उसे क्षेत्राधिकार में नहीं बांटकर पहले मूलभूत आवश्यकताएं दी जाएं।

मंत्री महोदय, यही नहीं, मैं आपसे यह कहूंगा कि इनमें सीवरेज पानी और जो छोटे-छोटे हर्डल्स हैं, उन्हें दूर करें। सैक्टर रोड्स की जो बात की जाती है, आपने भी जोनल प्लान, मास्टर प्लान, सैक्टर रोड, सब बातें कीं। मंत्री महोदय, आप इतने सालों से खुद देख रहे हैं, आपने भी कई बार दौरे किये हैं जयपुर में, मुझे अच्छी तरह ध्यान है आपके वे बस के दौरे और हैलमेट लगाकर जो आप दौरे करते हैं, तो उसका जरूर कुछ परिणाम निकलता है, शायद आज भी कुछ निकलेगा।

मंत्री महोदय, आपने कहा कि सैक्टर रोड्स आप डवलप कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा पृथ्वीराज नगर की तरफ। आपने पचासों सैक्टर

(श्री अशोक लाहोटी)

रोड दिये, लेकिन या तो वे आधी-अधूरी पड़ी हैं या पूरी नहीं हो पायीं या सैक्टर रोड्स का काम अधूरा पड़ा है और केवल न्यायालय अंतिम रास्ता दिखायी देता है। कई जगह जब कोर्ट में जाते हैं कि इनके साथ इनकी उचित सुनवाई करके फिर इसमें निर्णय करें, केवल सुनवाई के चक्कर में पिछले पंद्रह -पंद्रह साल से वे सैक्टर रोड्स नहीं बनी हैं।

मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार जयपुर शहर के बीचों-बीच में सिविल लाइंस और टोंक फाटक कच्ची बस्तियां बन गयीं, उस तरीके से जयपुर के सराउंडिंग में चारों तरफ का एरिया कच्ची बस्तियों में डवलप हो जाएगा। सबसे पहले इन सैक्टर रोड्स को बनाकर इस एरिया को रोका जाए, वर्ना 40 परसेंट हम डवलपमेंट की जो चीजें सोचते हैं, वह कभी नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं यातायात की समस्या पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज जयपुर में सबसे बड़ी यातायात समस्या अगर कहीं है तो टोंक रोड से लेकर चौरड़िया पैट्रोल पंप और चौरड़िया पैट्रोल पंप से लेकर डिग्गी मालपुरा रोड पर जो सवाईमाधोपुर पुलिया पर है। यह मुद्दा संसद में भी उठा। उस पुलिया को चौड़ा करने के लिये तो आप केन्द्र सरकार को लिखें। वहां पर एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए, मैं आपको कह रहा हूं वहां पर एलिवेटेड रोड बनाएं ताकि ये दो लाख से ज्यादा लोग जो प्रतिदिन आवागमन करते हैं, वह स्टेट हाईवे भी है भीलवाड़ा का, उससे लोग बच सकें और वहां लोगों को जो आने-जाने में तकलीफ हो रही है उससे हम बच सकें। इतना ही नहीं, यदि हम इसका इमिजिएट इफैक्ट सोचें तो आपकी केवल एक सैक्टर रोड है जो रीको, मानसरोवर से लेकर डिग्गी मालपुरा रोड तक निकलती है। उसका अधूरा कार्य भी यदि आप पूरा करवा दें तो भी इसका 60 परसेंट ट्रैफिक यहां से डाइवर्ट हो जाएगा और इस बहुत बड़े यातायात के जाम से आम जीवन में लोगों को फायदा मिलेगा और इससे हम बचेंगे। होम मिनिस्टर भी हम तो आपको ही मानते हैं इसलिए इमिजिएट आप इतना भी करवा दें, यदि वहां तिराहे और चौराहों पर ट्रैफिक के सिपाही भी खड़े कर दें तो भी कुछ सुगम यातायात की व्यवस्था बन जाएगी जिससे इस यातायात को ठीक करके वहां लोगों को हम बचा पाएंगे।

इसी प्रकार, मंत्री महोदय, गोपालपुरा बाईपास, यह तो शुद्ध रूप से आपकी देन है। आपकी इसलिए भी देन है कि वहां आपके कोटा के सारे

(श्री अशोक लाहोटी)

कोचिंग सेंटर उसी पर आ गये, 50 हजार स्टूडेंट्स पर-डे पढ़ने आते हैं, 12 लेन की रोड है, जयपुर शहर की सबसे चौड़ी रोड है, रिंग रोड जितनी चौड़ी है लेकिन पूरा ट्रैफिक जाम रहता है और वहां पर यातायात के दो सिपाही तक नहीं खड़े हैं। केवल दो चौराहों पर आप 2-2 सिपाही खड़े कर देंगे तो मैं समझता हूं कि यह जयपुर पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यह तो कोटा की दी हुई समस्या है मंत्री महोदय।

मंत्री महोदय, इतना ही नहीं, यदि बात करूं मैट्रो फर्स्ट फेज की, तो मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार में अधिकारियों ने एक खासाकोठी बनाया था वह 38 करोड़ का ब्लंडर था, मैं स्वीकार कर रहा हूं लेकिन आपकी सरकार ने तो दो हजार का ब्लंडर किया है यह मैट्रो का फर्स्ट फेज बनाकर। इस फर्स्ट फेज का रूट ठीक कर लेते, आप इस फर्स्ट फेज में टोंक रोड लेते, एसएमएस हास्पिटल लेते, यूनिवर्सिटी लेते तो शायद यह मैट्रो लोगों के काम आती। आज आपने जितना एक्सपोजर दिया था, आप मैट्रो की शीट निकलवा लें, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि मैट्रो को बनाते समय आपने जितना रेवेन्यू सोचा था उसका एक प्रतिशत आप अचीव कर रहे हैं, एक परसेंट। यदि इसी मैट्रो को आप आगे सांगानेर कस्बे को जोड़ते हुए, टोंक रोड प्रताप नगर तक ले जाएं तो 7 लाख से ज्यादा की आबादी को फायदा मिलेगा और इधर से इसको आप कानोता तक या बस्सी तक बढ़ा दें तो मैं सोचता हूं कि यह फर्स्ट फेज आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगा और यह फर्स्ट फेज हमारे कुछ काम आ पायेगा। इसको यदि साढ़े तीन किलोमीटर आप बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा। चौमूं सैकण्ड फेज में आएगा, फर्स्ट फेज में नहीं आएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे नवलगढ़ से आने वाले बड़े भाई कल-परसों कह रहे थे कि गुरुजी ने झाड़ू उठाने के लिए कहा और यह कहा। अभी वे सदन में बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस झाड़ू की बात महात्मा गांधी जी ने की और महात्मा गांधी जी के नाम का उपयोग तो देश में कई लोगों ने किया, पर महात्मा गांधी जी को आत्मसात करने का काम, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम लाल किले की प्राचीर से पहली बार इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। सभापति महोदय, यह झाड़ू स्वाभिमान बना, यह झाड़ू आत्म सम्मान बना और इस देश की सवा सौ करोड़ जनसंख्या आज झाड़ू के साथ फोटो

(श्री अशोक लाहोटी)

खिंचवाकर सोशल मीडिया में लगाने में अपने आपका आत्म गौरव और आत्म सम्मान समझने लगी। यह दिन यदि किसी ने देखने को दिया, हमारे उस सफाई कर्मचारी को यह सम्मान दिया, उस वाल्मीकि समाज को यह सम्मान दिया तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिया। सभापति महोदय, केवल यहां बात करने का काम नहीं था, उन्होंने पूरे देश में, कई सालों से हमने बात की, दस करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम पहली बार आजादी के बाद हुआ तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। राजस्थान प्रदेश में भी 80 लाख से ज्यादा शौचालय बने। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, पहली बार राजस्थान की सारी नगरपालिकाएं केवल ओडीएफ घोषित नहीं हुईं, आप कह रहे हो कि फोटो खिंचवाने की बात हुई तो इसका मतलब आपकी नगरपालिका जहां पर है वहां के लोग असत्य बोलते हैं, आपकी नगरपालिकाओं ने ओडीएफ घोषित किया है और ओडीएफ घोषित ही नहीं किया, दूसरी बार क्यूसीआई ने उसको सर्टिफाई भी किया है, इसका मतलब राजस्थान के शहर खुले में शौचमुक्त हुए हैं। यह इस देश के लिए ही नहीं, राजस्थान के लिए सबसे बड़े स्वाभिमान की बात है।

सभापति महोदय, यदि हम बात करें तो हाउसिंग बोर्ड की भी यहां पर चर्चा आई थी, पृथ्वीराज नगर की आई थी। मंत्री महोदय, आपके समय में भी आपने पृथ्वीराज नगर में काफी रिलीफ दी थी। 2018 के बाद अभी तक कोई शिविर नहीं लगा है, 40 प्रतिशत कालोनियों में तो अभी तक कैम्प नहीं लगे हैं और कैम्प लगाने के लिए वहां क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जतन करने पड़ रहे हैं यह भी आप थोड़ा पता करवा लें, मंत्री जी, तो मेहरबानी होगी। आपने लिखा है कि एक ही पट्टा.... राजकुमार जी, आप तो अकेले में बाद में मिल लेना, अभी तो हमें टाइम लेने दो, आपकी तो अभी सरकार है। मंत्री महोदय, आपने कहा कि पृथ्वीराज नगर में एक परिवार को एक ही पट्टा दिया जाएगा, यह कौनसा न्याय है मंत्री महोदय? एक परिवार में कई वयस्क हैं, सबको अपना-अपना पट्टा लेने का अधिकार है। एक पट्टा लेने के बाद में दूसरा पट्टा लेते हैं तो आप 150 प्रतिशत राशि वसूल करते हैं। कम से कम इतनी मेहरबानी करो कि उनको एक पट्टे के साथ-साथ आप दूसरा पट्टा भी लेने दो, जितने वयस्क हैं उतने पट्टे लेने दो। इसी प्रकार वहां पर जो कैम्प लगे हैं वहां कैम्प लग गये पर आठ महीने से पट्टे नहीं दिये। उनकी मूल राशि से ज्यादा ब्याज हो गया है, गरीब लोग रहते हैं, उनकी ब्याज की राशि में

(श्री अशोक लाहोटी)

रियायत दी जाए। सभापति महोदय, वहां तो कई-कई बीघा के लोगों के खेत हैं, उनको आपने ले लिया तो उनको दो हजार का तो कम से कम पट्टा दें जो पहले नियम था। उसको अधिकारियों ने एक हजार कर दिया, उसको दो हजार कर दें।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें। माननीय सदस्य, दो मिनट में बात समाप्त करें अब।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बिलकुल दो मिनट में ही कर रहा हूं सभापति महोदय, आपने कह दिया। मैं तो आपका ही आज्ञाकारी हूं।

इसके साथ-साथ आपने हाउसिंग बोर्ड की बात की। हाउसिंग बोर्ड में अभी 10 से 50 प्रतिशत छूट देने की मुख्य मंत्री जी ने बात की, हमने तालियां बजाकर स्वागत भी किया, पर उस आदेश के तीन ही दिन बाद, हाउसिंग बोर्ड ने 20 से 30 प्रतिशत रेट मकानों की बढ़ा दी। रेट ही नहीं बढ़ाई, 23.4.2019 को नीलामी हुई, नीलामी होने के बाद में लोगों ने भूखण्ड खरीद लिये, उसके पैसे जमा करा दिये, उसके बाद कहते हैं कि सैकण्ड प्रकाशन नहीं हुआ इसलिए भूखण्डों को निरस्त किया जाता है। यह सैकण्ड प्रकाशन करवाने का काम अधिकारियों का है मंत्री महोदय। उन अधिकारियों पर कार्यवाही करो, उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने पैसे जमा करवा दिये? उनको निरस्त करके इसमें भ्रष्टाचार क्यों करना चाहते हैं।

मंत्री महोदय, इसी प्रकार से लीज डीड, लाखों लोगों के पास मकान हैं। परिवार में डैथ हो गई, नाम ट्रांसफर नहीं होता, 20 से 30 हजार रुपये का विज्ञापन देने के लिए उनको कह दिया जाता है। आपके किसी भी कार्यालय आदेश में आम सूचना छपवाने के लिए कोई निर्देश नहीं है तो फिर यह जनता पर भार क्यों? इन चीजों को आप दिखवाएंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा।

प्रदेश में नगरपालिका अध्यक्षों को निलम्बन और बर्खास्त कर रहे हैं सभापति महोदय। यह तो दो महीने बाद चुनाव है, इसमें कौनसा पक्ष-विपक्ष है, वे भी चुनकर आये हैं। आपका मौका लगेगा तो आप निरस्त करोगे और कभी कर्नाटक की तरह यहां सरकार बदल गई तो हम उनको रिजैक्ट कर देंगे इसलिए ऐसी मेहरबानी तो रखो।

अन्त में, मंत्री महोदय, मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा कि -

"हे सारे सदन के माननीय जागो,

(श्री अशोक लाहोटी)

सात करोड़ जनता जगा रही है, पुकार रही है,
भय, भूख, बेरोजगारी का नामोनिशान मिटाना,
अंधकार का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है,
हमारे राजस्थान प्रदेश को हम सबको मिलकर बचाना है,
हम सबको मिलकर बचाना है।''

आपने मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार सभापति महोदय, मंत्री महोदय।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि दस-दस मिनट स्ट्रिक्टली यदि अपने समय की सीमा रखेंगे तब जाकर साढ़े नौ बजे माननीय मंत्री महोदय को अपना रिप्लाई देने का अवसर मिल पायेगा। मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि आवश्यक रूप से आप दस मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, यह बहुत जरूरी है। श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29-नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, सदन में नगरपालिका, नगर निगम और शहरी विकास पर चर्चा हो रही है। बहुत बड़ा इश्यू है कि आज नगरपालिका जहां एक शहरी विकास के लिए बहुत बड़ा हथियार है वहीं वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। स्थिति यह आ जाती है कि वहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। इस इश्यू पर सोच-समझकर तरीके से यह तय करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। महोदय, पिछले टाइम जब देखा गया कि काफी लोगों ने, कर्मचारियों ने हड़ताल की, पैसा नहीं मिला। जब विकास की बात आती है तो कोई व्यक्ति काम कराने जाता है तो पहले उसके साथ में जो होता है वह सबको विदित है तो यह बहुत ही जरूरी है कि नगरपालिका में जो प्रबन्धन है और उसके साथ में जो सतर्कता समिति या और जो इश्यूज हैं उनको इस तरह से मजबूत किया जाए कि वहां का जो पैसा है, नगरपालिका में जो पैसा इकट्ठा होता है, वह कम होता है और कैसे हो सकता है। यह बहुत जरूरी है कि नगरपालिकाएं मजबूत होंगी, नगरपालिकाओं का पैसा अगर इकट्ठा होगा...

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

(15.30 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

इससे आपकी तनख्वाह बराबर मिलेगी तो विकास भी होगा। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो नगरपालिकाओं की स्थिति है, वह दयनीय है। उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सभी लोगों की जो भावना है, वह इसी ओर जा रही है कि ये कैसे मजबूत हों।

महोदय, कुछ सदस्यों ने बात की, आज कमोबेश जेडीए की स्थिति भी यही है। कोई जमाना हुआ करता था जब जेडीए का नाम इतना पर्याप्त था कि जेडीए का नाम आने के बाद कोई सोच-विचार ही नहीं होता था। लेकिन आज जेडीए ने जिस तरह से कालोनियां काटी हैं विकास के लिए, उनकी स्थिति यह है कि कोई वहां पर मुड़कर देखने वाला भी नहीं है। कारण यह है कि वहां पर बिजली, पानी, सड़कों की व्यवस्था बिलकुल खराब है। जब बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि जेडीए के पास पैसा नहीं है। महोदय, इस मामले में एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि नोटंबदी ने पूरे तंत्र को खतम करने में बहुत भागीदारी निभाई है। नोटबंदी जैसे ही हुई, वैसे ही पूरी व्यवस्था चरमरा गई। आज स्थिति यह है कि जेडीए के पास माल बहुत पड़ा है, नगरपालिका, नगर परिषद् के पास भी जमीनें हैं, और यही स्थिति आपके आवासन मण्डल की है। कोई खरीददार नहीं है, जो रेट है, वे इस कदर हैं आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बनी हैं, नगरपालिका, नगर निगम, जेडीए सबको अपना मार्केट एसेस करके मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा हो सके और पैसा इकट्ठा होगा तो सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था होगी।

मैं इस मामले में एक यूनिट का भी जिक्र करना चाहूंगा कि महिन्द्रा सेज, जो कि राजस्थान सरकार ने बनाई थी, आज वहां की स्थिति यह है कि वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, न सड़कें हैं, न पानी है। बीसलपुर के पानी की बात की जाती थी, वह भी नहीं है और तो और जब कहीं बात की जाती है तो 100 फीट की सड़क के लिए भी तैयार नहीं है, बजट नहीं है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो स्थिति है इसको ठीक करें, दुरुस्त करें। मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाएं

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद और विकास के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन स्थिति यही है तो इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो दुर्भाग्यशाली हूं। यह बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र जो नई बनकर आई है, यह पहले परिसीमन में बनी है, पहले आधा बाड़ी में था, आधा था बयाना में, कहीं कोई धणी धोरी नहीं था। आज स्थिति यह है कि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र के दो एसडीएम हैड क्वार्टर हैं और पंचायत समिति भी है लेकिन वहां नगरपालिका नहीं है। पूरा का पूरा बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र इस बात की मांग करते हुए कई सालों से लगा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बसेड़ी में नगरपालिका बनाई जाए और सरमथुरा में भी एक नगरपालिका बनाई जाए। वे देखते हैं, सोचते हैं, बात भी करते हैं कि नगरपालिका भी कोई होती है। नगरपालिका अगर बनेगी, वहां विकास होगा तो उसकी तर्ज पर गांवों में भी विकास होता है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने जिस तरह से गांवों में भी मास्टर प्लान की घोषणा की है, वह भी इसी कड़ी का एक अंग है। क्योंकि, नगरपालिकाओं के जितने अधिकार हैं और जितनी उनकी ताकत है, उस ताकत के तहत वहां एक अच्छा विकास होता है, अच्छी सड़कें बन जाती हैं, पानी की व्यवस्था ठीक हो जाती है, आपका डवलपमेंट अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मेरे बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका बसेड़ी और नगरपालिका सरमथुरा बनाई जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश जी टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29-नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपको धन्यवाद। कल गांवों की सरकार की बात हो रही थी। आज शहरों की सरकार की बात हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं दोनों ही, मैं सीधा-सीधा नगर आयोजना से ही जुड़ूंगा, समय कम है, सबको बोलना है। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा मेरी किशनगढ़ नगर परिषद् बड़ी है, अब 60 वार्ड उसमें होने जा रहे हैं। एक रोड है जिस पर सारे शहर का भार है, वेंडिंग जोन नहीं होने से इतनी बड़ी समस्या है यातायात की, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि, यह काम नगर परिषद्

(श्री सुरेश टाक)

का है, पर मैं लगातार पिछले दो महीने से इसी काम में लगा हुआ हूं और जितना मैं सुधार सकता हूं, उतनी मैंने कोशिश की है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिकृत रूप से नगर परिषद् को विभागीय चिट्ठी जारी करें जिसमें शहरी क्षेत्र में वेंडिंग जोन ढूंढ़कर और ऐसे जो वेंडर्स है, जो बाजार के बीच में बैठे हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था करें, बैठने की, छाया की, पीने के पानी की, यूरीनल्स की, ताकि वे लोग वहां बैठकर अपना व्यापार कर सकें और किसी भी तरह का वायलेंस उनको वहां से हटाने में नहीं हो। वे जब वहां से शिफ्ट हो जाएं तो यातायात सुगम हो सके।

मैंने अभी कोशिश की है, वहां पर ट्रैफिक लाइट लगाकर, काफी कुछ सुधारने का प्रयास किया है, पर वेन्डर्स को जगह नहीं होने से एक बड़ी समस्या मेरे सामने आ रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा वेंडर जोन के लिए आप नगर परिषद् आयुक्त को, सभापति को पाबंद करें ताकि वहां जल्दी से जल्दी जगह चिन्हित हो और उसके लिए ये निर्माण हो सके।

दूसरा, मैं नगर परिषद् क्षेत्र में सीवरेज परियोजना और शहरी जल प्रदाय योजना दोनों साथ-साथ चल रही है। इसकी वजह से सड़कें इतनी जबर्दस्त तरीके से टूटी हुई हैं जिसका कोई अता-पता नहीं है और सीवरेज की लाइन डलने के बाद जो निर्माण हो रहा है, वह किसी भी तरह की गुणवत्ता का नहीं हो रहा है। अभी 10 दिन पहले अच्छी बारिश थी, पहली बारिश थी, जितनी भी सीवरेज वालों ने सड़कें बनाई थीं, सीवरेज बनाने के बाद, वे सारी सड़कें जमीन में बैठ गईं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी सड़कों की जांच हो और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें यह सुनिश्चित करें। क्योंकि, पैसा बर्बाद हो रहा है बिना मतलब का और सड़क किसी काम नहीं आ रही है, वहां सड़क टूटने के बाद नगर परिषद् को फिर सड़क बनानी है तो कहीं न कहीं जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा।

मेरा निवेदन है अधिकारी यहां बैठे हैं। इस बात पर विशेष ध्यान दें और विशेष तौर पर शहरी जल प्रदाय योजना की जो सड़कें हैं, वे तो बनी नहीं, दो करोड़ रुपये अभी तक सड़कों में दिए हैं और उन्होंने खोद दिया है कम से कम 100 किलोमीटर, 100 से भी ज्यादा खोद दिया है। उसके बाद सड़क नहीं बन पा रही है, बारिश का मौसम है। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको पाबंद करें।

(श्री सुरेश टाक)

तीसरा महत्वपूर्ण, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में फायर ब्रिगेड आपने दी हुई है पर मेरा आपसे निवेदन है कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी बड़ी समस्या है, गर्मी के मौसम में आग लगना आम बात है और फायर ब्रिगेड बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से वहां समय पर नहीं पहुंच पाती और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गांव के किसान बड़ी मुश्किल से पूरे साल भर का चारा इकट्ठा करके रखते हैं और गर्मियों के सीजन में जैसे ही शार्ट सर्किट होता है या 33 हजार केवी की लाइन ऊपर जा रही है, उसकी वजह से कुछ होता है या छोटी-मोटी किसी भी वजह से आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड पहुंचने तक सारा कुछ जलकर खतम हो जाता है। अभी रिसेंटली मेरे एक मुण्डोती गांव में आग लगी थी, पूरे गांव का चारा जलकर समाप्त हो गया, वहां पर कुछ भी नहीं बचा।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि गांव को किसी तरह का अनुदान दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि एक फायर ब्रिगेड अराई क्षेत्र में आप दे दें तो ये सुविधा गांवों के लिए इतनी बढ़िया होगी, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक गाड़ी अगर तुरंत पहुंच जाएगी तो आग पर बहुत काबू पाया जा सकता है और धीरे-धीरे आस-पास की फायर ब्रिगेड आ जाएगी और उससे हम आग बुझा पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात पर गौर करेंगे और इसे लिखेंगे भी, कि एक फायर ब्रिगेड हमें अराई के लिए मिल जाए, ताकि वहां से नजदीकी क्षेत्रों में जहां भी आग लगे, वहां पर फायर ब्रिगेड हम पहुंचा सकें।

इसी के साथ शहर में एक पार्किंग की समस्या है। वहां पर नगर परिषद् की एक सम्पत्ति है नेहरू वाचनालय, जो शहर के बीचोंबीच स्थित है। वहां पर वाचनालय चलने की वजह से उस जगह को काम में नहीं ले पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है उस नेहरू वाचनालय को वहां जमीन अलाट कर दी जाए, ताकि वहां से अगर शिफ्ट हो जाए तो शहर के बीचोंबीच एक मल्टीस्टोरी पार्किंग नगर परिषद् बना सके। ये तभी सम्भव हो पाएगा जब नेहरू वाचनालय को शिफ्ट कर पाएंगे। अगर नेहरू वाचनालय शिफ्ट नहीं हुआ तो इतना बड़ा शहर है, बहुत बड़ी मार्बल मण्डी है, एक लाख लोगों का आना-जाना है वहां रोज का और रोड पर इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम है आधे घंटे में भी एम्बुलेंस की गाड़ी वहां से नहीं निकल सकती। मेरा निवेदन है कि नेहरू

(श्री सुरेश टाक)

वाचनालय के लिए जमीन हेतु नगर परिषद को अधिकृत करें कि उन्हें अन्यत्र कहीं जमीन दे दें, वाचनालय वहां बन जाएगा। आज जहां वाचनालय है, वह बिलकुल शहर के बीच में है, ताकि वहां कार पार्किंग के लिए एक मल्टीस्टोरी पार्किंग बन सके। मेरा आपसे आज इस मांग पर अनुरोध है।

इसके साथ ही कुछ समस्याएं हैं छोटी-छोटी विसंगतियां हैं जिनकी वजह से बहुत-बड़े काम अटक रहे हैं। राजस्थान नगरपालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम-17 (6)(सी) के अन्तर्गत आबंटित भूखंडों के संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि दस वर्ष से अधिक की अवधि जिन भूखंडों की हो जाती है जो नीलामी से विक्रय किये जाते हैं, नगर परिषद् जिनको नीलामी से विक्रय करती है ऐसे भूखंड पर भवन निर्माण स्वीकृति नहीं मिलती है। मैं यह चाहूंगा कि आप नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के नियम-17 (6) के अन्तर्गत भूखंड आबंटन पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्माण अवधि को 31.12.2016 तक से आगे बढ़ा कर निर्धारित राशि वसूल कर नियमित किये जाने के निर्देश प्रदान करें। यह अवधि वृद्धि की जानी जरूरी है। अवधि वृद्धि नहीं होने से प्रकरणों में बकाया लीज राशि जमा नहीं करना, नाम हस्तांतरण, पुनर्गठन, विखंडन जैसे मामलों में स्वीकृति नहीं मिल पा रही है तो यह विशेष ध्यान दें। मैं आपको यह पत्र भी प्रेषित कर दूंगा और इसकी अवधि बढ़ाई जाए।

इसी के साथ लगातार इसी तरह का विषय है राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन नियम, 2012 के नियम-26 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 12 वर्ष के बाद निर्माण नहीं किये जाने के संदर्भ में। इसमें भी मेरा आपसे निवेदन है कि 12 वर्ष बाद भी राज्य सरकार निर्माण अवधि निर्धारित दर पर शास्ति जमा कराने की शर्त पर बढ़ा सकती है। ऐसा प्रावधान है और आपने प्रासंगिक आदेश बिन्दु संख्या-ए में निर्देश भी प्रदान किये हैं इसमें तो मैं यह चाहूंगा कि 12 वर्ष की अवधि शास्ति लेकर या इसकी अवधि बढ़ा कर आप इसको आगे करें ताकि शहरों में बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जिनमें निर्माण नहीं हो पा रहा है, हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है, विखंडन नहीं हो पा रहा है, पुनर्गठन नहीं हो पा रहा है, भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है तो ऐसी बहुत सारी पत्रावलियां लंबित हैं उनका निस्तारण हो सकेगा। इस पर विशेष तौर पर...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): बिलकुल सर, एक मिनट में। दो पाइंट और हैं। मैं आज इस नगर आयोजना की मांग पर यह भी निवेदन करूंगा कि खांचा भूमि के बहुत सारे प्रकरण बकाया हैं नगर परिषद् में लेकिन उनका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। मैं सौ वर्ग गज की जगह डेढ़ सौ वर्ग गज जमीन खांचा भूमि आबंटन के लिए आपको निवेदन करूंगा। डेढ़ सौ वर्ग गज तक की भूमि को खांचा भूमि में विक्रय हेतु नगर परिषदों को अधिकार प्रदान किये जाएं ताकि इन प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र से शीघ्र हो सके। आपसे एक निवेदन भी है कि नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में ऐसे आदेश जारी कराएं जिनमें ये जो लंबित प्रकरण हैं इनका निस्तारण कर सकें वह और करें। अधिकृत रूप से समय-सीमा तय करके इन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए आप नगर परिषद् को आदेशित करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक बहुत-बड़ा विषय है जिसको मैं कहना चाहूंगा जिससे नगर परिषदों की आय बढ़ेगी और इस आय बढ़ने के साथ नगर के विकास में यह बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह बहुत विशेष प्रकरण है। मेरा निवेदन है आपसे नगर परिषद् क्षेत्र में खसरा नंबर-693/1 रकबा 111 बीघा 5 बिस्वा भूमि है जिसमें चालीस वर्षों पूर्व से आबादी बसी हुई है और उसमें साइजिंग फैक्ट्रियां लगी हुई हैं दुकानें बनी हुई हैं, वाणिज्यिक संस्थान बने हुए हैं वो नियमन के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं होने की वजह से आज भी नगर परिषद् को रेवेन्यू नहीं मिल पा रही है और न उनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है न अवैध निर्माण पर कोई कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए किसी भी तरह के दिशा-निर्देश आप जारी करें जिससे इस जमीन का निस्तारण हो सके।

श्री सभापति: अब विराजिए आप। श्री रामप्रताप।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): और मैं यह चाहूंगा कि आप एक बार मेरे पत्र को पढ़ें इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। 2002 में वह नगर परिषद् में आयी हुई हैं जमीनें और आप उनका निस्तारण कर सकते हैं। उसकी जो नियमन राशि है वह तय करके आप ले लेंगे तो यह नियमन हो जायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। सभापति महोदय, इलैक्ट्रोपैथी के स्टूडेंट्स आज धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिल लिये। श्री रामप्रताप जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मिल तो लिये, वो तो ठीक है पर कुछ बोल तो दो।

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वो बड़ी संख्या में हैं।

श्री सभापति: मंत्री जी मिल लिये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बता दें। हाउस अगर पूछना चाहता है तो बता देना चाहिए इनको। एक ऐसी पैथी वैकल्पिक पैथी है, दुनिया इस पैथी की तरफ बढ़ रही है। पिछली सरकार ने कानून पास किया है। आप क्यों बचना चाहते हैं? बता दो जो वस्तुस्थिति है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी विराज रहे हैं अभी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो लोग धरने पर बाहर बैठे हैं उन लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे अभी मेरे चैम्बर में आकर मिलकर गया है और संतुष्ट होकर गया है। मैंने भी उनको कहा कि धरने पर बैठने से पहले अगर वो मेरे से मिलते तो हो सकता था उनको धरने पर बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती और एक और माननीय सदस्य जो चूरू से आते हैं, आज क्वेश्चन आवर में बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ था देहदान के संबंध में। हमारे जो मेडिकल कालेजेज हैं, जो राजस्थान में ग्रो कर रहे हैं और देहदान के लिए सरकार सबको प्रेरित कर रही है, अभियान चला रही है। अब सामान्य देह तो हमको प्राप्त हो जाती है, सभापति महोदय, लेकिन ऐसी देह जो दुख पायी हुई हो, जिसने संघर्ष किया हो, जो कई बार चुनाव जीत कर इस सदन में आ गयी हो उस देह की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस देह का अध्ययन करेंगे तो मेरे खयाल से उनके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रामप्रताप जी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो मैं आपके माध्यम से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को यह अनुरोध आफिशियली करना चाहता हूं कि वो देहदान की घोषणा करें जिस फार्म की उनको जरूरत है बांड भरने की, मैं उनको वह फार्म पहुंचा दूंगा। यह राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप दोनों एक साथ करो बड़ा अच्छा उदाहरण बनेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-29, स्वायत्त शासन विभाग पर आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, एक तो समय-सीमा, थोड़ा मेरे धीमी गति के समाचार हैं तो मेरे लिए कोई दो-चार मिनट...

श्री सभापति: आपकी सबसे तेज गति है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सूरतगढ़ नगरपालिका के अन्दर पिछले चार वर्ष से सीवरेज का कार्य चल रहा है। पूरे शहर में खड्डे ही खड्डे हो गये और जो सीवरेज लाइन डाली गयी है उसके जो चैम्बर हैं वो रोड लेवल से कहीं चार इंच ऊपर हैं, कहीं तीन इंच ऊपर हैं जिसके कारण से आये दिन लोगों के हाथ-पैर टूटते हैं। साइकिल, टैम्पो, मोटरसाइकिल उस चैम्बर से एक्सीडेंट होकर के लोगों के हाथ-पैर टूट जाते हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं इस सीवरेज के डालने के कारण मेरे सूरतगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था पूर्णतया गड़बड़ा गयी है और गड़बड़ा ही नहीं गयी है सीवरेज का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। अगर आप जांच करवाना चाहें तो वार्ड नंबर-17 में पिछले 15 दिन से पीएचईडी और सीवरेज वाले आपस में एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इतना ही नहीं पूरे शहर के अन्दर यह बर्बादी होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सीवरेज कंपनी को सेफ्टी टैंक खाली करने के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख 98 हजार 940 रुपये का भुगतान हुआ है और मैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निवेदन करना चाहूंगा कि एक भी सेफ्टी टैंक मंत्री महोदय, जांच करवा लो, खाली नहीं हुआ और पेमेन्ट हो गया। हकीकत है ये। कुल नग हैं सेफ्टी टैंक 4763 और एक नग के 3380 रुपये हैं खाली करने के। इतना ही नहीं 5 किलोमीटर दूर जाकर टैंक खाली करके उस पर बालू मिट्टी डालकर उसको समतल करने का भी पेमेंट उठा है।

इसके अलावा शहर में जब सीवरेज वाले खुदाई करते हैं तो अलग-अलग साइज की पाइप डाली है। सभापति महोदय, पाइप का साइज है 90 एमएम, गोलाई सवा तीन इंच, 14121.40 मीटर पाइप, दर 206/-, कुल भुगतान रुपये 2909000, मेरे कहने का भावार्थ है कि कोई 100-200 मीटर पाइप डाली है, इसका भी फर्जी पेमेंट उठाया है। इसके अलावा 110 एमएम, गोलाई साढ़े चार इंच, 9977.51 मीटर, दर 282/-, कुल भुगतान रुपये 2813657, इतना ही नहीं 160 एमएम, गोलाई साइज 6.5 इंच, 6888.91 मीटर दर 569/-, कुल भुगतान रुपये 3919700, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं, मैं यह कोई रामायण की चौपाई नहीं पढ़ रहा हूं, यह हकीकत है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाएं। नगरपालिका के साथ मिलीभगत करके यह सारा काम हुआ है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): रामायण की चौपाई तो हकीकत ही है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे थे।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, इन्होंने रामायण का अपमान किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरे कहने का भावार्थ यह नहीं है, मैं कोई न कोई समस्या उठा रहा हूं। (व्यवधान) रामायण की चौपाई बुरी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वैसे मैं इतना ज्ञानी-ध्यानी नहीं हूं फिर भी आपके ठेस लगी है तो मैं माफी चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें, विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, हमारे यहां एक AAO ईओ के पद पर लगा हुआ है। सर्वप्रथम वह रोडवेज कर्मचारी था, भ्रष्टाचार के मामले में उसको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद नगरपालिका सूरतगढ़ में आकर झूठा शपथ पत्र देकर नगरपालिका सूरतगढ़ में एलडीसी के पद पर लग गये।

(15.53 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तब से लेकर आज तक, बीच में कभी-कभी चले गये, बाद में प्रमोशन होकर AAO बन गये। उन पर एसीडी में एक केस पैंडिंग है। वर्तमान में एसीबी में दर्ज मुकदमा संख्या 328/2013 आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति को फील्ड में पोस्टिंग दी ही नहीं जा सकती जिसके ऊपर विभागीय कार्यवाही चल रही है और एसीबी में केस पैंडिंग है। यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मुझे ईओ से कोई बैर नहीं है, पर इस तरह का व्यक्ति जिसके रिटायरमेंट में 6 माह बचे हैं और वह यह कहते हैं कि अगर सरकार मेरे को बदलेगी तो मैं कोर्ट से स्टे ले आऊंगा। मंत्री महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है चाहे ईओ वहीं रहे, पर राजस्थान में आपके पास बहुत से ईओ हैं, मर्जी आये वह लगाओ, ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को आपने इतनी बड़ी नगरपालिका जिसमें करोड़ों रुपये की आय है, उस शहर पर अरबों रुपये खर्च हो गये, इस तरह के लोगों की पोस्टिंग रही है। इस कारण से आज पूरा शहर नारकीय जीवन जी रहा है। जगह-जगह सूअरसागर बने पड़े हैं। मंत्री महोदय, सूरतगढ़ में इतनी भूमि है, बेच-बेच कर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर दिये। वर्षा आई, रोड बनाई, आंधी चली, मिट्टी उड़ गई, 50-50 हजार के पौधे लगाये हैं, अध्यक्ष महोदय, जेसीबी से उठाकर पेड़ लाये और लगाये और वह सारे पेड़ जल गये क्योंकि पेड़ तो थे ही नहीं, वह तो नाटक था। इसी तरह शहर में जो स्ट्रीट लाइट लगी है, उनमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि नगरपालिका में जो भी कार्य हुए हैं, इसमें नगरपालिका भी सम्मिलित है, पेमेंट दोनों तरफ उठ रहा है, एक तरफ तो सीवरेज कंपनी सीसी रोड बनवाने के लिये पेमेंट उठा रही है, दूसरी तरफ उसी रोड पर सीसी का काम नहीं करके इंटर-लोकिंग का काम नगरपालिका कर रही है। यह सारा घपला दोनों की मिलीभगत से हो रहा है। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय आप इसकी जांच अवश्य कराएं और यह जो मैं मुकदमे के बारे में कह रहा हूं, यह बहुत बड़ी बात है। इतना तो मैं भी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

समझता हूं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एसीबी में केस पैंडिंग हो और ऐसे व्यक्ति को नगरपालिका, मंत्री महोदय, यह बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात है। उसके 6 महीने बचे हैं, पूरी नगरपालिका की हजामत करेगा, पूरे शहर पर कब्जे करवा दिये, पता करवा लो। एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां कब्जे नहीं हुए हैं और कब्जे कब से हुए हैं यह और बताऊं? विधान सभा की आचार संहिता लगने के बाद से लेकर आज दिन तक लगातार हजारों की संख्या में कब्जे हुए हैं। इतनी बेशकीमती जगह, उस ईओ के खुद के सैकड़ों स्थान पर कब्जे के प्लाट हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत कम बोलते हो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हास्पिटल के नाम पर रियायती दर पर भूमि आबंटन हो और बाद में उसका लैंड यूज चेंज करके कामर्शियल दुकान, होटल...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य, स्टेटमेंट होगा, प्लीज समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, मैं पुन: हमारे विपक्ष के नेता और सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि आपने बांह पर जो काली पट्टी लगा रखी है, हमने चर्चा कर ली है, चैम्बर में अपनी बात हुई। प्रश्न की महत्ता और प्रश्नकर्ता की क्षमता, दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर सप्लीमेंट्री अलाउ करना होगा तो जैसा मुझे कहा, मैं अपने विवेक का उपयोग लूंगा और हम कल से सदन की कार्यवाही शुरू करें। आप सबसे भी निवेदन है कि अब इस काली पट्टी का कोई महत्व है नहीं, इसलिए आप काली पट्टी को उतारकर अपनी चर्चा को प्रारम्भ करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारी भावना कभी आसन का अनादर करने की नहीं रही, हम आसन का आदर करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण हमें मिलेगा और मैं शुरुआत करता हूं काली पट्टी..

श्री अध्यक्ष: यह अच्छा किया कि आपने ही इसकी शुरुआत की और आप ही अब शुरुआत कर रहे हो। मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे स्टेटमेंट दें।

(16.00 बजे)

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्यों की मांग है पी एम योजना किसानों के लिए हो, ऋण माफी योजना 2018-19 हो, ऋण व्यवस्था हो, विभागीय काम और व्यवस्था हो। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों की चिंता किसानों के प्रति वाजिब है। मुझे यह बात भी सदन में देखने को मिली कि इस सदन में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न लगे हैं तो किसानों की ऋण माफी से संबंधित लगे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि सदस्यों की किसानों के प्रति कितनी चिंता है, इसी को ध्यान में रखकर प्रतिपक्ष के नेता ने जो मुद्दा उठाया और मुझे आज वक्तव्य देने के लिये कहा गया है। जो कुछ जानकारी उपलब्ध है, उससे मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री किसान योजना से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। दिनांक 24.07.19 तक 54 लाख 89 हजार 582 किसानों द्वारा आवेदन किया गया है। लगभग 3 लाख किसानों ने स्वयं अपने आपको पी एम किसान की योग्यता से अलग माना है। पी एम किसान पोर्टल पर 47 लाख 81 हजार 253 आवेदन-पत्र अपलोड किये जा चुके हैं। लगभग 25 लाख किसानों के खातों में प्रथम किश्त राशि लगभग 500 करोड़ हस्तांतरित की जा चुकी है। 14 लाख 36 हजार किसानों के खातों में द्वितीय किश्त की राशि लगभग 287 करोड़ हस्तांतरित की जा चुकी है। जितनी राशि पी एम किसान योजना से राज्य को प्राप्त हुई है, वह शत प्रतिशत किसानों के खातों में जमा करा दी गयी है। इस प्रकार से 287 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा हो चुके हैं। भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के किसान पोर्टल की प्रशंसा की है।

(श्री अंजना उदयलाल)

राजस्थान पूरे देश में एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने आधार आधारित प्रमाणन को अपनाकर वास्तविक किसान को फायदा पहुंचाया है। राज्य सरकार के पोर्टल पर किसान के लिए सब सूचना उपलब्ध है, उस पर सब सूचना आपको मिल जाएगी।

अल्पकालीन फसली ऋण के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के पात्र किसानों को 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ऋण माफी का जो फैसला लिया गया है, उससे अब तक 19 लाख 76 हजार किसानों को 7 हजार 807 करोड़ रुपये की ऋण माफी का लाभ मिला है, जिसकी सूची सार्वजनिक रूप से Loan Waiver Portal पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिन पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ मिला है, ऐसे किसानों को ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष या 30 जून को, जो भी पहले हो, ऋण चुकाना था, लेकिन हमारी सरकार ने 6 फरवरी को ऋण माफी की योजना लागू की थी। उसी दिन से पात्र किसानों को ऋण चुकाने से मुक्ति मिल गयी थी और किसानों के खातों में जो ऋण की राशि थी, वह ड्यू डेट को सरकार के खाते में लिखी गयी थी, जो अब जमा हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता में आये थे तो पूर्व सरकार के समय हुई ऋण माफी में अनियमितताएं सामने आयीं। इसको देखते आगे ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिये हमने ऋण माफी के बायोमैट्रिक सत्यापन को लागू कर पात्र किसानों को ऋण माफी का पूरा लाभ दिया है।

मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ - माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे सरकारी बैंकों के पात्र किसानों को फसली ऋण माफी के साथ-साथ कृषि ऋण भी माफ किया है और सरकार को इस निर्णय में अब तक 17 हजार 855 सीमान्त व लघु किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि ऋण मुक्त हो चुकी है।

अन्य बैंकों की ऋण माफी - माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक ऋण माफी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 19.12.2018 की क्रियान्विति हेतु कैबिनेट के निर्णय 19.12.2018 की पालना में आदेश दिनांक 01.01.2019 द्वारा एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय कमेटी का गठन किया गया। उक्त समिति ने अनुशंसा की है कि राष्ट्रीकृत बैंक, शिड्यूल्ड बैंक तथा आर.आर.बी.

(श्री अंजना उदयलाल)

से जुड़े कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनको दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक अल्पकालीन फसली ऋण जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत है, को माफ करने के लिये बैंक से परामर्श कर One Time Settlement Scheme लायी जाए। समिति की अनुशंसा के निर्णय की क्रियान्विति हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति ने सभी बैंकों के साथ मीटिंग कर ली है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी भारत सरकार को पत्र लिखा है।

फसली ऋण वितरण संबंधी जानकारी - माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार की ऋण माफी योजना में हुई गड़बड़ियों से सबक लेते हुए हमने निर्णय किया कि फसली ऋण वितरण में पात्र किसान वंचित नहीं रहें, अत: हमने किसानों के हित में 27 मई को आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद 3 जून, 2019 को 'सरकारी फसली ऋण आनलाइन वितरण एवं पंजीयन योजना' को लागू किया और 11 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की उपस्थिति में आनलाइन वितरण शुरू कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इस पारदर्शी पोर्टल से 9 लाख 34 हजार 777 किसानों का आनलाइन पंजीयन अभी तक करा दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसानों के सच्चे हितैषी हैं। अब तक 239 करोड़ रुपये की एमसीएल, अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल ऋण वितरण सहकारी बैंकों द्वारा 31 अगस्त तक किया जाता है। हम तय समय तक किसानों को फसली ऋण वितरण का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मंशा साफ है कि किसानों को शीघ्र लाभ मिले। इस प्रक्रिया में हम और तेजी लाएंगे। आनलाइन अल्पकालीन पंजीयन ऋण वितरण पोर्टल के अनुसार आज दिनांक तक 9 लाख 34 हजार 777 किसानों का पंजीयन कर लिया गया है जिसमें से पैक्स द्वारा 2 लाख 54 हजार 669 कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण करने के लिये अनुमोदन कर दिया गया है और 33 हजार 894 किसानों को कुल राशि अब तक 92 करोड़ 58 लाख रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण उनके खातों में DMR (Digital Member Register) के माध्यम से हस्तांतरित किया जा चुका है।

फसल बीमा के संबंध में आज भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने काफी चिंता व्यक्त की थी। नि:संदेह 29 तारीख इसके लिये लास्ट है। इस संबंध में

(श्री अंजना उदयलाल)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कृषिग्रुप एक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.07.2019 के अनुसार खरीफ फसल 2010 के लिये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 31.07.2019 तक किसानों को बीमा कराया जाना अपेक्षित है। योजना के अनुसार ऋणी किसानों का बीमा बैंकों के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाता है एवं अऋणी किसानों के लिये यह बीमा ऐच्छिक है। जो अऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहता है, वह बैंक सम्पर्क कर फसली बीमा करवा सकता है। राजस्थान में सरकारी बैंकों के द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण की अवधि अप्रैल माह से अगस्त तक निर्धारित की गयी है। गत वर्ष इस अवधि को 15 सितम्बर तक बढ़ाया गया था। योजना के प्रावधान के अनुसार जुलाई, 2019 के पश्चात जिन किसानों के द्वारा फसली ऋण प्राप्त किया जाएगा, उनका बीमा बैंकों के द्वारा ऋणी किसानों के रूप में नहीं कराया जा सकेगा। ऐसे किसानों को अऋणी किसानों के रूप में ही बीमा करवाना पड़ेगा। फसल बीमा करने के लिये 31 जुलाई नजदीक व अंतिम होने को ध्यान रखते हुए हमने समस्त रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को एसएमएस द्वारा सूचना भिजवाना शुरू कर दिया है। बैंक में उनके अंश जमा कराकर बीमा कराया जा सकता है, ऋण मिलना तय है। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी आपने पढ़ा, वह मैंने भी सुना है, राजस्थान के सब किसानों ने भी सुना है। राजस्थान का किसान जो सबसे बड़ी समस्या फेस कर रहा है, वह यह है कि 31 जुलाई तक अगर आप उसको ऋण देंगे तो ही जाकर उसका इंश्योरेंस होगा। इसका मतलब किसान का फसली इंश्योरेंश अब की बार आपकी इन गलत नीतियों के कारण नहीं होने वाला है। आपने जो कहा वह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। अगर उसे कराना है तो अऋणी के रूप में ही बीमा कराना है तो उसे लाभ होगा। मैं सोचता हूं राजस्थान के लाखों किसानों का केवल आपकी इन घोषणाओं के कारण से ऋण माफ नहीं हुआ। जब माफ नहीं हुआ तो उसको नो ड्यूज नहीं मिला, नो ड्यूज नहीं मिला तो अगला ऋण नहीं मिलने के कारण से उसको यह नुकसान हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गंभीर है। भले ही मैं उसकी आलोचना किस रूप में करूं या नहीं करूं, लेकिन आपने जो कुछ भी दिया उससे राजस्थान के किसान को यह समझ जाना चाहिए कि यदि उसे फसली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बीमा कराना है तो आज की तारीख में राजस्थान की सरकार उसकी कोई मदद करने वाली नहीं है। उसको अऋणी किसान के रूप में ही जाना होगा तभी जाकर होगा जबकि यह ऋण आपको अप्रैल से दे देना था। इसका मतलब यह है कि आपने दो दिन के बाद, सरकार बनने के बाद तो घोषणा कर दी कि हमने यह कर दिया, वो कर दिया, इस तारीख को दे दिया, इस तारीख को पैसे बैंक में चले गए थे, लेकिन बैंक का नो ड्यूज नहीं मिलने के कारण से वह वापस लोन लेने की स्थिति में नहीं आया। विषय तो कई गंभीर हैं जिनके बारे में अभी और लोग चर्चा करेंगे।

दूसरा, प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। राजस्थान में 76 लाख किसान, इससे भी कुछ ऊपर होंगे हजार में, 76 लाख किसान, इस बार वाली घोषणा से सारे किसान छोटे-बड़े, पहले तो दो प्रकार के थे सीमान्त और लघु किसान का ही था। अब तो राजस्थान के सारे किसान इस योजना में आ गए। सारे देश के 14 करोड़ किसान आए, हमारे 76 लाख से अधिक किसान इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आपने जो आज प्रश्न का उत्तर दिया है, उस प्रश्न के उत्तर को आप थोड़ा ठीक तरह से देखें। आपने यह सूची दी है तहसीलवाइज। आपने कहा कि 53 हजार किसान इस लिस्ट में आ गए। आपने कहा कि तीन लाख समथिंग ने रिफ्यूज कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन बाकी किसान तो आनलाइन आ गए। अब जो बाकी बचे 76 लाख से उनके आनलाइन रहने में आपको दिक्कत क्या आ रही है? मैं आपको कुछ फिगर बता दूं जो आपके उत्तर से ही दिख रही है कि हम कितने सीरियस हैं और कितनी चिंता करते हैं? आबू रोड पर दो किसानों को मिला, आपकी जो किश्त मिली, आपने यह बताया कि 14 लाख किसानों को किश्त मिल गई तो आबू रोड पर केवल दो किसानों को, पिंडवाड़ा में एक, रेवदर में 54, इसी तरह से मैं आपको बताता हूं गंगानगर में है 26 किसान, घड़साना में है 3, करणपुर में 1, यह किसान सम्मान निधि का फिगर पढ़ रहा हूं मैं। यह आपका ही प्रश्न का जवाब है। मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं। इसका मतलब है कि किसान सम्मान निधि का जो 4 हजार 560 करोड़ रुपया राजस्थान के किसान को, अपने आप उसके खाते में आना है, उसमें आपका एक नया पैसा भी नहीं है। उसको उठाने में भी आपका डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है कि उसको आपके पोर्टल पर डाला नहीं जा सकता है। कई गांवों में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो उसको डालना ही सम्भव नहीं हो रहा है। इस बारे में आप देखिए। यह सामान्य घटना नहीं है। लेकिन आपने जिस प्रकार की घोषणा की और जैसा आप आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे राजस्थान के किसान को यह समझ जाना चाहिए कि यह किसान कर्जा माफी एक धोखे के रूप में साबित हुआ, जिसका नुकसान राजस्थान के किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

मैं आपके आंकड़ों से ही बोल रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं मिलायी। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं, आपकी और मेरी दोनों की मंशा है कि राजस्थान के किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हम कैसे दे सकें। जो कुछ भी आपने घोषणा की, उसके अनुसार मिलने वाला फायदा उसको कैसे मिले। परंतु आपकी एक्टिविटीज से, आपके इन कागजों से और आपके वक्तव्यों से, हम हजार क्वेश्चन लगा-लगाकर थक गए, स्थगन लगा-लगाकर थक गए लेकिन आज जो उत्तर दिया उससे राजस्थान के 76 लाख किसानों का अहित हो गया है। यह आपको समझना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी। मंत्री जी, मंत्री जी, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि आपने 1.1.2019 को जो शिड्यूल्ड बैंक और जो वाणिज्यिक बैंक हैं, उनके जो ऋणी किसान हैं, जिनको आपने 2 लाख तक के किसान की ऋण माफी करने की बात की, उसके लिए आपने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। सबको मालूम है कि अभी तक तो कमेटी बनाई है। यह 17 लाख किसान हैं, जब आप इनका ऋण अभी माफ नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। इन किसानों को यह समाचार तो कर दो कि अगर आपको अपनी फसल का बीमा कराना है तो चूंकि आपको ऋण नहीं मिलेगा। यह सारे किसान 17 लाख वह हैं, जो दोबारा ऋण इसलिए नहीं ले सके कि आपकी दस दिन की घोषणा अनुसार यह सोच रहे थे कि इनको ऋण मिलेगा।

दूसरा, मैं निवेदन करूं, एक मिनट-एक मिनट...

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महान नेता हैं, मैं परेशानी महसूस करता हूं। एकएक प्रश्न का उत्तर...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न का जवाब नहीं देना है। आप आराम से विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दूसरा निवेदन मैं करूं कि एक बात आज सही साबित हो गयी, वह बात आपने अपने उत्तर में कही। कुल मिलाकर अब तक जिन खातों में अपलेखन हुआ है, वह है 33894 किसान और उनको सिर्फ 92 करोड़ रुपये आपने नया ऋण दिया है, 92 करोड़ रुपये। आपने दावा क्या किया? मुख्य मंत्री जी से पैरा 25 में क्या कहलवाया कि आप 20 लाख किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त करा दी और 20 लाख 46 हजार किसानों को आपने ऋण मुक्ति दे दी। इसमें कोई राजनीति नहीं। अगर आप नहीं करा सकते, उधर 31 जुलाई, जिसकी बात प्रतिपक्ष के नेता ने कही, उस 31 जुलाई में आपके बस की बात नहीं है। वह फसल बीमा करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी अंतिम तारीख है, वह तारीख बढ़ेगी नहीं। हमेशा यह होता है कि जब ऋण लेता है तो अपने आप किसान की किश्त कट जाती है और इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम चला जाता है। आप यह बताएं, आपने एक गुनाह तो कर लिया कि यह किसान पहली बार, राजस्थान के अंदर इस बार 24 लाख किसान जिनका ऋण माफ करने की इन्होंने बात की, एक का भी फसल ऋण बीमा नहीं होगा। आप बताएं तो सही और नहीं हो तो सारी बात कह दें जिससे किसानों के पास सारी बात चली जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा। एक मिनट मंत्री जी रुकिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेशनलाइज बैंकों के राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भारत सरकार में वित्त मंत्री जी से मुलाकात की और उनको लिखा कि वन टाइम सैटलमेंट के अंतर्गत राजस्थान के नेशनलाइज बैंकों के किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। भारत सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया, इसका भी आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जवाब दें सबका।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अभी इस संबंध में कोई उत्तर वहां से आया नहीं है। बैंकों के साथ डिस्कशन जारी है। करीब-करीब मंजिल पर पहुंचने की स्थिति है। आज ही बात हुई थी। जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं

(श्री अंजना उदयलाल)

है। उपलब्ध होते ही बता दूंगा। भारत सरकार से अभी तक ऋण माफी के मामले में कोई बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। माननीय कटारिया साहब और राजेन्द्र जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उन पर भी दीजिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जो सूचना देने की बात कही है ऋण बीमे के लिए किसानों को, उन सबको मैसेज कर दिए गए हैं। सभी 55 लाख किसानों को मैसेज उनके घर पर पहुंच गए हैं। रोज एक मैसेज जाएगा। कोई दूसरे दिन पढ़ ले, कोई तीसरे दिन पढ़ ले ताकि सबको सूचना पूरी हो जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इस चर्चा के पीछे दो मकसद हैं। एक मकसद यह है कि प्रधान मंत्री सम्मान निधि जो है किसान के लिए, वह पूरे किसानों के लिए एलिजिबल है। जो 76 लाख किसान हैं, वह पोर्टल नहीं होने के कारण रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। यदि ये सब 76 लाख किसान पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड हो जाएं तो राजस्थान के किसान को लगभग 4 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। अभी जो हमारा प्रयत्न है, उस प्रयत्न को यदि हम और एक्सपीडाइट करें तो यह राशि किसान को मिल सकती है। इस एफर्ट के संबंध में यदि कोई कमी है, एक-एक बात सुन लें आप। एक प्रश्न तो यह है और दूसरा जो मोटा प्रश्न है कि 29 जुलाई तक यदि वह किसान बीमा नहीं करा पाएंगे तो उनकी फसल का बीमा नहीं मिलेगा। अभी तात्कालिक, यह जो शिड्यूल्ड बैंक का होगा, यह इश्यू तो अभी भारत सरकार में होगा, इमीजिएटली अभी राजस्थान के किसान को दो रिलीफ सरकार से अपेक्षित हैं। नंबर एक प्रधान मंत्री सम्मान निधि, जिसमें उनको पूरा का पूरा पैसा सभी तरह के किसान को मिलना है, उसमें जितना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। उसके संबंध में काम और दूसरा, यदि जुलाई में बीमा का नहीं होता है तो किसान को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। इन दो प्रश्नों पर सरकार अभी क्या एक्सपैक्ट कर रही है? इस पर करेंगे तो राजस्थान के किसान को लगेगा कि राजस्थान की विधान सभा में सब पक्ष-विपक्ष ने मिलकर किसान के हित के संबंध में चर्चा की और उसका लाभ दिलाने का काम किया। इस पर प्रकाश डालेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री अंजना उदयलाल)

किसानों के पंजीयन के मामले में जो बात उठाई है, लगभग 76 लाख किसानों की, करीब 55 लाख तो हो गए हैं और प्रक्रिया निरंतर जारी है। बंद नहीं की गई है। जिन-जिन गांवों का पोर्टल पर नहीं खुल रहा है, उन संबंधित जिले के कलेक्टर महोदय से बात की है। वह कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन बराबर जारी है। सबका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। किसी भी किसान को वंचित नहीं रखा जाएगा। बराबर हो जाएगा। बीमा कराने की जहां तक बात है तो बीमा कराने के लिए सबको बराबर मैसेज कर रहे हैं क्योंकि लोन होने के बाद ही बीमा की राशि उनके खाते में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। गलत परम्परा नहीं। माननीय कटारिया जी, गलत परम्परा नहीं। जब माननीय आपके लीडर पूछ रहे हैं प्रश्न-जवाब तो यह कौन-सा तरीका है। सदन चर्चा नहीं करें। प्लीज, खाली पोलिटिकल स्कोर लेना है तो चर्चा समाप्त की जाती है। किसान के संबंध में अगर हम सबको मिलकर कोई रिलीफ दिलानी है, आपने प्रश्न उठाया, सरकार चिंतित है, हम सब चिंतित हैं। सरकार के दोनो पक्ष हैं, जहां भारत सरकार की भूमिका है वह भी करनी पड़ेगी और जहां राजस्थान सरकार की कमी है उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। हम सब मिलकर यह कोशिश करें कि इस अकाल के समय राजस्थान के किसान को कैसे रिलीफ दिला सकें। उसमें यदि कमी है उस ओर सरकार का हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सरकार से भी अपेक्षा करेंगे कि जो मूल प्रश्न उठाए गए हैं, सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन हो। सब किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान राशि मिले। बीमा का इमीजिएट क्राइसिस है उसके संबंध में अपनी बात कहें। इसलिए मेहरबानी करके चर्चा की गंभीरता को समझें, उसी हिसाब से चर्चा होने दें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): किसानों के बीमा के लिए सरकार चिंतित है। 55 लाख से 25 लाख भारत सरकार में पैंडिंग हैं। सबको मैसेज कर दिए गए हैं, बीमा किसान अपने कराएंगे। लोन नहीं होने से पहले उनके खाते में लोन से पैसा नहीं कट सकता। बैंक से पैसा कटने के बाद उनके इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि कटती है तो लोन, अभी तक उनका डिस्बर्समेंट पूरा नहीं हुआ है। यह बात मैंने आपको बता दी। अभी 100 करोड़ के लगभग ही पहुंचा है बाकी प्रक्रिया जारी है तो वह 29 तारीख तक सम्भव नहीं है इसलिए किसानों को मैसेज कर दिया है। 55 लाख किसानों को मैसेज कर

(श्री अंजना उदयलाल)

दिया है, वह अपना बीमा करा लें ताकि ऋण वितरित हो तो वह बीमा से वंचित नहीं रहें। यह व्यवस्था कर दी है। पी एम किसान पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है, 55 लाख तक पहुंचे हैं, 76 लाख है तो 20 लाख भी हम कवर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, चर्चा समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पहले सत्र से ही, पिछली बार जब 4-5 दिन सदन चला, तब भी हमने यह विषय उठाया और हर बार हम यह विषय उठा रहे हैं। आपने हर बार जो हमको जवाब दिया, आप अपने रिकार्ड पर देख लो, इन्होंने कहा कि हमने इस तारीख को पैसा डाल दिया। हमने इस तारीख को अपलेखन कर दिया। हमने इस तारीख को यह कर दिया। यह विधान सभा के रिकार्ड पर है। आज आप बोल रहे हो कि उस किसान को फसल बीमा का लाभ ही नहीं मिलेगा, इसकी सूचना दोगे? मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा राजस्थान के किसान का अहित, दस दिन में कर्जा माफ करने वाली पार्टी अगर आज यह कहती है कि उसको अपने स्वयं के पैसे से ही उसका बीमा कराना है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): दस दिन में कर्जा माफ करने की बात घोषणा पत्र में की थी तो दस दिन में कर्जा माफ किया। आपका पाप धो रहे हैं। बहुत ज्यादा अनियमितता हुई। बीस लाख किसानों की गड़बड़ आई ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने और कुछ नहीं बोला, रिकार्ड के आधार पर बोला ...(व्यवधान)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): हमने 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार के उत्तर से हम संतुष्ट नहीं हैं, (व्यवधान) यह सरकार किसान विरोधी है। हम बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रोहित बौहरा, प्लीज बोलें। आप अपनी बात बोलें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मंत्री जी, किसान की जो हिस्सा राशि है, हिस्सा राशि में से प्रीमियम कट सकता है। आप इतनी व्यवस्था कर दीजिए। हिस्सा राशि किसान की समिति में हर मैम्बर की है। हिस्सा राशि में से प्रीमियम कट सकता है कोई दिक्कत नहीं है कटता है हिस्सा राशि में से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): साहब छोटा-सा सुझाव ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नीचे बैठें। बोलना शुरू कर दिया। माननीय सदस्य, बोलिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): हमारी नगरपालिका बहुत छोटी नगरपालिका है। हमारे पास ऐसे कोई आय के स्रोत नहीं हैं जिससे हम वहां पर अपनी इनकम कर सकें। हमारे पास फाइनेंस कमीशन से पैसा आता है उस पर सिर्फ डिपेंड रहना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लास्ट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, अभी तक सरकार ने उस रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं किया है। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, एक बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा इतना सा है कि इस रिपोर्ट पर आज सरकार क्या करना चाहती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर अपना पक्ष रखें कि सरकार पिछले फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने रिकमंडेशन दी है, उसको एक्सैप्ट करती है या नया फाइनेंस कमीशन बनाकर, नैक्स्ट फाइनेंस कमीशन बनाकर, जो वह रिपोर्ट दें, वह देना चाहती है? मैं उनका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा।

दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, सांगानेर से आने वाले विधायक का यह कहना था कि पिछले सालों से शहरों के लिए आपने हमें कम बजट दिया है। उनका कहना था कि 53 लाख की पापुलेशन आज हमारे शहरों में रह रही है

(श्री रोहित बौहरा)

उसमें आपने हमें कम बजट दिया है। मैं उन महोदय को बताना चाहूंगा कि शहरी खर्च जो उन्होंने किया है लास्ट पांच साल में, जब बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने टोटल बजट का 77 परसेंट पैसा खर्च किया है। पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने पांच सालों में 93 परसेंट पैसा खर्च किया। यदि आप इसका तुलनात्मक गणित बिठाएंगे तो पता चलेगा कि आपने जो पैसा खर्च किया है या खर्च करोगे वह उनसे ज्यादा है, एक चीज यह कहना चाहूंगा।

मंत्री जी, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि छोटे कस्बों में कई जगह अलग-अलग समाज अपनी धर्मशाला बनाने के लिए हमारे से लैंड मांगते हैं। म्युनिसिपैलिटी वालों से से लैंड मांगते हैं। मेरी आपसे विनती है कि लास्ट पांच सालों में इन्होंने उस पर कोई कमेटी नहीं बनाई जो कि एक स्टेट लेवल कमेटी होती है, जो इन पर डिसीजन लेती है। कई समाज वालों ने उनके पैसे जमा करा रखे हैं। उसमें हर समाज को आप कोई छूट देते हैं। मेरी आपसे इतनी-सी विनती है कि आप इस पर ध्यान दीजिए, यह लैंड तुरंत अलाट हो जाए क्योंकि इनकी फाइलें आपके डीएलबी आफिस में पड़ी हुई हैं, उन पर आज तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है।

तीसरी चीज कहना चाहूंगा कि हमारी म्युनिसपैलिटीज को ओडीएफ कर दिया। कई जगह ऐसी म्युनिसिपलिटी है, जैसे राजाखेड़ा म्युनिसिपलिटी है वहां की पुरानी कलेक्टर साहिबान थीं, पुरानी मुख्य मंत्री थीं, उनके दवाब में उसको ओडीएफ करना पड़ा। वहां लैट्रीन बन रही है, और जो लैट्रीन बन रही है उनका पैसा आज तक नहीं आया है। इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी भी वहां 1400 लैट्रीन का पैसा बकाया है। जल्दी-जल्दी में ओडीएफ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं देखा। लोगों ने आधी-आधी लैट्रीन बना रखी है। एक गरीब आदमी को 12000 रुपये लगते हैं एक लैट्रीन बनाने के लिए, उसका पैसा आज तक नहीं दिया गया।

मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा। आपने अमृत योजना बनाई है, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट को मिली है। मैं चाहता हूं कि आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से विनती करें कि यह छोटी नगरपालिकाओं में भी होना चहिए। यह थोड़े ही है कि जो बड़ी नगरपालिकाएं हैं, जिनके पास पैसे कमाने का स्रोत हैं, यूडी टैक्स की तरफ से आप अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, उनको तो आपने यह सब दे रखा है, छोटी नगरपालिकाओं में अमृत योजना आज तक नहीं है।

(श्री रोहित बौहरा)

(16.27 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, हमारे खरंजे बन रहे हैं, छोटी नगरपालिकाओं की सीमेंटेड रोड बन रही है उनकी गुणवत्ता अगर आप देंखेंगे तो वह गुणवत्ता बहुत ही पूअर है क्योंकि आपके यहां गुणवत्ता चैक कराने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। आजकल हमारी पीडब्ल्यूडी की जो लैब्स बनी हुई हैं, वहां आप एक कोर कटवाकर गुणवत्ता जांच करा लें तो इससे नगरपालिकाओं में गुणवत्ता पर काफी सुधार होगा।

एक चीज और कहना चाहता हूं। हमारे यहां स्टाफ ही नहीं है। न ईओ है, न बहुत ज्यादा एलडीसी की पोस्ट हैं। पूरे राजस्थान में जब तक आप स्टाफ, एम्पलाय नहीं करोगे आपको हर नगरपालिका में यह दिक्कत आएगी क्योंकि स्टाफ की कमी हो चुकी है। लास्ट 5 सालों में पूर्व सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्टाफ रिक्रूटमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टाफ की इतनी ज्यादा कमी है कि आपको स्टाफ नहीं मिल रहा है।

आज आप जयपुर में देखिए कि कितना बुरा हाल है। ट्रैफिक जाम है। आपकी एलीवेटेड रोड बन रही है, already this project has delayed. आपकी द्रव्यवती नदी का प्रोजेक्ट, which has also delayed. पीआरएन में आप पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको पीआरएन में आज तक पट्टे नहीं मिले। पांच साल में इस सरकार ने एक पट्टा इश्यू नहीं किया। सिर्फ थोथी घोषणाएं करते रहे कि यह कैम्प लग रहे हैं। कैम्प लगे नहीं और किसी को पट्टे मिले नहीं। सैक्टर रोड का काम, पांच साल में कुछ नहीं हुआ। इस सरकार ने तो पांच साल में सिर्फ यह काम किया है कि जेडीए ने जो प्लाट आक्शन किए हैं, उन प्लाटों का भी इन लोगों ने दो साल तक नक्शा पास नहीं किया, जब तक कि लोगों ने इनकी जेब गरम नहीं की। जब तक यह काम किया, मैं यह आरोप लगा रहा हूं। पिछली सरकार ने यही काम किया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या प्रूफ है? (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरे पास कई प्रूफ हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं

(श्री सभापति)

होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये, आप विराजिये। आसन पैरों पर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर, आप विराजिये, विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। (व्यवधान) आसन पैरों पर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये, एक मिनट विराजिये आप। यह उत्तेजना फैलाने का क्या काम है। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। आपको जब मौका मिले, तब आप अपनी बात कह देना। आपको भी तो अवसर मिल रहा है न। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिये आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: ऐसा है, ऐसा कोई भी शब्द जो असंसदीय है, उसको अपलोपित करने का मैं निर्देश देता हूं। कोई उत्तेजना फैलाने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, जो कुछ कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आपको जब अवसर मिले तब आप अपनी बात कहना। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय श्री रोहित बौहरा का अंकित होगा। आप विराजिये। मिस्टर बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक यहां पर परम्परा चली आ रही है, as per the Environment Laws कि हमारे को 50 माइक्रोन की थैलियां

(श्री रोहित बौहरा)

यूज करनी हैं पूरे राजस्थान में। मंत्रीजी, आपके पास माइक्रोन का बैरोमीटर तो है नहीं, न आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। पिछले पांच साल में जब यह रूल आया, आपने इनको इंस्ट्रूमेंट भी खरीद कर नहीं दिये। आज क्या हो रहा है। गुजरात से जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वह रोज रात को वहां से थैलियां भरवाते हैं और यहां भेजते हैं क्योंकि यहां पर तो चैकिंग हो गई कि ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्लास्टिक की थैलियों का जितना माल आ रहा है, मैक्सिमम माल गुजरात से आ रहा है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री डवलप्ड है। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में छापे पड़वाने पड़ेंगे, तब जाकर यह बंद होगा। मैं तो आपको यह कहता हूं कि जयपुर को आप नो-प्लास्टिक जोन आज डिक्लेयर कर दो, क्योंकि यूनेस्को ने जयपुर को यह जो सम्मान दिया है, ऐसा सम्मान बहुत सालों बाद किसी सिटी को राजस्थान में मिला है। हम इसको नो-प्लास्टिक सिटी डिक्लेयर कर दें। मेरी मंत्रीजी से विनती है कि इस पर ध्यान दें।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आज आपके यहां टूरिस्ट आ रहा है, आपने यूनेस्को का कर दिया। क्योंकि दस साल से आप इस महकमे को सम्भाल रहे हैं। आपके समय में जो डवलपमेंट होता है, वह पता पड़ा। पांच साल बाद ये डवलपमेंट करना ही नहीं जानते। जो आप एक बार डवलपमेंट की बात कर देते हैं, उसके बाद यहां डवलपमेंट जीरो हो जाता है क्योंकि पांच साल में यहां मंत्री कई बार चेंज हो जाते हैं। वह आप समझते हैं, बी.जे.पी. के राज में क्यों मंत्री चेंज होते हैं। मेरे को यह किसी को कहने की, बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों मंत्री चेंज होते हैं, हर ढाई-ढाई साल में। जो टार्गेट दिये जाते हैं, वे टार्गेट नहीं होते। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य आप इधर देखिये। उधर क्यों देखते हैं आप। इधर मेरे से बात कीजिये। उनको इन्वाइट कर रहे हैं आप। (व्यवधान) आप इधर बात करिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं तो आपकी ही तरफ देख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चुप रहिये आप, शांत रहें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, वे टार्गेट

(श्री रोहित बौहरा)

पूरे नहीं होते इसलिये वे मंत्री हट जाते हैं। (व्यवधान) ये टार्गेट आप समझ लीजिये। टार्गेट कमप्लीट नहीं होते तो वे बदल जाते हैं।

मेरा इतना सा कहना है साहब, कि मंत्रीजी, जयपुर में ऐसा कोई सिस्टम डवलप करें कि नाइट-टूरिज्म।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मैं तो नया बोलने वाला हूं, एक मिनट तो दें।

श्री सभापति: दो मिनट दे रहा हूं आपको। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): नाइट टूरिज्म की जो आपकी सोच है जयपुर में डवलप करने की, हमारे यहां टूरिस्ट नहीं आएगा, हमारे स्टेट की सर्विस सैक्टर का जो डवलपमेंट है वह कम है। मैं यह चाहता हूं, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि किसी तरह से आप नाइट टूरिज्म में कुछ काम करें, जिससे यह हो जाए।

दूसरी चीज मैं कहता हूं, जो आपकी पिछली सरकार ने, मैट्रो पर फर्स्ट फेज शुरू किया है। आपने कहा है कि 13 हजार करोड़ का आप सैकण्ड फेज लेकर आएंगे। इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें क्योंकि क्या होता है, यदि हम उसमें लेट होते हैं तो पता पड़ा कि हमने काम स्टार्ट किया और उसका बेनिफिट दूसरी सरकार ले जाती है। मैं यह चाहूंगा कि इसी साल से आप इस सैकण्ड प्रोजेक्ट को शुरू करा दें जिससे कि जब तक इलेक्शन होते हैं, उससे पहले आपका सैकण्ड फेज खतम हो जाए। यह थ्रूआउट द वर्ल्ड है, जब तक पूरी मैट्रो सर्कुलर नहीं होगी, तब तक आपकी पूरी मैट्रो प्रोफिटेबल नहीं होगी। यह पूरे वर्ल्ड का नार्म है। आपको पता है, दिल्ली में मैट्रो आज सर्कुलर हो गई है तो Metro has become a lifeline of Delhi. जितना आप मैट्रो में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतना भलाई का काम इस जयपुर के लिये, एक नार्मल आदमी के लिये आप कर देंगे।

दूसरी चीज है, साहब, नगर निगम में पिछली बार मीटिंग हुई है। हम अमूल वालों को और हिमाचल प्रदेश की कोई कम्पनी है, उसको कियोस्क अलाट करना चाह रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और यह कहना चाहता हूं जब हमारे यहां इतनी अच्छी डेयरी है, आज हम किसानों को दो रुपये एक्स्ट्रा, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने बजट से पहले यह अनाउंस किया

(श्री रोहित बौहरा)

था कि दो रुपये एक्स्ट्रा हम हर लीटर पर उनको एक बोनस देंगे। यदि हम अपने ब्रांड सरस को मार देंगे तो किस तरीके से हम चाहेंगे कि यह दो रुपये एक्स्ट्रा हम अपने किसान को दे सकें। आज 76 लाख से ज्यादा किसान हैं, जो सिर्फ दूध पर निर्भर करते हैं। इतनी अच्छी डेयरी है, उस डेयरी को खराब नहीं करें।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या ये अमूल वाले गुजरात में हमारी डेयरी को काम्पीटीशन में कियोस्क दे देंगे? वे नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही हम अपनी डेयरी को नहीं मारें। जबरदस्ती का काम्पीटीशन नहीं लाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं, साहब, राम-राम, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में गंदा पानी है। वह रोड पर आता है। मैं आपसे, सरकार से मांग करती हूं कि हमारे मेड़ता क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जाए तो गंदा पानी नहीं हो और बीमारी नहीं फैले। हमारे मेड़ता क्षेत्र में एक कुण्डल भी है। बरसात के महीने में पानी भर जाता है। वह पूरे मेड़ता क्षेत्र में फैल जाता है इसलिये मैं सरकार से मांग करती हूं कि उस पानी का भी नाला बनवाएं तो ढंग से पानी निकल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, आपने नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास विभाग की अनुदान मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभारी हूं।

नगर आयोजना एक महत्वपूर्ण विषय है, आने वाले समय में हमारे शहर, प्रदेश व देश की तस्वीर क्या होगी, यह नगर आयोजना की भूमिका पर निर्भर करेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज नगरों में प्रमुख समस्या अनियोजित विकास की है। अवैध कालोनियां, कृषि भूमि पर बसी कालोनियां नगर आयोजना के क्षेत्र की बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं की जड़ के बारे में हम गम्भीरता से विचार करेंगे तो लगेगा कि कहीं न कहीं हमारा सरकारी तंत्र ही इसके लिये जिम्मेदार है।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, किसी नगर या कस्बे में बढ़ने वाली आबादी के अनुपात में जब आवासीय, वाणिज्यिक क्षेत्रों की आयोजना समय पर सरकार द्वारा नहीं की जाती है, इसी कारण नगरों का अनियोजित विकास होता है। माननीय सभापति महोदय, व्यक्ति को अपनी जरूरत के समय जो भूखण्ड या दुकान उपलब्ध होती है, वही खरीद कर अपना मकान, दुकान बना लेता है। यदि हमारा विभाग शहर की आगामी वर्षो की जरूरतों को देखकर आवासीय, वाणिज्यिक योजनाएं बनाये तो यह अनियोजित विकास रुकेगा और भविष्य में सड़कें चौड़ी करने के लिये किसी के मकान, दुकान तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि नगर आयोजना में भूमि रूपांतरण, मानचित्र स्वीकृति, नामांतरण, उप विभाजन जैसी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। इन कार्यों में आम जनता का काम सुगम हो सके तो आम आदमी विभागों से अनुमति लेकर ही निर्माण करेगा। परन्तु आदमी इस विभाग के चक्कर लगाते-लगाते थक जाता है, फिर कई बार लम्बी प्रक्रिया व लालफीताशाही के कारण, स्वीकृतियों की समस्या के कारण व्यक्ति बिना स्वीकृति के ही निर्माण कर लेता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थल माण्डलगढ़ से आता हूं। माण्डलगढ़ का किला एक राष्ट्रीय धरोहर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से पूर्व सदस्य रहे माननीय शिवचरणजी माथुर ने दो बार मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व किया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़े नगर आयोजना के प्रमुख मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा। माण्डलगढ़ नगरपालिका की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। भवन की स्थिति भी बड़ी जर्जर है। माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि नगरपालिका माण्डलगढ़ में नव-भवन निर्माण किया जाना आवश्यक है। नगरपालिका माण्डलगढ़ में कर्मचारियों की बहुत कमी है जिससे कि नगरपालिका के कार्य कभी भी समय पर पूर्ण नहीं होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिजौलिया की आबादी करीबन 20 हजार से ऊपर है अत: अभी जो परिसीमन हो रहा है तो मेरी इस पंचायत बिजौलिया को नगरपालिका में परिवर्तित किया जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से पत्र द्वारा जानकारी चाही गयी थी

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

जिसकी आज तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बिजौलिया क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र है तथा खनन क्षेत्र होने के साथ, प्राकृतिक दृष्टि से भी हरा भरा होने के कारण पर्यटन के लिए उपयुक्त माना जाता है।

राजस्थान सरकार द्वारा माण्डलगढ़ नगरपालिका में चुंगी के बदले जो राशि मिलती है, वह बहुत ही कम पड़ती है तथा अब कर्मचारी भी बढ़ गये हैं अत: सरकार अपनी एड में बढ़ोतरी करे। वर्तमान में 7 लाख 51 हजार चुंगी पुनर्भरण राशि आ रही है जबकि 18 लाख की आवश्यकता होती है।

माण्डलगढ़ दुर्ग को पर्यटन हेतु विकसित करना है। माण्डलगढ़ में स्थित माण्डलगढ़ दुर्ग वर्षों पुराना है और अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। उक्त दुर्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। माण्डलगढ़ शहर पहाड़ों के बीच में बसा है, यहां पर जंगली क्षेत्र है इसलिए गर्मी के दिनों में यहां पर जंगल में आग लग जाती है। वहां पर यह अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है तो मंत्रीजी से यह निवेदन है कि माण्डलगढ़ नगरपालिका में एक अग्निशमन की भी व्यवस्था की जाए।

माण्डलगढ़ रीको जो करणपुरा में दस साल पहले बनाया था उसको बिलकुल भी डवलप नहीं किया है और वहां पर बेरोजगारी की भी भारी समस्या है इसलिए बेरोजगारी को देखते हुए नगरपालिका क्षेत्र में रीको स्थापित किया जाए।

माण्डलगढ़ शहर के बीचोंबीच एक जालेश्वर तालाब है। वह नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है। यह ऐतिहासिक महत्व का जालेश्वर तालाब स्थित है, जिसमें वर्तमान में पुरानी आबादी की नालियों के गंदे पानी के मिलने से उसका पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसे प्रदूषण मुक्त करने एवं नालियों के गंदे पानी को, पानी की सतह से ऊपर नाला, सीवरेज बनाया जाना है। यह गंदा पानी तालाब में मिलता है, चारों तरफ पूरा माण्डलगढ़ शहर बसा हुआ है, गर्मी के दिनों में यह पानी कम हो जाता है तो पूरा दुर्गंध मारता है इसलिए यहां पर सीवरेज एवं चारों तरफ नाला बनाने की व्यवस्था की जाए।

माण्डलगढ़ में आर.टी.ओ. आफिस भी स्थापित करना है क्योंकि यह भीलवाड़ा से 65 किलोमीटर और बिजौलिया जो हमारा सबसे बड़ा कस्बा है, वह 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो माण्डलगढ़ में एक आर.टी.ओ. आफिस की स्थापना की जाए।

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

माण्डलगढ़ शहर में खेल स्टेडियम नहीं है। बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान पूर्ण सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो तो एक खेल स्टेडियम की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है।

माण्डलगढ़ में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता है। वर्तमान में नगर का सारा गंदा पानी गांव के अंदर ही, चारों तरफ पहाड़ी होने की वजह से वहां पर ही जमा हो जाता है जो कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही भारी खतरा है इसलिए यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) स्थापित किया जाए जिससे जनता को राहत मिल सके।

माण्डलगढ़ में नई आवासीय कालोनियां बिलकुल नहीं हैं तो आपसे निवेदन है कि आवासीय कालोनियां बनाई जाएं और रीको एरिया का पूरा डवलपमेंट किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे को आज इस मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-29 पर सदन में चर्चा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे को पूरा समय देंगे बीच में टोकेंगे नहीं।

श्री सभापति: आप दस मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जी। राजस्थान में आर्किटेक्चर के लिए हम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब भी हम हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं तो राजस्थान के आर्किटेक्चर का नमूना हमें हर जगह पर देखने को मिलता है और जब भी हम इंडिया को रिप्रजेंट करते हैं तो हमारी एक न एक कलाकृति की तस्वीर वहां पर होती है जो यह दिखाती है कि हमारा पुराना आर्किटेक्चर कितना मजबूत और कितनी ऐतिहासिक बातों को समेटे हुए है। हवामहल की तस्वीर हमें हर जगह पूरी दुनिया में नजर आती है।

जयपुर शहर में मैं आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हूं और जब जयपुर शहर बसाया गया तो जयपुर शहर को एक बहुत दूर-दृष्टि अपनाते हुए एक ऐसे कलात्मक और आर्किटेक्चर से पूर्ण करके बसाया गया। आज हम अपनी पुरानी इमारतों को देखते हैं और अपने आज के डवलपमेंट को देखते हैं, आज के आर्किटेक्चर को देखते हैं तो वह उसमें समावेश नजर नहीं आता है।

(श्री रफीक खान)

जयपुर शहर में आदर्श नगर मेरी कांस्टीट्यूएंसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक बार यहां से महापौर रहे, यहां से दो बार एम.एल.ए. रहे हैं, जिन्होंने जवाहर नगर कच्ची बस्ती, आमागढ़ में कच्ची बस्ती, नागतलाई में कच्ची बस्ती, एक लाख बेघर लोग हैं, जिनके बारे में कभी नहीं सोचा गया। एक लाख आदमी कच्ची बस्तियों में बसे रहे हैं, उनके न तो रहने की व्यवस्था, न उनको किसी बी.पी.एल. का लाभ मिला, न चिकित्सा विभाग से जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका ही लाभ मिला। वह सुविधाओं के अभाव में आज भी जी रहे हैं। मेरी मंत्रीजी से यह गुजारिश है कि जवाहर नगर कच्ची बस्ती जो मेरे क्षेत्र की एक प्रमुख बस्ती है, उसको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज करवाया जाए।

आपके पुराने टेन्योर में जयपुर में टनल बनाई गयी, एलिवेटेड रोड बनाई गयी, मैट्रो बनाई गयी, ब्रिजेज बनाए गये और एक बहुत बड़े डवलपमेंट का काम हुआ।

यहां की कच्ची बस्तियों को बसाने के लिए मेरे ही क्षेत्र बगराना में एक राजीव गांधी आवासीय कालोनी बनाई गयी और माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब वह कालोनी कम्प्लीट हुई तो उस कालोनी को सिर्फ इस वजह से दरकिनार करके छोड़ दिया गया क्योंकि हमारी सरकार चली गयी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी थी तो सिर्फ इस वजह से उस कालोनी को दरकिनार कर दिया गया कि यह कालोनी राजीव गांधी आवासीय योजना है और कांग्रेस द्वारा लायी गयी योजना है इसलिए उसको डम्प करके साइड में पटक दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, 1560 एप्लीकेंट है और 1850 हमने फ्लैट बनाये हैं और तीन साल से वह फ्लैट अलाटमेंट के अभाव में, सिर्फ इस वजह से कि उस कालोनी का नाम राजीव गांधी आवासीय योजना है, पड़े हैं। अभी पिछले साल इन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर यह कहा कि इसको प्रधान मंत्री आवासीय योजना में कन्वर्ट कर दो तो हम यह फ्लैट अलाट कर देते हैं। मैं मंत्रीजी से यह गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितने भी यह एप्लीकेंट्स हैं, क्योंकि एप्लीकेंट और फ्लैट्स की संख्या में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। फ्लैट हमारे पास अभी भी ज्यादा हैं जितने वहां पर एलिजिबल एप्लीकेंट है तो उनको जल्दी से जल्दी अलाट करवाकर गरीब आदमी की सुनवाई की जाए और उनको वह फ्लैट अलाट किये जाएं।

(श्री रफीक खान)

मेरी ही कालोनी में, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में सिल्वन-पार्क है। आपको अंदाजा है कि सेंट्रल पार्क में जयपुर शहर का बहुत ज्यादा प्रेशर है। मार्निंग वाकर्स की इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर रहती है कि आज की तारीख में आदमी आसानी से वाक नहीं कर पा रहा है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक सिल्वन-पार्क है जो 110 हैक्टेयर जमीन पर फैला हुआ है। फोरेस्ट लैंड पर है, पार्क का डवलपमेंट, कांग्रेस के पिछले टेन्योर में उसके डवलपमेंट की बात की गयी लेकिन पिछले पांच सालों में इन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वह जिस पोजिशन पर इन्होंने छोड़ा था, दो छोटे-छोटे ट्रैक बनाकर, आज भी उसी पोजिशन पर यह मौजूद है। 110 हैक्टेयर का मतलब 440 बीघा होता है तो वह उसका साइज अगर आप सही मायने में देखते हैं तो उसका साइज सेंट्रल पार्क से काफी बड़ा है अगर हम उस पर कोशिश करेंगे तो न केवल इस तरह का एक बड़ा ट्रैक बन सकता है बल्कि मैराथन के लिए जो हमारी विभिन्न प्रतियोगिताएं जे.एल.एन. मार्ग पर होती हैं और सड़कों पर दौड़ते हैं, उसके लिए भी हम एक बहुत बड़ा ट्रैक वहां पर बना सकते हैं। मेरी मंत्रीजी से गुजारिश है कि वहां जल्द से जल्द उस पार्क को डवलप किया जाए ताकि लोगों को यहां के प्रेशर से मुक्ति मिले और एक बहुत बड़ा मैराथन का ट्रैक हम जयपुर शहर को एक नयी सौगात के रूप में दे पाएं।

सभापति महोदय, नगर निगम में जिस तरह से काम होता है और जिस तरह से काम हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि नगर निगम का काम, पिछली सरकार ने पांच साल के अंदर कोई काम नहीं किया। शहर की स्ट्रीट लाइट की एनर्जी सेविंग के नाम पर इन्होंने एक स्कीम बनायी। एनर्जी सेविंग स्कीम के तहत इन्होंने दो कम्पनियों से टेंडर कॉल किये। एक कम्पनी ने 50 प्रतिशत एनर्जी सेविंग की बात की, दूसरी कम्पनी ने 77 प्रतिशत एनर्जी सेविंग की बात की। इन्होंने दोनों कम्पनियों को थोड़ा-थोड़ा काम दिया और जिस वक्त यह एनर्जी सेविंग के मोड पर चले गये, उसके बाद भी इन्होंने 10 हजार सोडियम लाइटें खरीद लीं, आज भी नगर निगम में कंडम स्थिति में पड़ी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 10 हजार लाइटों को, जो सोडियम लाइट, जब एनर्जी सेविंग का प्लान बनाकर हमने कांट्रेक्ट किसी कम्पनी को दे दिया, उसके बाद में इन सोडियम लाइटों को खरीदने की क्या जरूरत थी और जब हमने इन एल.ई.डी. लाइटों के लिये कांट्रेक्ट कम्पनी को दे दिया और इस

(श्री रफीक खान)

आशय से दे दिया कि हम सोडियम लाइटें सड़कों से उतारेंगे और उनकी जगह एल.ई.डी. लाइटें लगाएंगे, उसके बावजूद 10 हजार लाइटें खरीद कर ली गयीं। यह बहुत बड़ा जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब मैं बात करता हूं नगर निगम के अधिकारियों से और जब मैं उनसे पूछता हूं तो एनर्जी सेविंग के नाम पर इन्होंने जहां 150 वाट की लाइट लगनी चाहिए या जहां 100 वाट की लाइट लगनी चाहिए, वहां यह 75 वाट की, 50 वाट की लाइट लगाते हैं, 25 वाट की लाइट लगाते हैं। एनर्जी सेविंग का ओरिजनल प्लान यह था कि हम सोडियम लाइटों की जगह अगर एल.ई.डी. लाइट लगाते हैं और एल.ई.डी. लाइट में एनर्जी सेविंग 50 से 75 प्रतिशत तक हम एनर्जी सेविंग कर पाएंगे तो अगर आप लाइटें लगाने में ही कंजूसी कर जाएंगे और लाइटें लगाने में ही वोल्टेज कम कर देंगे तो वह आटोमैटिक ही एनर्जी सेविंग हो जाएगी, हमें एनर्जी सेविंग के मोड पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम उसका लेक्स लेवल मेन्टेन नहीं कर पाएंगे, लेक्स लेवल घटा देंगे तो एनर्जी सेविंग कहां हुई? वह तो आपने उसके वोल्टेज को कम करके एनर्जी सेविंग का नाम दे दिया। प्रति कंजूमर 25 पैसा स्ट्रीट लाइट के नाम पर लिया जा रहा है, जो कंजूमर के साथ एक धोखा है। उसके साथ में उसकी जेब से निकाला गया वह पैसा है जो कायदे से नगर निगम को खुद एनर्जी सेविंग मोड पर जाना चाहिए था और एल.ई.डी. लाइटें खुद खरीदकर लगानी चाहिए थीं।

मेरी मंत्री महोदय से यह गुजारिश है कि इस मामले में एक सघन जांच की जरूरत है और यह तय किया जाए, यह चैक किया जाए कि एनर्जी सेविंग प्लान किस वजह से यहां नगर निगम में लागू किया गया और लागू किया गया तो उसकी शर्तें क्या थीं? किस कांट्रेक्ट के आधार पर किन कम्पनियों को कांट्रेक्ट दिया गया? अगर कांट्रेक्ट किसी कम्पनी को दिया गया तो किन कंडीशंस पर दिया गया, और अगर कांट्रेक्ट दे दिया तो फिर सोडियम लाइटें क्यों खरीदी गयीं? यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। सभापति महोदय, मेरी मंत्रीजी से गुजारिश है कि इसमें पूरी सघन इंक्वायरी होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि यह जो आदमी, जिन्होंने एनर्जी सेविंग मोड पर आने के बाद में एल.ई.डी. लाइट के लिये कम्पनी को कांट्रेक्ट दे दिया, उसके बाद में भी सोडियम लाइटें क्यों खरीदी गयीं?

(श्री रफीक खान)

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा विषय, जिसके बारे में सभी ने चर्चा की और हमारे नवलगढ़ से आने वाले विधायक महोदय ने भी बड़े जोर-शोर से इस बारे में बताया। जोनल प्लान का एक बहुत बड़ा घपला हुआ। सभापति महोदय, जोनल प्लान किस वजह से लाया गया? किस क्राइटेरिया पर कम्पनियां सलैक्ट की गयीं, एक ही कम्पनी को पूरे राजस्थान में कैसे काम दे दिया गया? 24 स्थानों का काम एक ही कम्पनी को दे दिया गया और काम ही नहीं दे दिया गया, गूगल पर मैप बना लिये उन्होंने आफिसेज में बैठकर और नक्शे सब्मिट कर दिये। उसमें नगरपालिकाओं से, नगर पंचायतों से पेमेंट उठाकर दे दिये गये। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं - डूंगरगढ़ से 3 करोड़ 29 लाख रुपये दे दिये गये, बीदासर से 2 करोड़ 34 लाख रुपये दे दिये गये। बिना किसी काम को किये हुए। नगरपालिका भादरा से 70 लाख रुपये दे दिये गये, राजगढ़ से ढाई करोड़ रुपये दे दिये गये। रतननगर से 38 लाख रुपये दे दिये गये, छापर से एक करोड़ 65 लाख रुपये दे दिये गये। इस तरीके से एक बहुत बड़ा स्कैण्डल हुआ। मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि इस मामले में भी सघन जांच की जरूरत है और उच्च स्तर की जांच इसमें करायी जाए और जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सारे सदन की डिमांड है, सभापति महोदय, कि जांच के बारे में विस्तृत बात की जाए।

श्री सभापति: सारा सदन सुन रहा है आपकी बात।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर) उसमें जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बहुत-से सदस्यों ने, हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने कई सारे सवाल कार्यशैली पर उठाए। उनकी नजर मैं एक शेर से करना चाहता हूं -

'ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या,

जहां कातिल खुद ही पूछे हुआ क्या?'

बहुत देर से डिस्कशन हो रहा है, हमारे मंत्रीजी यहां बैठे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तो शुरू ही नहीं किया, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनकी नजर भी एक शेर मैं करना चाहता हूं, जो सुबह से यहां सबकी बात सुन रहे हैं-

'लहरों को शांत देखकर यह मत समझना,

कि समन्दर में रवानी नहीं है,

जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे,

अभी उठने की ठानी नहीं है।''

साढ़े नौ बजे उठेंगे यह।

श्री सभापति: वापस सुनने की भी हिम्मत है क्या? मंत्रीजी जब आपसे वापस कहेंगे तब सुनना।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, एक मसला नगर निगम का ही मैं आपके जरिये मंत्रीजी को अर्ज करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में कचरा उठाने के नाम पर गलियों से, घर-घर कचरा बीनने के नाम पर, कचरा लेने के नाम पर एक नये माडल का ईजाद किया गया। मैं आरोप लगाता हूं हमारे विपक्ष के ऊपर, तत्कालीन मेयर के ऊपर, तत्कालीन मंत्रियों के ऊपर कि एक ऐसा माडल उन्होंने तैयार किया, जो पर्टीकूलर किसी एक कम्पनी को बेनिफिट देने के लिये था। उसके हिसाब से यह कांट्रेक्ट तैयार किया गया और उस कम्पनी को 1 रुपये 60 पैसे के हिसाब से घर-घर कचरा उठाने की पालिसी के तहत कांट्रेक्ट दे दिया गया। सब-लेट की कोई कंडीशन उसमें लागू नहीं थी। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जगह-जगह कचरा पड़ा है। सभापति महोदय, शहर सड़ रहा है और पोजिशन यह है कि वहां पर जिस गाड़ी को रोज आना चाहिए था, वह कोई गाड़ी वहां रोज कचरा उठाने के लिये नहीं आती। जो सब-लेट की कंडीशन थी, उसमें सब-लेट कंडीशन अलाउ नहीं थी इनको, इन्होंने 90 पैसे, 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसे, अपने राजनीतिक लोगों को फायदा देने के लिये, उनके चहेतों को, उनके द्वारा रिकमण्ड किये गये लोगों को कांट्रेक्ट सबलैट कर दिया और पोजिशन यह है कि उनकी च्वाइस घर में जाकर कचरा उठाना नहीं रही, उस कम्पनी की च्वाइस बड़े मैरिज डेस्टिनेशन हो गये, जहां उनको सामने वाला भी कुछ पैसे दे देता है। वह घर-घर से कचरा उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। वह गलियों में, मौहल्लों में नहीं जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, पूरा शहर सड़ रहा है तो इस पर बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है और कम्पनी की भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि किस वजह से यह कांट्रेक्ट इनको दिया गया,

(श्री रफीक खान)

कैसे इसका माडल ड्राफ्ट किया गया? किस तरीके से एक कम्पनी को फायदा देने के लिये इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, जो कम्पनी यहां की है ही नहीं, जिसकी कम्पनी का जयपुर में कोई लेना-देना नहीं है। पूना से एक कम्पनी इम्पोर्ट की गयी।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर) मेरी गुजारिश है कि इस पर पूरे तरीके से एक इंक्वायरी हो और सदन को इस बात को जानने का अधिकार है कि यह साल का 50-60 करोड़ रुपये, जो कम्पनी ले रही है, वह जो काम कर रही है...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक प्राब्लम, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शहर का आधा हिस्सा आता है घाटगेट से लेकर रामगंज, और रामगंज से लेकर पूरा सूरजपोल, और शहर की सारी कांस्टीट्यूएंसी में पूरे जयपुर शहर में एक बड़ी जबरदस्त प्राब्लम है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, सीवरेज की एक बहुत बड़ी प्राब्लम है। जयपुर शहर की जब सीवरेज योजना बनायी गयी और सीवरेज प्लान एग्जिस्टेंस में आया, तब जयपुर शहर में आबादी का प्रेशर बहुत कम था। मकानों का साइज 500 गज, हजार गज या 1500 गज का था, आज की तारीख में...

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री लक्ष्मण मीणा।

(17.00 बजे)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, एक मिनट। वहां की पोजिशन यह है कि वहां जिस मकान में पांच आदमी रहते थे वहां 500 आदमी रहते हैं, या 200 आदमी रहते हैं, या 50 आदमी रहते हैं, बड़े-बड़े मकानों के रूप छोटे हो गये तो सीवरेज लाइन अण्डर कैपेसिटी है। बहुत ज्यादा जरूरत है, यह बहुत बड़ा काम नहीं है। शहर के अन्दर अगर डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो अगर एक प्लान के तहत चाहे स्मार्ट सिटी में, चाहे हैरिटेज में, चाहे किसी भी तरीके से शहर की लाइन को बड़ा किया जाए और उनको इस कैपेसिटी का बनाया जाए, एक लोंग टर्म प्लानिंग की जाए ताकि वो लाइनें आगे आने वाले बीस साल तक अण्डर कैपेसिटी नहीं रहें और एक सुगम सीवरेज की व्यवस्था की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक गुजारिश है। आजकल बड़ा जोर-शोर चल रहा है कि नरेन्द्र मोदी जी के बारे में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने यू.एस. प्रेसीडेंट को यह कहा कि आप हमारा मीडिएशन कर दो, पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसीडेंट को यह रिक्वैस्ट की है कि आप हमारा मीडिएशन कर दें पाकिस्तान के प्रति।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, प्लीज। श्री लक्ष्मण मीणा। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): और मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य। विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। बैठिये आप। विराजिये, विराजिये। क्यों उत्तेजना पैदा करते हो? विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है, बैठिये। विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, आसन पैरों पर है, विराजिये। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अलाउ नहीं करूंगा, बैठिये आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करिये। सहयोग करिये आप, विराजिये। आपने मौका खो दिया, विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। अंकित नहीं होगा। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा में भाग लेने का मेरे को अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जो समस्याएं हैं नगर नियोजन और वहां के विकास के सम्बन्ध में, उनमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): महिला सम्मेलन हो रहा है।

श्री सभापति: हैं? आपको एतराज है कोई? नहीं, कोई एतराज हो तो बताओ। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहीं, अपनी बात ही कर रही हैं। आपको यह वहम हो रहा है वो धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को चिंता है कि आप धर्म परिवर्तन तो नहीं करवा रहे हो न? धर्म परिवर्तन मत करवाना किसी का, चिंता हो रही है इनको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हम एक साथ बैठे हैं इसलिए चिढ़ हो रही है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 11 ग्राम पंचायतों के 41 गांव जे.डी.ए. के क्षेत्र में आते हैं लेकिन उन गांवों का विकास नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि वहां गांवों के

(श्री लक्ष्मण मीणा)

विकास के लिए स्कूलों के ग्राउंड, जो सार्वजनिक यूज की बिल्डिंग्स हैं, बढ़ती हुई आबादी के लिए मकान बनाने के लिए जो जमीन चाहिए उसके लिए वहां जमीन उपलब्ध नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 19 जून, 2017 में एक सर्कूलर जारी किया था कि नगरीय परिधि में आने वाली ग्राम पंचायत के उन गांवों को जो सरकारी जमीन आबंटन योग्य है वो जमीन उनको उपलब्ध करायी जायेगी और उसमें यह था कि मैक्सिमम या तो 25 परसेंट, जो जमीन उनकी ली गई है उसका 25 परसेंट या 15 हजार वर्ग गज, जो भी कम होगी वो दी जायेगी लेकिन अभी तक किसी भी गांव को वो जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है, इस वजह से गांवों का विकास रुका हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो जे.डी.ए. को निर्देश दे कि उन सभी 41 गांवों को वो जमीन उपलब्ध करा दी जाए।

बस्सी आपके जे.डी.ए. के क्षेत्र में आता है उसमें वहां पर कोई भी सार्वजनिक पार्क नहीं है तो मैं मांग करता हूं कि जेडी.ए. की तरफ से एक सार्वजनिक पार्क विकसित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, 2011 के बजट में तत्कालीन सरकार ने वहां एक आर.ओ.बी. की घोषणा की थी लेकिन अभी 9 साल बाद भी वो आर.ओ.बी. बनकर पूर्ण नहीं हुआ है। जे.डी.ए. उसका निर्माण करा रहा है लेकिन उसकी प्रगति इतनी धीमी है कि लगता है अभी भी उसके निर्माण में डेढ़-दो साल लग जाएंगे, तो उसके कार्य में प्रगति लाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मास्टर प्लान के अनुसार इंदिरा गांधी नगर से बस्सी तक एक 100 फीट की रोड रेलवे ट्रैक के समानान्तर बनायी जा रही है जो कानोता तक बन गई, तो उसका कार्य भी जो रुका हुआ है उसको प्रारम्भ करके बस्सी तक निर्माण कार्य कराया जाए ताकि आगरा रोड से जो ट्रैफिक जाता है भरतपुर, धौलपुर, यू.पी., मध्य प्रदेश की तरफ वो कम हो, एक्सीडेंट्स कम हों और जो उधर जाने वाले हैं कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, वो ट्रैफिक इस साइड से गुजर सके।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी कस्बे में 1978 से 1992 तक नगरपालिका थी लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से उसको तोड़ दिया

(श्री लक्ष्मण मीणा)

गया जबकि वो सभी नोर्म्स पूरे करती है। इसके बाद वहां 2013 में नगरपालिका की घोषणा की गई थी, तीन-चार जगह और की गई थी लेकिन तत्कालीन, पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने और जगह की सब नगरपालिकाएं बना दी हैं लेकिन बस्सी में अभी तक नगरपालिका नहीं बनायी तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जब आप जवाब दें तो बस्सी में नगरपालिका की घोषणा करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र में काफी इलाके में होकर द्रव्यवती नदी गुजरती है लेकिन वहां कुछ गांव ऐसे हैं जैसे बिशनसिंहपुरा है, पीपलाबाई है, रूपपुरा है, उनके बीच में से निकल रही है तो गांव की जमीन एक तरफ रह गई, गांव वाले दूसरी तरफ रह रहे हैं और उनके आने-जाने के लिए वहां कोई पुलिया नहीं बनायी गयी है तो गांव वालों को अपने खेतों पर जाने के लिए करीबन सात से आठ, नौ-नौ किलोमीटर होकर जाना पड़ता है तो इसके लिए वहां बिशनसिंहपुरा में एक पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि वो ग्रामवासी अपने खेतों पर आसानी से पहुंच सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जे.डी.ए. के बारे में बोलना चाहूंगा कि जे.डी.ए. में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार वहां है जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वहां, कोई भी फाइल अगर जे.डी.ए. में जायेगी तो बिना पैसे के वो आगे बढ़ती ही नहीं है चाहे वहां कोई भी हो, तो गांव वालों के साथ में बड़ा अन्याय होता है। इसमें मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जे.डी.ए. में मंत्रालयिक कर्मचारी पदस्थापित हैं, उनका भी अन्य जगह स्थानान्तरण किया जाए तथा बाहर के महकमों से, जो बाहर से यहां डेपुटेशन पर आते हैं, आरएएस आफिसर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं वो यहां बार-बार डेपुटेशन पर आने की फिराक में रहते हैं तो उनको एक बार डेपुटेशन देने के बाद दोबारा जे.डी.ए. में पद-स्थापित नहीं किया जाना चाहिए ताकि इससे जो भ्रष्टाचार है उस पर भी लगाम लग सकेगी और एक इन मंत्रालयिक कर्मचारियों का यहां से ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक नियमन की प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए। बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति का एक समय तय करें ताकि उस समयावधि के अन्दर बिल्डिंग प्लान बनाकर और वहां से पास करके दे दी जाए।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, बस्सी में करीब 50-60 कालोनियां ऐसी हैं जो कृषि भूमि पर बनी हुई हैं जे.डी.ए. एरिया है, वहां आज तक कोई कैम्प नहीं लगा है तो कैम्प लगा कर उनको नियमित किया जाए ताकि वहां कालोनी में जो लोग बस रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो तो इस कार्य को जल्दी ही किया जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, 90-ए के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। 90-ए करने के लिए पहुंच मार्ग 40 फुट का आवश्यक कर दिया है जो निगम क्षेत्र में सम्भव ही नहीं है।

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): पूर्व में 30 फुट चौड़ी सड़कों की कालोनियां पास कर दी हैं। इसे निगम क्षेत्र से समाप्त किया जाए। वहां किसी भी हालत में 40 फुट का पहुंच क्षेत्र नहीं होगा।

सभापति महोदय, जयपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चारों तरफ एक सिक्योरिटी कोरिडोर बनाया जाना आवश्यक है। जयपुर के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कोरिडोर नहीं है। कभी भी इमरजेंसी अगर आई तो उसमें प्रवेश करने या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर चर्चा में समय देने के बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, सम्माननीय मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि जब वह पिछली बार मंत्री थे तो उस समय उन्होंने कोटा जेल के लिए खसरा नंबर 201 की जमीन अलाट की। तब से लेकर आज तक जेल का पैसा होने के बावजूद जेल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है कि आपने सबसे पहले जहां जमीन अलाट की खसरा नंबर 201 में, उसी पर जेल बननी चाहिए। वहां कभी यूआईटी वाले जाते हैं और जो किसान 80-80 सालों से सिवाय चक जमीन पर

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बसे हुए हैं या उनकी कृषि लैंड है, वहां जाकर के उनको परेशान करने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि वहीं जेल बने।

सभापति महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आज भी मेरी विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश की नगरपालिकाओं में अनेकों परिवार ऐसे हैं जो आवासहीन हैं। सरकार को इस ओर विचार करना चाहिए कि पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकान नगरपालिकाओं में भी बनाए जाएं। अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा लाभ जनता को मिलेगा।

केशोरायपाटन विधान सभा की नगरपालिकाओं में जो खाली भूखंड पड़े हैं और जो आवासीय मकान हैं, जिनके पट्टे नहीं हैं, उनको पट्टे जारी किए जाएं। समय-समय पर एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग हो, इसके लिए भी नगर निकायों को पाबंद किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो चारों नगरपालिकाएं हैं, एक में भी स्टेडियम निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्टेडियम के लिए राशि हमें दी जाए। मेरी चारों नगरपालिकाएं और जहां से मैं पहले विधायक थी रामगंजमंडी, पांचों ही जगह पर मृत पशुओं को डालने के लिए जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है। कालोनियों के किनारे मृत पशुओं को डाल जाते हैं। इससे लगातार बदबू फैलती है। इतने लड़ाई, झगड़े होते हैं। इससे स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। इसका काम भी अगर हम सब जगह करेंगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ स्थानीय निकायों को होगा।

सभापति महोदय, केशोरायपाटन में केशोराय जी का मंदिर हमारी श्रद्धा का केन्द्र है। इतना बड़ा मंदिर वहां पर बना हुआ है। रंगपुर से वहां तक जाने के लिए एक सुलभ रास्ता हमें मिले। इसके लिए एक झूले का निर्माण चंबल नदी पर किया जाए।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि कचरे के निस्तारण के लिए हमारी नगरपालिका इंद्रगढ़ में भी काफी मशक्कत चल रही है। बार-बार चेयरमैन साहब का फोन 2 महीने से मेरे पास भी आ रहा है। चारों ही जगह कचरा प्रबंधन के लिए हमें जमीन अलाट की जाए। आपने केशोरायपाटन में की है, लेकिन वह चंबल के किनारे है। अगर आप चंबल को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कचरे का निस्तारण वहां नहीं हो। पहले ही हम लगातार देख रहे हैं कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोटा शहर में सारे गंदे नाले चंबल के अंदर गिर रहे हैं। हम डीसीएम रोड पर चले जाएं तो हम देखेंगे कि वहां कदम रखते ही केमिकलयुक्त पानी की बदबू आती है। मैं विज्ञान नगर में रहती हूं। मैंने वहां पर भी देखा कि जो छोटी-छोटी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उनकी वजह से कहीं न कहीं गैस लीकेज होती है और विज्ञान नगर तक बदबू आती है। साल भर पहले तो ऐसा समय भी आया कि लोग बेहोशी की हालत में पहुंच गए। इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें कहीं न कहीं ठोस कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय, मेरी चारों ही नगरपालिकाओं में गौ-शालाओं के लिए जमीन अलाट की जाए। आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं तो लगातार एक्सीडेंट होते हैं। अगर गौ शालाओं का निर्माण होगा तो इससे हमें निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि लाखेरी में हमारा बस स्टैंड अस्त-व्यस्त पड़ा है। माडर्न बस स्टैंड हम बनाएं, इसके लिए राशि दी जाए ताकि बसें अंदर कस्बे तक जाएं। इससे हमारे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। वह लगातार परेशान हो रहे हैं और मुझे भी बताते हैं।

सभापति महोदय, मेरी चारों ही नगरपालिकाओं में फ्लोराइडयुक्त पानी है। अगर आप वहां के टीडीएस का पता लगाओगे तो आप भी दंग रह जाओगे कि वहां के क्या हालात हैं। ऐसे पानी को पीने के लिए जनता मजबूर है। चारों ही नगरपालिकाओं में एक-एक आर.ओ. प्लांट लगे तो निश्चित रूप से इस फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात मिलेगी।

इसके अलावा लाखेरी नगरपालिका में पानी की समस्या को देखते हुए निजात दिलाना चाहते हैं तो झिकझिक डैम नगरपालिका क्षेत्र में बना हुआ है, जो बरसों पहले एसीसी फैक्ट्री थी, मेज नदी से लिफ्ट करके पानी उसमें भरती थी। उससे हमारे वहां ट्यूबवैल और हैंड पंप चलते थे। वर्तमान में हम 900 फीट की गहराई पर भी ट्यूबवैल लगाते हैं तो पानी नहीं आता है। बिलकुल डार्क जोन जैसी वहां पर स्थिति है। मेरा निवेदन है कि मेज नदी से झिकझिक डैम को भरने की व्यवस्था की जाए। वहां नगरपालिका क्षेत्र में इतना बड़ा सुखाड़िया पार्क भी बना हुआ है उसी के किनारे पर वह है। इसके लिए अगर आप बजट देंगे तो इससे बहुत बड़ा लाभ लाखेरी को होगा। मेरी जन्म स्थली भी लाखेरी है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि लाखेरी शहर में हम लोग जैसे ही कदम रखेंगे, हमें लगता ही नहीं कि हम नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे हैं। पूरी सड़कें इतनी टूटी-फूटी स्थिति में वर्तमान में हैं। इसके लिए भी राशि दिलवाई जाए।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि केशोरायपाटन नगरपालिका में 22.50 करोड़ रुपये की नगरपालिका द्वारा जमीन बेची गई। वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ईओ से भी कई बार चर्चा की। साल भर, 2 साल पहले सीसी सड़क बनी है। उस सड़क को आप लोग जेसीबी से खोद-खोदकर फेंक रहे हो। दुबारा 50-50 लाख रुपये की सड़कें बना रहे हो। क्या इतनी बड़ी राशि, जो कि जनता का पैसा है, उसको इस तरह से खुर्द-बुर्द किया जाएगा? मैं कहूंगी कि इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम ऐसा नहीं करें। इसकी आप लोग जांच करवाएं, 50 लाख रुपये की सड़क बनी और उसको 8 इंच बनना था, वह 4 इंच में बनाई गई। उसकी जांच भी हुई। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अगर आप जांच कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि यह गलत हो रहा है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इंद्रगढ़ नगरपालिका जहां पर बीजासन माताजी का बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे राजस्थान से वहां पर लोग जाते हैं। वह एरिया वन विभाग में बसा हुआ है। वह नगरपालिका का ही हिस्सा है। जहां तक मुझे उसकी जानकारी मिली है कि स्थानीय लोगों ने कुछ केस किया, कोर्ट में गए, कोर्ट से जीतकर भी आए। कोर्ट के आदेश की पालना हो और उसे वन क्षेत्र से मुक्त करवाया जाए। इसके लिए आप लोग प्रयास करें। कही न कहीं लैंड फार लैंड कन्वर्ट करवाकर उन्हें पट्टे देने की बात भी आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस काम को करेंगे।

सभापति महोदय, कोटा शहर की जो हमारी वन विभाग में बसी हुई कालोनियां हैं, आंवली, रोजड़ी, नया गांव और रथ कांकरा तक, कम से कम 30 हजार मकान इन चारों कालोनियों में बस चुके हैं। वर्तमान में मूलभूत सुविधा तक इनको नहीं मिल पा रही है। बिजली का अभाव है और कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कें नहीं बन पा रही हैं। पठारी एरिया होने की वजह से बारिश का पानी नालों के रूप में बह रहा है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मेरा निवेदन है कि आप कहीं न कहीं इन कालोनियों का उद्धार करने के लिए कुछ ऐसा काम करके जाएं कि वह लोग आपको याद रखें। आप लैंड फार लैंड जमीन कन्वर्ट करवाकर उनको पट्टे दिलाएं। नया गांव में ज्यादातर भील समाज के लोग रहते हैं। अगर आप वन अधिकार पत्र उनके भरवाकर, उनको पट्टे दे सकते हैं तो वह भी काम करें। इससे बहुत बड़ा लाभ वहां की जनता को होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि केशोरायपाटन, लाखेरी और इन्द्रगढ़, तीनों ही जगह हमारे पास अग्निशमन गाड़ियां नहीं हैं, fire brigade हमारे पास नहीं है। जब कहीं भी आग लगती है, अभी भी मैंने देखा कि कम से कम पचास जगह गर्मी में आग लगी खेतों के अंदर, जो आसपास हमारे खेत थे, कापरेन, केशोरायपाटन, इन्द्रगढ़, लाखेरी और एक ही हमारे पास fire brigade है, कापरेन वाली को जिसको हम सब जगह भेजते हैं, उससे इतनी अव्यवस्था होती है कि आप पूछो मत। एक दिन तो मुझे कोटा से भेजना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। मेरा निवेदन है कि हमें अग्नि शमन गाड़ियां दी जाएं ताकि हम अग्नि पर काबू पा सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सुकेत, रामगंजमंडी की जो हमारी ग्राम पंचायत है, 25 हजार से ज्यादा population है, पहले भी मैंने सम्माननीय वसुन्धराजी के समय इसकी मांग की थी, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था, बिलकुल last stage पर होते-होते नगरपालिका कैसे रुक गई, यह मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरा निवेदन है कि उसको आप नगरपालिका बनाइए। वहां लाखों करोड़ों की जमीन पर लगातार बाहर के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी buildings बना रहे हैं। कहीं न कहीं इसको खुर्दबुर्द करने का काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, सफाई के नाम पर zero, लगातार गंदगी मोहल्लों में फैलती रहती है। इससे उसको निजात मिलेगी अगर उसको आप नगरपालिका बनाएंगे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, अमृत योजना में कोटा का प्रस्ताव लिया था और पिछली बार drainage के लिए जो काम होना था वह रामगंजमंडी विधान सभा क्षेत्र के चारों वार्ड हैं, उनके अंदर नहीं हो पाया तो उसको भी हम करवाएंगे तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि housing board की जो colony हैं, चाहे स्वामी विवेकानन्द नगर हो, चाहे गणेश नगर हो, और कालोनियां हों इनको हम लोग housing board से नगर निगम में convert, transfer करने के लिए प्रयास करेंगे तो वहां की जनता को relief मिलेगा क्योंकि वहां की जनता को अभी वर्तमान में भी मैंने देखा कि पिछले दस साल से मैं देख रही हूं कि स्वामी विवेकानन्द नगर कालोनी, housing board colony है। आप देखिए कि housing board ने कालोनी बनाई होगी तो कहीं न कहीं वहां पर उनके बीच में कोई न कोई समझौता हुआ होगा लेकिन जब भी मकान का काम वहां के स्थानीय लोग चलाते हैं तो उनको नोटिस दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एक-दो मिनट और दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग द्वारा वहां दादागीरी से मकान का बंद करवा दिया जाता है या उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, इसको रुकवाया जाए। स्थानीय स्तर पर जो इसका समाधान हो सकता है उसको कम करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां-जहां भी नगरपालिकाओं में underpass हमारे बने हुए हैं, चाहे रामगंजमंडी को ही हम ले लें, इतना पानी भरा हुआ रहता है कि जनता का निकलना दुश्वार है तो इसके लिए भी हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि वहां पर या तो permanent motor लगाएं या कहीं न कहीं नालों का निकास दें क्योंकि वहां एक तरफ तो रेलवे की लाइन है, रेलवे वाले नाला निर्माण नहीं करने देते और पूरा पानी वहीं का वहीं भरा रहता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि झालावाड़ में दो-तिहाई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है और एक-तिहाई पार्षद वहां बचे हैं। अभी तक वहां प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है, उसको भी आप करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गणेश उद्यान, पूरे कोटा का वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आकर्षण का केन्द्र है, बहुत अच्छा निर्माण हुआ है, आपके समय में भी हुआ, अब भी चल रहा है, पिछले पांच साल में भी हमने बहुत विकास करवाया, उसका सैकंड थर्ड फेज का काम होना था, उसको complete करवाएंगे तो वहां की जनता को लाभ मिलेगा।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, सीसीटीवी कैमरे मैंने अपने विधायक कोष से रामगंज मंडी में लगाए थे। वर्तमान में उनकी स्थिति यह है कि बिलकुल इस तरह से पड़े हुए हैं कि विधायक कोष का, जनता का पैसा है, 20 लाख रुपये मैंने दिए थे, उनको भी हम सुचारु रूप से चलाने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक पाइंट कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहती हूं कि केशोरायपाटन में 50 लाख रुपये की लागत से एक सीसी रोड का निर्माण हुआ, लोकायुक्त को पार्षदों ने शिकायत की, पार्षदों के शिकायत करने के बाद डिप्टी डाइरेक्टर, आपके विभाग को जांच दी, 6 जने दोषी पाए गए और deputy director ने फाइल भिजवा दी डाइरेक्टर साहब के पास कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए, विराजिए। श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): पत्र संख्या आपके 267 है, 12.04.2019 को यह भेजा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

माननीय सभापति महोदय, जयपुर में सबसे पहले 2012 में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा मैट्रो की सैकंड फेज का शिलान्यास किया गया था उसके लिए और यहां बैठे हमारे मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह सम्पूर्ण एरिया मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में आता है। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बजट में मुझे कन्या महाविद्यालय दिया गया और किशनपोल क्षेत्र के लिए खास तौर से जो वाक-वे की घोषणा की गई उसके लिए मैं सरकार का और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं। जयपुर में नगर निगम की व्यवस्था जो चल रही है उसमें 91 वार्ड हैं और 9 जोन में इसका बंटवारा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि हम जैसे जन प्रतिनिधि को जिस तरीके से जोन के अधिकारियों से बात करने में तकलीफ होती है वह एक सोचने का विषय है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी, किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में 4 जोन अधिकारी आते हैं। हवामहल पूर्व, हवामहल पश्चिम, सिविल लाइन्स में एक वार्ड आता है और विद्याधर नगर जोन में एक वार्ड आता है। उसी तरीके से मेरे को सारे दिन किसी भी काम के लिए किसी भी एरिये के सिर्फ 9 वार्डों के काम करने के लिए चार डीसी, चार एक्सईएन, 25 जेईएन और तमाम अधिकारियों से बात करने में निकल जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके हर जोन में एक विधान सभा क्षेत्र को समाहित करके एक जोन को एक विधान सभा क्षेत्र दे दिया जाए, इससे अधिकारियों को भी इंटरएक्ट करने में आसानी होगी और जन प्रतिनिधियों को भी आसानी होगी और जनता को भी लाभ मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर के किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में जिस तरीके से बेतरतीब थड़ी और ठेले लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि आपने भी पिछले तीन महीने में तकरीबन तीन दौरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के किए। माननीय मंत्रीजी, कृपा करके इन थड़ी-ठेले वालों को एक वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दिया जाए। इसमें मेरा सुझाव है कि नागतलाई के पूरे नाले को पाट कर इनको वहां शिफ्ट कर दिया जाए तो जयपुर शहर के अवाम को सुव्यवस्थित ढंग से यातायात का संचालन करने में आसानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों सरकार के प्रयास से जयपुर को जिस तरीके से वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल किया गया, मैं सरकार को बधाई देता हूं, सरकार के अधिकारियों को बधाई देता हूं

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

और खास तौर से मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास से आज जयपुर वर्ल्ड हैरिटेज साइट में आया है। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से और जितनी भी जयपुर की जनता है, उसकी तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए आपको कहना चाहता हूं कि इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, जो हैरिटेज प्रोपर्टीज हमारी हैं, उसके अंदर खास तौर से पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाओं को हमें देना पड़ेगा। चूंकि पर्यटन विभाग कुछ ऐसी व्यवस्था करने में अक्षम है जो पर्यटकों को देनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितनी भी हैरिटेज प्रोपर्टीज हैं, उनके संरक्षण की आवश्यकता है और वहां पर बेहतरीन वर्ल्ड क्लास टायलेट सफाई की व्यवस्था करें। आप कृपा करके हैरिटेज सिटी जो हमारी पुरातत्व सम्पत्तियां हैं जो किशनपोल में अधिकतर हैं उनकी सफाई के लिए, कचरा संग्रहण के लिए अलग से बजट आबंटन करें।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर में पिछले दिनों देखने को मिला कि आवारा पशुओं से बहुत सारी जानें गईं एक विदेशी की भी उसके अंदर मौत हुई। यह एक सोचने का विषय है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शहर में तकरीबन साढ़े चार हजार गंदी गलियां हैं और उनको साफ करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 17.03.17 को एक एग्रीमेंट किया बीवीजी लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से और उसकी शर्तें थीं उन शर्तों को पिछले मेयर साहब ने तार-तार किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि निगम के संसाधन सारे उनको जीरो कास्ट पर दे दिए गए और ऐसा मुझे पता चला है कि चार दिन पहले विभाग की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, जो संसाधन थे, तहस-नहस करके, कंडम करके विभाग में वापस जमा करवा दिया जबकि उनके कांट्रेक्ट में कोई ऐसा क्लाज नहीं था कि निगम के जितने भी संसाधन हैं, बीवीजी कम्पनी यूज करेगी।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस कम्पनी ने हमारे जो सारे संसाधन कंडम किए हैं उसकी भरपाई की जाए और ये संसाधन जिस तरीके से कंडम किए गए हैं, वो करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी, जो सालों से हमने संग्रहित की थी, वह आज हमारे पास जीरो है। As per agreement, इन्हें 1546 हूपर लगाने थे, आज 546 या 540 हूपर शहर में काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बीवीजी कंपनी, को जो पूरे शहर को गंदा कर रखा है, क्लाज में यह था कि सारी चार हजार गलियां ये साफ करेंगे और कचरा उठाएंगे, लेकिन

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

आज तक इन्होंने कोई कचरा संग्रहण का काम हाथ में नहीं लिया। इनके एग्रीमेंट में कोई भी ऐसा क्लाज ऐसा नहीं था कि ये इसको सबलैट कर सकें, लेकिन इन्होंने सबलैट करना अब भी जारी कर रखा है।

मैं कहना चाहता हूं कि कंपनी को व्हीकल-टू-व्हीकल कचरा शिफ्ट करने का जो प्रावधान था, उस पर गौर किया जाए। हमारे निगम के माध्यम से और इस बीवीजी कंपनी जिसने शहर को जो गंदा किया है, इसके लिये इससे बात की जाए और निष्कर्ष निकाला जाए कि ये अगर as per agreement हमारे साथ काम कर सकते हैं तो इन्हें जारी रखा जाए अन्यथा इन्हें नोटिस देकर हटाया जाए।

मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार में मंत्री महोदय, आपके और मुख्य मंत्री जी द्वारा एक योजना चालू की गयी थी, राजीव आवास योजना, संजय नगर कच्ची बस्ती में जिसका शिलान्यास किया गया था और तकरीबन 2200 फ्लैट वहां बनने थे। आज उसमें सरकार के 45 करोड़ रुपये लगकर डंप पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्कीम को तत्कालीन सरकार ने द्वेषतापूर्ण उस प्रोजेक्ट को डंप किया और हजारों लोग उन मकानों से आज वंचित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस स्कीम को, जिसको आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 2013 में शुरू किया था, उसे पुन: चालू किया जाए और यह जो मकान बनाने का काम है, राजीव आवास योजना, इसको अतिशीघ्र शुरू किया जाए।

बीवीजी कंपनी, जिसका कोई 1 रुपये 65 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अनुबंध है, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये सबलैट जो कर रहे हैं 80 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपये में, ये लोगों को राजनीतिक फायदा देने के लिये तत्कालीन मेयर साहब ने अपने जितने भी चहेते थे, उन्हें सबलैट करने के लिये बीवीजी को बाध्य किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार है और हम इनके एग्रीमेंट के हिसाब से 1576 संसाधन इनसे लेने में सक्षम हैं। जितने भी अधिकारी यहां बैठे हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनसे आप as per agreement बात करें और अगर as per agreement बात नहीं करते हैं ये, तो इन्हें अतिशीघ्र रवानगी दी जाए। आपकी इस तरह की मोडस आपरेंडी होनी चाहिए। यह अधिकारी अच्छे से जानते हैं।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शहर में सारी गलियां, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, विवाह स्थल पर जो आये दिन कचरा होता है, उसे उठाने के लिये हम सब लोगों को पता है कि त्यौहारी सीजन हो या सावों का सीजन हो, जितने भी वैवाहिक स्थल हैं, उनका पंजीकरण निगम में होता है। मैं कहना चाहता हूं कि निगम के अधिकारी जब उन गार्डंस से चार्जेज लेते हैं तो दूसरे दिन सफाई करने की निगम की पूर्ण जिम्मेदारी है। आप अपने अधिकारियों को पाबंद करें। अपने सीएसआई को पाबंद करें कि जिस भी विवाह स्थल पर, शादी-ब्याह हो रहा है तो दूसरे दिन उसकी सफाई हो, क्योंकि आये दिन यह एटमास्फियर पूरा खराब होता है, गन्दगी फैलती है और पूरा वातावरण दूषित होता है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तकरीबन एक लाख लाइटें नगर निगम के स्टाक में हैं अभी तक, लेकिन ब्रैकेट्स नहीं हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए आप। विराजिए, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): एक लाख लाइटें निगम में उपलब्ध हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं होने की वजह से शहर में लाइटें नहीं लग पा रही हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जयपुर में नगर निगम को आदेश देकर जो लाइटें पड़ी हुई हैं, उनके लिये ब्रैकेट्स अवेलेबल कराये जाएं ताकि शहर में जो लाइटें लग चुकी हैं अब तक, उनमें इजाफा हो सके। इसी तरह कुछ खास इलाकों में, जिस इलाके से मैं आता हूं, 15 साल से हमारी पार्टी के विधायक नहीं रहे, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा खेद होता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें आज तक फेज वायर नहीं हैं और फेज वायर नहीं होने की वजह से उन इलाकों में लाइटें नहीं लग पा रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर जिन इलाकों में फेज वायर नहीं हैं,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): उनमें फेज वायर जल्दी से जल्दी लगवाने का काम किया जाए। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि शहर में आज के 25 साल पहले जो सीवरेज प्लान बना था और जो प्लान बना था, आज वह पूरा सैचुरेट हो गया है और वह अंडर कैपेसिटी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे शहर में खास तौर से किशनपोल विधान सभा क्षेत्र के चारदीवारी में पूरी लाइन को चेंज किया जाए ताकि अंडर कैपेसिटी लाइन, जिसकी वजह से आये दिन हमें जो परेशानी होती है, उसका सामना नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज काफी पिछड़ा समाज है और पिछड़ा और वंचित श्रेणी में आता है। समाज के अधिकांश लोग दैनिक मजदूरी और सफाई व्यवस्था का काम अपने जीवन के भरण-पोषण में करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2013 में हमारी सरकार ने जो वाल्मीकि समाज के लिये नयी नियुक्तियां दी थीं, उसी तर्ज पर हमें नये कर्मचारियों की आवश्यकता है। कृपा कर नये कर्मचारियों की भर्ती खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने जीवनयापन और भरण-पोषण के लिये महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र नयी नियुक्तियां करायी जाएं। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, आपने आज मुझे सदन में मांग संख्या 29 पर, जो कि नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अंतर्गत जो दूसरी तहसील उच्चैन है, जिसकी आबादी लगभग 40-45 हजार के आसपास हो जाती है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि उच्चैन को नगरपालिका का दर्जा दिया जाए, वहां नवीन नगरपालिका की स्थापना की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के अंतर्गत जो नगरपालिका नदबई है, उसका बजट बहुत कम है, उसकी राशि बढ़ायी जानी बहुत आवश्यक है। उसमें दस नये वार्डों का भी अभी गठन हुआ है। उसकी जो बजट की राशि है, उसे

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

कम से कम दस करोड़ रुपये से बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से प्रदेश के सभी नगर निकायों में शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये आवश्यकतानुसार बजट आबंटित किये जाएं। जो नगरपालिका नदबई का क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। पीने के पानी के लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अलग-अलग मौहल्ला, आबादी है, वहां कम से कम पंद्रह आरओ लगाये जाएं।

(17.39 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

प्रदेश के सभी नगर निकायों में रिक्त चल रहे पदों को तुरंत प्रभाव से नयी भर्ती से भरा जाए। सभी नगर निकायों में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिनसे आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसे आवारा पशुओं के लिये ठोस कदम उठाये जाएं। नगर निकायों में कच्ची बस्ती के लोगों के लिये पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाए, जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति जी, अक्सर यह देखने को मिलता है कि सड़क पर कई दुर्घटनाएं तब हो जाती हैं जब लोग सुबह घूमने के लिये जाते हैं या बच्चे सुबह चाहे वे पुलिस में या सेना में अपनी प्रैक्टिस करते हैं दौड़ की।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्दर जो नगरपालिकाएं हैं उन सब नगरपालिकाओं में घूमने के लिए पार्क बनाए जाएं और उन पार्कों के नाम वहां उस क्षेत्र में जो शहीद लोग हुए हैं, जो क्रांतिकारी लोग हुए हैं उनके नाम पर उन पार्कों का नाम रखा जाए। सभी नगरपालिका के पार्क, स्टेडियम में पार्किंग बनवाई जाए जिससे शहरवासियों को घूमने का, खेलने का एक समुचित स्थान मिल सके और आये दिन जो दुर्घटनाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनमें भी कमी हो सके।

शहरों में विकास के कार्य अधिक से अधिक करवाये जाएं जिससे साफ-सुथरे दिखें एवं बाहर से आने वाले लोगों को अच्छा लगे। नगरपालिका, नदबई में कूड़ा उठाने के लिए दस बड़े वाहन स्पेशल पैकेज के तहत उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि बरसात का मौसम जारी है और अब तेजी से आने वाली है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नालों में जो लम्बे समय से गन्दगी भरी पड़ी हुई है उसकी सफाई की

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

व्यवस्था की जाए। जो हमारे स्वीपर हैं और खासकर मैं यह मांग भी करना चाहता हूं कि जो वाल्मीकि समाज के हमारे लोग हैं, सफाई के लिए उनकी संख्या वहां पर बढ़ाकर व्यवस्था की जाए।

फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो वह दूर से आती है इसलिए मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि कम से कम दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नगरपालिका, नदबई में दी जाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नदबई को चार बड़े रोड जोड़ते हैं, आसपास के कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर से जो लोग आते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि जो नदबई कस्बे के मुख्य मार्ग हैं, जब हम नगरपालिका में एंट्री करेंगे तो जो हमारे मुख्य चौराहे हैं उन पर बहुत ही सुन्दर बड़े द्वार बनवाए जाएं और उन द्वारों के नाम भी वहां के जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके नाम पर रखे जाएं और उसके साथ-साथ जो वहां के क्रांतिकारी और शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर भी उन द्वारों पर लगाई जाए।

पिछले दिनों मेरी नगरपालिका, नदबई में रथ मेला हुआ लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी, चूंकि बजट पर्याप्त नहीं था इसलिए वह कार्यक्रम थोड़ा फीका रहा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बजट को बढ़ाया जाए। नगर विकास से जनता को बहुत उम्मीद होती है, लोग अपने गांव-देहात को छोड़कर शहरों में आकर बसते हैं तो सभी की नजर शहरों की तरफ होती है इसलिए सफाई की व्यवस्था बहुत जरूरी होनी चाहिए। जो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वे नालों की सफाई करते हैं, सड़कों की सफाई करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पुन: एक निवेदन करना चाहूंगा कि उन पर केवल वाल्मीकि समाज के लोगों का ही जो उनका हक है वह दिया जाए।

सभापति महोदय, लम्बे समय से जो अधिकारी और कर्मचारी नगरपालिकाओं में टिके हुए हैं, जमे हुए हैं वे न तो काम करते हैं, न दूसरों को काम करने देते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी तत्काल हटाया जाए और जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भी तुरन्त भरा जाए।

माननीय सभापति जी, जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने थोड़ी देर

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

पहले सीसीटीवी कैमरे की बात की और बताया कि अपने बजट से 200 सीसीटीवी कैमरे लगाये जिनकी हालत आज खराब है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक नगरपालिका में सरकार एक स्पेशल पैकेज ऐसा लेकर आये कि 500-500 सीसीटीवी कैमरे लगें जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

माननीय सभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य सचेतक महोदय, कोरम का तो ध्यान रखो, सदन की हालत देखिये क्या हो रही है। आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। देखिये आप।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता खुद के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। यह पूरा सदन एक है, आप और हम अलग-अलग थोड़े ही हैं। कोरम पूरा है सदन का। आप अपने आपको हमसे अलग क्यों मानते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): फिर अभी दिखाएं, अभी कहें हमारे लोगों को बाहर जाने के लिए। अभी कह देते हैं, सब बाहर जाते हैं। अभी कोरम की घंटी बजानी पड़ेगी आपको। बुलाइये आप उनको।

श्री सभापति: आनरेबल, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कृपया गौर करें जो आपने फर्माया है। माननीय श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, आज नगर निगम, जेडीए की मांग के लिए आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि मैं जिस जगह से जन-प्रतिनिधि हूं वहां सबसे ज्यादा कच्ची बस्तियां हैं और कालोनियां बसी हुई हैं, कुछ जेडीए की भी हैं, नगर निगम की तो हैं नहीं मगर जेडीए की कालोनियां हैं और कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं मगर कच्ची बस्ती में बसने वालों को भी तो जीने का अधिकार है, उनको अच्छी तरह से जीवन जीना चाहिए, उनके रोड अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए सीवर लाइन

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

होनी चाहिए, उनके लिए नालियां होनी चाहिए मगर वे बहुत ही असुविधा के अन्दर रह रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि कच्ची बस्तियों के सुधार के लिए कोई अच्छी ठोस योजना बनाए और अच्छी तरह से व्यवस्था करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मैं सूरसागर शहर से आती हूं और सूरसागर के अन्दर इतनी खराब सड़कें हैं और इस तरीके की स्थिति है। हालांकि नगर निगम के अन्दर महापौर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत घूमते हैं फिर भी सरकार उनको बजट नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि उनको बजट दे, अच्छे आफिसर दे ताकि वो काम करने के अन्दर कामयाब हो सकें। वे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत घूमते हैं मगर उससे काम नहीं होता है। पैसे का काम तो पैसे से ही होता है इसलिए उनको अच्छी सुविधा दें ताकि वे काम करने में सफलता प्राप्त कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि यहां पर गायों के बारे में बहुत चर्चा हुई और मैं खुद भी गौ पालक हूं, मैं खुद भी गाय रखती हूं और आज की स्थिति में घर में गायें रखती हूं। गायों को पकड़ो, अगर अव्यवस्था हो रही है तब तो कोई बात नहीं मगर जो गौ पालक हैं और जो 5-5, 7-7 गाय रखता है उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करो जिसमें उनको टोकन दे दो, उनसे कोई चार्जेज ले लो मगर इस तरीके से गायों को ले जाकर बाड़ों में डाल दें, यह उचित नहीं है। मेरा बहुत जी दु:ख पाता है मेरी उम्र के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कम से कम डेढ़ सौ साल से मेरे घर में गायें हैं, 80 से ज्यादा उम्र की तो मैं हूं और जब होश सम्भाला तब से तो मेरे ससुराल में गायें देख रही हूं, पीहर पक्ष में नहीं, ससुराल में। मेरे ससुर 95-96 साल के होकर गये थे और गायें रखते थे। तो आज तक मैं उसी पालना में गायें रख रही हूं तो मैं यह चाहती हूं कि जो दुधारू गायें हैं, जो गो-पालक हैं, जो धन्धा करता है उसकी बात छोड़ो मगर जो अपने घर के लिए गाय रखता है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए चाहे उनको टोकन दे दो, उनसे महीने का चार्जेज ले लो मगर उनकी गायों को इस तरह से पकड़कर मत ले जाओ, ऐसा कानून बनना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

नगर निगम ने एक योजना बनाई गांधी नगर योजना। वह भी सूरसागर के अन्दर बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई कि हमारे क्षेत्र के अन्दर एक बहुत बड़ी अच्छी योजना बनी मगर योजना को दस साल होने को आ गये, कोई आउट-पुट नहीं है। वह जैसे थी वैसे ही पड़ी है, पत्थर पड़े हैं, वो पड़ा है मगर न कोई प्लाट बिके, न कोई बात हुई। जो बिक गये वो बिक गये, रह गये वो रह गये और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उसको गांधी नगर योजना के नाम से बनाई है। पहले जब अशोक जी मुख्य मंत्री जी थे तब वे खुद आये थे और उसको देखा था, उन्होंने ही शिलान्यास किया, उद्घाटन किया मगर वह आज की तारीख में वैसी की वैसी पड़ी है और कुछ भी नहीं हुआ। न तो उस टाइम हुआ और न अभी इन पांच सालों के अन्दर हुआ।

माननीय सभापति महोदय, नगर निगम का तो यह हाल है कि नक्शे पास कराने कोई जाता है तो उसका नक्शा भी पास नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि एक ऐसा कानून बनाओ, कैसे नक्शा पास नहीं होगा? 15-20 दिन, महीना दो महीना जो लगे वो लगे, मगर लोग त्राहि-त्राहि करते आते हैं। मैं भी दो बार नगर पार्षद रही हूं। मगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है, नक्शा पास ही नहीं करते, मीटिंग ही नहीं करते, ले-आउट की मीटिंग नहीं करते, भूमि रूपांतरण की मीटिंग नहीं करते, स्ट्रिप आफ लैंड की मीटिंग नहीं करते। मीटिंग नहीं करते तो काम नहीं होते और पब्लिक चक्कर काटती रहती है। मेरे पास भी आती हैं, कहती हैं साहब, म्हारो तो हाल की हुओ ही नी, प्या जमा कराऊं, म्हारा कुन लेवे साहब। इस तरीके से, अपनी लैंग्वेज में वे काम लाकर कहते हैं। मैं चाहती हूं यहां से कानून बनना चाहिए कि महीने भर के अंदर, उनको रिपोर्ट दें कि नक्शा बने या नहीं बने, क्या खामी है क्या खामी नहीं है। इस तरीके से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, शहर के अंदर इतनी सड़कें खराब हैं और सड़क बन भी जाएं तो आज बनीं और कल टूट जाती हैं। मैं यह चाहूंगी कि टेण्डर हो, सड़कें बनें और क्वालिटी कंट्रोल से माल को चैक करें कि माल अच्छा है या नहीं है। इस तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा तो कैसे काम चलेगा। इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

मानननीय सभापति महोदय, अब जेडीए की थोड़ी बात करना चाहूंगी। जेडीए के अंदर स्टाफ का नामोनिशान भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 8 महीने से मैं खुद चक्कर काट रही हूं, एक अंट नहीं खींच रहा है, दो एक्सईएन हैं, दो एईएन हैं, 10-15, 10-15 का स्टाफ है, कोई भी नहीं है, बिलकुल खाली पड़ा हैं। मारवाड़ी के अंदर कहावत है आंधी रांदे, कुतो खावे, वो सिस्टम हो रखा है। आप इसको नोट करो, ध्यान रखना भाई कोई अपशब्द नहीं हो जाए कहीं, तो ध्यान रखना, बोली मारवाड़ी है न।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगी कि सबसे ज्यादा ये स्थिति जेडीए की है कि कोई आफिसर है ही नहीं, एक जेडीसी जरूर बैठा है। मैं खुद जाकर के मिली, क्योंकि एक हास्पिटल के लिए साल भर से पांच करोड़ रुपये आए हुए पड़े हैं। एक हास्पिटल बनाना है चौपासनी के अंदर है तो मैं जमीन के लिए जेडीसी के पास गई तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता हटने दो, हम आपको जमीन हास्पिटल के लिए दे देंगे। मगर, आचार संहिता हटने के बाद भी आज इतने महीने हो गये, पहले विधान सभा के चुनाव आ गए, वह ऐसे रुक गया, फिर आचार संहिता आ गई, अब कह दिया लोक सभा के चुनाव आ गए और अब कह रहे हैं, देख रहे हैं। फिर भी, मैंने उनको खसरा नम्बर तक बताए, मैंने जेडीसी साहब को जमीन बता दी कि आप जमीन जाकर के देख लो, देख ली फिर भी अभी तक जमीन अलाट नहीं की, लेकर के बैठे हैं। वे करें भी क्या, उनके पास कोई आफिसर है भी नहीं, कौन देखे, कौन करे, कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से नगर निगम के अंदर न तो नालों की सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। मैं यह चाहती हूं कि नालों की अच्छी तरह से सफाई हो और नालों को कवर कर लिया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बदबू नहीं आए और सफाई हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर शहर के अंदर दो बड़े तालाब हैं, गंगलाव तालाब और बाईजी का तालाब। गंगलाव तालाब की तो ऐसी स्थिति कर दी है कि चारों तरफ एनक्रोचमेंट, उस तालाब को खतम कर दिया है, थोड़ा सा रहा है। जो रहा है उसको तो कम से कम बचाएं। जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाएं, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यह चाहूंगी आपके माध्यम

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

से मंत्री महोदय से उसके आसपास जितना एनक्रोचमेंट है, उसको तुरन्त हटाएं और उस तालाब को बचाएं।

इसी तरीके से बाईजी का तालाब है, बाईजी के तालाब के अन्दर तो कोई एनक्रोचमेंट नहीं हुआ है पर उसके अंदर गटर का सारा पानी भर गया है और उसकी दीवारों के ऊपर लोगों ने अपनी दीवार खड़ी करके मकान बना दिया, किसी ने गटर लाइन डाल दी, ये हो रहा है। यह हाल है, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी इनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देकर के करें।

माननीय सभापति महोदय, एक शहर के अंदर फुलेरा की घाटी है। उसके अंदर टेण्डर उसके नाम से हुए, फाइल है, सारा काम उनके नाम से, पर काम तो कहीं दूसरी जगह हो गया और पैसे उसके नाम से उठ गए। जब महापौर साहब ने खुद ने वहां पर एसीडी के अंदर केस भी दर्ज करवाया, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं माननीय आपके माध्यम से कहना चाहूंगी जहां कहीं का भी टेण्डर हो, वहीं काम होना चाहिए। जिस जगह का काम हो, वहीं काम होना चाहिए, दूसरी जगह काम नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर नगर निगम को अगर चुस्त करना है तो सरकार...

श्री सभापति: माननीय...

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): एक सैकण्ड, मैं तो वैसे ही कम बोलती हूं। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो बंद ही करने वाली हूं, कहां ज्यादा बोल गई, मैं तो बोलती भी नहीं हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि जोधपुर नगर निगम को काम कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड दें, क्योंकि, बहुत संकरी गलियां हैं, बहुत बड़े-बड़े शहर हैं। मैं सूरसागर से आती हूं तो ऐसी कई कालोनियां हैं जेडीए के नगर बसे हैं, वहां कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति है सब जगह पानी ही पानी भर जाता है और अभी तो इन्द्र भगवान की कृपा नहीं हुई है। अगर कृपा हो जाए तो लोगों का रहना दुर्लभ हो जाएगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जी.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29-नगरीय विकास, नगरीय आयोजना और प्रादेशिक विकास के संबंध में बोलने के लिए आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली, नगरीय विकास की अगर हम बात करें तो नगरीय विकास का तात्पर्य इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के साथ-साथ मास्टर प्लान, रोड्स का विकास, नाली, सफाई, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन संस्थानों का विकास, ये सारा समग्र विकास होगा तो ही नगरीय विकास होगा। नगरीय विकास का तात्पर्य खाली यही नहीं है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, खाली रोड्स की, खाली सफाई की। इन सारी सुविधाओं का विकास होगा वो ही नगरीय विकास है।

मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस विषय पर पहले मुझे मौका मिला, उदयपुर के विकास को देखने का, माननीय नेता प्रतिपक्ष उदयपुर से आते हैं, इनके कार्यकाल में मुझे उदयपुर के हिरण मगरी क्षेत्र 1 से 14 विकसित करने का, थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिला था।

उसके बाद पाली म्युनिसिपल कौंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं। जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी का चैयरमैन रहा हूं और अरबन डवलपमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग मिनिस्ट्री, राजस्थान में भी रहा हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि छोटा सा अनुभव मेरा इस विषय पर काम करने का, मुझे सरकार में जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो मिला। मेरी जो परिभाषा है वह अभी तक जो साथियों में डिसकस हुआ नगरीय विकास के बारे में, वह परिभाषा नहीं है। परिभाषा यह है कि आल राउंड डवपलमेंट जब तक जमीन पर नहीं होगा, सिटी में नहीं होगा, टाउन में नहीं होगा तब तक वो नगरीय विकास नहीं कहला सकता। इसलिए आल राउंड डवलमेंट करके...

(17.59 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

हम नगरीय विकास कह सकते हैं। आल राउंड डवलपमेंट तब होगा, जब भ्रष्टाचार विहीन नगरीय प्रशासन काम करेगा। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र पर सीधा आता हूं। पिलानी नगरपालिका के वर्तमान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों के खिलाफ सरकार ने जांच कराई है, जांच में आरोप प्रमाणित हो चुके हैं लेकिन आज भी चेयरमैन, नगरपालिका पिलानी और वाइस चेयरमैन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

नगरपालिका पिलानी अपने पदों पर काम कर रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं इस पवित्र सदन से और माननीय मंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि इस विषय को गंभीरता से देखा जाये और पिलानी नगरपालिका के जिस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ आरोप प्रमाणित हैं, अगर माननीय मंत्री महोदय उचित समझते हैं तो उन्हें तुरन्त निलंबित किया जाये।

(18.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय विकास में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट है। इसलिए अभी माननीय सदस्य संयम लोढ़ा साहब ने जो बात उठाई मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं और अजमेर से माननीय अनिता जी भदेल ने जो बात उठाई उससे सहमत हूं। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए निश्चित रूप से जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। पिछले दिनों जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान में हुई पिछली सरकार में उसमें काफी लोग ऐसे आ गये हैं जो इस वर्ग से नहीं थे। काम तो उन्हें सफाई का करना है नहीं। अब उनका डेपुटेशन कहीं इधर कर दिया कहीं उधर कर दिया। अभी ज्ञात हुआ डिस्कसन के दौरान कि रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर आरडीडी ने अपने यहां कार्यालय में अगर डेपुटेशन कर रखा है तो मैं समझता हूं यह बहुत गंभीर मसला है। जिस व्यक्ति की जिस सेवा के लिए भर्ती हुई है उससे वही काम लिया जाना चाहिए अन्यथा जो भर्ती की गयी है यह उन लोगों के अधिकारों का हनन है जिनकी वास्तव में भर्ती होनी चाहिए थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में भी बोलना चाहता हूं। पिलानी नगरपालिका और चिड़ावा नगरपालिका में फायर फाइटिंग सिस्टम अभी उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां फायर फाइटिंग सिस्टम के साधन उपलब्ध करवाये जाएं।

मेरे यहां तीन नगरपालिकाएं हैं चिड़ावा, पिलानी और विद्याविहार। 2011 की पापुलेशन चिड़ावा नगर की 44,999 थी जो अब लगभग 50,000 को क्रोस करने जा रही है। वहां पर सीवरेज परियोजना चालू की गयी और 72

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

करोड़ का एक एस्टीमेट बनाया गया उसकी स्वीकृति दी गयी और उसमें 20 सितम्बर, 2017 तक चिड़ावा नगर में काम पूरा होना था, लेकिन काम बहुत ज्यादा अधूरा पड़ा है और आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। सड़कें खोद दी गई हैं। सड़कें जहां खोदीं वहां सड़क नहीं बनी है। चिड़ावा की सड़क का जो पहले स्वरूप था वह स्वरूप बिलकुल तहस-नहस हो चुका है और इस योजनान्तर्गत जो सड़क खराब करेगा, जो सड़क खोदेगा उसको उस सड़क को वापस बनाने का भी प्रावधान था लेकिन खाली गड्ढों को वो भी आधा-अधूरा गड्ढों को बूरा गया है, ढका गया है। रोज वहां दुर्घटनाएं होती हैं। पानी भरता है और पानी भरने से बीमारियां फैलती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात को तुरंत दिखवाये और जिस कंपनी ने वहां पर काम किया है उसे निर्देशित किया जाये कि एक तो कालावधि निकल चुकी है, लगभग दो साल से ज्यादा हो चुके हैं, काम अभी हुआ नहीं है, तुरंत वह काम कराया जाये। सड़कें दुबारा बनवायी जाएं और सीवरेज योजना को ठीक से पूरा करके संचालित किया जाये। वहां पर दो एसटीपी बनने थे, एक मंड्रेला रोड पर बनना था, एक पिलानी रोड पर बनना था। दोनों बन चुके हैं। लाइनें जितनी वे बता रहे हैं उतनी डाल चुके हैं तो फिर जनता को जो पैसा लग गया उसका फायदा मिलना चाहिये। दो साल पीछे वह परियोजना चल रही है उसे एक्सपेडाइट करने की भी जरूरत है। पिलानी में भी चूंकि एक बहुत बड़ा विश्व विख्यात एजुकेशन हब है और वहां देश-विदेश के बहुत लोग आते हैं। पर्यटन स्थल भी है और ऐसा स्थान है जहां सीरी सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट है, जहां बिट्स बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एंड साइंस है। विश्वविख्यात संस्थाएं हैं और बहुत दूर-दूर के लोग आते हैं वहां भी सीवरेज परियोजना की स्वीकृति के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। जो कंपनी चिड़ावा में काम कर रही है, मैंने उससे पूछा कि आपने कितना काम कर लिया तो उनका कहना था कि हमें 61 परसेंट काम करना था अब तक और हमने कर लिया। मैं अपने क्षेत्र में गया और मैंने यह नक्शा बनवाया है। वास्तव में जो नगर के मोजीज़ नागरिक हैं और टैक्निकल हैंड्स हैं मेरे पास उपलब्ध इस नक्शे में अगर आपको दूर से दिख रहा हो तो खाली ग्रीन हिस्से में काम हुआ है और बाकी काम अभी बहुत बाकी है। 2017 में यह काम पूरा होना चाहिए। 2019 का आधे से ज्यादा वर्ष व्यतीत हो चुका है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जोर दे रहा हूं कि सीवरेज का काम जल्दी से जल्दी वहां पूरा किया जाएं और दोनों एसटीपी फंक्शनल किये जायें और जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह जो स्वीकृति प्राप्त हुई है चिड़ावा में सीवरेज की उससे खाली 61 परसेंट पापुलेशन को ही फायदा मिलेगा। बाकी जो 39 परसेंट पापुलेशन बच गयी है चिड़ावा की उसके लिए फेज सैकिंड भी इसका मंजूर किया जाना चाहिए, ताकि वहां के जो पूरे निवासी हैं, वहां के जो नागरिक हैं उनको इसका फायदा मिल सके। पिलानी का भी जहां तक सवाल है यह जल्दी से जल्दी स्वीकृति होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय की सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। चिड़ावा में जो पाइप की क्वालिटी डाली गयी है उसकी जांच होनी चाहिए। एक कमेटी बनायी जानी चाहिए और जो सीवरेज की लाइन डाली गयी है जो लेवलिंग लिया गया है जिस क्वालिटी का मैटेरियल यूज किया गया है उसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए और जो सड़कें हैं उनका खाली पैच वर्क कराना चाहते हैं तो पैच वर्क नहीं, अगर सड़क एक बार बीच में से टूट गयी तो पूरी सड़क खराब हो जाती है इसलिए उस सड़क का पुनर्निर्माण होना चाहिए। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। गड्ढों में पानी भर रहा है। सारा काम तुरंत होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): एक मिनट साहब। जिन अधिकारियों ने परियोजना को क्रियान्वित किया है उनको मैंने बुलाकर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने काम बहुत अच्छा कर दिया और 103 किलोमीटर कर दिया। मेरी सूचना के अनुसार जो उपलब्ध साहित्य है, उपलब्ध लिटरेचर है, उपलब्ध जो डाक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार इनको 99 किलोमीटर करना चाहिए था, 103 किलोमीटर कर दिया बता रहे हैं। यह रनिंग किलोमीटर है शहर में गलियों में घूम कर के तो एक्सेस एरिया में इन्होंने क्यों कर दिया? अनधिकृत रूप से जहां करना ही नहीं था वहां क्यों कर दिया और किसके आदेश से इन्होंने किया? वहां करने का मतलब है जो अधिकृत एरिया है वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को उन्होंने वंचित रखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेज-1 जो चिड़ावा का है उसको एक्सपेडाइट किया जाये। दोनों एसटीपीज

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

को फंक्शनल किया जाये और चिड़ावा शहर को इसका फायदा मिले। एक निवेदन और करना चाहता हूं आखिर में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सर, आधा मिनट। चिड़ावा में, पिलानी में जो गौरवपथ बने हैं उनकी क्वालिटी की जांच की जाये। घटिया मैटेरियल लगा है। मैटेरियल अच्छा नहीं लगा है। अभी बना था और अभी टूटना प्रारम्भ हो गया है। सड़कें जो बनाई गई हैं ठेकेदारों के माध्यम से उनकी भी जांच की जानी चहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू, सर। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन में फार्मर्स के बारे में इश्यू डिस्कस हुआ था और प्रतिपक्ष ने वाक आउट किया और अच्छे मुद्दे थे। माननीय मंत्री जी उसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं।

शासकीय वक्तव्य

किसानों की कर्ज माफी

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय मुझे वक्तव्य देना था उस समय प्रतिपक्ष के बहिर्गमन से बात पूरी नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल अभी तक भारत सरकार ने चालू नहीं किया है। जैसे ही वह पोर्टल चालू होगा इस साल जितने भी किसानों ने खरीफ की फसल 2019 के लिए अल्पकालीन फसली ऋण हेतु पंजीयन करा लिया है, हम उन सब किसानों का फसल बीमा 29 जुलाई से पहले करा देंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री अध्यक्ष: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-29, नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास पर मुझे अपने विचार रखने के लिए

(श्री आलोक बेनीवाल)

आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज दोपहर से ही काफी लंबी चर्चा देखने को और सुनने को मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि नगर नियोजन शहरी सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तम्भ है और जब से हमारा शहरीकरण बढ़ा है चाहे वह जयपुर शहर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नगरपालिका क्षेत्र हों, चाहे नगर परिषद के क्षेत्र हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे जेडीए के क्षेत्र हो, निश्चित तौर से इस शहरी सरकार का बहुत-बड़ा महत्व आम जीवन में, आम जनता के लिए बढ़ा है। आज देखने में आता है कि हमारे शहरी क्षेत्र की सरकार के अन्दर जो भी समाहित विभाग हैं,

(18.10 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उनके कार्य करने का तरीका है उसके कारण कई बार आम नागरिकों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। आज हमारे पास नये नये साधन हैं, नई नई तकनीक है, नये नये तरीके के संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह का काम, जिस तरह की तकनीक और जिस तरह की रूपरेखा होनी चाहिये वह हमको देखने को नहीं मिलती है। आज सड़क का निर्माण हो, चाहे बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे कालोनी बसाने का सिस्टम हो, सबमें हमको भारी त्रुटि और परेशानी झेलनी पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आज आप जयपुर शहर में ही देख लीजिए जो हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां बनी हुई हैं, उनके निर्माण की स्थिति क्या है, उनके निर्माण की क्वालिटी क्या है। मेन रोड को तो आप चौड़ी बना रहे हैं लेकिन जो अंदर की रोड्स हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, 30-30 फीट की रोड आपने हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में बना रखी हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से कालोनियों में साधनों का जमावड़ा होने लगा है, आप जाकर देखेंगे तो जिन कालोनियों में सड़कें 30-30 फीट, 40-40 फीट की हैं, वहां पर रात के समय में आने जाने का रास्ता बिलकुल बंद हो जाता है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले एक हादसा ऐसे ही हुआ। एक सज्जन के कार्डियक अटैक हुआ, पीछे एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं था, दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा था। इस तरह के नगर नियोजन अगर हम करते हैं और हम यह प्लानिंग नहीं करते हैं कि आने वाले 20-30 साल में इस शहर की वस्तु स्थिति क्या बनेगी तो निश्चित

(श्री आलोक बेनीवाल)

रूप से हमको यह सोचना पड़ेगा कि यह जो इतना बड़ा अमला लेकर हम चल रहे हैं, इससे हम आम जनता को क्या देना चाहते हैं। आप देखते होंगे सड़क निर्माण होता है, आप पुराने जयपुर का परकोटा ही देख लें, मैं तो इतने समय से जयपुर में रह रहा हूं लेकिन मैंने जयपुर के परकोटे में कहीं भी पानी भरता हुआ नहीं देखा है। आप जयपुर के बाहर के एरिये में चले जाइए, कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पानी नहीं भरता हो, खड्डा नहीं हो। आज हमारे इन विभागों में इतने बड़े-बड़े इंजीनियर बैठे हैं, यह करते क्या हैं। न तो उनको ढाल का पता है, न उनको यह पता है कि यह पानी कहां जाकर निकलेगा। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे राजस्थान में यही स्थिति है। यह हमारा जो नगर नियोजन है, यह किस तरह से नियोजन हो रहा है, आपको देखने को भलीभांति मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज बात करते हैं नालियों की कि शहर में नाली बनाई जाती है। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा, यहां मेरे से सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं तो पहली बार यहां जीत कर आया हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जो हमारी रोड बनती हैं, उनके जो ढाल का सिस्टम है उसके कारण ही हमको इस नाली की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसका ढाल सही हो, पानी निकासी का सिस्टम सही बना हुआ हो तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि नाली की आवश्यकता आपको कहीं भी नहीं पड़ेगी। जहां तक नालियों की सफाई की बात है, वह तो भगवान भरोसे ही है। मैं तो माननीय मंत्री जी को इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब भी कहीं कोई नया निर्माण होता है उसके लिये आने वाले 20 साल की प्लानिंग करनी चाहिये। हमने बहुत कुछ समय पर देखा है, जब कभी फोर लेन बनती है, उसके दो साल बाद ही वहां 6 लेन की दरकार आ जाती है। दो साल और लगते हैं फिर वहां 8 लेन आ जाती है। आपका नगर नियोजन यह तैयारी करके तो रखे, कम से कम यह बता कर तो रखे कि आपको 500 फीट में, 600 फीट में, 1000 फीट तक आपको यहां कोई निर्माण नहीं करना है, यह जगह आपको खाली छोड़नी है क्योंकि आने वाले समय के लिये हमको इसकी आवश्यकता है। आज कालोनियां बस जाती हैं, कालोनियां बसने के बाद माननीय न्यायालयों के आदेश हो जाते हैं कि इनको हटा दिया जाये। जब वह बनती हैं तभी उनको बनने से क्यों नहीं रोका जाता है, इस तरफ भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज काम्प्लेक्स बन जाते हैं, उसको बाद में अवैध

(श्री आलोक बेनीवाल)

घोषित कर दिया जाता है। जब वह बन रहे थे तब कहां थे, उनको बनने से उस समय क्यों नहीं रोका गया? आज वह बनकर तैयार हो गये। अगर आज हम उनको किसी भी कारण से डिमोलिश करते हैं, न्यायालय का आदेश है या और किसी अथोरिटी का आदेश है, उसका नुकसान कौन झेल रहा है, उसको आज कराने वाले कौन हैं, हमको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज चाहे नगरपालिका क्षेत्र हो, चाहे जेडीए का क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, आज जो अवैध निर्माण की बातें आती हैं, यह आती क्यों हैं? इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बनते क्यों हैं, बनने के बाद यह टूटते क्यों हैं? यह टूटने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिये उसको वहीं पर हमको रोकना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पर आप सख्ती से कार्यवाही जरूर करेंगे। उसमें कई जने प्रभावित होते हैं, लाखों परिवार प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के साथ-साथ बगैर जानकारी के जब कोई काम कर लिया जाता है तो आपके पास सारा अमला है, जेडीए हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरपालिका हो, इस क्षेत्र में सब लोग मौजूद हैं, जब भी कभी कोई इस तरह की कार्यवाही होती है एक कागज देकर, नोटिस देकर उसको इतिश्री कर ली जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के कामों को शीघ्र अतिशीघ्र रोका जाये, उसको नियमित रूप से जहां उसकी वस्तु स्थिति है, सरकार उसको जहां परमिशन देती है, जिस स्थिति में देती है, उसी स्थिति में वह बने, तब जाकर हम इस पर नियंत्रण कर पाएंगे।

मैंने तो जयपुर शहर में बहुत देखा है, आज कहते हैं कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज जो गाड़ी खरीदता है उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि उसके पास पार्किंग की जगह है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे रेजिडेंशियल काम्प्लैक्स बन रहे हैं उसमें जो फ्लैट लेता है उससे बाकायदा पूछा जाता है और किसी को एक गाड़ी की परमिशन दी जाती है, किसी को दो गाड़ी की परमिशन दी जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि कई काम्प्लैक्सों में गाड़ियां बाहर सड़कों पर पार्किंग होती हैं। यह समस्या हमारे शहर की धीरे-धीरे क्यों बढ़ती जा रही है। आज हमारी प्लानिंग क्यों फेल होती जा रही है, हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं कि हम जो आज शहर बसा रहे हैं यह आने वाले 20 साल के लिये बसा रहे हैं या 5 साल के लिये बसा रहे हैं। नगर नियोजन का

(श्री आलोक बेनीवाल)

मतलब है कि हमने एक बहुत बड़ा विभाग इसमें लगाया हुआ है। आज सभी माननीय सदस्य यहां विराजे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में जब भी कहीं कोई नई चीज बसावट करते हैं तो उसको यह सोचकर बसावट कराएं कि आने वाले समय में इसका कितना बड़ा एक्सपेंशन होगा, इसके लिये और कितनी जगह हमको चाहिये होगी, तब जाकर वह हमारा सुनियोजित नगर नियोजन कहलाता है, उस सपने को हम साकार कर पाएंगे।

मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भी नगरपालिका क्षेत्र पड़ता है। वहां पर अभी चाहे छोटा वाहन हो, चाहे बड़ा वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, सब उसी शहर में से होकर निकलते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं उस शहर से शाहपुरा से एक बाईपास निकालकर अगर नीमकाथाना रोड या और जो रोड जाती है, जो उसमें आकर मिलती है, उसमें बनाया जाये तो निश्चित तौर से वहां रहने वाले हमारे नागरिकों को फायदा होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): साथ ही उस नगरपालिका क्षेत्र में एक अच्छे उद्यान की व्यवस्था की जाये, बहुत लम्बे समय से यह मांग है। उसके लिये मैं भी प्रयासरत हूं, माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि वह भी उसमें सहयोग करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं नगर नियोजन का जो मूल उद्देश्य है कि एक अच्छी कल्पना से किसी चीज को बसाया जाये, अच्छी सुविधा से उसको बसाया जाये, माकूल व्यवस्थाएं हों, उसका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो, उसमें साफ सफाई अच्छी हो, वहां पर पर्यावरण की स्थिति अच्छी हो, सब उसमें समाहित हो, उसको ध्यान में रख कर अगर इस चीज को रखा जायेगा तब जाकर नगर नियोजन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29

(श्री पब्बाराम)

पर बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे शहर फलौदी का जिक्र कर रहा हूं। आज से ठीक 104 साल पहले जोधपुर और फलौदी का नगरपालिका गजट नोटिफिकेशन एक ही आदेश के साथ में हुआ था। फलौदी शहर व्यापार का केंद्र हुआ करता था। भारत-पाक अलग नहीं थे तब सिंध प्रांत से हमारा सीधा व्यापार होता था। यह एक समृद्ध शहर था। पार्टिशन के साथ फलौदी शहर के दुर्भाग्य की रेखा भी खिंच गयी। फलौदी वहीं का वहीं रह गया और जोधपुर महानगर बन गया। आज फलौदी मात्र एक सीवरेज सिस्टम के लिये तरस रहा है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे सदन के सभी सदस्यों के लिये सोचने की बात है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यूडीएच मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, माननीय रमेश जी के माध्यम से, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं। 104 वर्ष पुरानी नगरपालिका, क्या उसको विशेष इंसेन्टिव देकर उसमें सीवरेज सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? यह ऐतिहासिक नगरपालिका है। उसके बाद हमारे दुर्भाग्य की सीमा यहां पर भी नहीं रही। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 24.12.2013 के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के तहत 2013-14 में 82 करोड़ 97 लाख 78 हजार रुपये की सीवरेज योजना स्वीकृत की गयी थी जिसमें स्वीकृत प्रोजेक्ट पर 10 प्रतिशत हिस्सा, पीपी भुगतान की स्वीकृति मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान कर दी गयी है। सीवरेज प्रोजेक्ट स्वीकृति के अनुसार राज्य स्तर पर रूडसिको द्वारा निविदाएं आमंत्रित कर ली गयी हैं, जिसमें दरें प्राप्त की गयीं, लेकिन कार्यादेश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण प्रथम किश्त राशि का आबंटन नहीं किया जा सका। सीवरेज परियोजना के लिये राज्य सरकार स्तर पर रूडसिको द्वारा की गयी निविदाएं जारी करने व अन्य कार्यवाही हेतु रूडसिको, जयपुर में प्रोजेक्ट विचाराधीन है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शहर के बाहर जो कच्ची बस्तियां हैं। उन कच्ची बस्तियों के विकास हेतु आईएचएसडीपी योजना के तहत 2 चरणों में विकास कार्य जिसमें सीवरेज लाइन, सड़कें, सामुदायिक भवन स्वीकृत किये गये हैं। पालिका द्वारा स्वीकृति के अनुसार सभी कार्य कर लिये गये। कुछ कच्ची बस्तियां आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। माननीय महोदय, उनका भी विकास किया जाए। कच्ची बस्तियों में सीवरेज लाइन डालने का कार्य भी पूर्ण हो गया, परंतु जब शहर के अंदर सीवरेज लाइन नहीं है, उससे यह नहीं जुड़ता है, तब तक यह सिस्टम पूरा काम नहीं करता और

(श्री पब्बाराम)

कच्ची बस्तियों के अंदर भी वह गंदा पानी भरा रहता है। इस कारण से शहर का जल स्तर भी बहुत बढ़ गया है। नगरपालिका क्षेत्र में जल स्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों, दुकानों व भवनों के अंडरग्राउंड में हर समय पानी का रिसाव होता रहता है, जिसके कारण भवन जर्जर स्थिति के हो गये हैं और कोई भी हादसा होने की स्थिति में आ गये हैं। स्थानीय आम नागरिक इस परेशानी के कारण समय-समय पर संबंधित उच्च अधिकारियों एवं राज्य सरकार से नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज का कार्य करवाने हेतु शिकायतें एवं ज्ञापन देते रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य की रेखा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। जब 2011 में जनसंख्या की गिनती हुई, उसके अंदर हमारी जनसंख्या 49,887 है, 50 हजार से अधिक हो तो अमृत योजना अथवा Urban Infra-structure Development Scheme for Small and Medium Town के तहत कुछ बजट केन्द्र के द्वारा मिल सकता है परंतु 113 जनसंख्या की कमी होने के कारण हम उस सुविधा से भी वंचित रह रहे हैं। माननीय यूडीएच मंत्री जी, क्या एक विशेष इन्सेंटिव लेकर हमारे इस शहर के भाग्य को बदल नहीं सकते? आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस हेतु भी आप विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर सिर्फ इतनी ही जनसंख्या की स्थिति नहीं है। हमारे शहर में विभिन्न प्रकार से, जैसे फलौदी शहर में प्रतिवर्ष दो महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। एक बाबा रामदेव जी का, जो हमारे यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे यहां से लगभग 50 लाख यात्री हर साल गुजरते हैं। रात्रि को विश्राम भी करते हैं। उस समय में यह परिस्थिति बनती है। सीवरेज नहीं होने के कारण बहुत गंदगी हो जाती है।

उसी प्रकार से फलौदी शहर से 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा मेला गुरू जंबेश्वर भगवान का लगता है जहां पर वर्ष भर में 30 लाख लोग आते हैं। लगभग 70 लाख यात्री यहां से गुजरते हैं। इस कारण से जनसंख्या का दबाव भी अधिक हो जाता है।

इसके अलावा ट्यूरिज्म की दृष्टि से यहां पर ऐतिहासिक हवेलियां, भव्यता, प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन आता है, जिसको कुर्जा बोलते हैं, वह प्रवास करता है। अक्टूबर माह में हजारों पर्यटक वहां पर आते हैं। जब हजारों पर्यटक आते हैं तो इस सीवरेज की स्थिति देखकर वे भी वहां से अपना मुंह

(श्री पब्बाराम)

मोड़ लेते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब यह गंदा वातावरण होता है, जिस प्रकार से कुर्जा आकाश में विचरण करती है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हैं। कभी तीर का आकार बनाती हैं और कभी एक लाइन में चलती हैं तो वह जो गंदा वातावरण होता है, उससे कन्नी काटकर दूसरे तालाबों पर प्रवास करने के लिये मजबूर हो गयी हैं। माननीय महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि फलौदी के अंदर विशेष रूप से सीवरेज के सिस्टम को डवलप किया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारा पैरीफेरी क्षेत्र है। कुछ गांवों को पैरीफेरी क्षेत्र में ले लिया गया है। यह पैरीफेरी है अथवा हेराफेरी है या फिर वहां के लोगों को दु:ख व तकलीफ देने का एक तरीका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ वोट तो पंचायतों में देते हैं और वे पैरीफेरी में आ गये। पैरीफेरी में आने के बाद, गांवों में तो वैसे ही बसावट होती है। न तो उनके कोई पट्टे थे, न कोई बात है। वह सारी की सारी जमीन नगरपालिका की हो गयी है और अब वह अतिक्रमण की श्रेणी में आ गया है। वहां पर चाहे देवालय बने हुए हैं, चाहे लोगों के मकान बने हुए हैं। वे वहां से पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम (फलौदी): न तो नगरपालिका उनको कोई सुविधा दे पा रही है, न सड़कें बना रही है, न पानी की व्यवस्था कर रही है। वोट भी ले रहे हैं, परंतु उनके वहां सुविधाओं का अभाव है। पैरीफेरी क्षेत्र में कोई न कोई विशेष नीति बनाकर, योजना बनाकर उन नागरिकों को सुविधा प्रदान की जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये दोनों ही विभाग शहर का विकास एवं वहां के रहने वाले नागरिकों की आवासीय व्यवस्थाओं और वातावरण को बेहतर बनाने में अपना अहम किरदार निभाते हैं। अत: इस आधार पर दोनों ही विभाग, उस शहर और वहां के नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी इस विभाग की होती है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

आदरणीय सभापति महोदय, शहर में काफी समस्याएं हैं, जो नगर निगम और जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हम उनको दूर करते हैं। चाहे वह ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग, चाहे फुटकर ठेले वालों की समस्या हो, चाहे वह सीवरेज की हो, चाहे सड़क हो आदि सभी समस्याओं का समाधान हम नगर निगम के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा जोधपुर शहर जो भीतरी शहर है, उसमें काफी छोटी सड़कें, छोटे-छोटे बाजार, जहां पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां सबसे ज्यादा परेशानी पार्किंग की आती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि भीतरी शहरों में मल्टीस्टोरी पार्किंग की व्यवस्था की जाए।

पिछले समय में जब मुख्य मंत्री गहलोत साहब थे, उस समय नई सड़क, राजीव गांधी चौराहे पर एक मल्टीस्टोरी पार्किंग शुरू की गई थी लेकिन पिछले पांच साल से वह बंद पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उसको पुन: शुरू किया जाए ताकि शहर के भीतरी जो पार्किंग व्यवस्था है, उसमें सुधार लाया जा सके। इसके बाद ट्रैफिक की समस्या, चाहे वह भीतरी शहर की हो, चाहे बाहरी यातायात व्यवस्था हो, सबसे ज्यादा परेशानी का कारण आने-जाने की व्यवस्था में ट्रैफिक बन रहा है। गहलोत साहब ने जोधपुर में ब्रिज लाकर जो सुविधा की है, उसके लिए उनको धन्यवाद है लेकिन अंदर की जो यातायात की सुविधा है, वह बड़ी मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि शहर का जो हमारा भीतरी बाजार है, चाहे वह घंटाघर हो, चाहे त्रिपोलिया हो, चाहे स्वस्ति गेट हो, वहां पर 9 बजे के बाद व्यापारी जो अपनी टैक्सी मंगवाते हैं, अपना सामान मंगवाते हैं, वह सबसे ज्यादा यातायात बाधित करता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि रात्रि 9 बजे बाद ऐसी व्यवस्था करें कि वह अपना सामान मंगवाएं जिससे आम नागरिकों को यातायात में अच्छी सुविधा मिल सके।

शहर के भीतरी हिस्सों में हमारी बहुत ऐतिहासिक बावड़ियां है जिनको हम सुधार कर पीने के पानी को व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे फतह सागर हो, चाहे गुलाब सागर हो, चाहे बाई जी का तालाब हो, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इनको हम सुधार कर पीने के पानी के योग्य बनाकर शहर को दे सकते हैं। नगर निगम द्वारा बाई जी के तालाब में काफी समय से सुधार की व्यवस्था की जा रही है लेकिन आज तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि अलग से बजट पारित करके इन बावड़ियां को

(श्रीमती मनीषा पंवार)

सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जाए। बाजारों में सबसे बड़ी प्राब्लम आती है महिला शौचालयों की। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि शहर में जिस तरह पुरुष शौचालय बने हुए हैं, उसी तरह महिला शौचालय भी व्यवस्थित तरीके से बनाए जाएं। शौचालय तो बन जाते हैं लेकिन उनको व्यवस्थित तरीके से चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नगर निगम उसको बनाकर छोड़ देती है। उसकी सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह निगम जगह-जगह स्वच्छता के नाम पर शौचालय बना रही है, उनको ढंग से चलाने के लिए अलग से बजट पारित करें।

सफाई व्यवस्था के नाम पर पिछली सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। एक समय ऐसा था जब दोनों समय शहर की सफाई होती थी। सुबह भी होती थी, शाम को भी होती थी, लेकिन पिछले समय से केवल सुबह सफाई होती है, शाम को नहीं होती है। जो तीन बजे का समय है, वह सफाई कर्मचारी केवल 11 या 12 बजे करके चले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगी कि यह व्यवस्था पुन: शुरू की जाए कि शहर की सफाई व्यवस्था वापस दोनों समय सुचारु रूप से चलाई जाए।

एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि पार्कों की बहुत अधिक आवश्यकता है। वातावरण दूषित हो रहा है। आजकल चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे महिला हों सुबह टहलने जरूर जाते हैं। पार्क तो बन जाते हैं, लेकिन बात वही होती है कि सरकार उन्हें बना देती है और छोड़ देती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन पार्कों को बनाने के बाद मोहल्ले की एक सोसायटी बनाई जाए और उनको दे दिया जाए ताकि पार्कों की देखभाल ढंग से हो, वह व्यवस्थित रहे। स्वंय मोहल्ले वाले उसका ध्यान रखेंगे। उनको यह रहेगा कि अगर हमें इन पार्कों को यूज करना है तो इनकी देख-रेख भी अवश्य करनी हैं। नगर निगम हर छोटे-बड़े कामों के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे वह सड़क व्यवस्था हो, चाहे वह लाइट व्यवस्था हो, चाहे वह सीवरेज व्यवस्था हो। इन सबको सुधारने का जिम्मा नगर निगम का होता है। पूर्व में पांच साल से मेरे खयाल से नगर निगम रेंगती-रेंगती चल रही है। अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नजर नहीं आता है। पिछली सरकार में मुख्य मंत्री गहलोत जी की सरकार में जिस तरह 'प्रशासन शहरों की ओर' समय-समय पर लगाकर हर कार्य का निस्तारण होता था चाहे वह लीज डीड देनी हो, चाहे वह पट्टों का हो, चाहे वह सीवरेज की समस्या हो। मैं

(श्रीमती मनीषा पंवार)

आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि समय-समय पर 'प्रशासन शहरों की ओर' जैसे कैम्प लगाकर छोटे-छोटे इस प्रकार के काम करके आमजन को हम राहत प्रदान कर सकते हैं।

शहर का जो भीतरी इलाका हमारा है, वह एक हैरिटेज लुक है। जो मेहरानगढ़ के नीचे का इलाका है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी जो हमारा वार्ड नंबर 34, 35 एवं 36 है, वह पूरा मेहरानगढ़ के नीचे बसा हुआ है। यह पूरा ब्ल्यू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको हैरिटेज स्थल घोषित किया जाए और अलग से बजट की व्यवस्था की जाए ताकि पर्यटक वहां पर ज्यादा से ज्यादा आएं और वहां की आमदनी हम उसी शहर में वापस लगाएं ताकि उसका सुव्यवस्थित विकास हो और उसकी सुन्दरता को हम और अधिक बढ़ा सकें। इसके साथ-साथ हम यह देखते हैं कि नगर निगम, जेडीए, पीडब्ल्यूडी, बिजलीघर हर विभाग अपना अलग-अलग तरीके से काम करने की कोशिश करता है। अगर नगर निगम सड़क बनाकर जाती है तो उसके पन्द्रह दिन बाद पीडब्ल्यूडी पाइप लाइन डालती है। पाइप लाइन डालने के थोड़े दिनों बाद टेलीफोन वाले आते हैं, तार बिछाते हैं। जैसे ही सड़क बनती है, वापस सरकार का पैसा खर्च होता है, पीडब्ल्यूडी वाले उसे खोदते हैं। एक सामंजस्य होना चाहिए हर विभाग में ताकि सरकार का पैसा भी खर्च न हो और आमजन को भी राहत मिले। हर विभाग को सामंजस्य करके शहर के विकास को ध्यान में रखना चाहिए। हम इस प्रकार से काम करेंगे तो सरकार का भी पैसा बचेगा और आम नागरिकों को भी बहुत अच्छी सुविधा दे पाएंगे।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): मैं अपने आपको भाग्यशाली मानती हूं कि मैं उस क्षेत्र से आती हूं जो हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब का गृह क्षेत्र है। उन्होंने जोधपुर शहर के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। आम नागरिकों के हर दुःख-सुख, हर विकास में वह साथ रहते हैं और अपना हर सहयोग जोधपुर के विकास में लगाते हैं। हम और भी कोशिश करेंगे कि जोधपुर शहर को किस तरह विकसित बनाएं, किस तरह नये आयाम बनाएं। एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं-

"यह शहर अपना ही है,

अपने-अपने हिस्से का हम कुछ मिलकर कर लें,

(श्रीमती मनीषा पंवार)

बस थोड़ा-सा कुछ नया करने का सपना पालें,

बेहतर कल होगा अपनों का, आओ अपने शहर की सूरत संवार दें।"

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 29-नगर आयोजना, प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। विश्व के कई देश अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ और हरे-भरे होने के साथ-साथ तकनीक के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बने होते हैं। ये देश पूरे विश्व में अपनी सुन्दरता के लिए विख्यात हैं। हम भी हमारे देश के शहरों को इतना ही खूबसूरत, इतना ही सुन्दर, इतना ही हरा-भरा और इतना ही टेक्नोलोजी के आधार पर आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करके सुन्दर और सभी सुविधाओं से युक्त शहर बना सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है नैतिक ईमानदारी की, अधिकारियों द्वारा लगातार मोनिटरिंग की और देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए कि मैं मेरे देश में ईमानदारी के साथ काम करूं तो निश्चित रूप से क्योंकि केन्द्र सरकार हमें जो बजट देती है, चाहे वह स्मार्ट शहर के माध्यम से हो, चाहे पेयजल के लिए अमृत योजना के माध्यम से हो अथवा राज्य सरकार का बजट, मैं समझता हूं पर्याप्त पैसा होता है। यदि हम उसका सदुपयोग कर सकें तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के शहर भी हरे-भरे, स्वच्छ, खूबसूरत व सुविधाओं से युक्त शहर हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोटा शहर के विषय में आपको बताना चाहता हूं। चम्बल नदी के किनारे हमारा कोटा शहर, बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौन्दर्यता से आच्छादित शहर है। यह शहर अपनी रमणीयता से लोगों के लिए लोक-लुभावन शहर है जिसकी अपनी निराली छटा है। परन्तु जो हमारी राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए थी उसके अभाव में हमारे कोटा शहर का योजनाबद्ध रूप से विकास नहीं हो पाया। न ही हम पर्यटन के क्षेत्र में उसकी छाप देश या विश्व में छोड़ पाए जबकि वहां पर अपार संभावनाएं हैं। चंबल नदी का किनारा और घड़ियाल सैंक्चुरी, गरडिया महादेव जी का मंदिर, ऐसा दृश्य जो विदेशों में भी देखने को नहीं मिलता, ऐसा दृश्य वहां दिखाई देता है।

(श्री संदीप शर्मा)

हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा कोटा शहर का चयन स्मार्ट शहर योजना के तहत स्मार्ट शहर में हुआ है। स्मार्ट शहर में जो चीजें, सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिन समस्याओं का हमें निदान कर देना चाहिए था आज भी वह समस्याएं जस की तस पड़ी हैं। वर्षों से नाले-नालियों के काम नहीं होना, उनमें बदबू आना, सीवरेज की दुर्दशा, पार्किंग की अव्यवस्था, पशुओं का विचरण, वहां न कोई उच्च शिक्षण संस्था है, न नोन वेंडिग जोन है, यह सारी समस्याएं हैं। अवरूद्ध होते रास्ते लोगों को होने वाली परेशानी का कारण है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं का निदान करें। हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।

2013 से 2018 के मध्य गत कार्यकाल में, नगर विकास न्यास द्वारा लगभग 573 करोड़ के कार्य कराए गए। यह कार्य नाली, सीसी रोड, पार्कों का सौंदर्यीकरण, उन मूलभूत समस्याओं को लेकर कराए गए। इसके अलावा, हमने वहां दो तरणताल एक ध्यानचंद स्टेडियम में और एक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, तीन बैडमिंटन हाल, मोदी कालेज फ्लाई ओवर का कार्य प्रारम्भ करवाया। दस चौराहों का सौंदर्यीकरण करवाया। हमारे दशहरा मैदान को प्रगति मैदान की तर्ज पर बनाकर कोटा के सौंदर्य को भव्यता प्रदान की गई। यह प्रमुख कार्य हुए। वर्तमान सरकार ने आते ही, मेरी विधान सभा के महत्वाकांक्षी कार्य जो पिछली सरकार में स्वीकृत हो गए थे उनको निरस्त कर दिया गया जिसमें बेटी गौरव उद्यान, जीएडी से घटोक सर्किल तक हरित्मापट्टी का सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य, कई महत्वाकांक्षी कार्यों पर रोक लगा दी।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में तो यह स्थिति है कि मूलभूत समस्याओं वाले काम भी रूके हुए हैं। इस बार शहर में सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था की आवश्यकता है। सीवरेज के द्वारा गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, आवारा पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था, ग्रीन जोन की व्यवस्था करने, कुछ उच्च शिक्षण संस्थान लाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पेयजल की बात करूं। कोटा में 30-40 वर्षों से पाइपलाइनें नहीं बदली गई थीं। पिछली बार 5 करोड़ की लागत से कुछ पाइपलाइनें बदलवाई। यह स्थिति है कि वहां लगभग 30 से 40 प्रतिशत पानी छीजत में चला जाता है, निकल जाता है। ऐसी बुरी स्थिति है कि लोग-

(श्री संदीप शर्मा)

बाग़ चंबल नदी के किनारे पनी को तरस रहे हैं। 150 करोड़ की लागत से हमने पिछली बार स्मार्ट शहर योजना के तहत प्रस्ताव बनाए थे, कुछ इंटेक वैल, क्योंकि कोटा शहर की आबादी निरंतर बढ़ रही है। वहां देश के विभिन्न शहरों से प्रतिवर्ष डेढ़ से दो लाख छात्र पढ़ने आते हैं, उनको पानी पिलाना पड़ता है। इन सारी चीजों को देखते हुए 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बनाए थे जिसमें पाइपलाइनों का बदलाव, अकेलगढ़ जो पुराने कोटा को पानी पिलाता है, रामपुरा, अमरपुरा तक को पानी पिलाता है उसके नवीनीकरण का कार्य, ऐसे बहुत से कार्य हमने लिए थे, परन्तु उसको निरस्त कर दिया गया।

सभापति महोदय, मैं सीवरेज लाइन की बात करूं। मेरे विधान सभा में महावीर नगर फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, महावीर नगर विस्तार योजना और विज्ञान नगर, केशवपुरा, इसके अलावा दादाबाड़ी, बसंत विहार में ऐसी दुर्दशा है, यह हाल है कि वहां पर सीवरेज की जो पुरानी पाइपलाइनें ड़ली हुई हैं, वह ब्लाक हो जाती हैं और सड़कों पर पानी आ जाता है, घरों में पानी भर जाता है, लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। इसे आरयूआईडीपी के द्वारा कराया गया है। आरयूआईडीपी के द्वारा जो यह काम हुआ है निश्चित रूप से अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसमें बड़ा घपला हुआ है। इसमें न तो स्लोप का ध्यान रखा गया है औन न ही वाटर लेवलिंग ली गई है, न इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। जहां-जहां यह सीवरेज लाइन डाली गई है वहां करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के साथ-साथ लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, इसकी जांच करानी चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अभी तीन मिनट ही हुए हैं साहब। चंबल फ्रंट के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। चले गए। राजस्थान के लिए बहुत व्यापक स्तर पर, इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधार मानकर, अपने विजन के साथ कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। कोटा से आते हैं। कोटा शहर में उन्होंने 400 करोड़ रुपये का रिवर फ्रंट दिया है डाउन स्ट्रीम में। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा अगर यह रिवर फ्रंट बन जाता है तो। कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है तो कोटा शहरवासी भी उनको धन्यवाद देंगे। अभी वह बैठे नहीं हैं।

(श्री संदीप शर्मा)

सभापति महोदय, अप स्ट्रीम में 20 गंदे नालों का पानी चंबल नदी के पानी को अशुद्ध कर रहा है। कोटा शहर के पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा है, इसको देखने की आवश्यकता है। चंबल नदी जहां घड़ियाल सैंक्चुरी है, पीने का पानी लोगों के यहां जाता है वहां 20 गंदे नालों का पानी उस पर्यावरण को अशुद्ध कर रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है वह भी करोड़ों रुपये की लागत से लगा लेकिन वह ट्रीटमेंट प्लांट भी फेल है। मितराकुंड से लेकर मोजीबाबा की गुफा, गोदावरी धाम, गोविन्द धाम, यह तमाम धार्मिक स्थल अप स्ट्रीम पर हैं। 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव लेकर हमने पिछली सरकार में इसके सौंदर्यीकरण को रखा था। भीतरिया कुंड जिसके पीछे बहुत बड़ा एरिया है, वहां अतिक्रमण हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, इसको सही करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): पुनर्विचार करके, 40 करोड़ रुपये के द्वारा, हम भीतरिया कुंड के विस्तार को करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): शैक्षणिक नगरी कोटा में स्मार्ट शहर के अंतर्गत बड़े शिक्षण संस्थान आए, जैसे आईआईएम, एम्स आए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब अभी कहां।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: जो समय निर्धारित था उतना आप बोल लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। माननीय सदस्य, इतनी जिद नहीं करते।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए, मेरा आग्रह है आपसे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। जिद ठीक नहीं है। आप विराजिए। आसन की अवहेलना ठीक नहीं, आप विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप एक सैकण्ड भी नहीं बोल पाएंगे, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आपका कोई अंकित नहीं होगा। सब लोगों को हाइजैक कर रहे हो आप। समय की सीमा है। आपके नेता से बात करके दस मिनट का समय निर्धारित हुआ ...(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। देखिए अच्छी बात नहीं है, विराजिए। प्लीज सहयोग कीजिए। समझाइये आप इनको ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कनक्लूड कर दो।

श्री सभापति: काहे का कनक्लूड कर दें...(व्यवधान) मुझे इनको आठ मिनट ही देने पड़ेंगे।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: दस मिनट भी खड़े रहेंगे तो भी आपको अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय.....

श्री सभापति: माननीय मोदी जी। मिस्टर शर्मा, आसन की अवहेलना ठीक नहीं। आपके नेताओं ने समय निर्धारित किया है। जब आपका समय हो गया, मैं भी तो सुबह बैठा न। मेरी सारी बात रह गई तब भी मैं बैठा। अवहेलना ठीक नहीं। श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नीमकाथाना की एक बड़ी समस्या सरकार के सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली-मुंबई फ्रैट कोरिडोर औरों के लिये विकास के द्वार खोल सकता है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लिये यह एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है। क्षेत्रवासियों की जमीनें एक्वायर हुईं, उनकी सम्पत्तियों का नुकसान हुआ, कोरिडोर के निर्माण के समय परेशानी का सामना करना पड़ा और अब गलत डिजाइनिंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

सबसे पहले मैं नगरपालिका क्षेत्र की बात करूंगा। यहां पर पहले 76 नम्बर फाटक से आवागमन होता था। रेलवे ने यहां पर आर.ओ.बी. बनाया। वहां फाटक के एक ओर दो तरफ से सड़क आती थी उनमें से एक सड़क पर आर.ओ.बी. बनाया। दूसरी ओर की सड़क, जिस पर रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या और आगे सड़क दूसरे क्षेत्रों और जिलों की ओर जाती है, उस ओर आर.ओ.बी. का निर्माण नहीं हुआ। उस ओर जनता ने बहुत मांग उठाई। पिछली सरकार से, सांसद महोदय से कई बार निवेदन किया, लेकिन आर.ओ.बी. एक ही तरफ बना। इसी प्रकार इस पर एक बोक्स अण्डरपास की भी कास्टिंग हुई जबकि वहां पर दो बोक्स कास्ट होने चाहिए थे। आने-जाने के लिये रैम्प का भी निर्माण नहीं हुआ, वह प्रस्तावित भी नहीं है, वहां पर सीढ़ियां बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जनता ने उस

(श्री सुरेश मोदी)

काम को रुकवाया और निवेदन किया कि इस पर रैम्प का निर्माण किया जाये, जिससे छोटे साधन उसके नीचे से निकल सकें। अब रेलवे कहती है कि निर्माण कम्पनी अपना काम पूरा करके चली गई। सब काम अब नगरपालिका और राज्य सरकार के माथे मढ़ दिया गया। बजट पास होगा, भूमि अधिग्रहण होगी, सालों लगेंगे, तब तक हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के वाघा बार्डर की तरह से खड़ी रेलवे लाइन, इसके पार जनता आ और जा नहीं सकेगी। पिछले 38 दिनों से क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर-उधर हर दरवाजा ढोक रहे हैं, परन्तु अभी अंगद के पैर रूपी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। (व्यवधान) यह समस्या आप ही की खड़ी की हुई है, श्रीमान।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): यह आपके समय में ही निर्माण हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): ये टोक रहे हैं साहब, तो इनकी बात का जवाब तो दूं।

श्री सभापति: इनका जवाब देकर इन्हें इन्वाइट मत करिये। आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप धरने पर बैठिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): जरूरत पड़ेगी तो वह भी करेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। धरने पर भी बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा उसके बाद। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। नये आदमी को बोलने दें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): परन्तु अभी अंगद के पैर रूपी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। जनता का एक ओर से दूसरी ओर आना-जाना बंद है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सबसे पहले 76 नम्बर फाटक के नीचे दो अण्डरपास का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराएं व साथ ही साथ आर.ओ.बी. को दूसरी ओर उतारने की कार्यवाही भी शुरू कराएं। इसके लिये सरकार डी.एल.बी. अफसरों का कैम्प नीमकाथाना में कराकर सारी कार्यवाही युद्ध स्तर पर कराएं। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

(श्री सुरेश मोदी)

इसी तरह एक और समस्या इस कोरिडोर पर बने हर अण्डरपास पर पानी भरने की है। बरसात होते ही हर अण्डरपास में कम या ज्यादा पानी भर जाता है, जिसकी निकासी का कोई प्रावधान रेलवे ने नहीं किया। मेरे क्षेत्र में फाटक नम्बर 70 के नीचे बने अण्डरपास में पूरे बरसाती मौसम में पानी भरा रहता है। वह एक तालाब की तरह से भरा रहता है। एक बार तो एक स्कूल की बस नीचे डूब गई थी, जिसमें तीस बच्चों को उस अण्डरपास के पास के ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। सीढ़ियां लगाकर उन्हें बस के ऊपर चढ़ाया गया और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। सभी अण्डरपासों से गुजरने वाले लोग विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाये गये इस डिजाइन से परेशान हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देकर इस समस्या से जनता को निजात दिलाने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराने का मैं अनुरोध करता हूं।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान जून, 2016 में नीमकाथाना में खेतड़ी रोड, बूधोली रोड और कपिलमूर्ति की ओर से एक-डेढ़ किलोमीटर में सड़क के दोनों तरफ प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की आड़ में आजादी से पहले की ऐतिहासिक हवेलियां और आम जनता के पट्टेशुदा मकानों तक को तोड़ दिया गया, उस ओर दिलाना चाहता हूं। प्रशासन ने भारी पुलिस बल इकट्ठा करके पानी के बौछार वाली बड़ी-बड़ी गाड़ियां लगाकर आम जन में खौफ पैदा करके इस पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया। विरोध करने वालों को पकड़-पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। प्रशासन ने कोई व्यक्तिगत नोटिस किसी को नहीं दिया और न ही स्वामित्व के दस्तावेज मांगे, न ही तोड़े जाने वाले भाग को चिह्नित किया, न ही पीड़ितों के घर में रखे सामान को निकालने का मौका दिया, और न ही सुनवाई और एतराज दर्ज कराने का मौका दिया। घोषणा के बावजूद जिन लोगों के मकान तोड़े गये, उन्हें आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न ही उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाए, उनके स्थापन की व्यवस्था हो और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

मैं आपके समक्ष 2016 में छपे हुए अखबारों की कुछ कटिंग पेश कर रहा हूं, जिनमें पहली में लिखा है, जनता का दर्द, यह दैनिक भास्कर की 12 जून की कटिंग है। कलेक्टर को बताओ कि कुछ तो रहम करे, आजादी से पहले बनी हवेली अतिक्रमण में कैसे, सवा सौ साल पुरानी, डेढ़ सौ साल पुरानी

(श्री सुरेश मोदी)

हवेलियां, ऐतिहासिक हवेलियां, ऐसी-ऐसी हवेलियां जिनका पुरातात्विक महत्व था, उनको तोड़ दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे 92 वर्षीय पिताजी, जो इस सदन के चार बार सदस्य रहे, उनके मन में बहुत पीड़ा थी। वे चलने-फिरने लायक स्थिति में नहीं थे। उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो बड़े-बड़े एक्सकेवेटर लगाकर, ये मशीनें चलाई जा रही हैं लोगों के बुल्डोजर से मकान तोड़े जा रहे हैं, मुझे उनके सामने ले चलो। साल-छह महीने में मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मैं अगर जनता के काम आ सकूं और गरीबों के मकान बचा सकूं तो मुझे उस एक्सकेवेटर के सामने ले चलो। राजपालसिंहजी शेखावत उस समय स्वायत्त शासन मंत्री थे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): उनसे उन्होंने फोन पर बात करने की कोशिश की। कलेक्टर साहब से फोन पर बात करने की कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ये मेरी सारी फोटोग्राफ्स इस सदन में इनके सामने रख रहा हूं, जनता के सामने, सरकार के सामने कि इस पर कार्यवाही की जाये और जो हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, जिनके मकान तोड़ दिये गये, जिनके पट्टाशुदा मकान तोड़ दिये गये, जिनके घरों में रखे सामान को उजाड़ दिया गया, जिनके जो बचे हुए मकान हैं इस बेदर्दी से तोड़ा गया कि उन पीछे बचे हुए मकानों में दरारें आ गईं और उनकी भी छतें टूट गयीं। लोग कई दिनों तक बेघर रहे और आज भी कई लोग उस सदमे से उबर नहीं पाये हैं। कुछ लोगों की तो इस सदमे में मृत्यु हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाये और इस काम को अंजाम देने में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। सरकारी कर्मचारी, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। कहीं आपने देखा होगा कि एस.डी.ओ. डंडे घुमा रहा है!

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): सभापति महोदय, यह जो तस्वीर है, इसमें तत्कालीन एस.डी.एम. जनता पर डंडा घुमा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी को मिलकर दिखाना, अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): मैं नगरपालिका नीमकाथाना के परिसीमन पर, आसपास के साथ लगते क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किये जाने का भी निवेदन करता हूं, ताकि जो आसपास के निवासी हैं उन्हें भी पालिका की, खास तौर से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अविनाश।

(19.00 बजे)

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): एक मिनट साहब, एक मिनट। हमने यह वादे किये थे कि जनता के साथ न्याय होगा, सुशासन देंगे, जनता के घावों पर मरहम लगाएंगे, जनता की सेवा करेंगे। मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता के लिए न्याय की गुहार करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या-29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया। इससे पहले कि मैं मेरी बात को शुरू करूं, मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य को आपने जो पांच मिनट कम दिया, वह समय कृपा करके मुझे दे दें ताकि मैं उनकी और मेरी, दोनों की बात कह सकूं।

श्री सभापति: एक मिनट तो आपने समाप्त कर दिया, अब आप नौ मिनट ही बोल पाएंगे।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आज नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की मांग संख्या-29 पर बात हो रही है। मैं बड़े अदब के साथ में मेरी बात को शुरू कर रहा हूं और इन चंद शब्दों के साथ में कि-

(श्री अविनाश)

"बहनें सोना जीत रही हैं,
इसरो चांद पर तिरंगा लहरा रहा है,
नौजवान राष्ट्र के प्रतीक आजाद, तिलक को नमन कर रहा है,
वाकई मेरा देश बदल रहा है।"

इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा लंबी-चौड़ी बातें नहीं कर मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर तथा नगरपालिका क्षेत्र को किस तरीके से विकसित किया जा सके, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं।

नगरीय निकाय को मजबूत करने के लिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के अधिकारों को बढ़ाया जाए ताकि नगर निकाय में जो परेशानी आ रही है, जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, उस पर लगाम लगाई जा सके।

नगरीय विकास कर का सरलीकरण किया जाए। जैसे यू.डी. टैक्स, उसके माध्यम से यह जो अधिकार हैं, वह स्थानीय स्तर पर तय किये जाएं जिससे कि लोकल स्तर पर क्षेत्र का विकास हो सके, शहर का विकास हो सके। स्थानीय निकायों में बहुत वर्षों से रिक्त पद चल रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय निकायों में जो रिक्त पद हैं उनको भी जल्दी से जल्दी भरा जाए और परिधि, नियंत्रण एरिया में जो-जो एरिया सम्मिलित होता है, उसको शहरी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए ताकि उन एरिया में भी शहरी निकाय के माध्यम से विकास किया जा सके।

स्थानीय निकाय क्षेत्र की सिवाय चक भूमि को नगर निकाय में सम्मिलित किया जाए ताकि नगरपालिका की आय भी बढ़ सके। नगरपालिका में फुल-फ्लेज आर.एम.एस. सर्विस के अधिकारी को लगाया जाए। पूर्व में चूंकि, अलग-अलग नगरपालिकाओं में ई.ओ. के बजाय, ई.ओ. के पद पर आर.आई., एस.आई., ए.आर.आई. जैसे कम अनुभवी लोगों को लगाया जाता है, कम प्रशासनिक अनुभव के लोगों को लगाया जाता है, जिससे नगर निकायों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

मेरे जैतारण नगरपालिका में जो पूर्व में ई.ओ. लगे हुए थे, वह सेनेटरी इंस्पेक्टर के मूल पद पर थे और उनको ई.ओ. का चार्ज दिया गया और अभी वर्तमान में रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे पद को ई.ओ. के विरुद्ध लगाया

(श्री अविनाश)

गया है इसलिए मेरी आपसे यह मांग है कि यहां पर ऐसे पदों पर, ई.ओ. जैसे महत्वपूर्ण पद पर आर.एम.एस. सर्विस के अधिकारी को लगाया जाए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण क्षेत्र में पानी के भराव से आ रही समस्या के कारण गौ-शाला से कृषि मंडी होते हुए देवरिया चौराहा जो जोधपुर बाई पास पर मिलता है और प्राइवेट बस स्टैंड से झूझण्डा चौराहा होते हुए रामप्याऊ तक जो नेशनल हाईवे 112 पर मिलता है, वहां तक डबल सी.सी. रोड नाला सहित बनाएं ताकि यहां पर यह दो ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां पर बरसात के समय पानी की निकासी नहीं होने के कारण लगभग तीन-तीन फीट पानी भर जाता है। यह आम रास्ता है इस शहर को जोड़ने के लिए और इस शहर में आने के लिए रास्ता बंद हो जाता है इसलिए वहां पर अगर डबल सी.सी. रोड नाले सहित बना दी जाए तो पानी की निकासी भी हो जाएगी और शहर में चार चांद भी लग जाएंगे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में एक मात्र नगरपालिका है, उसका सिटी डवलपमेंट प्लान तैयार करवाया जाए, जिससे सड़क, पानी-बिजली, सौन्दर्यीकरण, नगरपालिका भूमि पर काम्प्लैक्स, टाउन-हाल आदि जैसे विकास के कार्य करवाये जा सकें।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व में मेरे जैतारण शहर में सीवरेज की परियोजना के लिए लगभग 47 करोड़ रुपये की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की गयी थी। यह तीसरा मौका है जब मैं सीवरेज परियोजना पर इस सदन के अंदर मेरा यह मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि इस सीवरेज परियोजना में जो कि 47 करोड़ की थी, उसमें जो चैम्बर लगाये गये, पहले की भांति मैंने बताया कि चैम्बर बहुत ऊपर नीचे लगाये हैं। करीबन एक-सवा फीट के ऊपर-नीचे लगाये गये हैं और मेन सड़कों पर लगाये गये हैं, वह चैम्बर आज इस तरीके से दर्दनाक बन गये कि आम सड़क पर चलते राहगीर वहां पर गिर जाते हैं इसलिए उनको परेशानी होती है। अभी नगरपालिका के हाउस कनेक्शन पूर्ण रूप से बाकी हैं, जो चैम्बर लगाये गये वह ब्लाक हो चुके हैं और वहां पर बिना दबाव के पानी एस.टी.पी. तक नहीं पहुंच पाता है। इस सीवरेज परियोजना में घटिया क्वालिटी का निर्माण किया, घटिया क्वालिटी काम में ली गयी और डी.पी.आर. के विरुद्ध कार्य करवाये गये और जो सड़कें सीवरेज में बनाई गयी थीं वह सड़कें मात्र छह महीने के बाद में

(श्री अविनाश)

टूटना शुरू हो गयी हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण परियोजना, बारिश के दिनों में भी पानी की निकासी नहीं हो पाती है। वह सड़कें धंस चुकी हैं, मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में जैतारण शहर में कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, इसकी भी कल्पना करना यहां पर कोई मामूली बात नहीं होगी क्योंकि सीवरेज में घटिया सामग्री का निर्माण हुआ है और मात्र एक कनिष्ठ अभियंता के भरोसे इस 47 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजना को अंजाम दिया गया है जो अनुभव की कमी के कारण आज सफल नहीं हो पा रही है।

मेरे जैतारण नगरपालिका में भवन निर्माण और व्यावसायिक निर्माण की एन.ओ.सी. के लिए जो लोग आवेदन करते हैं, उनको भी बिना पैसा आवेदन दिया नहीं जाता है और काफी टाइम तक लंबित रखा जाता है और यह नगरपालिका वाले सारे अधिकारी मिले हुए हैं, कर्मचारी मिले हुए हैं, जन-प्रतिनिधि मिले हुए हैं। वह ऐसा करते हैं कि जो एनओ.सी. के लिए जाते हैं, उनको काफी समय तक लंबित करते हैं और जब वह निर्माण करते हैं तो उनको बोलते हैं कि एन.ओ.सी. दे दो तो वह एन.ओ.सी. देते भी नहीं हैं और वह जब जाते हैं तो उनसे पैसे मांगते हैं। जो पैसे दे देते हैं उनको निर्माण की स्वीकृति देते हैं और जो पैसे नहीं देते उनके तग़ारी और फावड़े लेकर आ जाते हैं, उनका कार्य बंद करवा दिया जाता है।

अभी कुछ महीनों पहले सफाई कर्मियों की भर्ती भी हुई थी। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग 100 के आस-पास सफाई कर्मियों की भर्ती हुई तो उसमें ओ.बी.सी. के लिए 26 पद आरक्षित थे। उन 26 पद में से एक जो सर्कुलेशन बना उसके हिसाब से कम से कम लाटरी में तीन गुणा के करीब आवेदन जिला कलेक्टर को भेजने होते हैं लेकिन इस नगरपालिका की आप कारगुजारी देखिए कि उन्होंने मात्र 27 आवेदन कलेक्टर साहब के पास में भेजे और उन 27 में से 26 का आवेदन स्वीकृत कर लिया गया और जिन 26 पदों पर यह स्वीकृत हुए थे, उनमें जो तत्कालीन अधिशासी अधिकारी था, उसके खाना बनाने वाला रसोइया था वह और उसका भाई, दोनों को सलेक्ट कर लिया गया। दो-तीन कर्मचारी ऐसे थे जो पूर्व में चार-पांच वर्षों से किसी फर्म के अधीन उसी नगरपालिका में संविदा पर कार्यरत थे, उनका भी उसमें सलेक्शन कर लिया गया और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि नगरपालिका अधिकारियों

(श्री अविनाश)

और कर्मचारियों की मिलीभगत से ओवर-एज हो चुके, आयु से अधिक हो चुके जो लोग थे, उनको भी इन सफाई कर्मियों में भर्ती कर लिया गया इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि सफाई कर्मियों की भर्ती में और सीवरेज की 47 करोड़ की महत्वपूर्ण परियोजना की ए.सी.बी. से जांच कराएं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि अगर आपने पारदर्शिता के साथ में इन दोनों की जांच करवा ली तो सारे के सारे अधिकारी जो इसमें लिप्त थे, वह सारे के सारे आने वाले समय में जेल के अंदर रहेंगे क्योंकि यह जो पैसे लगे हैं वह जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, जो हमारे अच्छे के लिए लगता है लेकिन कर्मचारी मिलीभगत करके उनके अंदर घोटाला कर देते हैं, अनियमितता कर देते हैं।

साथ ही, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नगरपालिका जैतारण के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत से सामान का क्रय किया गया और उस सामान के अंदर प्रचलित बाजार दर से कई गुणा अधिक पर सामान क्रय किया गया, इसमें भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा अनियमितता इसमें भी उजागर होगी। मेरा यह निवेदन है कि इसमें भी जांच कराई जाए।

स्टोर से जो सामान की खरीद की गयी, उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्टोर से लाखों रुपयों का सामान एक ही फर्म से इस तरीके से लिया गया, कोटेशन के आधार पर लाखों रुपये का सामान जो वार्षिक टेंडर के माध्यम से लिया जा सकता है लेकिन वार्षिक टेंडर नहीं करके उन्होंने एक-एक लाख रुपये से कम के चैक काटकर, एक-एक लाख रुपये से कम का सामान एक ही फर्म को जो तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और जो कर्मचारी थे, उनके रिश्तेदार की फर्म थी, उनके नाम पर लाखों रुपयों का सामान खरीद किया गया, उसकी भी जांच कराई जाने की जरूरत है।

मेरे ही नगरपालिका क्षेत्र में चूंकि उपखण्ड मुख्यालय है, उपखण्ड मुख्यालय की सबसे बड़ी स्कूल है। हायर सैकण्डरी स्कूल है, उसमें पानी की निकासी के लिए 10 लाख रुपये तक का टेंडर नगरपालिका द्वारा जारी किया गया, उस 10 लाख रुपये से अगर नगरपालिका वाले चाहते तो इस ग्राउंड को पूरा मिट्टी से भर देते ताकि वह जो पानी आता है बारिश का वह पानी बाहर निकल जाता लेकिन अधिकारियों की और जन-प्रतिनिधियों की मिलीभगत के कारण उसका मात्र ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): सर, दो मिनट। उस स्कूल की मिट्टी भराई के कार्य को स्कूल के द्वारा भी जांचा गया। प्रिंसिपल और उसकी पी.टी.आई. की टीम द्वारा जांचा गया और बार-बार कहने के बावजूद एक लाख रुपये तक की मिट्टी डाली नहीं और जब मैंने यहां शिकायत की डी.एल.बी. में, डी.एल.बी. के द्वारा एक लैटर दिया गया नगरपालिका क्षेत्र को कि आप उच्च तकनीकी टीम से उसकी जांच कराएं पर उसके बावजूद भी आज दिन तक कोई जांच नहीं हुई और इस दस लाख का भुगतान करने के लिए नगरपालिका ने ट्रेजरी के अंदर बिल भेज दिया। जब मैंने शिकायत की, शिकायत का पता लगा तो पता लगने के बाद में ट्रेजरी से दस लाख का बिल वापस मंगवा लिया गया और आज तक हो सके कि उस बिल का भुगतान हुआ या नहीं हुआ, इसकी भी जांच कराये जाने की जरूरत है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अंतिम बात कहते हुए मैं मेरी बात को खतम करूंगा। मेरे जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में एक सार्वजनिक पार्क आया हुआ है, जिसकी 30 बीघा जमीन सरकार द्वारा उस पार्क के लिये अलाट की गयी है। ताज्जुब की बात देखिए, माननीय सभापति महोदय, बिना बोर्ड की अनुमति के उस सार्वजनिक पार्क का नाम इंदिरा गांधी शांति पार्क कर दिया गया, जबकि बोर्ड की अनुमति के बिना इस तरह का करना कानूनी अपराध है। यह किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है और इस इंदिरा गांधी पार्क के अंदर 30 बीघा से ज्यादा जमीन पर पैसे लग रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि इस बड़े पार्क के अलावा और भी बहुत सारे छोटे-छोटे चार या पांच पार्क हैं, उनके अंदर एक रुपया तक यह पालिका वाले लगाते नहीं हैं। चूंकि यह शहर से बाहर है, उसमें भी कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता है। आज इस सदन में डी.एल.बी. के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकी कार्यशैली पर मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन आपसे इतना-सा निवेदन है कि जैतारण की जनता के हित में मैंने यह जो आवाज उठायी है, तो उस पर कार्यवाही करें ताकि जिन लोगों ने गलत काम किया है, उनको उसकी सज़ा मिले।

अभी पिछले विधान सभा सत्र में मैंने मुद्दा उठाया था, तब आपने कहा था कि 95 परसेंट सीवरेज का काम पूरा हो गया है। यह फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह उस जैतारण शहर के कोर्ट के पास की गली की फोटो

(श्री अविनाश)

है, जहां से हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। उसमें कीचड़ भरा हुआ है। यह पिछले कई सालों से है, लेकिन आपको मैसेज यह दिया गया कि वह सीवरेज का कार्य पूरा हो गया है, लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बातों को थोड़ा-सा गंभीर लेते हुए कार्य करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा इस सदन में मैंने सुना है कि जो बात कही जाती है, उसके ऊपर कार्यवाही होती है, लेकिन यह तीसरी बार, सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, लेकिन इन छह महीनों के अंदर सीवरेज में जो घोटाला हुआ है, जो अनियमितता हुई है, घटिया क्वालिटी को काम में लिया गया है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अंतिम बात महाराणा प्रताप की दो लाइनों के साथ में मेरी बात को खतम करूंगा -

'वन में रहना स्वीकार मुझे
तृण की रोटी से प्यार मुझे
यदि दास बनूं इन मुगलों का
तो जग में जीना धिक्कार मुझे।।"

बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

लिखित वक्तव्य

संदीप शर्मा, श्री, माननीय सदस्य का अनुदान की मांग संख्या 29 पर लिखित वक्तव्य

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का कुछ वक्तव्य रह गया। अगर आपकी अनुमति हो तो टेबल करवाने की अनुमति प्रदान करें।

श्री सभापति: करिए, टेबल करिए, बिलकुल। वैसे बोल लिये। माननीय सदस्य, जितना समय आपको दिया था, उतना बोल लिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो पन्ने ही हैं।

(माननीय सदस्य, श्री संदीप शर्मा द्वारा अपना शेष वक्तव्य टेबल किया गया।)

(माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा के लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सभापति: इसमें कोई भी ऐसी असंसदीय किसी तरह की भाषा हो तो आप उसको विलोपित कर देना। सब्जैक्ट से अलग हटकर कुछ नहीं होगा। श्री लाखन सिंह।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 29 पर विचार

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-29-नगर आयोजना के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: वैसे आसन से यह व्यवस्था पहले दी जा चुकी है कि टेबल नहीं किया जाए।

श्री लाखन सिंह (करौली) नगर आयोजना के क्रम में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में आधुनिक नगर नियोजन के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियां पांच हैं - पानी, बिजली, भीड़, कीचड़ और पार्किंग। अगर मैं इनके बारे में बोलूंगा तो काफी समय खराब हो जाएगा इसलिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूं। करौली विधान सभा क्षेत्र है, जो शहर है और जिला मुख्यालय है। करौली शहर को मदन मोहन जी की नगरी के नाम से जानते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर है, इसलिए यहां पर पर्यटक भी आते हैं।

सभापति महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर करौली शहर से सटकर एक नदी जाती है, जो आजकल करौली के बीचों-बीच आ गयी है। वह भद्रावती नदी के नाम से जानी जाती है और उस नदी में कीचड़, गंदगी और पानी का भराव रहता है जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस भद्रावती नदी के लिये विशेष बजट दिया जाए जिससे करौली जिला बीमारी से मुक्त हो और उसका सौन्दर्यीकरण हो और जो पर्यटक आते हैं, उनको भी स्वच्छ लगे।

मेरे से पहले सभी माननीय सदस्यों ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बारे में बताया। निश्चित सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता हुई और सफाई कर्मचारी, जो मूलत: सफाई का काम करते आये हैं, उनके लिये भी मूल अधिकार का हनन हुआ क्योंकि जो सफाई कर्मचारी सफाई के नाम पर भर्ती हो गये, वह आफिसों में काम कर रहे हैं। सफाई का मतलब गटर से लेकर रोड पर सफाई करना होता है। इसलिए, उन लोगों को जो सफाई का काम करते हैं, उनके साथ में अन्याय हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी

(श्री लाखन सिंह)

से कहना चाहता हूं कि इस बारे में ध्यान दिया जाए और सफाई कर्मचारी, जो आज से 10 साल से अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उनको स्थाई किया जाए, और नहीं तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि करौली विधान सभा क्षेत्र में कालोनियों में सड़क व नालियों का निर्माण कार्य कराया जाए व कच्ची बस्तियों में सीवरेज लाइन का काम अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, करौली विधान सभा क्षेत्र में माथुर स्टेडियम के सामने मीना कालोनी को जाने वाले रास्ते में गंदा पानी भरा रहता है, वहां पर रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि पूर्व में इसका बजट पास हो चुका है। वहीं भीमनगर कालोनी को जाने वाले रास्ते पर आज से तीन साल पहले एक नाला बनवाया गया, लेकिन नाले की चौड़ाई कम होने के कारण थोड़ी-सी भी बारिश होने पर शहर का जो पानी बहकर जाता है, वह उसमें समाहित न होकर पूरा पानी वहां माथुर स्टेडियम के सामने स्टेट हाईवे पर जमा हो जाता है। इस कारण से चार-पांच घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है जिससे करौली विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटना होने की संभावना होती है और आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि करौली विधान सभा क्षेत्र की जनता को आपसे उम्मीद है कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे।

करौली शहर में नालों की समस्या है। वहां पर नालों की समय-समय पर सफाई नहीं होती है जिससे नालों में पानी के बहाव के साथ कचरा भी बहता है जिससे नालियों में पानी का बहाव रूक जाता है और उस गंदगी का सामना शहर के लोगों को करना पड़ता है जिससे लोग बीमारी का शिकार बन जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि करौली जिले में नगर परिषद् में रिक्त पदों की कमी को जल्द से पूरा किया जाए व स्टाफ की संख्या और बढ़ायी जाए जिससे शहर की सफाई की व्यवस्था समय-समय पर पूरी हो सके और आमजन को इस गंदगी से राहत मिल सके।

(श्री लाखन सिंह)

सभापति महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपने करौली नगर परिषद् को किसी योजना के अंदर लेकर वहां ड्रेनेज, सीवरेज, सौन्दर्यीकरण के जो कार्य होंगे, उसकी डी पी आर बनाने के आपने आदेश कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर परिषद् करौली में जो सीवरेज लाइन डाली गयी है, इसमें मेन रोड तक सीवरेज लाइन डाल दी गयी है, लेकिन शहर की गलियों में अभी तक सीवरेज लाइन नहीं डाली गयी है। खास तौर पर मुस्लिम बस्तियां, जनजाति बस्तियां, जिनमें जामा मस्जिद वाला एरिया एवं उसके आगे के चौराहे से गोपाल जी की छतरी एवं इन गलियों का न तो सर्वे किया गया है और न ही सीवरेज लाइन डाली गयी है। जिस इलाके का सर्वे नहीं हुआ है, उसका सर्वे करवाकर सीवरेज लाइन डाली जाए। नगर परिषद् करौली में आर यू आई डी पी द्वारा डाली गयी पाइप लाइन के सभी जोनों को जोड़कर शहर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी पत्रकारों को उनके द्वारा आवास देने की घोषणा की गयी। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं कि जिला मुख्यालय पर भी आवास आबंटन किया जाए। इसके लिये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी पत्रकारों के लिये आवास/भूखण्ड आबंटन किये जाएं और अधिस्वीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, राजस्थान प्रदेश में सवा सात करोड़ की जनसंख्या में 38 परसेंट जनसंख्या शहरों में रहती है। सभापति जी, जो शहरों का समग्र विकास होना चाहिए उस दृष्टि से हम आज भी पिछड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटी की मान्टिरिंग, जिस तरह से पंचायत समिति की मानिटरिंग जिला स्तर पर होती है जैसे ग्राम पंचायत की मानिटरिंग बी.डी.ओ. करता है, बी.डी.ओ. की ए.सी.ई.ओ. और ए.सी.ई.ओ.

(श्री सुभाष पूनिया)

के बाद में सी.ई.ओ.। जैसे उदाहरण के तौर पर झुन्झुनूं जिले में ही आठ पंचायत समितियां हैं लेकिन उनकी मानिटरिंग के लिए ए.सी.ई.ओ., सी.ई.ओ. हैं और वहां 11 म्युनिसिपैलिटीज हैं उनकी जयपुर से मानिटरिंग होती है तो मैं चाहूंगा कि जिला लेवल पर भी उनकी मान्टिरिंग की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से समय-समय पर उनका निरीक्षण भी हो पाएगा और अपना मार्गदर्शन भी ले पाएंगे।

दूसरा, अभी कई विद्वान सदस्यों ने बताया कि शैक्षणिक योग्यता समाप्त की गई, तो मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि शैक्षणिक योग्यता पूर्ववर्ती सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सही की थी क्योंकि जब अनपढ़ जन प्रतिनिधि आएंगे तो निश्चित रूप से वो जेल के सींखचे में रहेंगे, पता नहीं कौन आकर उनसे दस्तखत करवा कर ले जाएगा। जब अनपढ़ जन प्रतिनिधि महिलाएं होती हैं तो उनके साथ उनके पति या उनके बेटे ही उनका काम करते हैं और अगर पढ़ी-लिखी महिलाएं होंगी तो निश्चित रूप से अपना खुद का काम करेंगी, अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे पाएंगी, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

तीसरा मेरा आपसे आग्रह है कि आज के दिन शहरों में आवारा पशु, कई बार सुबह-सुबह लोग मोर्निंग वाक पर जाते हैं तब आवारा कुत्तों का इतना आतंक हो गया कि अगर लोग पांच बजे घूमने निकलते हैं तो 15-15, 20-20 कुत्तों का झुंड उनको काटने के लिए दौड़ता है तो नगरपालिकाओं को उन कुत्तों को पकड़कर नागरिकों को बचाने का काम करना चाहिए।

नगरीय विकास विभाग द्वारा जोन डवलपमेंट मास्टर प्लान और विकास योजनाओं में एकरूपता लाने के समयबद्ध कार्यक्रम लेने चाहिए। राज्य के सभी नगर निकायों की सफाई कर्मियों की भर्ती हो चुकी है इसलिए मैं चाहूंगा कि ठेकेदार और सफाई कर्मी मिलकर इस काम को अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से हमारे नगर साफ-सुथरे रहेंगे। यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

सभापति जी, मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि नगरीय विकास विभाग द्वारा चैरिटेबल ट्रस्टों, विद्यालयों और अस्पतालों को जो रियायती दर पर भूमि दी जाती है उस भूमि के उपयोग में उन शर्तों की अवहेलना बारंबार हो रही है। उस चीज की भी मानिटरिंग करके राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर कहीं भी इस तरह की अनियमितता हो तो उनका

(श्री सुभाष पूनिया)

समय-समय पर निरीक्षण करके अगर अनियमितता है तो उस सम्पत्ति को कुर्क करने का भी आधार होना चाहिए, यह भी मेरा आपसे आग्रह है।

सभापति जी, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की तो बहुत कमी है, खासकर के सार्वजनिक शौचालय की, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मंत्री जी इसके ऊपर भी ध्यान दें और इसके लिए बजट की व्यवस्था करें ताकि सूरजगढ़ नगरपालिका स्वस्थ रहे।

श्रीमान जी, मेरा आपसे आग्रह है कि प्रदेश में वर्षा कम होने पर वर्षा के जल का सही उपयोग करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की संरचनाओं का निर्माण किया जाए जिससे अण्डर ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हो और 300 मीटर या इससे अधिक भू-खण्ड के निर्माण के लिए अपने को उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको इजाजत देते समय पाबंद किया जाए कि आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डवलप करें, यह भी आपसे आग्रह है।

एक रूडसिको के तहत, सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि अतिशीघ्र सूरजगढ़ म्युनिसिपैलिटी में सीवरेज लाइन डाली जाए।

श्रीमान जी, आपसे एक आग्रह और करूंगा कि जब पी.डब्ल्यू.डी. कोई काम करती है, मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने भी अपने उद्‍बोधन में एक यह राय दी थी कि जब पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बनाती है और सड़क बनते ही पी.एच.ई.डी. अपनी लाइन डालने के लिए पहुंच जाता है, फिर उसके बाद बी.एस.एन.एल. वाले अपनी लाइन डालने के लिए पहुंच जाते हैं तो इनमें आपस में समन्वय स्थापित करके एकरूपता लायी जाए ताकि पैसे की बर्बादी नहीं हो और लोगों को समय-समय पर अच्छी सड़कें मिल सकें और बिना बात का अपना नुकसान नहीं हो। सभी नगरपालिकाओं को उस टोल फ्री नम्बर से जोड़ा जाए जिससे प्रभावी कार्यवाही सम्भव हो सके।

सूरजगढ़ नगरपलिका में अग्निशमन केन्द्र बना हुआ है और वहां गाड़ी भी आ चुकी है लेकिन ड्राइवर नहीं होने से वो गाड़ी नाकारा है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि वहां शीघ्र ही एक ड्राइवर की व्यवस्था की जाए।

सूरजगढ़ म्युनिसिपैलिटी में ई.ओ. के अलावा कोई कर्मचारी नहीं है,

(श्री सुभाष पूनिया)

ज्यादातर सफाई कर्मचारियों से ही बाबू का काम लिया जा रहा है इसलिए, सभापति जी, आपसे आग्रह है कि वहां अतिशीघ्र कर्मचारी लगाये जाएं।

एक आपसे आखिरी आग्रह और है कि सूरजगढ़ नगरपालिका की हालत ऐसी है, एक महीने से ज्यादा कोई ई.ओ. टिकता ही नहीं है क्योंकि वहां राजनीतिक दखलंदाजी इस टाइप की हो रही है। इसलिए पूरा का पूरा काम बाधित हो रहा है और लोगों की जो पट्टे की पत्रावलियां हैं वो काफी समय से लम्बित पड़ी हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां कोई परमानेंट ईओ. लगाकर जनता के पट्टे बनाये जाएं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र बिश्नोई। (अनुपस्थित) श्री हरीश चन्द्र जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं हैं, देवली नगरपालिका एवं उनियारा नगरपालिका और दोनों ही उपखण्ड कार्यालय भी हैं। महोदय, दोनों शहरों में सीवर लाइन नहीं है। अब ऐसा कैसा नगर होगा जिसमें बिना सीवर लाइन के चल रहा होगा? आप वहां की सफाई की स्थिति देख सकते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि दोनों शहरों में सीवर लाइन की व्यवस्था करायी जाए।

इसी तरह, महोदय, जो सार्वजनिक प्रकाश है उसकी व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रकाश हेतु एल.ई.डी. लाइट लगायी जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिले।

नगरपालिका क्षेत्र देवली एवं उनियारा, दोनों शहरों में पुरानी जीर्ण-शीर्ण सड़कें हैं, नालियां एवं पुल हैं, उनकी हालत दयनीय है, उनके अभाव में लोगों का जीना दूभर हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पुरानी सड़कों की मरम्मत करें, नालियों की सफाई करवाएं ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिले।

महोदय, अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में जो सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है, मैं मानता हूं यह बड़ा गलत काम हुआ है। सफाई कर्मी तो भर्ती किये पर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

जो सफाई का काम करने वाले लोग हैं उनको इससे वंचित रखा गया और ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया उस कोटे में जो सफाई नहीं करते। सरकार का पैसा भी जा रहा है और जो हमारे नागरिक हैं उनको सुविधा भी नहीं मिल रही तो मैं मानता हूं कि उसको पुनः दुरुस्त की जाए क्योंकि यह रामलाल जी वाली पार्टी है, ये ऐसा कर रहे हैं, इनकी तो आदत है यह करने की, जनता का ध्यान नहीं रखते, सुविधा का ध्यान नहीं रखते और अन्याय हमारे प्रदेश में करते हैं। मेरा आग्रह यह है कि वाल्मीकि समाज के लिए जो हमारे सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी, उन्हीं लोगों को लगाया जाए जो हमारा काम करें, जो इसके लिए पात्र हैं।

सभापति महोदय, मेरे दोनों शहरों देवली और उनियारा में दो स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं। बहुत बड़े खेल मैदान हैं, पुराने खेल मैदान हैं, लेकिन रख-रखाव के अभाव में दोनों में ही हमारे नागरिकों को सुविधा नहीं मिल रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि देवली और उनियारा के खेल मैदान को विकसित करें।

सभापति महोदय, जो बिजली के तार हैं, वह कहीं भी भूमिगत नहीं हैं। कई जगह टूटे हुए हैं। कभी लटक जाते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम दोनों शहरों में तो जो बिजली की लाइन है, उसको भूमिगत करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा है कि फिर बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे, 9 बजे मुझे मंत्री जी का रिप्लाई कराना है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, अभी नगरपालिका के वार्डों का पुनर्गठन चल रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि कृपया वहां हमारे जो स्थानीय जन प्रतिनिधि हैं, एमएलएज हैं, उनके सहयोग से, उनके सुझाव उसमें लिए जाएं ताकि जन भावना के अनुरूप इनका पुनर्गठन किया जा सके।

सभापति महोदय, सरकार में लंबे समय से देवली की एसटीपी की स्वीकृति पैंडिंग है। उसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हुए लंबा समय गुजर गया है। सिर्फ टैक्निकल सैंक्शन के लिए सरकार के पास विचाराधीन है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो भी उसमें गतिरोध है उसको दूर करें और हमारे एसटीपी प्लांट को जल्दी चालू करवाएं।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सभापति महोदय, दोनों शहरों में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने शहर हैं। उनियारा तो राजाओं के टाइम का बसा हुआ है। देवली अंग्रेजों के टाइम का बसा हुआ शहर है। रोडें छोटी पड़ रही हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। लोग व्यवसाय कर रहे हैं। किसी ने दुकान कर ली, किसी ने मकान बना लिया। वहां पार्किंग का कोई स्थान नहीं है। वाहन लगातार बढ़ रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन सड़कों का रख-रखाव करें। सड़कों को चौड़ी करें। आवागमन के लिए इसको सहज बनाया जाए। अतिक्रमण को हटाया जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था, मैं मानता हूं कि यह पुलिस का विषय है, लेकिन नगरपालिका उसमें सहयोग करे ताकि वाहनों की जो बढ़ती हुई संख्या है, इसमें किसी तरह से नियंत्रण लगे।

सभापति महोदय, अंत में जैसे पूर्व वक्ता ने कहा था आवारा पशुओं की, अस्पतालों में से नवजात बच्चों को नोच-नोचकर मार देते हैं। वहां आवारा सूअर हैं, गाय हैं, बंदर हैं, तरह-तरह के जानवर हैं, जिसके कारण लोगों को तकलीफ आ रही है। मैं चाहता हूं कि आम जनता की दिक्कतों का सरकार निवारण करे।

सभापति महोदय, देवली में बीसलपुर बांध है। उसका पानी सब जगह जा रहा है लेकिन देवली शहर को नहीं मिल रहा है। मैं तो कहूंगा कि यह उस क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार है। वहां की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। पानी सबको मिले लेकिन पहले जो स्थानीय मांग है, उसकी पूर्ति हो। उन लोगों को भी पानी मिले। उनकी आवश्यकतानुसार उनको पानी मिले।

सभापति महोदय, इन शहरों का जो नगरपालिका क्षेत्र है इसका पुन: सीमांकन किया जाए। शहर छोटे पड़ रहे हैं और जो आसपास के गांव हैं, जो कि शहरों के अंदर घुस गए हैं, उनकी भी आवश्यकतानुसार इनकी सीमा का निर्धारण किया जाए। जो शहरी सीमा है, इसको बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, आज जिस

(श्री खुशवीरसिंह)

शहर में बैठकर हम नगरीय विकास की चर्चा कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि जयपुर शहर हिन्दुस्तान का नंबर वन स्मार्ट सिटी रहा है। आज हैरिटेज सिटी के नाम से, जयपुर की जब हम कल्पना करते हैं तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं।

सभापति महोदय, मैंने एक फिल्म देखी 1904 की, जयपुर की चौपड़ की वह 5 मिनट की फिल्म थी। उसमें जो उस वक्त व्यवस्था थी सफाई की, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस वक्त बग्घी और तांगे हुआ करते थे। जब यह गधे और घोड़े, जानवर निकलते, उनकी जो गंदगी होती तो उसकी तुरंत सफाई की व्यवस्था, पांच मिनट की फिल्म अगर मंत्री महोदय देख लें, तुरंत सफाईकर्मी मास्क लगाए हुए उस जमाने में मास्क लगा हुआ उन सफाईकर्मियों के, विदिन मिनिट्स उसकी सफाई कर देते। यह व्यवस्था इस जयपुर की थी।

सभापति महोदय, सन् 1727 में जयपुर की स्थापना हुई। स्थापना के समय अगर हम जयपुर के बारे में पढ़ लें तो उससे ज्यादा आपको हिन्दुस्तान के किसी शहर में मिलेगा नहीं। यहां पर एक गूलर बांध था, जो स्थापना के वक्त बनाया गया था, लेकिन आज वहां जेडीए ने भी कालोनी काट दी। वह 1965 में फूट गया था। चौपड़ में पानी वहां से आता था। उस वक्त ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही शानदार था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सफाई के लिए हमने स्वच्छ भारत का नारा दिया। गांधी जी के चश्मे पर एक तरफ भारत और एक तरफ हमने स्वच्छ लिखा। हमारे प्रधान मंत्री जी की बहुत अच्छी कल्पना है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन आज हम मात्र प्रचार के लिए, टीवी में छा जाएं, उसके लिए हम समाज के उन लोगों को भुलाकर, उनके पांवों को पानी से धोकर एक तरह से क्या आडम्बर करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं हमारे मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आज हमारे सफाईकर्मी गटर लाइन के अंदर जाते हैं और जहरीली गैसों की वजह से प्रतिवर्ष 3 से 4 हजार लोगों की मृत्यु हो रही है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के ऐसे संसाधन उपलब्ध करवा देते, तो आज इस तरह से पांव धोकर के टीवी में बताने की आवश्यकता नहीं थी। अगर उनके लिए कोई सच्चा काम कर सकते हैं तो उनके लिए ऐसे उपकरण हमें उपलब्ध करवाने होंगे।

(श्री खुशवीरसिंह)

सभापति महोदय, हमारी ग्राम पंचायतों के लिए और शायद हमारी नगरपालिका और नगर परिषदों के लिए भी 2 संतान वाला नियम लागू है। हमारा जेंडर रेश्यो जो बहुत चेंज हो रहा है, उसमें मेरा एक सुझाव है कि पुत्रियां चाहे 2 हों, 3 हों, उसकी एक यूनिट मानी जाए जिससे बेटी को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलेगा। वह ज्यादा सार्थक होगा हमारे जेंडर रेश्यो को समान करने के लिए।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। पिछली बार जब मैं विधायक था तो मैंने एक प्रश्न लगाया था, उसका उत्तर आज दिन तक नहीं मिला। मेरे प्रश्न लगाने के बाद में मैं 2008 में हार गया था।

श्री सभापति: इसकी दुबारा चर्चा ही मत करो आप।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): उस वक्त जो हमारे अध्यक्ष विधान सभा के रहे, उन्होंने 3 वर्ष तक ऐसी व्यवस्था की कि मेरे पास प्रश्नों के जवाब आए, पूर्व विधायक को। अमानीशाह के नाले की चौड़ाई का मैंने एक प्रश्न लगाया था। उसका जवाब आज दिन तक जेडीए या प्रशासन दे नहीं पाया कि कहां पर कितनी चौड़ाई है। अमानीशाह जिसको आज हम द्रव्यवती नदी कहते हैं, उस नदी को एक नहर में तब्दील कर दिया। इसकी बाढ़ की स्थिति मैंने अपनी आंखों से 1983 में देखी थी। उस तांडव को देखा था। मैं उस दिन यहीं जयपुर में था।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही नगरपालिका है। माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मंत्री महोदय की कार्य शैली वास्तव में बहुत ही शानदार है। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रानी नगरपालिका है। रानी नगरपालिका में अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय कि आप मय ड्राइवर और फायर फाइटर के अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था कराएं।

सभापति महोदय, एक मेरा सुझाव है कि वहां पेवेलियन नहीं है। पेवेलियन की भी व्यवस्था करें। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। वहां पर सीवरेज व्यवस्था नहीं है। आप जहां पर भी सीवरेज लाइन की व्यवस्था नहीं है, 3 चीजों के साथ आप सीवरेज लाइन करवाएं। पहला तो सीवरेज सिस्टम, दूसरा एसटीपी और तीसरा वहां के भामाशाहों को आगे लाकर ऐसी जमीन

(श्री खुशवीरसिंह)

उपलब्ध करवाएं, उनका नामकरण उनके नाम से कर दिया जाए, ताकि उस एसटीपी से पानी उस गार्डन के लिए उपलब्ध हो जाए। अगर यह तीनों चीजें एक साथ होंगी तो ही यह सार्थकता होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी को संक्षिप्त में सुझाव है कि जयपुर heritage में जो अभी शामिल हुआ है, मैं walled city में घूमा हूं और वहां जाकर आया हूं एक दिन लेकिन वहां कुछ सुझाव लोगों ने हमें दिए हैं कि इतना शानदार जयपुर शहर है और उस वक्त की जो व्यवस्था थी, मकान की एक साइज थी, Town Planner विद्याधरजी ने जो जयपुर की town planning की है, एक समानता, जहां पर भी आप जाएं, दिखेगी। tera-cota colour है वह हमारी hospitality बताता है लेकिन आज समस्या यह है माननीय मंत्रीजी, साइन बोर्ड जगह-जगह वहां लगे हुए हैं। एसी के डिब्बे वहां पर जगह-जगह लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप वहां के लोगों को समझाइश करके उन sign board जो इतने भद्दे लगते हैं, उनके ऊपर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, उसकी खूबसूरती इससे खतम हो रही है तो उन sign boards को हटवाने की आप व्यवस्था कराएं। एसी के डिब्बे और ऐसी जो चीजे हैं उनको हटवाकर साफ-सुथरा शहर बनाएं। Walled City के अंदर तो हम कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नगर परिषद, धौलपुर में बंद पड़े sewage line कार्य के दूसरे चरण को जल्द से जल्द चालू कराया जाए। sewage line के कारण से टूटी सड़कों को तुरंत बनाया जाए क्योंकि इन टूटी सड़कों से आए दिन कालोनियों में दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

दूसरा, एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि नगर परिषद् लोगों को समय पर पट्टे जारी नहीं कर पाती है जिससे लोगों को भारी समस्या होती है। अत: आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि लोगों को नगर परिषद् से समय पर पट्टा जारी कराएं जिससे लोगों को घर बनाने में आसानी हो।

माननीय सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण विषय वार्ड नम्बर 9 में होंडावाल रोड पर करीब एक हजार घर बने हुए हैं, उस कालोनी में पानी भरा रहता है और कालोनीवासियों ने कई बार नगर परिषद् को लिखित में

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

शिकायत दी और कलेक्टर महोदय को भी समस्या से लिखित में अवगत कराया है और मीडिया द्वारा भी कई बार इस रोड का मुद्दा उठाया गया है परंतु अभी तक न तो पानी की निकासी के लिए नाला बना और न ही अभी तक उस पानी की निकासी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे इस समस्या का समाधान हो पाता। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि नगर परिषद् जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले जिससे कालोनीवासियों को सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे धौलपुर नगर परिषद् क्षेत्र में पार्किंग की भी एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का हल भी जल्द निकाला जाए। राजस्थान Road-ways का bus stand भी बहुत छोटी जगह में बना हुआ है इसे भी शहर से बाहर बड़ी जगह में बनाया जाए जिससे शहर के बीचोंबीच होने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। धौलपुर शहर का गंदा पानी जो चम्बल नदी में गिरता है उसके लिए भी एक treatment plant लगाया जाए जिससे नदी में गिर रहे गंदे पानी को रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर परिषद् में होने वाले सफाईकर्मियों की भर्ती में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही लिया जाए जिससे उनकी रोजी-रोटी पर आ रहे संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। नगर परिषद् क्षेत्र में आवारा घूमते हुए पशुओं को भी पकड़ कर दूर छोड़ा जाए जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नगर परिषद् धौलपुर में अग्निशमन केन्द्र पर छोटे अग्निशमन वाहन भी बहुत सख्त जरूरी है क्योंकि शहर की तंग गलियों में बड़ा वाहन नहीं जा सकता। इसी के साथ में नगर परिषद् क्षेत्र में जो भी सैक्टर सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको भी जल्द से जल्द बनवाया जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। धौलपुर नगर परिषद् में बदहाल पड़े Chambal Garden को भी विकसित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट की मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री रूपाराम)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ही नगर परिषद् आती है, जैसलमेर। जैसलमेर शहर का ऐतिहासिक महत्व है। वहां का सोनार किला, पटवों की हवेली, नथमलजी की हवेली, सालम सिंह की हवेली, गड़सीसर तालाब, और हर घर जैसलसमेर का Golden Stone से बना है। वहां का जो मार्बल है वह सोने के कलर का है, उस पर जो कार्विंग है, पटवों की हवेली में झरोखों को देखें, कई वैज्ञानिक देखकर गए हैं, जो manual, हाथ से carving की गई थी, उसमें जो एकरूपता है वह आज मशीनरी युग में भी नहीं है। जो पुरानी धरोहर हमको मिली है उससे पूरे राजस्थान और भारत को लाभ है। विश्व के किसी भी देश का कोई भी पर्यटक हिन्दुस्तान में आता है तो वह जैसलमेर को देखे बगैर अपनी यात्रा अधूरी समझता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वजों ने, उस समय के शासकों ने जो धरोहर दी है, उसको थोड़ा और सुदृढ़ कर लें, कुछ और सुविधाएं मुहैया करवा दें। देश की आजादी के बाद में जैसलमेर के लिए भी बहुत कुछ हुआ है लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है जिससे राजस्थान की और भारत सरकार की revenue भी बढ़ेगी, इससे वहां का लोकल व्यक्ति चाहे ऊंट सवार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे मजदूर हो, सबको आय का जरिया मिलेगा। वहां और कोई आय का ज्यादा जरिया है नहीं, पशुपालन है, अकाल की वजह से काफी दिक्कत में रहते हैं। थोड़ा किसान का, खेती का स्कोप है, बाकी पर्यटकों पर ही निर्भर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पटवों की हवेली की जो carving है, 1975 में उनके मालिकों ने एक बार बेचने का सौदा भी कर लिया था, पूरी building को अन्यत्र shift करने का, 1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री, माननीया इन्दिरा गांधीजी ने जो ऐसी धरोहर थी, उसका संरक्षण करना चाहती थीं, अचानक कार्यक्रम बनाया, जैसलमेर मात्र उस धरोहर को रखने के लिए, अवलोकन किया और उसके बाद में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उसे अपने संरक्षण में लिया। अभी पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली और मंदिर पैलेस, नथमल की हवेली, इनमें पूर्णतया और बाकी के साथ राज्य सरकार का और भारत सरकार का agreement है संधारित करने का।

मेरा निवेदन रहेगा कि इनके infrastructure की मजबूती के लिए

(श्री रूपाराम)

strengthening की जाए। वहां विशेष जरूरत है, जैसलमेर से पर्यटक Railway Station पर उतरते हैं, तो वहां से होकर अम्बेडकर पार्क, गड़सीसर चौराहा, हनुमान चौराहा होते हुए गीता आश्रम तक जाते हैं। वहां की नगर परिषद् की आय है उससे छोटे-मोटे काम ही हो पाते हैं, बड़े काम हाथ में लिया जाना सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि वहां तक की रोड चौड़ी की जाए, divider बनाया जाए, आजू-बाजू ग्रीनरी की व्यवस्था की जाए, सही lights से decoration किया जाए तो पर्यटक और भी बहुत आकर्षित होंगे।

वहां जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उनके लिये टूरिस्ट वाक-वे निर्मित किया जाए। शहर में पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं है और जब सीजन में टूरिस्ट आता है तो वहां की जो आबादी है, उससे तिगुनी आबादी हो जाती है और जो वहां स्थानीय लोगों के वाहन हैं, उससे भी लगभग दो-तीन गुना वाहन हो जाते हैं। वहां जो प्रताप मैदान है, वहां मल्टी-स्टोरीड पार्किंग की व्यवस्था की जाए। इससे पर्यटक और बढ़ेंगे। गड़ीसर तालाब जिसके अंदर झरोखे, पोल, मंदिर बने हैं, उसकी मरम्मत की जाए। उसका कैचमेंट एरिया है जिसमें काफी वेस्ट मैटेरियल लोगों ने डालना शुरू कर दिया है, उसे साफ किया जाए और पूरे कैचमेंट को सही रखा जाए ताकि वह तालाब जब बरसात के पानी से भर जाए तो लोग उसमें बोटिंग वगैरह भी कर सकें।

एक सिटी पार्क है बाड़मेर रोड पर जैसलमेर से निकलते ही। दस वर्ष पूर्व म्युनिसिपैलिटी ने जमीन आरक्षित कर ली थी, बाउंड्री भी कर ली है, उसमें नवीनतम जो उद्यान लगाना है, पार्क बनाना है, उसमें राज्य सरकार बजट आबंटित करे। पर्यटक उन हवेलियों, वहां की कलाकृतियों, सैंड ड्यून्स को देखने के बाद दो-चार घंटे अगर पार्क में भी जाना चाहे, वहां कई अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग होती है तो उन्हें भी लगता है कि जैसलमेर काला पानी होगा तो वे भी काफी दु:खी होते हैं। वहां अगर पार्क वगैरह डवलप होगा तो उनका भी मन ठीक लगेगा।

जैसलमेर फोर्ट व दुनिया में कम फोर्ट्स हैं जो लिविंग फोर्ट्स हैं। वहां लोग रहते हैं और जनसंख्या बढ़ने से उसकी राक्स पर लोड बढ़ने से सीवरेज और पानी का जो सिस्टम है, उसमें जो छोटा-मोटा लीकेज है, उनके लिये कुछ एक्स्ट्रा बजट की व्यवस्था कराएं ताकि सीवरेज और ड्रैनेज सिस्टम लीक-प्रूफ हो। वहां टेलीफोन, बिजली की लाइनें खुली हैं, कार्विंग का दृश्य देखने के लिये लोग आते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें अंडरग्राउंड किया जाए।

(श्री रूपाराम)

पहाड़ी पर जो किला बना हुआ है, उसकी जो प्रोटेक्शन वाल है, वह भी काफी जर्जर है, उसका जो वर्ल्ड मोन्युमेंट है, उसकी सुन्दरता में क्षति नहीं हो तो उसके प्रोटेक्शन वाल को मजबूत किया जाए।

मेरा यही निवेदन रहेगा कि वहां की म्युनिसिपैलिटी स्थानीय आय के सीमित साधन हैं, उसमें कार्य करती है, उसके अलावा राज्य सरकार यहां से मदद कराए। वहां का जो सीवरेज सिस्टम है, उसके सैकंड फेज को सैंक्शन किया जाए। पेयजल के लिये जो योजना डिजाइन्ड थी, उसका डिजाइन अभी पूरा हो गया है। आने वाले तीन वर्षों के लिये शहर में पेयजल की व्यवस्था, वह नहर से जुड़ा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूशन का आग्मेंटेशन करके पूर्ण किया जाए।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): कचरे के डिस्पोजल के लिये सोलिड और लिक्विड के लिये नवीनतम तकनीक की व्यवस्था की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, बरसात की ऋतु अभी आ गयी है, वैसे बरसात अभी हुई नहीं है। सोलिड और लिक्विड वेस्ट के डिस्पोजल के लिये सक्शन और कम्पोज्ड मशीन की आवश्यकता है। वह बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पर्यटक आता है और बाजार में जाकर गंदगी देखता है तो उसका मन कम हो जाता है। वह करीब दो-सवा दो करोड़ रुपये की है। प्रपोजल यहां आये हुए हैं। उसे इश्यु कराने की मेहरबानी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 29 पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

(श्री सभापति)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला। माननीय सदस्य, सात मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं बैठ जाता हूं साहब।

श्री सभापति: नहीं, खड़े रहने का आदेश दिया है मैंने आपको। आप खड़े रहें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं साहब दस मिनट बोलूंगा, सभी को दस मिनट बोलने का मौका दिया है आपने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): आपकी सब बात ठीक है, साहब।

श्री सभापति: बात सुनिए पहले।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): यह मेरे साथ ही क्यों होता है सर, मुझे यह समझ नहीं आता।

श्री सभापति: इसके बारे में कल बात करेंगे, आज नहीं। माननीय मंत्री जी को नौ बजे अपना रिप्लाई देना है। सात मिनट हैं आपके पास।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): चलिए साहब, जैसी आपकी आज्ञा।

श्री सभापति: कल आपका नाम पहले पुकारूंगा, इसलिये आज सात मिनट बोलें आप।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, आज आपने समय तो बांध दिया कि सात मिनट ही बोलना है, मैं जल्दी खतम करूंगा अपनी बात को और आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। सबसे पहले तो दो वर्ष पूर्व महुवा को नगरपालिका बनाया गया और ग्राम पंचायत से जब नगरपालिका का गठन किया जाता है तो वहां के नागरिकों का एक उद्देश्य होता है कि हमें नगरपालिका में अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें। यह बात सही है, पिछले दो वर्षों में, जब से महुवा नगरपालिका बनी है, एक अलग तरह का विकास लोगों को देखने को मिला है।

यह बात भी सही है कि जल्दी से जल्दी नगर में जिस भी तरह की परेशानियां हैं, उनका एक प्लान तैयार किया जाए और प्लान तैयार करके उस

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

नगर को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, यह नगरपालिका के अधिकारियों और वहां के जन प्रतिनिधियों का उद्देश्य होता है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों का जन प्रतिनिधि भी सहयोग करें और बैठकर एक प्लान तैयार किया जाए, चाहे सीवर लाइन का प्लान हो, चाहे लाइट का प्लान हो, चाहे नगरपालिका क्षेत्र में पार्क का प्लान हो।

मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका क्षेत्र में जगह भी उपलब्ध है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। फल एवं सब्जी मंडी जो सड़क पर लगाते हैं, ढेर सारी परेशानियां होती हैं लोगों को, जो लगाते हैं, उन्हें भी होती हैं। फल और सब्जी मंडी के लिये अलग से स्थायी जगह सुनिश्चित की जाए तो सब लोगों को परेशानी से निस्तारण मिल सकता है। मैं दूसरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जी, आपने हमारे यहां महुवा में पानी निकासी के लिये तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है क्योंकि महुवा से ग्राम पंचायत सटी हुई है यही पता नहीं लगता कि नगरपालिका क्षेत्र कहां है और ग्राम पंचायत कहां है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो नगरपालिका क्षेत्र के पानी का विकास है, वह पैरीफेरी क्षेत्र में होकर जाता है। आपने तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी है, डीपीआर भी बनना शुरू हो गया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि नगरपालिका क्षेत्र के पैरीफेरी क्षेत्र में जो नाला बनना है, उसका जो पैसा नगरपालिका महुवा के पास पड़ा है, उसकी स्वीकृति जारी हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने बोला है कि नगरपालिकाओं में जो भी भर्तियां हुई हैं, यह बिलकुल दुर्भाग्य की बात है, सदियों से वाल्मीकि समाज के लोग, जो सबसे मेहनती काम है, उसे करते आ रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें किसी भी और समाज को आरक्षण नहीं देते हुए सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती किया जाए तो यह हमारे समाज के लिये बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी महुवा नगरपालिका में अंबेडकर कालोनी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से, वहां जगह भी उपलब्ध है और वहां एक अंबेडकर पार्क बना दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नगरपालिका जब भी बनती हैं तो शुरुआती दौर में धन भी आता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब भी मार्केटों में सड़क बनती हैं,

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

अगर पुरानी सड़कों के ऊपर ही नयी सड़क बना देंगे तो एक हाल ऐसा आ जाएगा, जब बाजार की दुकानें नीची हो जाएंगी और सड़कें ऊंची हो जाएंगी जिससे लोगों को परेशानी होगी। मेरा आग्रह है कि जब भी नगरपालिका में सड़कों का निर्माण चले तो पुरानी सड़क को खोदकर नयी सड़क बनायी जाए।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2017 में एक सुरेन्द्र कुमार नाम से ईओ था, उसका भ्रष्टाचार के कारण वहां से स्थानांतरण कर दिया गया और उसने हम जितने जन प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ फेसबुक पर भद्दी-भद्दी टिप्पणियां कीं। उनकी हमने लिखित में शिकायत तत्कालीन मंत्री कृपलानी जी को दी और उस समय तब तक आचार संहिता लग गयी थी। उस आदर्श आचार संहिता का उन्होंने फाइल पर लिख दिया। जो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी थे नगरीय विकास के, उन्होंने उसको सस्पैंड करने के लिये उस फाइल पर नोटिंग डाल दी थी। आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर रोक दिया।

मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी है। अगर हम लोग जो इस सदन में बैठते हैं, चाहे प्रधान हों, चाहे सरपंच हों, उनके खिलाफ कोई भी सरकारी कर्मचारी जो राजस्थान सर्विस रूल्स को फोलो नहीं करता हो और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसे लाखों-करोड़ों लोग देखते हैं, पर ऐसी टिप्पणियां करता हो, उसकी फाइल आपके आफिस में लम्बित है, जो भी आप दंड देना चाहें, वह दें। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों को सस्पैंड करना चाहिए।

(20.00 बजे)

मैं पुन: आपको यही निवेदन करूंगा कि महुवा में नगरपालिका का भवन अभी नहीं बना है, आपसे अनुरोध है कि अगर महुवा में नगरपालिका भवन बन जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपने मौका दिया, मैंने बहुत जल्दी समाप्त करने की बात कही थी और सिर्फ 7 मिनट में कमप्लीट कर दिया लेकिन आगे से मेरे ऊपर मेहरबानी रखें, मैं ऐसा अनुरोध करूंगा। जय हिन्द, जय सर्वसमाज।

श्री सभापति: पक्का। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं सीधे अपने शहर की बात पर आता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक ऐसी समस्या

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

की ओर दिलाना चाहता हूं जो मेरे भीलवाड़ा शहर की प्रमुख समस्या है और राजस्थान की भी प्रमुख समस्या है। जो प्राइवेट कालोनाइजर को कालोनी बनाने के लिए अलाउ करते हैं उसमें यूआईटी या नगर परिषद्, जो भी परमिशन देती है उसमें विकास के सारे पैसे जमा करने के बाद उन प्राइवेट कालोनाइजर को परमिट करती है। अब मेरे भीलवाड़ा शहर में 33 के लगभग प्राइवेट कालोनियां हैं। जब 15-20 साल पहले वो बस गईं तो अब प्राइवेट कालोनाइजर तो जिम्मेदार रहा नहीं और वहां पानी की, बिजली की, सड़क की और सफाई की व्यवस्था करने के लिए जब भी नगर परिषद् और यूआईटी को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि ये प्राइवेट कालोनियां हैं इनमें हम नहीं कर सकते, कानून में नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह पूरे राजस्थान की समस्या है कि या तो जो प्राइवेट कालोनाइजर हैं उनको प्रशासन के द्वारा पाबंद किया जाए कि ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं अन्यथा जनता जन-प्रतिनिधियों के पास आती है। अभी चम्बल की पेयजल योजना से हमारा पूरा शहर जुड़ चुका है लेकिन ये 33 कालोनियां 3 साल से अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं। हमने यूआईटी के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार से विशेष आग्रह किया था, उन्होंने परमिट किया और 10 करोड़ रुपये यूआईटी को देकर, यूआईटी ने मंजूर किया कि हम देंगे, पानी दो आप। उसमें 4 करोड़ रुपये की सैंक्शन यहां से दे दी लेकिन 6 करोड़ रुपये की सैंक्शन अभी भी आपके यहां यूडीएच विभाग में अटकी हुई है। ऐसी कालोनियां जो इतनी पोश कालोनी होती हैं और वहां सफाई नहीं होती है, उनकी सड़क खराब हो जाती है तो कोई ठीक करने वाला नहीं है, वहां पानी, बिजली की जब रोड लाइट हट जाती है तो कोई रोड लाइट नहीं लगा सकता है। इसलिए ऐसी कालोनियों को व्यवस्थित करके किस तरह से इनको राहत प्रदान कर सकें क्योंकि जनता वहां रहती है और वह जनता यह नहीं मानती है कि प्राइवेट कालोनाइजर के द्वारा बनाई गई है, वह कहती है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको मूलभूत सुविधाएं दे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस समस्या का समाधान आप निश्चित रूप से करें कि प्राइवेट कालोनियों में भी नगर परिषद् और यू.आई.टी. द्वारा बिजली, सड़क, पानी और सफाई की परमानेंट व्यवस्था की जाए।

मेरे शहर में जो नगर परिषद् है वह भगवान भरोसे चल रही है। नगर परिषद् की सभापति को हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने सस्पैंड कर दिया था। कोर्ट के माध्यम से स्टे लेकर वह आज वापस वहां पर है और मनमाना राज चल

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

रहा है और जैसे राजाओं के राज में नहीं चलता है वैसी हिटलरशाही हमारे भीलवाड़ा शहर में चल रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी जितनी भी जांचें हैं, उनको सस्पैंड के बाद कोर्ट ने इस आधार पर स्टे दिया था कि अकेली चेयरमैन जिम्मेदार नहीं है, उनके साथ जो अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है तो मेरा आपसे आग्रह है कि कोर्ट की पूर्ति करें। सरकारी वकील को कहें और आप भी जो कर्मचारी और अधिकारी उनके साथ दोषी हैं उनको जो भी दण्ड आप देना चाहें दें लेकिन हमको इस नगर परिषद् की सभापति से मुक्ति चाहिए।

हमारे वहां जिन्दल के द्वारा ब्लास्टिंग की जा रही है और उससे मकानों में दरारें आ रही हैं। लगभग 4 हजार मकान ऐसे हैं जो नये बने हुए हैं, जिनमें मन्दिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, वे सब फट चुके हैं। जिन्दल की जो ब्लास्टिंग होती है वह शहर से केवल डेढ़ किलोमीटर दूर है और प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद् के बोर्ड द्वारा जिन्दल से एक करार किया गया था, एक हजार रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट हुआ है कि नगर परिषद् को सारी व्यवस्थाएं जिन्दल करके देगा और पानी देने की एवज में यह करार हुआ था। वहां 30 करोड़ रुपये का एक ओवरब्रिज बनाना था पर आज 7 साल हो गये, नहीं बना। जिन्दल निश्चित रूप से इस देश की एक प्रभावशाली कम्पनी है लेकिन जिस तरह से वह भीलवाड़ा का शोषण कर रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। वह 30 करोड़ रुपये का ओवरब्रिज एनजीटी में जाकर उलझ जाता है कि इससे हजारों पेड़ कटेंगे। भीलवाड़ा के बाहर के एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और वह एनजीटी में जाकर कहता है कि ओवरब्रिज बनने से, आरओबी बनने से हजारों पेड़ कटेंगे। यह हमारे शहर की प्रमुख समस्या है कि वहां रेलवे फाटक लगातार बन्द रहता है, 24 घंटे में 12-12, 15-15 बन्द रहता है और ट्रैफिक जाम की अव्यवस्था से पूरा शहर प्रभावित है। उस आरओबी को बनाने के लिए अगर एनजीटी में हमारी सरकार की तरफ से ढंग से पैरवी की जाती है तो वह स्टे हट सकता है तथा जिन्दल ने जो 30 करोड़ रुपये का नगर परिषद् से एग्रीमेंट कर रखा है वह आरओबी बना सके। अगर जिन्दल से आप नहीं बनवा सकते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यह शहर आपको याद रखेगा और धारीवाल साहब, आपके पुरखे भी भीलवाड़ा के ही हैं, अगर आप उस आरओबी को जिन्दल से नहीं बनवा सके तो फिर सरकार के माध्यम से बनवाएं। यह शहर के ट्रैफिक की मूलभूत आवश्यकता है।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): तीसरी, सीवरेज का जो काम है, RUIDP के द्वारा वह व्यवस्थित नहीं है। जब तक हमारी सरकार थी, हमने उनको पाबंद कर रखा था कि एक एरिया लें, उस एरिया में पूरा काम करने के बाद अगले एरिया में बढ़ें। आज जब से सरकार बदली है, वह मनमाने रवैये पर उतर आया है और RUIDP के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह इतना घटिया निर्माण सड़कों का हो रहा है कि वे सड़कें अभी एक छोटी-छोटी बारिश में धंस गई हैं और पूरे शहर की सड़कों का नक्शा ही पलट गया है। सरकारी पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप RUIDP को पाबंद करें कि उसको व्यवस्थित तरीके से करे और उसकी जो क्वालिटी है उसको मेन्टेन करे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, दो मिनट प्लीज। हमारे नगर परिषद् में नामान्तरण और फर्स्ट रजिस्ट्री के सैकड़ों केस लम्बित हैं। साल, दो-दो साल से लोगों ने स्टाम्प के पैसे जमा करा दिये, स्टाम्प लगा दिये। छह महीने स्टाम्प की वैलिडिटी होती है उसके बाद वह स्टाम्प खतम हो जाते हैं। इस तरह से हजारों-लाखों रुपया हमारे शहर के व्यक्तियों का नगर परिषद में बर्बाद हो रहा है इसलिए इसकी जांच होना आवश्यक है।

श्री सभापति: गणेश घोघरा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लास्ट, सर। मिनी सैक्रेटेरिएट के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हमारा शहर भीलवाड़ा जो बसा हुआ है उसमें कलेक्ट्रेट शहर के एकदम बीचों बीच और व्यवस्थित है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय व्यवस्थित है, जेल व्यवस्थित है। अगर आप ले जाना चाहो तो जेल जैसी चीज को, मिनी सैक्रेटेरिएट के नाम से वहां भूमाफियाओं को लाभ देना चाहते हैं.....

श्री सभापति: विराजिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): तो हमारा कलेक्ट्रेट कार्यालय और सरकारी दफ्तर शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग

(श्री गणेश घोघरा)

संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि डूंगरपुर शहर में गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत होती है। पहाड़ी एरिया है, पूरी बस्ती पहाड़ी पर बसी है जिससे वहां पर पानी सही तरीके से पहुंचता नहीं है। घाटी मौहल्ला है, राजपुर है, शिवाजी नगर है और शास्त्री कालोनी है जहां पर नल भी मुश्किल से आधा घंटा आता है, कभी दो-दो दिन में लोगों को पानी मिलता है इसलिए पानी की वहां बहुत समस्या है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पहाड़ी पर एक नई बड़ी टंकी बनाई जाए और लोगों को पानी की समस्या से राहत दी जाए।

दूसरी बात, सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जो नाना भाई पार्क बना हुआ है वहां पर गांव से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं। पहले वहां पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन अभी सभापति की मनमर्जी से, नगर परिषद् की मनमर्जी से उन गरीबों से दस रुपये की टिकट ली जाती है। वे हास्पिटल में आते हैं, कुछ भी काम के लिए है, तहसील में आते हैं, वह मुख्यालय पड़ता है फिर भी उन आदिवासी गरीबों से जबर्दस्ती दस-दस रुपये टिकट के रूप में वसूला जा रहा है। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो यह लूटमार, भ्रष्टाचार कर रखा है उसमें यह टिकट व्यवस्था है इसको बन्द किया जाए।

दूसरी बात, जो गांवों से लोग आते हैं, सब्जी बेचकर अपना जीवनयापन करते हैं, कुछ सौ, दो सौ रुपये कमा लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। वहां पर नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा उनको रोड के साइड पर बैठने नहीं दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है या तो उनसे कमीशन लिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। वहां वर्षों से गरीब लोग बैठे हुए हैं, वहां हर वर्ग का आदमी बैठा हुआ है। कोई ठेला लगाकर धंधा कर रहा है, कोई चाय की लारी कर रहा है, कोई कपड़ों की लारी कर रहा है तो उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है।

(श्री गणेश घोघरा)

नगर परिषद् ने इतनी मनमानी कर रखी है, गरीबों का शोषण हो रहा है और नगर परिषद् अपनी मनमर्जी से जो केबिन का वितरण कर रही है, एक केबिन का कम से कम उसको डिपोजिट भरना पड़ेगा एक से दो लाख रुपये तो गरीब व्यक्ति एक से दो लाख रुपये कैसे भर सकता है। ऐसा वहां पर अत्याचार हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो नगर परिषद् की मनमानी है उसको रोका जाए और जो बिलडी पंचायत, गोकुलपुरा पंचायत जो बनी हुई है, उसमें सरपंच है, वार्ड पंच है, नगरपालिका उसमें जबर्दस्ती जमीन एक्वायर कर रही है। उसने एक्वायर किया है बिना पंचायत की एनओसी के, नगर परिषद् को वह जमीन कैसे एक्वायर हो गई।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो नगर परिषद् ने जमीन एक्वायर की है, उसको निरस्त किया जाए। उसके बाद सदर थाने के पास आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं, देश आजाद हुआ उसके पहले से, उसके एक दो झौंपड़े पहले गिरा दिये गये, अभी भी 20-25 केलू पाश कच्चे मकान वहां पर बने हुए उनको निःशुल्क पट्टा दिया जाए, ये मेरी सरकार से मांग रहेगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारे सदर थाने के पास राणा पूंजा भील की मूर्ति लगनी चाहिए। ये आम जनता की मांग है, लोगों की मांग है और तीजवड़ चौराहे पर राजा डूंगरिया भील की मूर्ति लगनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि डूंगरपुर शहर में ये दोनों मूर्तियां, राणा पूंजा भील और डूंगरिया भील की मूर्ति लगनी चाहिए।

सभापति महोदय जी, मांडवा ग्राम पंचायत में कालीबाई भील का पैनोरमा बना हुआ है, वह पंचायत में बना हुआ है, लेकिन नगर परिषद् उसमें जबर्दस्ती अपना आधिपत्य जमाना चाह रही है, उसमें काम कराना चाह रही है। जब वहां पर पंचायत है, उसके बाद भी नगर परिषद् अतिक्रमण करना चाह रही है तो इसको रोका जाए और नगर परिषद् में जितने भी काम हुए हैं पांच साल में, सभापति महोदय, उनकी जांच होनी चाहिए। साबेला बाईपास पर रिंगवाल बनाई, गैप सागर तालाब पर अतिक्रमण करके जो अपने मिलने वाले थे, तालाब को छोटा कर दिया, प्लाट काट-काटकर सबको बेच दिए, इसकी

(श्री गणेश घोघरा)

जांच होनी चाहिए। दो महीने में परकोटा गिर जाता है, रिंगवाल गिर जाती है। उसके पैसे भी उठ जाते हैं, वापस दूसरी नई सैंक्शन करते हैं, वापस उसकी जगह रिंगवाल बनाते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डूंगरपुर में जितनी भी लाइटें लग रही हैं, मतलब कितना बिल है, बिल वाउचर किसका है, कुछ अता-पता ही नहीं है, कोई निविदा नहीं, अपनी मनमर्जी से जिसको चाहे टेण्डर दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा डूंगरपुर में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना राजस्थान में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर नगर परिषद् की जांच होनी चाहिए, एसीबी जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, सभापति है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, यह मेरी मांग रहेगी। मुझे आपने यहां पर बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा, श्रीमती रमीला खड़िया, श्री फूल सिंह जी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29-नगर नियोजन एवं प्रादेशिक विकास हेतु बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व सरकार में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा भारत देश के स्वर्णिम विकास हेतु सौ शहरों हेतु महत्वाकांक्षी योजना दिनांक 25.06.2015 को स्मार्ट सिटी एवं अमृत योजना लागू की, स्मार्ट सिटी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में सौ शहरों का चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया जिसमें देश के प्रथम बीस शहरों में सबसे कम आबादी वाला उदयपुर शहर का नम्बर 16वें स्थान पर आया। स्मार्ट सिटी मिशन उदयपुर के तहत चांदपोल, देहली गेट एवं गुलाब बाग़, वर्ल्ड पार्क के पास में पार्किंग की व्यवस्था करवाने का काम किया।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार में यूआईटी द्वारा, हमारे सैक्रेटरी रामनिवास मेहता जी के द्वारा यूआईटी का विकास करवाया वह आप जाकर देखिए, पांच साल के पहले उदयपुर की आपने क्या स्थिति देखी और आज उसकी स्थिति देखो, उदयपुर के चारों तरफ अगर इधर से उधर जाना हो, पूरब से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर 15 मिनट के अंदर पूरा उदयपुर क्रास कर दे, विकास ऐसे होता है। विकास करने वालों का नेक इरादा होना चाहिए, वह करके बताया।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, पूर्व सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री गुलाब चन्द कटारिया जब भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के साथ में हुआ करते थे। तब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा भवन नहीं थे, कमरे नहीं थे, जब हमारे नगर निगम की सभापति बहन किरण माहेश्वरी जब वहां सभापति थीं, जब गुलाबजी भाईसाहब हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने देखा कि हमारे यहां शहर के अंदर रहते हुए, ये बालक कहां बैठें, कक्षा कक्ष नहीं थे। वहां पर बच्चों ने पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में जाना शुरू कर दिया था। जब गुलाबजी भाईसाहब ने कहा कि आपने रोड बनाया, नाली बनाई और विकास कराया, मगर हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करना है तो शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए कक्षा कक्षों का निर्माण नगर निगम के द्वारा कराना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं गुलाबजी भाईसाहब को कि आपने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शहर को आगे बढ़ाने का काम किया। यह नहीं किया पूर्व में जो आपने 10 करोड़ रुपये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अभी जो दिया तो केवल सरकारी स्कूलों के कमरे बनाने के लिए और आंगनबाड़ी के कक्षा कक्षों के लिए आपने 10 करोड़ का जो आबंटन किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार में जो हमारी यूआईटी ने अफोर्डेबल हाउस बनाए, उसके अंदर साढ़े चार हजार मकान बनाए और वे भी किसको दिये, हमारे पूरे शहर का सर्वे कराया गया, गरीब से गरीब, जिसके पास छत नहीं है, ऐसे आदमियों का सर्वे करवाकर तीन हजार ऐसे गरीब किरायेदारों को पट्टे देकर, यह नेक काम किया तो पूर्व सरकार ने, गुलाबजी भाईसाहब और हमारी वसुंधरा राजे सरकार ने किया।

सभापति महोदय, 35 करोड़ की लागत का नगर निगम ने जो हमारा स्मार्ट सिटी का रोड बनाने का काम किया, तो शुरू करना अभी बाकी रह गया है, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, मगर वह जल्दी ही हमारा सेवाश्रम पुलिया से जड़ाव नर्सरी रोड बनाने का, वास्तव में गुजरात के माडल पर वह रोड बनेगी तो वास्तव में उदयपुर का कायाकल्प होगा।

यही नहीं, गोवर्धन सागर की पाल से बलेजा तक, यह भी हमारा स्मार्ट सिटी का रोड बनेगा। सभापति महोदय, आपको बताना चाहता हूं उदयपुर के लिए 35 सिटी बसों का जो हमने आबंटन किया, वे सिटी बसें अभी तक नहीं मिलने से उदयपुर के विकास के अंदर बहुत बड़ी बाधा हो रही है। हमारे वहां के ट्रैफिक को देखते हुए 35 सिटी बसों में से 10 सिटी बसें तो

(श्री फूल सिंह मीणा)

एसी कोच बनाई, मगर वे अभी तक मिली नहीं हैं। इसलिए, उसको तुरन्त प्रभाव से दिलवाने का कष्ट करें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं हमारी बसों की तुरंत प्रभाव से व्यवस्था कराएं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उदयपुर झीलों की नगरी है, पूरे विश्व के अंदर माना जाता है। उस धरोहर को जीवित रखने के लिए हमारे पुराने जमाने का जो परकोटा और शहर की विरासत के संरक्षण का भी काम करे सरकार, तो यह हमारा उदयपुर का सौभाग्य रहेगा और वास्तव में विश्व में प्रथम उदयपुर का नाम आता है, पर्यटक भी आते हैं तो उसको लाइक करते हैं। अरावली पर्वतमाला से हमारी आयड़ नदी जो बेड़च के नाम से जानी जाती है वह वर्षों से एक पवित्र नदी कहलाती थी मगर आज की तारीख में एक गंदे नाले के रूप में आयड़ नदी का नाम लिया जाता है। उसको गंदे नाले का रूप दे दिया। उसको अगर पवित्र बनाने का काम किया तो पूर्व सरकार ने किया जिसने तीन ट्रीटमेंट प्लांट लगाये। एक 5 एमएलडी कजराली हाउस के पास, दूसरा 10 एमएलडी भारतीय खाद्य निगम, मादड़ी और 25 एमएलडी एकलिंगपुरा में ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा है। मगर सभापति महोदय, मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इतने पैसे देने के बाद में भी उसकी गति बहुत धीमी है। नदी के दोनों साइड में नाले बनाने का जो आर्डर दिया वह भी बहुत..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, या तो मैं टेबल कर दूं अगर मेरे को दस मिनट का समय भी नहीं दो? उदयपुर एकमात्र मेवाड़ का सेन्ट्रल एरिया है और मेरी समस्या नहीं बताऊंगा, वहां के विकास के बारे में नहीं बोलूंगा तो हमारा यहां आने का क्या मतलब, जनता को क्या जवाब देंगे, सभापति महोदय। ये आयड़ नदी के नालों को भी तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कराने का काम करें।

सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी में जो कार्य शहर के वार्डों में चलाया जा रहा है उसके अन्दर धीमी गति से काम हो रहा है। उसमें हमारी एल एंड टी कंपनी द्वारा कार्य हो रहा है जिसमें जो हमारी सड़कों को रोककर तुरंत प्रभाव से उसमें सीमेंट...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, या तो मैं टेबल कर दूं? हमारे प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता साहब ने मेरे को दस मिनट के लिए दिया।

श्री सभापति: विराजिये आप। प्लीज सहयोग करिये। अंकित नहीं होगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: कोई टेबल नहीं होगा। टेबल नहीं होगा। आप समाप्त कर दो।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। विराजिये। कोई टेबल नहीं होगा। समाप्त कर दिया आपने। आपके नेताओं से पूछ करके सारा मामला हो रहा है, उसके बाद भी जिद करते हो आप लोग। श्री महेन्द्र बिश्नोई।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या-29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का पूरा क्षेत्र जेडीए जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर आने से जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनको काम करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको हर चीज के लिए परमीशन चाहिए होती है जेडीए से। जिस प्रकार से कोई अच्छा कार्य होता है जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं जिस प्रकार से चिकित्सा का है, विद्यालय का है, किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक काम करवाने के लिए उनको जेडीए से परमीशन लेनी पड़ती है और जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फाइल को यहां जयपुर भिजवाया जाता है उसमें काफी समय लगता है। पिछली बार भी जो काम सैंक्शन हुए थे उनमें करीब दो-तीन साल का समय लगा। उनके अन्दर काफी समय लगने से लोगों को नुकसान होता है। जो कार्य कराने होते हैं, पंचायत समिति वो कार्य समय पर नहीं करा पाती है। जिस प्रकार से पार्क के बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जोधपुर में हमारे कुड़ी क्षेत्र है उसमें काफी कालोनियां बसी हुई हैं जेडीए के द्वारा काटी गई काफी कालोनियां हैं। उसके अन्दर जो पार्क का निर्माण है, पार्क की चारदीवारी

(श्री महेन्द्र विश्नोई)

का निर्माण है, किसी भी प्रकार का निर्माण कराना होता है तो उसके अन्दर हमें जेडीए से परमीशन लेनी पड़ती है। उसके अन्दर जेडीए परमीशन देने में आना-कानी करते हैं ग्राम पंचायत को तो उसमें काफी समय लगता है। उसमें मैं आपसे यह चाहूंगा कि जयपुर से जो कार्य हो रहा है उसको जोधपुर के अन्दर या फिर जयपुर में डीएलबी के अन्दर एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि जो फाइल आये उसको निपटाकर वापस भेजा जाए। उसके अन्दर जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच पंचायतें हैं जिनके अन्दर करीब एक लाख बीस हजार वोटर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब आधे वोटर इन पांच-छह पंचायतों के अन्दर हैं तो मैं चाहूंगा कि इनके अन्दर लाखों की आबादी रहती है, इनके अन्दर सीवरेज की व्यवस्था जैसे नांदड़ी है बीस हजार वोटर हैं वहां पर उसके अन्दर सीवरेज की व्यवस्था नहीं हैं तो इतना बड़ा एरिया होने के कारण मैं उसमें मांग करूंगा कि नान्दड़ी पंचायत के अन्दर आप सीवरेज करवाएं।

जिस प्रकार से अभी वार्डों का परिसीमन चल रहा है तो उसके अन्दर जोधपुर नगर निगम है उनके अन्दर हमारी ग्राम पंचायतों के कुछ एरिये जो सीमा से लगते हुए हैं मैं चाहूंगा आप उनके अन्दर भी वार्डों को बढ़ाएं। उनके अन्दर सम्मिलित करें अन्यथा सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है कुड़ी भगतासनी और सांगरिया है इनको मिलाकर एक नगरपालिका बनाई जाए तो उससे काफी फायदा होगा लोगों को, जो आज की तारीख में नुकसान भुगतना पड़ रहा है वो नुकसान से बच पाएंगे और जो सारा एरिया विधान सभा क्षेत्र के पास लगता हुआ है इनके अन्दर कहीं बस स्टैण्ड की व्यवस्था नहीं है। बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं इनके अन्दर किसी भी जगह बस स्टैण्ड की व्यवस्था नहीं है। इनके अन्दर बस स्टैण्ड की व्यवस्था भी करायी जाए और जो वाटर ट्रीटमेंट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सालावास है वो करीब सात साल पहले बना, उसकी क्षमता नहीं बढाई गई। मेरा आपसे निवेदन होगा कि जो जोझरी नदी के अन्दर पानी डाला जा रहा है वह बगैर ट्रीट किये हुए जोधपुर नगर निगम जोझरी नदी में डाल रहा है जिससे सालावास के अन्दर और मेरे पूरे लूणी विधान सभा क्षेत्र में हालात खराब हैं। इसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और इसके अन्दर वाशनीबेदा का जो प्लांट है वह भी जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। मेरे यहां जेडीए के जो कार्य पिछली सरकार

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

ने रुकवाये उसके अन्दर जो मेरी सड़कों के कार्य थे उसके अन्दर भवनों के कार्य हैं। सभा भवनों के कार्य हैं जो भी कार्य पिछली सरकार ने आते ही रुकवा दिये थे, दुर्भावना से जो काम किया था मैं चाहूंगा कि उन कार्यों को आप एक बार वापस शुरू करें जिससे हमारे विकास के कार्य पूरे हो सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं सीधे ही तीन बिन्दु आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो इस अवसर पर मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अजमेर को एक स्मार्ट सिटी की सौगात दी। हजारों-करोड़ों की योजना है, लेकिन मेरे को एक बिन्दु इसमें रखना है। लगातार अधिकारी जो बदलते रहते हैं इसके कारण से वो अपने हिसाब से योजना को चेंज करते रहते हैं। इसके प्रिंसिपल सैक्रेटरी चेयरमैन होते हैं, कलेक्टर इसके सीईओ हैं और कमिश्नर निगम इसके एसीईओ हैं तो ये तीनों के लगातार ट्रांसफर होने से अपनी योजनाओं में जो बदलाव करते हैं उसके कारण से काफी कुछ परेशानियां उसके अन्दर आती हैं। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टैंट फर्म भी नहीं है, काफी समय से उसके बिना काम भी गति नहीं पकड़ पा रहा है। फिर जो प्रोजेक्ट स्टाफ है जैसे चीफ इंजीनियर की पोस्ट खाली है, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की पोस्ट खाली है, एक एक्सईएन की खाली है। कोई जेईएन तक नहीं है इसके कारण से लगभग सारे काम गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि स्टाफ की नियुक्ति करके तुरंत इन कामों को गति दें। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उद्यान विकास को दो चरणों में होना था। पहले चरण में आठ उद्यानों की 1.76 करोड़ की स्वीकृति दी, आज तक खर्च हुए हैं 35 लाख। दूसरे चरण में 3.51 करोड़ की योजना थी, आज तक खर्च हुए 15 लाख। इस तरह से उद्यान का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर हमारे यहां ब्रहमपुरी नाला है जिसका हमने उद्घाटन कर दिया लेकिन उसको भी आते ही स्थगित कर दिया। उसका शिलान्यास कर दिया और शिलान्यास के बाद भी अभी तक वो वहीं का वहीं ठंडा पड़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उसको स्थगित करने की कहीं न कहीं योजना बन रही है। 20.12.2017 को टेण्डर हुआ। 4.6.18 को कार्यादेश जारी हुआ, 25.9.2018 को शिलान्यास हुआ। 3.12.2018 तक कमप्लीट होना था, लेकिन अभी तक वह गति नहीं पकड़ पा रहा है। माननीय सभापति महोदय, पाथ वे की बात करूं तो 3.3 किलोमीटर पाथ वे के लिए टेण्डर हो गये। एडीए को एनओसी देनी थी लेकिन एडीए के पास चूंकि प्राइवेट खातेदारों के लिए मुआवजा उन्होंने नहीं दिया इसलिए वो टेण्डर भी निरस्त हुए। पेयजल की व्यवस्था के लिए 103 करोड़ की योजना है वह भी अभी तक ठंडी पड़ी है इसके कारण से मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि स्टाफ नियुक्त करें और जो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा कराएं।

दूसरा मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सब जगह जो कोचिंग सेन्टर्स बनते जा रहे हैं। सूरत की घटना के बाद कोचिंग सेन्टर की ओर ध्यान आकर्षित हुआ लेकिन आज कोचिंग सेन्टर के पास न तो कोई बायलाज हैं न कहीं उनकी कोई व्यवस्था है। कहीं छोटे से भवन में शुरू हो गये, न तो सीढ़ी का रास्ता और न ही आने-जाने का रास्ता अलग है, न उसमें फायर फाइटिंग एपैरेटर्स हैं। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सारे जो प्रमुख शहर हैं उनमें कोचिंग इन्स्टीट्यूट का पंजीकरण हो, उसका कोई बायलाज बने ताकि व्यवस्थित ढंग से विद्यार्थियों का जीवन सुरक्षित रह सके।

तीसरा बिन्दु, अजमेर में 800 दुकानदार हैं, उनको 99 ईयर से लीज की समस्या थी, हमारी सरकार ने उस लीज के लिये आदेश भी जारी कर दिये, बीच में आचार संहिता लग गई। अब आपसे निवेदन करता हूं कि उनको तुरंत 99 ईयर की लीज प्रदान करें। हमारे शहर में हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां हैं, उनमें न सफाई की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न डोर टू डोर कचरा उठाने की व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था की जाये। हमारे नगर निगम द्वारा नया बाजार में मल्टीस्टोरीड पार्किंग प्रस्तावित थी, उसमें कुछ अड़चनें हैं, उसको अगर आप दूर करेंगे तो अजमेर के नया बाजार की पार्किंग की जो समस्या है वह सारी दूर हो सकेगी। एडीए की डवलप कालोनियों को निगम को हस्तांतरित किया जाये। जो आबादी विस्तार क्षेत्र हैं उनको नगर निगम में लिया जाये। जो पैरीफेरी गांव हैं, वह परेशान हैं, उन गांवों में न सफाई होती है, न कुछ होता है, उनको निगम में सम्मिलित किया जाये। पिछले दिनों काफी कालोनियां बनी हैं, उन कालोनियों को अगर निगम के साथ जोड़ेंगे तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनका विकास हो पायेगा। उनका कोई धणी धोरी नहीं है कि उनका किस प्रकार से विकास हो सके। इसलिए आपसे मेरी अपेक्षा है कि इन सारी व्यवस्थाओं को आगे करें। साथ में एडीए की सीमा में लगने वाले गांवों में सफाई और लाइट की व्यवस्था व डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं सीवरेज की बात करूंगा। सीवरेज के कनेक्शन महीनों तक नहीं होते। कोई टाइम फ्रेम तो हो। सीवरेज के खड्डे खुदे रहते हैं, सड़कें खुदी रहती हैं, उसको बनाने वाला कोई नहीं है। लोग गिरते रहते हैं, लोग चिंता करते हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं एक बात और कहूंगा कि एडीए का जो मास्टर प्लान है, जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उसको तो लागू करो। बिना एडीए के मास्टर प्लान स्वीकृत किये आज जनता उसमें परेशान हो रही है। अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाये। नगर निगम में नो वेंडिंग जोन से हटाये जाने वाले ठेले वालों के लिये कोई स्थाई वेंडिंग प्लेस अलाट किया जाये। कई बार हमारी निगम कुछ अवैध मकानों को सीज करती है, डीएलबी में अपील करता है, डीएलबी में पता नहीं आपके यहां क्या होता है, तुरंत उनके सीज ओपन कर दिये जाते हैं। इस प्रकार जो खुले आम भ्रष्टाचार होता है, उसकी ओर भी निगाह रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार लोगों को परेशान न किया जाये। साथ में हमारे स्मार्ट सिटी फंड में अजमेर के शास्त्री नगर में बनने वाले साइंस पार्क का निर्माण भी रुका हुआ है, उसकी भी स्वीकृति आप तत्काल जारी करें।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे भाजपा के निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं उन पर विभिन्न प्रकार के असत्य आरोप लगाते हुए आज उनको निलंबित करने की जो कार्यवाही चल रही है, उसको तुरंत रोका जाना चाहिये। हालांकि सारे के सारे लोग बाद में स्टे लेकर आये हैं लेकिन उससे आपकी मनोवृत्ति साफ होती है। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी लेकिन भ्रष्टाचार के असत्य आरोप लगाकर उनको निलंबित करने की जो कार्यवाही चल रही है उसे तत्काल रोका जाये, नहीं तो यह जनता आपको माफ नहीं करेगी। पिछली बार 21 थे, अब 11 आओगे। इसलिए आप सतर्क हो जाओ, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करो, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियां।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, मेरे को मांग संख्या 29-नगर आयोजना और विकास प्राधिकरण पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: कृपया शांत रहे, शांत रहें, बोलने दें।

श्रीमती कृष्णा पूनियां (सादुलपुर): मुझ से पूर्व जो सदस्य बोल रहे थे उन्होंने असत्य आरोप लगाकर निरस्त करने की जो बात कही, मैं भी ऐसे विधान सभा क्षेत्र से आती हूं जिसमें राजगढ़ चूरू नगरपालिका है वह भी जांच के दायरे में है। बड़े अफसोस की बात है पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य किये गये वह माथा देखकर टीका निकालने वाला काम किया गया। जहां पर गलियां पक्की थीं, उन गलियों के बेवजह पैसे उठाये गये। मैं यहां राजगढ़ की बात करना चाहती हूं। मैं माइनोरिटी वार्ड की बात करूं जिसमें 13, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नंबर वार्ड आते हैं। माइनोरिटी के लिये सबसे बड़ी समस्या है जो राजगढ़ से दिल्ली की तरफ, हिसार की तरफ रेलवे लाइन निकलती है और हिसार की तरफ से आने वाली एक बाईपास लाइन और बनाई जा रही है जिसमें बीच में यह कालोनियां आने की वजह से कब्रिस्तान तक जाने का रास्ता नहीं होने के कारण उन माइनोरिटी के लोगों को कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिये रेलवे लाइन के ऊपर से डैड बाडी को लेकर जाना पड़ता है। इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूंगी कि राजगढ़ शहर में 5-6 ऐसे बड़े-बड़े जोड़े टाइप में गंदे पानी के बने हुए हैं जो आबादी के बीच में बने हुए हैं। साथ में मैं 8 और 9 वार्ड को भी जोड़ना चाहती हूं जिनमें इसी तरह की समस्या है। जो मेन रास्ता उस वार्ड से बस स्टैण्ड की तरफ जाता था वह उस गंदे पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बिलकुल अवरुद्ध हो चुका है। साथ में अभी जो नगरपालिका चल रही है, इनके भ्रष्टाचार के कारण टाउन हाल बस स्टैण्ड का अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है जिसकी वजह से हर रोज क्षेत्र के आस पास के आने वाले लोगों को काफी समस्याएं होती हैं। बस स्टैण्ड, बस स्टैण्ड की जगह पर नहीं है। पिछले दिनों में जो सफाई कर्मचारियों की भर्तियां हुई थीं, यह बात भी मैं पुरजोर तरीके से उठाना चाहती हूं, जो वर्ग वर्षों से ठेके पर सफाई करता था और शहर को स्वच्छ बनाने का काम करता था, उनको वंचित रखा गया, उनकी रोजी रोटी को छीना गया, इस तरीके से भर्तियां हुईं। जिन लोगों को भर्ती दी गई वह लोग आफिस में बैठते हैं और जो लोग ठेके से काम कर रहे हैं, आज भी वह सफाई का काम कर रहे हैं। यहां पर मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है अगर सफाई कर्मचारी के तौर पर

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

उनकी भर्ती हुई है तो उनका कार्य भी सफाई कर्मचारी के तौर पर होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती हूं हमारे यहां कम से कम 40-45 वर्ष पूर्व पेयजल के लिये पाइप लाइन डाली गई थी जो कि काफी खराब हो चुकी है। ऊंचाई पर जो मौहल्ले पड़ते हैं और जो आउटर वार्ड हैं 21, 11, 12, 13 और 2 नंबर, जिसमें पीने का पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। इसके लिये भी मैं मांग करती हूं कि नये तरीके से, नये सिरे से दुबारा पाइप लाइन डाली जाये ताकि नगरपालिका राजगढ़ में पेयजल की समस्या से निजात पाया जा सके।

साथ में मैं मांग करती हूं कि जो कब्रिस्तान तक का रास्ता नहीं है, उस रास्ते के लिये रेलवे लाइन के नीचे से अंडर पास बनाया जाये और साथ साथ जो मैंने गंदे पानी की निकासी की बात की है, मेरी मांग है कि यहां पर हमें सीवरेज लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में वहां जनसंख्या है, आये दिन बीमारियां होती हैं, हास्पिटल की अच्छी सुविधा न होने के कारण उन लोगों को हिसार जाकर महंगा इलाज कराना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने बार-बार बात उजागर भी की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी पेयजल की पाइप लाइन फिर से बिछाने की स्वीकृति दी जाये और साथ में सीवरेज लाइन डालने की स्वीकृति दी जाये। आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि जो भ्रष्टाचार राजगढ़ नगरपालिका में हुआ है उसकी पुरजोर तरीके से जांच होनी चाहिये और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश मीणा। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि यूनिवर्सिटी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके सबकी बैठने की एक ही जगह हो जाये? माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि क्या सदन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जितने भी यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं वह सारे के सारे एक साथ ही बैठें?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, इसका एक ही समाधान है विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो अध्यक्ष रहे उसी को मुख्य मंत्री बना दो, सब एक जगह आ जाएंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, अभी तो यह अलग-अलग बैठे हुए हैं तो यह हाल है, अगर इन चारों को एक जगह बैठा दिया न...

श्री सभापति: चारों को नहीं सारों को।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां सारों को, तो आप मान लो फिर सत्यानाश ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, देखो हमारी कीर्ति कहां से कहां तक पहुंची है।

श्री सभापति: कीर्ति तो आपकी बहुत फैली हुई है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरे गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में परतापुर गढ़ी नवीन नगरपालिका घोषित हुई है और उसमें हमारे परतापुर, गढ़ी, भगोरा और भेड़वा, चार पंचायतों के क्षेत्रों को शामिल किया गया था। उसमें जो भेड़वा ग्राम पंचायत है, जो गढ़ी परतापुर से दूर है, उसमें आंशिक लामीडूंगरी और बोहरावाड़ी, दोनों गांवों को प्रस्तावित किया गया था। गढ़ी में जो सेमलिया गांव है उसको पंचायत में छोड़कर सिर्फ गढ़ी को लिया गया था लेकिन जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें झाझुपुरा और जो हमारी चार ढाणियां (1) हेमला की ढाणी (2) कृष्णा की ढाणी (3) मदरूप की ढाणी (4) पाडलिया की ढाणी हैं, भेड़वा और समलिया जो नगरपालिका क्षेत्र से दूर हैं और इन ढाणियों को जो बिखरी हुई हैं, इनको भी नगरपालिका अधिसूचना में शामिल कर लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस वि.स. क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित किया है, उसी क्षेत्र की संशोधित अधिसूचना जारी करके क्षेत्र को नगरपालिका से बाहर किया जाए, ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके और ये लोग मनरेगा योजना में जुड़ सकें।

सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि उपखण्ड गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय स्तर पर, हमारा माही का जो क्षेत्र है, वहां गेहूं व धान की फसल अत्यधिक होती है। वहां पर कई बार फसलों में आगजनी की घटना के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है और उसमें उनको किसी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि उस नगरपालिका

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

क्षेत्र में एक अग्निशमन गाड़ी की व्यवस्था करायी जाए और हमारे नवीन नगरपालिका क्षेत्र में अभी स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। बजट की सुविधा भी नहीं है। हमारा गढ़ी-परतापुर का जो दो किलोमीटर का सड़क एरिया है, नेशनल हाई-वे 927 नगरपालिका क्षेत्र के बीच में होकर जाता है।

(20.41 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा यह निवेदन है कि दोनों तरफ आबादी होने की वजह से वहां पर बरसात का पानी भर जाता है। बरसात के पानी को निकालने के लिये वहां पर नालों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां पर पानी निकासी की कोई जगह नहीं होने की वजह से, वह रोड दो किलोमीटर तक पूरी तरह खुर्द-बुर्द हो जाने की वजह से छोटे-छोटे बच्चे, बालिकाएं और महिलाएं जो वहां पर मोटर साइकिल व स्कूटी लेकर आते हैं, आये दिन वहां पर रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा जो गढ़ी बाजार है, उस बाजार में हमारे बांसवाड़ा से गुजरात वाया आनंदपुर जो स्टेट हाईवे सड़क जा रही है, वहां पर गढ़ी जो पुराने जमाने का गांव बसा हुआ है, वहां बाजार में सड़क की चौड़ाई ज्यादा नहीं होने की वजह से, हमारे यहां माही-सीमेंट उद्योग की वजह से बड़े-बड़े वाहनों का आवागमन होता है और प्रतिदिन गढ़ी बाजार में घंटों तक जाम लगा रहता है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस की सुविधा नहीं होने की वजह से घंटों तक लोग परेशान होते हैं। मेरा आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है और आपसे मेरा अनुरोध है गढ़ी गांव में एक बाईपास का निर्माण कराया जाए और नगरपालिका क्षेत्र में पानी निकासी के लिये कोई जगह नहीं है। वहां पर दोनों तरफ नाला निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि इस नवीन नगरपालिका को अस्तित्व में लाने का कष्ट करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री हीराराम।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो नगरपालिका क्षेत्र है। बिलाड़ा क्षेत्र एन.एच. 112 पर स्थित है तथा जोधपुर से जयपुर प्रमुख सड़क पर स्थित है। बिलाड़ा क्षेत्र मारवाड़ का मिनी कश्मीर कहलाता है एवं जोधपुर

(श्री हीराराम)

जिले की प्रमुख तहसील है, जिसमें गोठन से सोजत रोड मेगा हाईवे भी गुजरता है। बिलाड़ा में आईमाता जी का मंदिर, कल्पवृक्ष, बाणगंगा एवं पौराणिक महत्व के मंदिर एवं दर्शनीय स्थल भी हैं। बिलाड़ा, जोधपुर से रेलवे मार्ग भी जुड़ा है, परंतु रेल लाइन का विस्तार नहीं होने से बिलाड़ा तक ही सीमित है। बिलाड़ा क्षेत्र में लाइमस्टोन खनन एवं प्रोडक्शन इकाई भी है। बिलाड़ा डबल क्रोप कृषि क्षेत्र होने से मिर्च, कपास, सौंफ की खेती होती है।

बिलाड़ा व पीपाड़ शहर घनी आबादी के क्षेत्र होने से यहां पर सीवरेज लाइन डाली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह लंबे समय से विचाराधीन है। दोनों नगरपालिकाओं में सीवरेज लाइन स्वीकृत की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था हेतु नगरपालिका में कर्मचारियों की भर्ती अति आवश्यक है, जिसके लिए मैं आपके जरिये मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। नगरपालिका के पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं होने से सरकार के अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसका विकास करना अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, देखकर बोलना है तो दे दो। आप इसे सदन पटल पर रख दो। इसे मान लिया गया।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): मैं निवेदन करूंगा कि कस्बे के लिये लंबी सीवरेज लाइन की स्वीकृति शीघ्र दिलाएं। कस्बे में सफाई, रोशनी, सड़कों एवं मूलभूत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण हेतु पर्याप्त बजट नगर निकाय को दिलवाया जाए ताकि कस्बा समुचित विकास कर सके एवं वहां जनजीवन का विकास हो सके। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से एक नाले का निर्माण किया गया था। जो आज भी अवरुद्ध है और उस पर करोड़ों रुपये लगे हैं। वह सरकार के बिल्कुल काम नहीं आ रहा है और जनता के हित में भी नहीं है। आपसे निवेदन है कि बिलाड़ा का प्रमुख गंदे पानी का नाला जो बीजबाड़िया से बाण गंगा तक है, उसे 0.5 कि.मी. तक तथा 12 इंच चौड़ाई एवं 10 फीट गहराई का बड़ा नाला बनवाया जाए ताकि जनता के हित में बरसात का पानी निकासी के लिये उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं आपके माध्यम से मेरी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में 1984 में हाउसिंग बोर्ड

(श्री रामलाल शर्मा)

की जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। 2006-07 में इस प्रक्रिया में नामांतरण भी हाउसिंग बोर्ड की जमीन के नाम खुल गया, लेकिन अभी तक भी, किसानों का डीएलसी रेट का पैसा बैंक के अंदर जमा है। नामांतरण हाउसिंग बोर्ड के नाम से खुला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको इसमें जो कुछ निर्णय करना है किसानों को बुलाकर आप चाहे 25 परसेंट पर वार्ता कराएं, 15 परसेंट पर करें, डीएलसी रेट के ऊपर करें, लेकिन इसका निस्तारण आप जल्दी से जल्दी करने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय सदन के नेता जब चुनाव प्रचार के दौरान चौमूं गये थे, उस समय वे कहकर आये थे कि हमारी सरकार बन गयी तो चौमूं तक मैट्रो पहुंचाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि सदन के नेता ने चौमूं की जनता से जो कमिटमेंट किया, वह कमिटमेंट पूरा करने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कचरा निस्तारण की बात सभी माननीय सदस्यों ने की है। सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि हमारी सरकार आने के बाद जयपुर को हैरिटेज का दर्जा मिला है। मैं चाहूंगा कि हमारे चौमूं में जो हैरिटेज प्रोपर्टी है, उन हैरिटेज प्रोपर्टी में इतना कचरा भरा पड़ा है। आप सुधारने का काम तो बाद में करा देना, पर आप कम से कम कचरे का निस्तारण तो करा दें।

सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता की है कि मीट की दुकान ओपन में खुली है, खुले रास्ते में बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बनाये रखने में भी दिक्कत करेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अंदर जो भी मीट की दुकानें हैं, उनके लिए पालिसी बनाएं। कम से कम वे ब्लैक ग्लास लगाकर बेचें, ओपन में इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं करें।

मंत्री महोदय, नगरपालिकाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक की एक पोस्ट है। कहीं पर पोस्ट भरी हुई है, कहीं पर खाली है। नगरपालिका परिधि के अंदर जो समोसा, कचोरी, पकौड़ी, पतासी बेचने का काम करते हैं, इनकी एक बार जांच तो करा लें। क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, कौनसा कैमिकल डाल रहे हैं? स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है या हानिकारक है?

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने यह चिंता जाहिर की है जो निर्वाचित होकर के जन प्रतिनिधि आये हैं, उनको द्वेषतापूर्ण तरीके से आप

(श्री रामलाल शर्मा)

हटा रहे हो। मेरे खयाल से यह लोकतंत्र के लिये उचित नहीं है। कृपा करके आप इस मामले में थोड़ी-सी उदारता बरतें। अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो उस गलती को मानवीय आधार पर निपटाने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अंतिम निवेदन मैं करना चाहूंगा कि कल से मौसम बदला-बदला सा नजर आ रहा है। जयपुर में भी अच्छी बारिश की शुरूआत हुई है। अध्यक्ष महोदय, सुबह से कई माननीय सदस्य मुझे सत्ता पक्ष के मिले और वे मेरे को उकसाने का काम कर रहे हैं। बार-बार मुझे यह कह रहे हैं कि कर्नाटक की तरह करो, कर्नाटक की तरह करो। अध्यक्ष महोदय, मुझे उकसाने की भी एक सीमा है। अगर मैं ज्यादा उकस गया तो ...

श्री अध्यक्ष: आप को उकसा रहे हैं या राजेन्द्र जी को उकसा रहे हैं?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, हमारे उप नेता के संपर्क में भी 12-13 लोग आये हैं। अभी बुलाकर बात कर रहे हैं। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को, आदर्श नगर से आने वाले माननीय सदस्य और किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष: हो गया, नगर आयोजन पर आ जाओ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना ही है कि आप हमें ज्यादा मत उकसाएं और इन्हें कहें कि हमें उकसाने की कार्यवाही नहीं करें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा।

एक माननीय सदस्य: मध्य प्रदेश में इनके दो विकेट लुढ़क गये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक नगरपालिका है। अरावली पहाड़ की श्रेणियां और बनास नदी के बीच में शहर बसा हुआ है। नगरपालिका की आबादी 30 हजार है। नगरपालिका से ग्राम लक्ष्मीपुरा को ग्राम पंचायत गवींतला में मिलाया जाए। गांव लक्ष्मीपुरा की नगर से दूरी 10 किलोमीटर है। गरीबों को आने-जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ग्राम बोरानी, शैलादाता, पांच्या का बाड़ा, लाला का बाड़ा, घाटी का बाड़ा, बिंध्याबाटा, जिनकी दूरी नगरपालिका क्षेत्र से 8-10 किलोमीटर है। इनको ग्राम पंचायत बनाया

(श्री गोपी चन्द मीणा)

जाए। नगरपालिका का मास्टर प्लान बनाकर योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए एवं कचरा निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिये खेल स्टेडियम की स्वीकृति की जाए। पर्यावरण को संतुलित करने एवं नगरवासियों के भ्रमण हेतु सार्वजनिक पार्क विकसित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर में जहाजपुर के बीच से गुजरने वाली नागदी नदी का सौन्दर्यीकरण किया जाए। सार्वजनिक कुंड, एनीकट, पुलिया, सड़क, तीन किलोमीटर गंदा नाला है, जिसकी सफाई की व्यवस्था की जाए। सीवरेज स्ट्रीट प्लान स्वीकृत किया जाए। आये दिन आगजनी की घटनाओं को देखते हुए, उपखण्ड मुख्यालय से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की दूरी 120 किलोमीटर है। अत: एक-एक अग्निशमन मशीन की उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी और जहाजपुर में व्यवस्था की जाए।

नगरपालिका जहाजपुर में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए छाबड़िया खान से बनास नदी पर दो मीटर का एनीकट, घटाला से बरनीकलां बनाया जाकर पानी नागदी बांध पर डाला जाए ताकि शहर एवं ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए और इनको स्थायी किया जाए। भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। जहाजपुर नगरपालिका क्षेत्र में जैन मंदिर स्वस्तिधाम मंदिर का निर्माण होने से प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ जैन मंदिर का निर्माण हो रहा है। स्वस्तिधाम के नाम से इस स्थान को भी सरकार को विकसित करना चाहिए। जहाजपुर के पुराने किले को विकसित करने के लिए सड़क एवं मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए। नगरपालिका जहाजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास पारित किया फिर भी नगरपालिका चेयरमैन के द्वारा भ्रष्टाचार के कार्य किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस थाना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मुख्यालय होने से कोटड़ी ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया जाना चाहिए। बनास नदी और नगरपालिका क्षेत्र के बीच अवैध अतिक्रमण को हटाकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे

(श्री हाकम अली खां)

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग संख्या 29 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी एक समस्या है, वह है बरसाती पानी के निकासी की। आज भी वहां बारिश हो रही है और पूरा शहर दो भागों में बंटा हुआ है। आधा शहर एक साइड में है और बाजार एक साइड में है। मैं इसके ऊपर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फतेहपुर क्षेत्र नीचे स्तर पर बसा हुआ है और चारों ओर ऊंचाई है। इस कारण बारिश के मौसम में शहर में जगह-जगह पानी भर जाता है। आमजन का जीना दूभर हो जाता है। मुख्य जो पाइंट हैं, रोडवेज बस स्टैंड, आंखों का हास्पिटल, रेलवे पुलिया के नीचे, दोनों पुलियाओं के नीचे अत्यधिक पानी भर जाने के कारण शहर अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाता है। तकरीबन दस दिन पहले इस पुलिया के नीचे एक गुर्जर, जो अपना जीवनयापन करने के लिए घर-घर जाकर गायों का दूध निकालता था, उसको यह नहीं पता था कि पुलिया में इतना पानी है, वह पैदल आ रहा था, पुलिया में नीचे से आने के समय पानी भरा हुआ था और अंदर मिट्टी थी, उसमें वह गिर गया और गिरकर उसकी वहीं डैथ हो गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अंदर दो नगरपालिका क्षेत्र आते हैं, रामगढ़ शेखावाटी और फतेहपुर। आजकल चोर और अपराधियों का बोलबाला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि फतेहपुर और रामगढ़ नगरपालिका में सीसीटीवी कैमरे अगर लगा दिये जाएं तो कुछ अंकुश लग सकता है। पुलिस को भी अपराधियों तक पहुंचने में आसानी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर कस्बा नवाबों का बसाया हुआ एक बहुत पुराना शहर है इसमें एक ऐतिहासिक नवाबी बावड़ी है जो बहुत ही पुराना पर्यटक स्थल है और पहले बहुत पर्यटक देखने आते थे। अभी उसको कचरागाह बना दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस ऐतिहासिक बावड़ी को मूल स्वरूप दिया जाए तो पर्यटन को लुभाएगी वह बावड़ी। उस बावड़ी का दोबारा जीर्णोद्धार किया जाए।

(श्री हाकम अली खां)

मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अधीन नगरपालिका रामगढ़ शेखावाटी में उपखण्ड कार्यालय स्थित होने के बावजूद एक उपकोष कार्यालय नहीं है। इस कारण नगरपालिका रामगढ़ क्षेत्र के आसपास के लगभग 62 गांव के लोगों को उपखण्ड कार्यालय रामगढ़ शेखावाटी से संबंधित कार्यालय फतेहपुर जाना पड़ता है, जिससे काफी असुविधा होती है। अत: मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उपखण्ड रामगढ़ शेखावटी मुख्यालय पर उपकोष कार्यालय की स्थापना की जाए। हमारे शहर फतेहपुर और रामगढ़ में वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी आबादी है। उनके शादी-ब्याह में बहुत बड़ी प्रोब्लम आती है कि उनको शादियों में धर्मशालाएं या शादी के लिए हाल किराये पर नहीं मिलते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके मोहल्ले में, नगरपालिका क्षेत्र में एक-एक अम्बेडकर या सामुदायिक भवन बना दिया जाए जिससे उनकी असुविधा खतम हो जाएगी और शादी-ब्याह में प्रोब्लम नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले नगरीय विकास की बात करूंगा। उसके बाद फिर एलएसजी की बात करूंगा, हाउसिंग बोर्ड की भी करूंगा वगैरह-वगैरह सबकी। मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि शहरों के जितने भी आक्शन्स होते हैं, वे फेल हो रहे हैं और वे फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां की जो रिजर्व प्राइस है, डीएलसी से उसका ताल्लुक रहता है। डीएलसी जैसी होगी उसी तरीके से उसकी गणना होगी, रिजर्व प्राइस की। सबसे पहले तो हमने यह काम किया है कि नीलामी की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए और डीएलसी से बिल्कुल अलग करने के लिए, डीएलसी से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा शहर की जमीनों का। उनकी जो रिजर्व प्राइस है वह इस तरीके से तय की जाएगी, बिल्कुल डीएलसी के अलावा तय की जाएगी। उससे आक्शन्स की रेट कम हो जाएगी और लोगों को आसानी से जमीनें उपलब्ध होने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बकाया लीज की राशि 31.12.19 तक एकमुश्त यदि कोई जमा करा देगा तो उसकी ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दे दी जाएगी, लीज राशि की। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस हाउसेज और एलआईजी हाउसेज, जो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आबंटित मकान के बकाया है, अगर एकमुश्त राशि जमा करा देते हैं तो उनकी भी ब्याज और पेनल्टी की शत-प्रतिशत छूट मिल जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कई काम कराए गए जैसे द्रव्यवती नदी की बात आती है। गोनेर के आगे ढूंड नदी में जाकर यह मिलता है, अमानीशाह का नाला जो द्रव्यवती नदी के नाम पर बनाया गया है। इस पर टोटल जो खर्चा हुआ वह 1676.93 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और जिसमें से 3440 करोड़ रुपये का पेमेंट हो चुका है, 91 परसेन्ट इसका काम पूरा हो चुका है। टाटा को जो यह काम दिया गया था, वह किस प्रकार से दिया गया था, कैसे दिया गया था? कैसे नहीं दिया गया था, उस पर विवाद है। इसकी जांच हम निश्चित तौर पर कराएंगे। जो काम बाकी रह गया उसको हम हर सूरत में अक्टूबर, 2019 तक पूरा कर देंगे, लेकिन द्रव्यवती नदी को जिस तरीके से बना दिया गया है और प्रोब्लम्स की जो बार-बार आवाज आती है, माननीय सदस्यों के द्वारा। माननीय 45 सदस्य अभी बोले, 45 सदस्यों में से मेरा खयाल है कम से कम 7-8 सदस्य तो सिर्फ द्रव्यवती नदी पर ही बोले कि इससे मच्छर होंगे। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी इस बात की चिंता थी कि वहां पर मच्छर होंगे,उसका क्या इलाज होगा? इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री के साथ में बैठकर बात करेंगे। कैसे न कैसे, अब जो हो गया जो तो हो गया। उसका तो क्या इलाज है? किस तरीके से बनाया गया? किस तरीके से नहीं बनाया गया? क्या होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए था?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। आप 12 बजे तक बैठना चाहते हैं?

(21.00 बजे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन कुल-मिलाकर यह है कि अक्टूबर, 2019 में इसका काम समाप्त कर दिया जाएगा। और फिर जैसे-जैसे समस्याएं आती जाएंगी, उन समस्याओं को निपटाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। रिंग रोड की बात है तो रिंग रोड शुरू में हमारे वक्त में चालू हुई थी लेकिन जिस कम्पनी को हमने ठेका दिया था उसका और बैंक के झगड़े से वह नहीं कर पाई। आपने अच्छा किया कि आपने नेशनल हाईवे इसको दे दिया, बहुत अच्छा किया। मैं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तो इस बात को एप्रिशिएट करता हूं। कुल मिलाकर करीबकरीब इसका काम भी 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सिर्फ तीन जगह जमीन देने की प्रोब्लम आ रही है जिसमें क्लोवर लीफ बनना है। क्लोवर लीफ एक तो आपका बांदीकुई रेलवे लाइन पर, सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन पर, यह थोड़े से काम बाकी हैं। खास तौर से वह काम बाकी है जो जेडीए के स्तर पर नहीं है। जेडीए के स्तर पर तो 99 प्रतिशत काम पूरे हो चुके। लेकिन झगड़ा किस के बीच में है, रेलवे के बीच और नेशनल हाईवे के बीच में। अगर उन दोनों के बीच झगड़ा निपट जाता है तो मैं समझता हूं कि यह काम फटाफट पूरा हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा।

पांच आरओबी बन रहे हैं। जैसे सीतापुरा का है, दांतली, बस्सी, झोटवाड़ा और हवा सड़क का है। यह जितने भी काम हैं, यह सब आप अधूरे छोड़कर चले गए। खैर अधूरे तो, पूरे राजस्थान में आप लोग काम छोड़कर चले गए। आप लोग बड़े होशियार हो, जब देख रहे हो कि सत्ता बदलने वाली है तो आखिरी टाइम में काम चालू करो। बजट हो या नहीं हो, पैसा हो या नहीं हो, लेकिन काम चालू करो। ताकि आने वाला चुकाता रहेगा, आने वाला पूरा करता रहेगा, हमारा तो यहां पत्थर लग गया। शिलान्यास किसने किया, कि माननीया वसुन्धरा जी ने शिलान्यास किया। वह शिलान्यास करने में परफैक्ट थीं। आप लोग उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हवा सड़क में भी काफी प्रोब्लम है। नक्शा तो हमने ही बनाया था उसका। उस नक्शे को आपने यह कहकर, आपने कई तरकीबें की हैं, एक ही नहीं कई तरकीबें की हैं। नक्शे हमारे, सारा काम हमारा, डीपीआर हमारी और उसको कहकर, नहीं बदल रहे हैं, बदलकर कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, उस हवा सड़क का आज तक काम पूरा नहीं कर पाए। आप यह अधूरा छोड़ गए। इसको बामुश्किल हम जून, 2020 तक पूरा करेंगे। अब आपने क्या-क्या किया यह मैं बता दूं दो-तीन, ज्यादा नहीं है। ज्यादा तो, लंबी चौड़ी, गिनाते-गिनाते फिर तो पूरी रात ही हो जाएगी मुझे।

हमने मैट्रो का शिलान्यास फरवरी, 2011 में किया। मैट्रो का ट्रायल किया, सारी मैट्रो की तैयारी हो गई। बिजली, रेलवे लाइन, वगैरह-वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, स्टेशन्स तैयार हो गए, सब कुछ हो गया। उसका ट्रायल हुआ वह सितम्बर, 2013 में हुआ। 2013 से लेकर आठ महीने तक आपने मैट्रो को पटके रखा। उसको चालू नहीं किया। चालू नहीं करने के पीछे सिर्फ इतनी सी बात थी, झेंप थी कि यह काम इन्होंने कितना बढ़िया कर दिया,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कितना जल्दी कर दिया। यह वर्ल्ड रिकार्ड है कि इतनी जल्दी साढ़े नौ किलोमीटर, कहीं भी नहीं बनी अलावा दुबई के। दुबई में जहां बनी है वहां जंगल आता था। उस जंगल को पार करते हुए फटाफट निकल गई, यहां तो बाजारों में मैट्रो निकली है। मैट्रो बाजारों में बनानी पड़ी है। वर्ल्ड रिकार्ड था, इस झेंप के मारे आपने आठ महीने तक उसका शिलान्यास नहीं किया। आठ महीने तक उसको पटके रखा।

इसी तरीके से आप हाउसिंग बोर्ड को देख लो। तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने राज में बैठते ही क्या कहा, इस हाउसिंग बोर्ड को तो बंद करना है। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों पर क्या गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि जब यह बंद ही होने वाला है, मुख्य मंत्री कह गईं कि बंद होने वाला है, तो काम भी क्यों करेंगे। आप लोगों ने उस हाउसिंग बोर्ड का सारा सत्यानाश कर दिया। यह मुख्य मंत्री जी के स्तर की बात है? यह देखिए आप, यह स्टेटमेंट था उनका। अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट था कि हाउसिंग बोर्ड को बंद करो। आज बड़ी मुश्किल से हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरह से अजमेर रोड का एलीवेटेड रोड, अजमेर डायरेक्शन की तरफ गई वह तीन किलोमीटर, जयपुर डायरेक्शन की तरफ आई वह साढ़े चार किलोमीटर थी, एलीवेटेड रोड। वह जून, 2013 में बनकर पूरी हो गई, लेकिन 9 महीने तक आपने उसको पटके रखा। जेडीए के अफसर बराबर कहते रहे कि इसका उद्घाटन करो, इसका लोकार्पण करो, इसमें ट्रैफिक चालू करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन झेंप के मारे कि यह एलीवेटेड कितनी शानदार हो गई, कितनी बड़ी सुविधा कांग्रेस की सरकार के द्वारा जनता को दी गई है, उसका उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मेरे पास जेडीए के एक अफसर का 9 महीने बाद टेलीफोन आया, जब हम घर पर बैठ गए थे, हमारी सरकार निपट गई थी, मेरे पास टेलीफोन आया। मैंने पूछा कि क्या स्थिति है। बोले, साहब, कोई तैयार नहीं होता, मैंने कहा कि कोई तैयार होगा भी नहीं। बेहतर यह है कि किसी स्वतंत्रता सेनानी को ले जाओ और फीता कटवा लो और ट्रैफिक चालू कर दो, और यही हुआ। किसी से भी उन्होंने फीता कटवा लिया और उसका ट्रैफिक चालू कर दिया। आज देखिए कितनी बड़ी सुविधा अजमेर की तरफ जाने वाले और अजमेर की तरफ से आने वाले लोगों को मिली है। ऐसे कई काम हैं, अध्यक्ष महोदय, पचासों काम हैं, किन-किन को गिनाऊं। आराम बड़ी चीज है मुंह ढककर सोइये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आपको यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है उसका भी काम जो हमने शुरू किया था, अब हम 2019 में पूरा करके देंगे। किशनगढ़ बाघ परियोजना बनाई गई जिसमें 23 करोड़ के करीब रुपये खर्च होंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दो चीजें वृक्षारोपण के लिए ली गई हैं। एक तो ग्रीन लांस परियोजना जिसमें 18700 पौधे लगेंगे। पौध वितरण का कार्यक्रम भी जेडीए द्वारा किया जा रहा है जिसमें 21 हजार पौधे बांटे जाएंगे। नवीन रोड साइड का वृक्षारोपण है उसमें 12300 के करीब लगेंगे।

दूसरी योजना और है, ग्रीन रूट पार्क, जिसमें जंगल ही जंगल होगा। पार्क वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल होगा। उसमें 5200 के करीब पौधे लगाए जाएंगे, 38 करोड़ रुपये के करीब खर्चा होगा।

पृथ्वीराज योजना की बात है। हाथ मत जोड़ो, चिंता मत करो, जितने हो, उतने ही रहोगे, इस गलतफहमी में मत रहो। यह चौमूं के धमाके बहुत देखे हैं हमने। (व्यवधान) जितने हो उतने ही रहोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपकी कांस्टीटयूएंसी में क्या हुआ, 42 हजार से हारे हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक ही काफी है न। तीन-तीन क्यों खड़े हुए हो। एक ही काफी है, तीनों क्यों खड़े हुए हो। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब चौमूं का नाम दुनिया ही जानती है साहब। दुनिया ही जानती है चौमूं के लोग कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। (व्यवधान) पृथ्वीराज नगर योजना, इसके नियमन और विकास के कार्य की प्रगति।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मंत्री महोदय, 15 दिन बाद देखना आप ... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पृथ्वीराज योजना में कुल मिलाकर 736 विभिन्न सहकारी समितियों की योजनाओं में से 485 योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं। हमने यह काम शुरू किया था। आपने भी किया है इसमें कुछ काम।

पृथ्वीराज नगर में सड़कों का निर्माण, अब तक कुल मिलाकर 184.71 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है। पेयजल की व्यवस्था के लिए भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वहां 60 करोड़ रुपये पीएचईडी को दे दिया गया है। सब स्टेशन मय चार्जिंग फीडर के लाइन को शिफ्ट करने के लिए, वगैरह-वगैरह, इनके लिए भी 23.68 करोड़ रुपये विद्युत विभाग, इनको शिफ्ट करने के लिए दे दिया गया है। सीवर के काम के लिए भी 186 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और प्रथम चरण की राशि 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति, वह भी जारी कर दी गई है। वृक्षारोपण इत्यादि पर 50 करोड़ रुपये अलग से खर्च होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की ऐसी कालोनियां जिनका अभी तक नियमन नहीं हो सका, ऐसी समस्त कालोनियों का नियमन शीघ्र शुरू किया जाएगा। कैम्प लगाकर पट्टे उपलब्ध कराये जाएंगे। इसी तरह से पीआरएन में खुदरा उत्पाद संग्रहण हेतु वेयर हाउसिंग की मांग को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में वेयर हाउसिंग जोन और लाजिस्टिक पार्क की योजना बनाना भी प्रस्तावित है।

ठीक इसी तरीके से ईको सेंसिटिव और रिसोर्ट फार्म की योजना बनाना भी प्रस्तावित है।

ई.डब्ल्यू.एस. हाउसेज और एल.आई.जी. हाउसेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. हाउसेज के कुल 1568 आवासों का 60 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। मुख्य मंत्री जन आवास योजना में ई.डब्ल्यू.एस. हाउसेज के, वह योजना अलग थी, यह अलग है, ई.डब्ल्यू.एस. हाउसेज के 11524 और एल.आई.जी. के 24047 फ्लैट्स अनुमोदित कर दिये गये हैं।

भीलवाड़ा शूटिंग रेंज में सुखाड़िया स्टेडियम में शूटिंग रेंज के निर्माण के लिये 249 लाख का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

जोधपुर, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, महामंदिर से आखरिया चौराहे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लम्बाई छह किलोमीटर होगी। परियोजना की डी.पी.आर. बनाने के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

कोटा में चम्बल नदी की रिवर फ्रंट बनाने के लिये 400 करोड़ रुपया और कोटा में ही आई.एल. टाउनशिप के आक्सीजोन के लिये 80 करोड़ रुपया, झालावाड़ रोड गुबलिया बावड़ी चौराहे पर अण्डरपास और सौंदर्यीकरण के लिये 25 करोड़ रुपया, झालावाड़ रोड अनन्तपुरा चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने के लिये 80 करोड़ रुपया और रिजोनेंस के सामने फ्लाई ओवर बनाने के लिये 55 करोड़ रुपये और एरोड्रम चौराहे पर अण्डरपास और सौंदर्यीकरण के लिये 50 करोड़ रुपये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भीलवाड़ा में 50 करोड़ की लागत से जोधड़ास चौराहे पर आर.ओ.बी. का निर्माण होगा।

उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिये डी.पी.आर. बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे।

आवासन मण्डल की बात है, 22 हजार मकान आज भी बिना बिके पड़े हुए हैं, जिनके लिये मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी कि उनकी कीमत के 50 प्रतिशत तक उन मकानों को बेच दिया जायेगा। कोई 20 प्रतिशत कम में बिकेगा, कोई 30 प्रतिशत कम में बिकेगा, कोई 40 प्रतिशत कम में बिकेगा, कोई 50 प्रतिशत कम में बिकेगा। यह मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है। आवासन मण्डल को अतिक्रमण हटाने का और बकाया का कहीं कोई आज तक प्रोविजन नहीं था। अब उनके लिये अमला दिया जायेगा। बाकायदा अमला उनके पास रहेगा ताकि वे अपनी जमीन पर से अतिक्रमण भी हटा सकें और बकाया की वसूली भी कर सकें।

इसी प्रकार से मानसरोवर योजना में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 20 करोड़ की परियोजना प्रारम्भ की जा चुकी है, 176 करोड़ की लागत से 3788 मकानों के निर्माण के लिये और आठ प्रोजेक्ट जारी किये जा चुके हैं। यह कार्य मुख्य मंत्री जन आवास योजना के मार्ग निर्देशन के अनुसार पूर्ण किये जाएंगे और प्रत्येक मकान के लाभार्थियों को प्रधान मंत्री आवास योजना में डेढ़ लाख रुपये का लाभ भी दिलवाया जायेगा।

मैट्रो के बाबत, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 9.6 किलोमीटर की तो बन ही गई थी। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक का अण्डरग्राउण्ड का कार्य भी करीब-करीब अक्टूबर तक पूरा हो जायेगा। अब आप खुद ही देख लो, यह शिलान्यास मनमोहन सिंहजी से हमने करवाया था और ढाई साल का पीरियड था कि ढाई साल के अन्दर-अन्दर हम बड़ी चौपड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज कितना टाइम हो गया, पांच साल और एक, छह साल तक आप लोग कुछ नहीं कर पाये। कोई काम टाइम पर नहीं कर पाये। हम दूसरा फेज ले रहे हैं। यहां पर दूसरे फेज में इसकी कनेक्टिविटी के कई सुझाव आये। कौन थे सज्जन, कालीचरणजी थे या पुराने मेयर, लाहोटीजी, वे बोल रहे थे कि मैट्रो से यूं हो गया, और यूं हो गया। उनको जानकारी ही नहीं है। जानकारी अगर होती तो उनको बीच में से हटाया ही क्यों जाता। अब इसकी कनेक्टिविटी यह होगी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि सीतापुरा से ले करके पानीपेच तक का दूसरा फेज तैयार किया जायेगा, जिसकी डी.पी.आर. बनाई जा रही है, जिसका एलाइनमेंट वगैरह सब तय किये जा रहे हैं। यह काम होगा, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से होगा। अगर भारत सरकार ने सहयोग नहीं दिया तो फिर इसमें रोड़ा अटकेगा। भारत सरकार ने अभी तक वादा कर रखा है कि हम इसमें बराबर आपको मदद करेंगे, लेकिन अगर उनकी मदद नहीं मिली तो यह काम सम्भव नहीं हो पायेगा।

नगर नियोजन विभाग के द्वारा सुनिश्चित किये गये 193 शहरों में से 184 मास्टर प्लान हमने तैयार किये और नवगठित जो आपके निकाय हैं, जिनके मास्टर प्लान अब बनने प्रक्रियाधीन हैं। गुलाब कोठारी और राजस्थान सरकार के बीच में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, उससे यह जरूरी हो गया कि हर जगह जोनल प्लान आपको बनाना पड़ेगा। जोनल प्लान अगर नहीं बनाये तो आपका नियमन, दूसरा कम्पाउंड और वगैरह-वगैरह, जितने भी कन्शेसंस दिये जाते थे, और जो काम होते थे, उसमें रोक लगा दी गई है। इसके लिये हमने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. भी कर रखी है। स्टे तो नहीं मिला लेकिन हमें स्टेटस-को का स्टे मिल गया। स्टेटस-को का स्टे मिलने से एक फायदा यह हो गया कि जो इकोलोजिकल जोन में, ग्रीन बैल्ट में, पैरीफेरी एरिये में उच्च न्यायालय का यह आदेश था कि इनको तोड़ा जाये, जितने भी निर्माण कार्य बने हैं इनको हटाया जाये। कम से कम उस पर तो रोक लग गई।

मोटे तौर पर जो फैसले थे, उसमें जोनल डवलपमेंट प्लान के बिना नियमन का कार्य नहीं हो सकता। दूसरा यह कि आवासीय भूखण्डों में गैर आवासीय उपयोग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यह उच्च न्यायालय का फैसला है। तीसरा यह कि निर्माणों का नियमन किया जाना सम्भव नहीं है। नियमों के विपरीत किये गये निर्माणों का नियमन बिलकुल नहीं होगा। ये आदेश थे। अब इसके लिये हम सुप्रीम कोर्ट गये हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ राहत हमें मिलेगी।

एकीकृत भवन विनिमय आप लोगों ने बनाये। सबसे पहले हमने 2010 में बनाये थे। 2010 के पहले राजस्थान की हालत क्या थी। हर नगरपालिका की, हर यू.आई.टी. की और हर जे.डी.ए. के अलग-अलग तरह के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बाई-लाज हुआ करते थे, वे अपने हिसाब से काम किया करते थे, लेकिन पहली बार हमने 2010 में माडल बाई-लाज बनाये और माडल बाई-लाज बना करके सब पर पाबंदी लगाई। हर नगरपालिका को कहा कि बोर्ड से पास कराओ, जे.डी.ए. और यू.आई.टी. से कहा। 2013 में फिर हमने उसको रिव्यू किया। अब आपने 2017 में रिव्यू किया है। रिव्यू करके आपने दो-तीन तब्दीलियां की हैं, लेकिन आज भी उसमें संशोधन की आवश्यकता है। उस संशोधन की आवश्यकता के लिये हमने सी.टी.पी., जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का एक हैड होता है, उसके अण्डर में एक कमेटी बनाई हुई है। कमेटी बना करके उसमें सुझाव लिये गये हैं। क्रेडाई से भी लेंगे, दूसरों से भी लेंगे। क्या बोल रहे हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो, बार-बार यूं क्यों करते हो।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 193 जो नगर निकाय हैं, जिनके लिये उच्च न्यायालय के द्वारा यह पाबंद कर दिया गया है कि वहां के जोनल प्लान बनाओ, जोनल प्लान के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। न कम्पाउण्ड कर पाओगे, न कुछ, जो भी काम हैं, वे नहीं कर पाएंगे। उसके लिये हमने यह तय किया कि एक लाख के नीचे-नीचे के जो शहर हैं उनके लिये हम यहां पर एक्ट लाएंगे। एक्ट लाकर यह तय करेंगे कि उनके जोनल प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बचते हैं, 193 में से 160 तो इसमें निकल जाएंगे। कुल मिलाकर 33-34 बड़े शहर बनेंगे। उनके लिये जोनल प्लान को दुबारा से रिव्यू किया जा रहा है। दुबारा से देखा जा रहा है कि जोनल प्लान जो भी बनें, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत की है कि जोनल प्लान में यह एरिया छोड़ दिया, यह कर दिया, वह कर दिया। उसको दुबारा से देख करके काम चालू करेंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने 'प्रशासन शहरों के संग' चलाया था। 2012 में चलाया था जिसमें सब तरह के कंसेशंस दिये गये थे। सैट-बैक में अगर वायलेशन है तो भी कम्पाउण्ड किया गया था। सरकारी जमीन पर अगर उसने मकान बना लिया तो भी उसको एक कंसेशनल रेट पर मकान दिया गया था। लाखों पट्टे उस वक्त जो बंटे, वह राजस्थान की हिस्ट्री में आज तक शहरों में कभी नहीं बंटे होंगे। वह काम किया था। हमारी अब भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यही इच्छा है कि हम दुबारा से इन चीजों को, जो बिगाड़ आप लोगों ने करके हमें सरकार सौंपी, उसको किसी तरीके से ठीक करके वापस 'प्रशासन शहरों के संग' हम चलाएं और जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दें।

रेगुलैटरी बोर्ड बना, रेगुलैटरी बोर्ड ने, जैसा आपने कहा कि रेगुलैटरी बोर्ड से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। उसमें भी गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है। एक रेगुलैटरी बोर्ड का गठन भी कर दिया। उसके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाये। आप हमारे जिम्मे ये सब अधूरे काम छोड़ गये। एक्ट तो बना गये। एक्ट तो खैर सेण्ट्रल गवर्नमेंट का था, जो आपने बना-बनू कर दे दिया है, टिप -टाप करके यहां बना दिया। लेकिन हमने अध्यक्ष भी बनाया, उसको बोर्ड भी बनाया। बोर्ड बनाकर अब तक उसके पास 1039 प्रोजेक्ट पंजीकृत हो चुके हैं। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि साहब, उसमें दलालों को नहीं लिया गया, उसमें यह नहीं किया तो दलाल भी आ गये हैं। दलाल तो पहले आता है कब्जे में, 968 एजेंट्स का पंजीकरण भी किया गया है और आज तक 887 शिकायतें जो उनको मिलीं उनमें से 160 का निस्तारण रेरा बोर्ड के द्वारा किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो थी इसकी बात।

अब मैं एल.एस.जी. की बात करना चाहता हूं। अमृत योजना चल रही है। अमृत योजना 29 शहरों में है। उन शहरों का या तो नाम गिनाऊं या आप कहें तो फिर गिनाने की जरूरत नहीं है? चलिए, आगे चलते हैं। उसमें अमृत योजना के तहत में ही वह सीवरेज के काम भी हो रहे हैं जो कि आपके वक्त में 29 प्रतिशत से बढ़कर अब वह 55 प्रतिशत तक पहुंच गये हैं और 30 लाख घरों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा। जलापूर्ति के मामले में 1 लाख 64 हजार घरों को पेयजल या लाइन से जोड़ा जाएगा और 3200 किलोमीटर पेयजल की लाइन डाली जाएगी। ग्रीन स्पेस में, 29 शहरों के 107 पार्कों का विकास किया जाएगा।

इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आर.ओ.बी. जो है, पिछले सात वर्ष पहले जो हमने हमारे वक्त में, मैं प्रतिपक्ष के नेता को संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं कि हमने जो 2008 से लेकर 2013 तक 59 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. पर काम चालू किया था, 59 पर और उनमें से 36 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. का काम तो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आप लोगों ने पूरा किया, कुछ बाकी जो छोड़ गये थे हम, वह बाकी आपने पूरा किया, इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वर्तमान में अभी भी 229 करोड़ रुपये की लागत के 11 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. का काम प्रगति पर ही चल रहा है, अब उनको हम पूरा करने वाले हैं, पूरा करेंगे और उसकी जो अनुमानित लागत आ गयी 156 करोड़, 6 आर.ओ.बी., आर.यू.बी. का काम, अब प्रारम्भ हो रहा है उनका काम, सात साल के बाद में।

RUIDP के तृतीय चरण में 13 शहरों पर 4050 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं। छह शहर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, पाली, टोंक में सीवरेज व जलदाय कार्य का एवं भीलवाड़ा में सीवरेज कार्य, प्रोग्राम लोन के तहत सात शहर जिसमें सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट-आबू, झालावाड़, कोटा सीवरेज के प्रबंध के लिए, बांसवाड़ा ड्रेनेज, बांसवाड़ा में ड्रेनेज वगैरह और चतुर्थ जो चरण है इसका RUIDP का, उसमें 42 शहर प्रस्तावित हैं, उसमें 5 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा पेयजल पर, सीवरेज पर, ड्रेनेज पर और आधारभूत ढांचे को सुधारने की सुविधाएं देने के लिए।

हैरिटेज महत्व के जो दस शहर हैं- बांदीकुई, डीग, डूंगरपुर, जोबनेर, खेतड़ी, कामां, मंडावा, नवलगढ़, पीलीबंगा और सांभर व फुलेरा, इन पर अलग काम होगा। अन्य श्रेणी के जो 32 शहर हैं, 32 शहरों के नाम मैं गिनाना नहीं चाहता या आप कहें तो गिनाऊं? कर लोगे बर्दाश्त? गिना दूं? आबूरोड, बाड़ी, बालोतरा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, चौमूं, चौमूं आ गया इसमें। आ जाओ चौमूं, चौमूं, दौसा, शाहपुरा जयपुर वाला, डीडवाना, फतेहपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, कुचामन, लाडनूं, लक्ष्मणगढ़, मकराना, नोखा, प्रतापगढ़, राजगढ़ (चूरू), राजसमंद, रतनगढ़, सरदारशहर, डूंगरगढ़, सूरतगढ़, सिरोही, तिजारा, नीमकाथाना, भवानी मंडी, निम्बाहेड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा का, यह सब विचाराधीन हैं और दो शहर इसमें और शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, एक तो बूंदी और एक कोटा के पास वाला जो कैथून है, उसको भी शामिल करने का प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयासरत है उसमें।

नौ शहर जो हैं, जिनकी निविदाएं जारी की जा चुकी हैं 1300 करोड़ रुपये की, सिरोही, आबूरोड, लाड़नूं, डीडवाना, मकराना, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रतनगढ़ और सरदारशहर है। पुन: निविदाएं जो जारी की गयी हैं उनके लिए, वह 700 करोड़ रुपये की हैं, जिसमें बांसवाड़ा, कुचामन, खेतड़ी और मंडावा की हैं और डी.पी.आर. जिनकी बननी बाकी है, जो विचाराधीन हैं डी.पी.आर.,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बालोतरा, डीग, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, कामां, करौली, नोखा, पीलीबंगा, राजसमंद, सूरतगढ़, तिजारा, झालावाड़, बाड़मेर, नीमकाथाना और भवानी मंडी। इसी तरीके से डी.पी.आर. जो स्वीकृत हो गयी है, जोबनेर शहर, शाहपुरा जयपुर का एवं राजगढ़, चूरू का और डी.पी.आर. की जो प्रक्रियाधीन है वह है नवलगढ़।

राजीव आवास योजना के तहत में भी 16 शहरों में 21908 आवासों का निर्माण नगर निकायों के द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में 12841 आवास बन भी चुके हैं।

इसी तरीके से स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छ भारत के लिए वह थे अपने लाहोटी साहब, वह बहुत बोले थे काफी लेकिन वह गायब हो गये। वह स्वच्छ हो गये। घरेलू शौचालयों का निर्माण, उन्होंने गलत फीगर दी थी कि कितना लक्ष्य था और कितने पूरे हुए। मैं उनको करेक्ट करना चाहता था पर वह नहीं हैं। कुल 3 लाख 61 हजार 773 का लक्ष्य था, उसके विरुद्ध 3 लाख 39 हजार 361 आवेदन स्वीकृत हुए और स्वीकृत होने के बाद में 3 लाख 42 हजार 641 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण के लिए 1500 सामुदायिक शौचालय बनाये जाने का लक्ष्य था और 1196 का निर्माण हो चुका है।

ठोस कचरे का घर-घर संग्रहण के लिए 5389 वार्डों को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है कि इनको घर-घर कचरे का, दुबारा से इसको मतलब ऐसी मानिटरिंग की जाए जिसमें वहां से घर-घर से कचरा उठ जाए। प्लास्टिक का अपशिष्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत में भी जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, उनकी भी प्रोपर मानिटरिंग होगी और वक्त पर काम उनका भी पूरा करके दिया जाएगा।

शहरी जन सहभागी योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत से अधिक वह काम, 30 प्रतिशत जन सहयोग से और 20 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया है। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन, इसमें जो गठन किया गया था, उसमें समय-समय पर परिवर्तन करते जा रहे हैं और परिवर्तन किये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जाएंगे जिससे कि आगे जाकर काफी जन सुविधाएं, आम जनता को सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

एल.ई.डी. लाइट्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि विद्युत उपयोग में कमी आने के लिए एल.ई.डी. लाइट जो पिछली सरकार के द्वारा लगाई गयी थी हालांकि उसमें विवाद यह है कि साहब, किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसने लगाई, किसने नहीं लगाई, भाग गया, यह कर गया, वह कर गया, यह सब बातें हैं।

JCTCL के बारे में, 508 बसें हैं जो जयपुर शहर में चल रही हैं। उनकी आठ वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी और उसमें से 103 बसें नाकारा घोषित हो चुकी हैं और 112 बसें नाकारा घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब बसों की कमी को लेकर, अभी कम से कम भी दो लाख आदमी इन बसों में सफर करते हैं। बसों की कमी को लेकर यह तय किया गया है कि 300 बसें तो डीजल की और 300 इलेक्ट्रिक बसें ली जाएं, जिनका संचालन आठ से दस वर्षों की अवधि के लिए gross cost hiring modal पर प्राइवेट आपरेटर के माध्यम से किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यहां पर चर्चा जो हुई, बड़ी दर्दनाक चर्चा थी कि जो शहर को साफ करने वाला कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी उसके हालात सुधारने के लिए किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया बल्कि जो भी भर्तियां की गयीं, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो भर्तियां की गयीं वह भी इस तरीके की गयीं कि वह सफाई मजदूर जो खास तौर पर वाल्मीकि समाज में है, उसके लिए बड़ी पीड़ा उनको महसूस हुई कि साहब, इस तरीके की भर्तियां होती हैं जिसमें दूसरी जातियों के लोग आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कोर्ट का फैसला था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह कोर्ट का फैसला था। कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले से हुआ था वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। यह सक्षम मंत्री हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब कर दो न आप। घोषणा करवा लो न, आप घोषणा करवा लो। करवाओ घोषणा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कौनसी परम्परा डाल रहे हैं? कौनसी परम्परा डाल रहे हैं? माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप मेरी भी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय भूतपूर्व मंत्रीजी, आप कौनसी परम्परा डाल रहे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुनिए आप। नहीं-नहीं, कोर्ट का फैसला आज तो नहीं था। हमारे वक्त में भी यही फैसला था, जो आज है और अब हम जो भर्ती करेंगे, उसको भी देख लेना आप कि कोर्ट का फैसला कहां आड़े आता है। कहां आड़े आता है, यह पता लग जाएगा आपको। राज में आना तो आसान है, लेकिन राज करना बड़ा मुश्किल है।

मैं, खैर सफाई मजदूरों के बारे में बाद में बात करूंगा कि क्या-क्या लिखा है लोगों ने, कैसे-कैसे लोग हैं, जो इस तरीके की बातें लिखते हैं उनके लिये, बड़ी दर्द की बात है। आज भी सबसे ज्यादा, अगर मैं कहता हूं जिनको हीन भावना से देखा जाता है तो सफाई मजदूर को देखा जाता है, लेकिन उसके लिये न आपकी सरकार ने किया, और न ही हम इतना कर पाये जितना कि वह एनटाइटल थे। हमें उठाने के लिये, दलितों को उठाने के लिये जितने प्रयास किये जाने चाहिए थे, किसी सरकार के द्वारा नहीं किये गये।

निकायों के पार्षद के लिये बात हुई। शैक्षणिक योग्यता खतम करी है हमने, निश्चित तौर पर की है। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में था बाकायदा, कि हम चुनाव में शैक्षणिक योग्यता खतम करेंगे। अभी वार्डों का पुनर्गठन हुआ है। पुनर्गठन के पीछे भावना क्या थी? भावना यही थी कि आप 30-40 हजार के वार्ड बनाओ और एक पार्षद से यह उम्मीद करो कि वह दिन भर पूरा राउण्ड ले। जनता उम्मीद क्या करती है पार्षद से, उम्मीद यह करती है कि पार्षद की हर दूसरे-तीसरे रोज हमें शक्ल दिख जानी चाहिए, ताकि कोई प्रोब्लम हो तो हम उसको फटाफट बता दें और वही पार्षद लोकप्रिय होता है जोकि अपने वार्ड में लगातार चक्कर लगाता रहे, लोगों से मिलता रहे, जुलता रहे और छोटे-छोटे काम जो होते हैं, लाइट बंद है, नाली का पानी नहीं निकल रहा, यही तो काम होता है, और होता क्या है। स्कूटर लेकर निकलने वाला आदमी वही लोकप्रिय होता है। इसलिये छोटे वार्ड बनाने के पीछे मंशा यह थी। कुल-मिलाकर इनका

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रशासन, किस तरह से बेहतर तरीके से हो सकता है, तो छोटे वार्ड बनाओ। इसीलिए हमने यह परिसीमन का काम किया। छोटे वार्ड गठित करने के लिये परिसीमन का काम किया।

प्रत्यक्ष निर्वाचन का, हमने पहले भी किया था और अब भी किया, क्योंकि आप लोग तो जैसे कर ही रहे हो न, यह जो कर्नाटक में किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नगर निगम का आपने क्या किया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर आदमी हैं, छह-छह बार एम.एल.ए. रह गये हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है। नो प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको पिछली बार का ध्यान होगा। 2009 में यहां पर मेयर जीती कांग्रेस की और वार्ड पार्षद आपके जीते थे ज्यादा, ठीक है न, लेकिन मेयर जो जीती, उसके लिये पूरे जयपुर ने वोट दिया और पार्षद जो जीते, वह अपने-अपने वार्डों से जीते। अगर हम यह नहीं करते तो निश्चित तौर पर वही आप जो कर्नाटक में खेल खेला, उस वक्त खेल लेते। जनता के द्वारा जो निर्वाचित मेयर थी, उसको बचाने के लिये हमने यह किया और डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की कही। आप जीतो, हम जीतें, बात अलग है। जनता जिसको जिताएगी, जीत जाएगी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का किया।

प्रधान मंत्री आवास योजना, एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका प्रदेश में अपेक्षा के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हुआ है। हम लोग उसकी प्रभावी मोनिटरिंग करेंगे और अपेक्षा के अनुरूप तेजी से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों, प्रदेश की नगर निकायों को अनुदान के रूप में 942 करोड़ 22 लाख रुपये उपलब्ध होंगे तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कुल मिलाकर राशि 1 हजार 83 करोड़ 13 लाख प्रदेश की नगर निकायों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

नगरीय विकास, कर सुलभता से जमा कराने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा, डिजीटलाइजेशन किया जाएगा, व्यवहारीकरण किया जाएगा, आनलाइन करके स्वयं निर्धारण करके वह जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ठीक इसी तरीके से जन-प्रतिनिधियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये विकास केन्द्रों का गठन किया गया है और इसके लिये आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 10 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आर.यू.आई.डी.पी. के चतुर्थ चरण में 5 हजार करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं, 9 शहरों के लिये 1300 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी हो चुकी हैं, शेष शहरों के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं और दिसम्बर, 2019 तक समस्त शहरों की निविदाएं प्राप्त कर ली जाएंगी।

जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। पर्याप्त सुविधायुक्त शहरी परिवहन हेतु आधुनिक बसों का उपयोग कर शहरी बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

अग्निशमन सेवाओं के बारे में यहां पर बात उठी। उनको सुदृढ़ करने के लिये पांच एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफार्म क्रय किये जाएंगे जो बहुमंजिला इमारतों में उपयोग में लिया जा सके और 100 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाएंगे और उनके लिये आवश्यक भर्ती भी की जाएगी। वाहन तो 100 क्रय किये जाएंगे, लेकिन उनके लिये आवश्यक भर्ती भी की जाएगी।

कोटा शहर में उत्तर की, कोटा शहर की बात छोड़ो। चार शहरों का स्मार्ट सिटी मिशन में चयन किया गया है, परंतु मिशन के अन्तर्गत अपेक्षानुसार प्रगति नहीं हुई। मिशन के दिशा-निर्देश और जन भावनाओं को जन-उपयोगिता के आधार पर कुछ प्रोजेक्ट को ड्राप किया जाएगा और कुछ नये प्रोजेक्ट जनहित में जन-प्रतिनिधियों की एडवाइज से लिये जाएंगे और स्मार्ट सिटी के कार्यों को गति दी जाएगी।

जयपुर परकोटे को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व हैरिटेज सूची में शामिल किया है। इसके लिये स्पेशल एरिया मास्टर प्लान के तहत हैरिटेज प्लान, चारदीवारी का संरक्षण और ट्रैफिक प्लान अलग से बनाया जाएगा।

राज्य में वर्तमान संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना में आवश्यक सुधार कर इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

स्मार्ट राज योजना में भी आई.टी. की सेवाएं बेहतर की जाएंगी। नगर निकायों में बकाया, अब मैं बकायों की बात कर रहा हूं। स्थानीय निकायों में बकाया व्यावसायिक और आवासीय गृह कर को 31.08.2019 तक एकमुश्त

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जमा कराने पर मूल गृह कर की जो राशि है, उस पर 50 प्रतिशत की छूट होगी और शास्ति और ब्याज पर शत-प्रतिशत की छूट होगी। इसी तरीके से स्थानीय नगर निकायों में नगरीय कर जिस पर बकाया है, 31.08.2019 तक एकमुश्त अगर वह जमा कराते हैं तो ब्याज और शास्ति की शत-प्रतिशत छूट होगी, लेकिन जिन प्रकरणों में, आठ वर्ष से पूर्व के प्रकरण होंगे, उन प्रकरणों में जमा कराते हैं तो उसमें ब्याज और पेनल्टी तो माफ होगी ही, लेकिन मूल में भी 50 प्रतिशत की छूट दे दी जाएगी। 2014 में आपकी सरकार के द्वारा आर.यू.आई.डी.पी., रेविल और रिब्ड को मर्ज करके रूडसिको नाम की एक कम्पनी बनायी गयी थी। इस रूडसिको के अन्तर्गत आर.यू.आई.डी.एफ. फण्ड जिस पर कि पूर्व में रोक लगायी गयी थी, जिसके द्वारा नगरपालिकाओं को मांग के अनुसार पैसा दिया जाता था। मान लीजिए किसी नगरपालिका ने कोई काम ले लिया, चार करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन उसको अभी एक-डेढ़ करोड़ रुपये की और आवश्यकता है तो आर.यू.आई.डी.पी. से उसको मदद दी जाती थी, वह बंद कर दी आपने। अब उसको पूर्व की भांति वापस पुनर्जीवित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सफाई मजदूर वाली बात थी कि सफाई मजदूर के संरक्षण के लिये, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये, उनको सम्मान देने के लिये हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं हैं और कई बार ऐसे लेख भी पढ़ने को मिलते हैं, जिनसे मन में बहुत पीड़ा होती है और जनता में एक बहुत बुरा संदेश इस बात का जाता है कि क्या सोच है हमारी इन गरीबों के लिए, इन निम्न स्तर के लोगों के लिए जो बेचारे, जिनके यहां महात्मा गांधी हरिजन के क्वार्टर में ठहरते थे, जिनकी 150वीं वर्षगांठ अपन मनाने जा रहे हैं। अब उनके लिये ऐसे ऐसे लेख लिखे, वाल्मीकि समाज मल-मूत्र उठाने व साफ करने का काम इसलिए करते हैं, क्योंकि इस कृत्य में उन्हें धार्मिक शान्ति और आनन्द मिलता है। यह लिखा है। यह लेखक लिख रहे हैं। अगर वह ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी वह यह काम क्यों करते? यह भी लेखक ने लिखा है। यह काम केवल जीविकोपार्जन का साधन होता तो यह लोग कभी का काम पहले से छोड़ देते। यह लोग धार्मिक आनन्द का अनुभव करते हैं अपने काम में और अन्त में अत्याचार

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी बिना मुंह खोले बर्दाश्त करते हैं। यह लोग, जो लोग मानव मल साफ करते हैं, वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास...(व्यवधान) लेखक लिख रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्यों उनको अपमानित कर रहे हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अपन को इनको कंडेम करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्यों अपमानित कर रहे हो उनको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि अपन को सबको मिल करके इस लेखक को कंडेम करना चाहिए कि इस तरीके के लेख नहीं लिखने चाहिए उनके लिए, यह उनके सम्मान की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कहां पढ़ा यह लेख आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराजो, मुझे बोलने दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जो चाह रहे हैं वो ही सामने आयेगा न। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो लोग रोज मानव मल साफ करते हैं वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके पास आजीविका कमाने का और कोई जरिया नहीं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह व्यवसाय उन्हें अध्यात्म का भाव देता है। किसी न किसी समय यह अवश्य आया होगा कि किसी ने यह ज्ञान दिया होगा कि पूरा समाज व ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनको काम करना वाल्मीकि समाज का कर्तव्य है। (व्यवधान)

+++

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रस्ताव रखें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास ...(व्यवधान)

मांग संख्या 29 - का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,17,69,13,000/- (बासठ अरब सत्रह करोड़ उनहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.44 बजे गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

किसान सम्मान निधि के आवेदन

314. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश में कुल कितने किसानों ने आवेदन किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक प्रदेश में कुल कितने किसानों को 20 जून, 2019 तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 17.07.2019 तक 53,17,774 किसानों ने आवेदन किया है।

(2) प्रदेश के 14,82,077 किसानों को 20 जून 2019 तक किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। तहसीलवार सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देह दान को प्रोत्साहन की कार्ययोजना

315. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में देहदान करने हेतु क्या-क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं में आवश्यकतानुसार मानव देह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? जिसके कारण मानव अंगों के अध्ययनरत चिकित्सकों को प्रायोगिक कार्यों में बाधा आ रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार देहदान को प्रोत्साहित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में देहदान के सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं है। देहदान का कार्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार संपादित किया जाता है, परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, आरयूएचएस, बीकानेर, कोटा, झालावाड़ एवं राजमेस के भीलवाड़ा, चूरू, पाली, भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार मानव देह उपलब्ध हो रही है तथा अध्ययनरत चिकित्सकों को प्रायोगिक कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। राजमेस के डूंगरपुर, चिकित्सा महाविद्यालय में पर्याप्त मानव देह उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसके कारण प्रायोगिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। बाड़मेर चिकित्सा महाविद्यालय को मई, 2019 में एल.ओ.पी. मिली है तथा प्रवेश अगस्त, 2019 से प्रारम्भ करने हेतु तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) देहदान को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष महर्षि दधीचि जयन्ती के अवसर पर देहदानियों (जिनकी देह मेडिकल कालेज में प्राप्त हो चुकी है) के परिजनों को बुलाकर श्रद्धांजलि-सभा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज द्वारा देहदान को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न माध्यमों द्वारा (जैसे पोस्टर, आडियो-वीडियो) लोगों को जागरूक कराया जाता है व प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित देहदान समिति के सदस्यों एवं देहदान से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों को आमंत्रित कर, देहदान से संबंधित जानकारी व प्रेरणा दी जाती है। देहदान करने वालों की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। देहदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को साथ लेकर देहदान प्रपत्र भरवाये जाते हैं। मेडिकल कालेजों में जिन व्यक्तियों की देह दान के माध्यम से प्राप्त हुई है, एक स्मारक बनाकर उन व्यक्तियों के नाम उस स्मारक पर अंकित करने की योजना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का समय पर भुगतान

316. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत मिलने वाली

(श्री कन्हैया लाल)

विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं नि:शक्तजन पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पेंशन का भुगतान समय पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में पालनहार योजनान्तर्गत पात्र महिलाओं को नियत राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान समय पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं विशेष योग्यजन (नि:शक्तजन) पेंशन योजना के सभी पात्र पेंशनधारियों को सीधे लाभ अन्तरण योजना एवं भामाशाह योजनान्तर्गत पेंशनरों के द्वारा खुलवाये गये बैंक बचत खातों एवं डाक-धनादेश (Money Order) के माध्यम से नियमित रूप से पेंशन राशि का यथासंभव प्रतिमाह माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) प्रदेश मे पालनहार योजनान्तर्गत पात्रताधारी महिलाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पूर्ण पाये जाने की स्थिति में नियमित भुगतान किया जा रहा है एवं आवेदन में पालनहार स्तर पर आक्षेप होने की स्थिति में आक्षेप पूर्ति उपरान्त भुगतान किया जाता है। वर्तमान में पालनहार स्तर पर 5488 आवेदन आक्षेपित हैं, जिनकी पूर्ति उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा।

चौहटन में हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन की कार्ययोजना

317. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बाखासर क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री पदमाराम)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन देने की सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन के बाखासर क्षेत्र में नमक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) बाड़मेर जिले के चौहटन में हस्तकला उद्योग के अन्तर्गत कांच कशीदाकारी का कार्य किया जाता है। इस हस्तकला उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं भारत सरकार की बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं विपणन में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये निम्न कार्य योजनाओं को संचालित किया जा रहा है:-

1. चर्म प्रशिक्षण योजना
2. चर्म शिल्प विकास एवं आधुनीकरण योजना
3. शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना-2012
4. क्लस्टर विकास कार्यक्रम
5. डिजाइन विकास योजना
6. तकनीकी उन्नयन योजना
7. मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी
8. प्रचार-प्रसार

सूरजगढ़ में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार का वितरण

318. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से छह माह से छह वर्ष तक व गर्भवती धात्री महिलाओं व किशोरियों को न्यूट्रीशनल एवं फीडिंग नोर्म्स के अनुसार पोषाहार दिया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी महिलाओं को कौन -कौन से आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कितना-कितना पोषाहार वितरित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुभाष पूनिया)

(2) उक्त पोषाहार की जांच कब-कब की जाती है व उसका निरीक्षण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया है व इस संदर्भ में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इच्छुक एवं पात्र 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जाता है। वितरित की जा रही पोषाहार सामग्री का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में माह जून 2019 में पूरक पोषाहार से लाभान्वित 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोर बालिकाओं को वितरित किये गये पोषाहार की मात्राओं का ग्राम पंचायतवार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा प्रत्येक सेक्टर से प्रतिमाह रेण्डम आधार पर एक केन्द्र से पोषाहार का सैम्पल लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। साथ ही उक्त पोषाहार का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षकों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम अनुसार किया जाता है। इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्तमान में पूरक पोषाहार से सम्बन्धित कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आश्रम छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की कार्ययोजना

319. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

आश्रम छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? क्या सरकार उक्त छात्रावासों में छात्र संख्यानुसार छात्रावासों की संख्या बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2019-20 से आश्रम छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश हेतु आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लागू की गयी है। छात्र अधिकतम तीन छात्रावासों में प्रवेश

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

हेतु आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के प्राप्तांक व विभागीय नियमों के तहत मैरिट के आधार पर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का निर्णय समय-समय पर आवश्यकता का आंकलन एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोरसन अभयारण्य विकसित करने की कार्ययोजना

320. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थित विभिन्न अभयारण्यों में से सोरसन गोडावण अभयारण्य की उपेक्षा की जा रही है तथा उसके रखरखाव में आ रही कमी एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण वर्ष 2004 से गोडावण पक्षी उक्त क्षेत्र में प्रवास नहीं कर रहे हैं?

(2) क्या सरकार इसकी जांच करवाने तथा गोडावण प्रजनन क्षेत्र के उचित संरक्षण एवं औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोडावण की संख्या वृद्धि तथा सोरसन अभयारण्य को पुन: विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सोरसन वन क्षेत्र गोडावण अभयारण्य घोषित नहीं है। इस वन क्षेत्र में वर्ष 2004 के बाद से गोडावण पक्षी के प्रवास के प्रमाण नहीं हैं।

इस प्रकार का कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह स्थापित हो कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण गोडावण पक्षी सोरसन क्षेत्र में प्रवास नहीं कर रहे हैं।

(2) इस क्षेत्र में उपलब्ध वन क्षेत्र का संरक्षण राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

चूंकि इस क्षेत्र में अभयारण्य नहीं है। अतः औद्योगिक गतिविधियों को सीमित करने संबंधित कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) जी हां। सोरसन वन क्षेत्र में गोडावण को पुनः प्रवासित करने हेतु सोरसन वन क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जानी प्रस्तावित हैं। इस हेतु इस क्षेत्र की 676 हैक्टेयर वन भूमि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा उपयोग में लेने हेतु चिन्हित की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रशासनिक, आवासीय भवन एवं अन्य गतिविधियों हेतु 3.43 हैक्टेयर राजस्व भूमि राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के पक्ष में दिनांक 21.06.2019 को आबंटित की गयी है। भूमि का कब्जा मिलते ही भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा कृत्रिम प्रजनन केन्द्र (Captive Breeding Centre) बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

जिला मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम का निर्माण

321. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किस-किस जिला मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के लिये भूमि आबंटित नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खेल स्टेडियम से वंचित जिला मुख्यालयों पर उक्त के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिला मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी जिला मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम अवस्थित है। परिशिष्ट-क संलग्न है।

सिरोही जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के अधीन कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल स्टेडियम के लिए 54 बीघा भूमि आबंटन हेतु पत्रावली जिला प्रशासन के पास प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में सिरोही जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर खेल गतिविधियों का संचालन वर्ष 2000 से जिला प्रशासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है जिसमें वालीबाल, हाकी, कबड्डी, बास्केटबाल, हैण्डबाल, एथलेटिक्स, फुटबाल इत्यादि खेल मैदान उपलब्ध हैं।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

वर्ष 1985 में जिला प्रशासन द्वारा सिरोही जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स निर्माण हेतु 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में वाद विचाराधीन होने के कारण किसी प्रकार का निर्माण एवं खेल गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा सका है।

(2) वर्तमान में सिरोही में आउटडोर इन्डोर स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समन्वित (आधारभूत खेल संरचानाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के तहत तहसील/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, खो-खो/कबड्डी के मैदान सहित स्टेडियम निर्माण का प्रावधान किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में श्रमिकों की लाभकारी योजनाओं के आवेदन

322. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाते हैं? इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को किन-किन लाभकारी योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लाभकारी योजना में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में श्रमिकों को क्या-क्या लाभ कब-कब से दिए गए? उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिकों के लाभकारी योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितनों का निस्तारण हो गया तथा कितने शेष हैं? शेष रहे आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभी श्रमिक कार्ड धारी को समय पर लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत राज्य के कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों का भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया जाता है। हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने के लिए ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे -

1. जिनकी आयु 18 से 60 के मध्य हो, तथा
2. पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।

पंजीयन हेतु विभाग के आनलाइन पोर्टल ldms.rajasthan.gov.in पर श्रमिक द्वारा अथवा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन हेतु श्रमिक को आयु का प्रमाण-पत्र, निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते का विवरण आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा-12 एवं राजस्थान नियम 44 में श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान किया गया है जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) असंगठित क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' के पंजीकृत होने के पश्चात मण्डल की 8 कल्याणकारी योजनाओं में आनलाइन आवेदन करने पर लाभान्वित किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिशिष्ट -2 में वर्णित योजनानुसार लाभान्वित किया गया है। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में योजनाओं में कुल 15,149 प्राप्त आवेदनों में से 6,649 आवेदनों को निस्तारित किया जा चुका है तथा 8,500 आवेदन शेष हैं। (परिशिष्ट-3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 5,627 लाभान्वित किये गए श्रमिकों का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को आनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में उनके द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लम्बित है। इसके अतिरिक्त विभाग में श्रम निरीक्षकों के 188

(राज्य मंत्री, श्रम)

स्वीकृत पदों के विरुद्ध 85 पद रिक्त हैं तथा अधिकारियों के 83 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 51 पद रिक्त होने व श्रम निरीक्षक/अधिकारियों के परिवीक्षाकाल में होने एवं विभाग के अन्य कार्य औद्योगिक संबंध, विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्राधिकारी का कार्य, प्रवर्तन आदि का कार्य होने के कारण आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से किया जा रहा है।

(4) पंजीक़त निर्माण श्रमिक के योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर निस्तारित किये जाते हैं। अत्यधिक पेन्डेन्सी के मद्देनजर चरणबद्ध आधार पर निस्तारण का निर्णय लिया जाकर सर्वप्रथम सिलिकोसिस सहायता योजना, मृत्यु योजना, शिक्षा सहायता योजना, आदि का निस्तारण आनलाइन किया जा रहा है। विशेष प्रयास के रूप में योजनाओं के निस्तारण हेतु मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें अब तक 1.86 लाख से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि ऋण योजना के मानदण्ड

323. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसानों को कृषि हेतु ऋण देने के क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे किसानों को भी ऋण देने का विचार रखती है जो अन्य के नाम से दर्ज कृषि भूमि पर खेती कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति (संशोधित) अन्तर्गत सदस्य की अधिकतम साख सीमा के निर्धारण के मापदण्ड निम्नलिखित हैं:-

कृषक समिति का सदस्य होना चाहिए।

कृषक भूमिधारक/शेयरधारक हो।

समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो।

ऋण बकाया न होने का स्वघोषणा पत्र हो।

(सहकारिता मंत्री)

नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रक्रिया जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोहर के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

324. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नोहर जिला-हनुमानगढ़ के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर 100 बैड का चिकित्सालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.एम. के स्वीकृत पदों को भरने का विचार रखती है? विधान सभा क्षेत्र नोहर में ए.एन.एम. के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में एस.एम.एस. जयपुर जैसे सुविधायुक्त चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा नोहर जिला हनुमानगढ़ में वर्तमान में 50 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2018 में उपयोगिता दर 94.26 प्रतिशत रही है।

वित्तीय संसाधन/आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोहर की शय्याओं की वृद्धि पर विचार किया जायेगा।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नोहर में एएनएम के रिक्त पदों का संस्थानवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य में सामान्यत: तीन लेवल पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। प्रथम स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं द्वितीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय तथा तृतीय स्तर पर मेडिकल कालेज स्थापित हैं। उसी अनुसार राज्य के जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहोर में बाढ़ से बचाव की कार्ययोजना

325. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या आहोर विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ से बचाव हेतु सरकार के पास कोई कार्ययोजना है? यदि हां, तो क्या? इसकी क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जालौर सहित आहोर विधान सभा क्षेत्र में भी बाढ बचाव हेतु सरकार की कार्ययोजना के तहत क्रियान्विति प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसके तहत दिनांक 27.05.2019 को समस्त विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये व दिनांक 15.06.2019 से जिला मुख्यालय पर (ईओसी) तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर बाढ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर दिए गए हैं। प्रत्येक विभाग को मानसून के दौरान बाढ़ से पूर्व की तैयारी कर बाढ़ बचाव हेतु तत्पर तैयार रहने के निर्देश जारी किये गए हैं। बाढ़ बचाव हेतु इस विभाग के निर्देशानुसार छठी बटालियन अजमेर की एनडीआरएफ की 26 सदस्यों की टीम मुख्यालय जालौर पर एवं एसडीआरएफ की 21 सदस्यों की टीम भीनमाल मुख्यालय पर आवश्यक साज सामान सहित उपस्थित है।

कोटा में इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स में अव्यावसायिक गतिविधियों का संचालन

326. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रीको ने कोटा में इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स के नाम पर रियायती दर पर व्यवसाय करने के लिए व्यापारियों को भूखण्ड आबंटन किए थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रीको की मिलीभगत से इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स व उद्योग की जगह अव्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं? यदि हां, तो कुल कितने प्लाट पर इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स हैं तथा कितने पर अव्यावसायिक रूप से अवैध उपयोग हो रहा है? रीको के द्वारा उक्त दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) क्या दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त काम्प्लैक्स की भूमि को वर्तमान बाजार दर से बेचने या भूमि को नीलाम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स में सन् 1992 में इलैक्ट्रोनिक्स आधारित उद्योग को बढ़ावा देने हेतु रुपये 150/- प्रति व.मी. की दर पर भूखण्ड आबंटित किये गये थे। उक्त काम्प्लैक्स केवल इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादों के निर्माण/सर्विस हेतु स्थापित किया गया था, इसलिए निर्धारित दर में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों की स्थापना हेतु रियायत नहीं दी गयी।

(2) यह सही नहीं है कि रीको की मिलीभगत से इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स व उद्योग की जगह व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

औद्योगिक क्षेत्र इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स में 100 भूखण्ड नियोजित किये गये हैं, जिसमें से 47 भूखण्डों पर उद्योग, 46 भूखण्डों पर होस्टल, 3 भूखण्डों पर हास्टल +आवास एवं 1 भूखण्ड पर उद्योग + हास्टल संचालित हैं एवं 3 भूखण्ड रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

रीको द्वारा-समय-समय पर आबंटन शर्तों के उल्लंघन करने पर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये एवं 9 भूखण्डों का निरस्तीकरण किया गया।

(3) रीको द्वारा किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है।

(4) औद्योगिक क्षेत्र इलैक्ट्रोनिक्स काम्प्लैक्स कोटा में वर्तमान में कोई भी भूखण्ड आबंटन/नीलामी हेतु रिक्त नहीं है। अत: किसी भी रिक्त भूखण्ड को नीलामी करने का प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बकाया मानदेय

327. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना मानदेय दिया जाता है? उक्त मानदेय में

(श्रीमती अनिता भदेल)

विगत पांच वर्षों में कब-कब व कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अक्टूबर, 2018 में मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी जिसका भुगतान प्रदेश के मानदेय कर्मियों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की अधिकांश परियोजनाओं के मानदेय कर्मचारियों को भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रदेश की समस्त परियोजनाओं के मानदेय कर्मचारियों को जून, 2019 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विगत 5 वर्षों में समय-समय पर की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार द्वारा मानदेय कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट दिनांक 10 जुलाई, 2019 में राज्य सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि की घोषणा की जा चुकी है। बजट घोषणा के अनुसार मानदेय कर्मियों को भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। प्रदेश की अधिकांश परियोजनाओं में मानदेय कर्मियों को मानदेय का भुगतान समय पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में नियमित भुगतान हेतु समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता रहा है। निर्देशों/आदेशों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) प्रदेश की अधिकांश परियोजनाओं में मानदेय कर्मियों को माह मई, 2019 तक एवं माह जून, 2019 की कुछ परियोजनाओं में मानदेय का भुगतान हो चुका है। शेष परियोजनाओं में मानदेय भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रीय विकास की राशि के दुरुपयोग की जांच

328. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग द्वारा आबंटित बजट को गैर जनजाति विकास पर एवं अन्य विभागीय कार्यों पर खर्च किया गया है? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस मद में व किसकी अनुमति से व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस प्रकार की गयी अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इस विभाग को आबंटित बजट विभिन्न योजनाओं में प्रावधित नियमों/निर्देशों के अनुरूप ही जनजाति क्षेत्रीय विकास पर व्यय किया गया है।

(2) बिन्दु संख्या 1 अनुसार इस विभाग द्वारा आबंटित बजट विभिन्न योजनाओं में प्रावधित नियमों/निर्देशों के अनुरूप ही जनजाति क्षेत्रीय विकास पर व्यय किया गया है। अत: अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही की सूचना शून्य है।

चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित फैक्ट्रियां

329. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में छोटी एवं बड़ी कितनी फैक्ट्रियां कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक नाम से संचालित फैक्ट्री के माध्यम से क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण प्रचुर मात्रा में फैलाया जा रहा हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रदूषण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थापित/संचालित 1054 औद्योगिक इकाइयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(2) चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक नाम से संचालित फैक्ट्री द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु व्यवस्था/उपकरण स्थापित किये गये हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा भी समय-समय पर वायु एवं जल प्रदूषण की जांच पड़ताल की जाती है। यदि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक पाया जाता है तो उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नमूनों की जांच का विवरण परिशिष्ट ब1-ब2-ब3 एवं ब4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में पंजीकृत बेरोजगार

330. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? इन पंजीकृत बेरोजगारों में से कितनी महिलाओं तथा कितने पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता माह दिसम्बर, 2018 से अब तक दिया गया है? ग्राम पंचायतवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, उदयपुर में विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कुल 148 बेरोजगार पंजीकृत हैं। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु 19 आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए इनमें से पात्र पाये गये 8 पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता माह दिसम्बर, 2018 से अब तक दिया गया है। ग्राम पंचायतवार नाम सहित सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है। मुख्य मंत्री युवा संबल योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के दिनांक 22 जुलाई, 2019 तक कुल 21 नये आवेदन स्वीकृत कर दिये गये हैं, जिनका नियमानुसार भुगतान अगस्त, 2019 में करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा मुख्य मंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार एवं प्रति वर्ष हेतु लाभांवितों की सीमा (एक लाख साठ हजार) तक नियमानुसार पात्र पंजीकृत स्नातक आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एएसआई कम्पनी रामगंजमण्डी में श्रम कानूनों की अवहेलना पर कार्यवाही

331. श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में संचालित एएसआई कम्पनी द्वारा श्रमिकों व ठेका श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर बनाकर रखा जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों का श्रमिकों व ठेका श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या श्रमिकों व ठेका श्रमिकों को उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उपस्थिति कार्ड व साप्ताहिक अवकाश कानून के अनुसार दिया जाता है? यदि हां, तो उपरोक्त सभी श्रमिकों को गत तीन वर्षो में कब-कब साप्ताहिक अवकाश दिया गया? यदि नहीं, तो उक्त अवकाश नहीं दिये जाने के कारण से उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कार्यरत ए.एस.आई. कंपनी कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत संस्थान है जिसका पंजीयन क्रमांक आरजे 2385 है तथा संस्थान में कार्यरत नियमित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखा जाता है। इस संस्थान में कोई ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है।

श्रम विभाग राजस्थान द्वारा किसी भी संस्थान के रिकार्ड का संधारण नहीं किया जाता है। वक्त निरीक्षण ही संस्थान का रिकार्ड जांचा जाता है। अत: संस्थान के श्रमिकों के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। संस्थान में कार्यरत नियमित श्रमिकों को संस्थान द्वारा साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। उपस्थिति कार्ड नियमित श्रमिकों को नहीं दिया जाता है वरन नियमित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर ही संस्थान द्वारा संधारित किया जाता है। उपस्थिति कार्ड ठेका श्रमिकों को ही दिया जाता है तथा संस्थान में कोई ठेका श्रमिक कार्यरत नहीं है।

श्रम विभाग द्वारा किसी संस्थान का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। साप्ताहिक अवकाश के संबंध में संस्थान में श्रम कानूनों की अवहेलना नहीं हो रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रीको एरिया बनाने की गाइड लाइन

364. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रीको एरिया बनाने की कोई गाइड लाइन, नियम तय किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका कपासन के क्षेत्र के पास रीको क्षेत्र विकसित करने की प्लानिंग की गयी है? यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र में रीको विकसित किया गया, कितने भूखण्ड उद्योग लगाने के लिये बनाये गये, कितने भूखण्ड किन-किन शर्तों के आधार पर आबंटित किये गए तथा शेष भूखण्ड सुरक्षित हैं या उन पर अवैध अतिक्रमण हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कपासन में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा किसी भी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उस क्षेत्र की औद्योगिक विपुलता को दृष्टिगत रखते हुए एवं औद्योगीकरण के सर्वेक्षण के पश्चात् उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

(2) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र कपासन के पास रीको द्वारा 59.02 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर प्लानिंग की गयी है। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 123 औद्योगिक भूखण्डों का नियोजन किया गया है जिनमें से 79 भूखण्डों का आबंटन उद्योग स्थापना हेतु किया जा चुका है एवं 44 भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में एक संस्थानिक भूखण्ड भी नियोजित है जिस पर कच्ची बस्ती बसी हुई है एवं 50-100 अतिक्रमी कच्चे पक्के मकान बनाकर रहवास कर रहे हैं। नगरपालिका द्वारा इस अतिक्रमित भूमि पर पक्की सड़क बनाई हुई है एवं संबंधित विभाग द्वारा जल एवं विद्युत कनेक्शन जारी किये हुए हैं। उक्त अतिक्रमणों पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को रिपोर्ट दिनांक

(उद्योग मंत्री)

09.06.2015 के साथ संलग्न समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन अतिक्रमणों को नहीं हटाने की अनुशंसा की गयी है। उपखण्ड अधिकारी कपासन के पत्र दिनांक 09.06.2015 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) रीको द्वारा कपासन क्षेत्र में इस औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिला उद्योग केन्द्र में गिट्टी क्रेशर उद्योग की स्वीकृतियां

365. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र कोटा द्वारा गिट्टी-क्रेशर उद्योग लगाने हेतु स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां, तो किस-किस नाम से, किस-किस दिनांक को, मय स्थान के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत गिट्टी-क्रेशरों में गिट्टी, रेती व निर्माण सामग्री का उत्पादन किया जा रहा है? यदि हां, तो आरम्भ से आज दिनांक तक का वर्षवार उत्पादन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला उद्योग केन्द्र, कोटा द्वारा गिट्टी क्रेशर उद्योग लगाने हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाती है।

(2) प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में इस बिन्दु का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित टैक्सटाइल मिल में श्रमिकों को देय वेतन

366. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित क्षेत्र में ऋषभ टैक्सटाइल मिल को स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने के नाम पर स्थापित किया गया था?

(2) उक्त मिल में कितने कुशल, अर्द्धकुशल कार्मिक कार्यरत हैं व उनका वेतन किस प्रकार देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(3) क्या उक्त मिल में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूर यूनियन में चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ऋषभ टैक्सटाइल मिल को जुलाई 1989 में स्थापित किया गया था। स्थानीय मजदूरों को रोजगार दिए जाने संबंधी सूचना/आंकड़ा संधारित नहीं किये जाते हैं।

(2) उक्त मिल में 1803 कुशल एवं 69 अर्द्धकुशल श्रमिक कार्यरत हैं तथा उनका वेतन टैक्सटाइल वेजबोर्ड के कुशल श्रमिक को 319/- + पर्क्स, कुल 467/- रुपये प्रतिदिन 8 घण्टे के दिए जा रहे हैं। अर्द्धकुशल श्रमिक को 245/- प्रतिदिन वेतन दिया जा रहा है।

(3) मिल में मजदूरों का शोषण करने बाबत कोई शिकायत श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत श्रम विभाग को यूनियन का चुनाव कराने का अधिकार नहीं है।

पालनहार योजना के लाभार्थी

367. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेडा जिला-भीलवाड़ा में विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में किन-किन योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है? योजनाओं का नाम एवं लाभार्थियों की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पालनहार योजना के अन्तर्गत माता के देहान्त के बाद उन बच्चों को जिनके पिता नौकरी या अन्य कारणों से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में जिन विभागीय योजनाओ का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है उनके नाम व लाभार्थियों की पंचायतवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। माता के देहान्त के बाद उन बच्चों को जिनके पिता नौकरी या अन्य कारणों से उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरपुर में छात्रावास की स्थापना

368. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 5 राजकीय एवं 4 अनुदानित कुल 9 छात्रावास संचालित हैं। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 15 छात्रावास एवं 02 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर ही नवीन छात्रावास स्वीकृत किया जा सकता है। नियम की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सम्प्रेषण गृहों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण

369. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह तथा अपचारी बालिका गृह में बच्चों के मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त प्रावधानों के तहत कितनी राशि आबंटित की गयी तथा उसमें से कितनी व्यय की गयी? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त गृहों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षों में कर्मचारियों के लिए कब-कब प्रशिक्षण आयोजित किये गये? वर्षवार प्रशिक्षित कार्मिकों तथा प्रशिक्षण पर आबंटित तथा व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण आदर्श नियम 2016 के नियम 34, 35, 36, 37 एवं 38 की पालना में गृहों में मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य, भ्रमण कार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा संचालित सम्प्रेषण गृह, विशेष गृह, किशोर गृह तथा अपचारी बालक गृहों में आवासित बच्चों को मनोचिकित्सक की सेवा राजकीय चिकित्सालय में सेवारत मनोचिकित्सक, अध्यापन कार्य राजकीय विद्यालयों, भ्रमण कार्यों भामाशाहों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य राजस्थान आजीविका एवं कौशल विकास निगम के माध्यम से नि:शुल्क करवाया जाता रहा है। इन मदों पर जिलों को अलग से कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(3) जी हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 89 में उक्त गृहों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4)

वर्ष	**प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या**	**आबंटित राशि**	**व्यय राशि**
2014-15	राज्य स्तरीय कार्यशाला	1496228	1496288
2015-16	सभाग स्तरीय कार्यशाला	319000	319000
2016-17	215	4218000	653500
2017-18	579		2901715
2018-19	390		434619

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्य

370. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के लागू होने के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र बामनवास में क्या-क्या कार्य कहां-कहां एवं कितनी-कितनी राशि के करवाये गये? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्या सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना में किन-किन व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उक्त योजना के तहत कराये गये कार्यो का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में उक्त योजना के तहत करवाये गये कार्यों में 37 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 22 कार्य पूर्ण, 1 कार्य प्रगति पर एवं 14 कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये हैं, की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस योजना में लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की संख्या मय राशि भुगतान का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लाइफ लाइन स्टोर में निर्धारित समय पर दवाइयों की आपूर्ति नहीं करने पर पैनल्टी

371. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नारायण सिंह देवल)

(1) क्या यह सही है कि सरकारी चिकित्सालयों में लाइफ लाइन स्टोर पर दवाइयां आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में दवाइयों की आपूर्ति नहीं करने पर पैनल्टी लगाई जाती है? यदि हां, तो विगत दस वर्षों में प्रदेश के किस-किस चिकित्सालय में किस-किस आपूर्तिकर्ता पर कब-कब व कितनी-कितनी राशि की पैनल्टी आरोपित की गई व किस-किस से कितनी-कितनी राशि की वसूली की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अस्पताल प्रशासन को आपूर्तिकर्ता की पैनल्टी माफ करने का अधिकार है? यदि हां, तो विगत दस वर्षों में किस-किस चिकित्सालय में किस-किस आपूर्तिकर्ता की, कितनी-कितनी राशि की पैनल्टी माफ की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकारी चिकित्सालयों में लाइफ लाइन स्टोर पर दवाइयों की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता पर पैनल्टी लगाये जाने का प्रावधान है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सरकारी चिकित्सालयों में लाइफ लाइन स्टोर पर दवाई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दवाइयों की आपूर्ति समय सीमा में ही की गई है इसलिए विगत दस वर्षों में किसी भी तरह की कोई भी पैनल्टी की राशि आरोपित नहीं की गई है।

चिकित्सा शिक्षा के अधीन एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा एवं एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर में पिछले 10 वर्षों में आपूर्तिकर्ता पर पैनल्टी आरोपित की गयी जो निम्न प्रकार है:-

1. एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में लगाई गई पैनल्टी का विवरण

क्र.सं.	**फर्म का नाम**	**पैनल्टी राशि**	
1	मैसर्स अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स	5084/-	वसूली की गई
2	मैसर्स स्नेह मेडिकोज	121107/-	वसूली की गई
3	मैसर्स राजस्थान मेडिकल हॉल	59590/-	कोर्ट स्टे व कोर्ट केस लम्बित है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

Short Supply का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	राशि
1	मैसर्स एल्डोक फार्मा	10950/-

2. एस.एम.एस. मेडिकल कालेज से संबंद्ध सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अक्टूबर 2018 के बाद में निर्धारित समयावधि में आपूर्ति नहीं करने के कारण काटी गई पैनल्टी का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है एवं अक्टूबर 2018 से पूर्व की अवधि की पैनल्टी की गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। आरएमआरएस के नियम अनुसार सप्लायर अगर किसी बाधा के कारण सामान की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं कर पाता तो सप्लायर सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व सप्लाई अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन करेगा। सप्लायर के आवेदन पर क्रय समिति सप्लाई अवधि में पैनल्टी सहित अथवा बिना पैनल्टी के सप्लाई अवधि में वृद्धि कर सकती है।

पैनल्टी लगाये जाने के बाद में पैनल्टी माफ करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन को नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्वीकृत ट्रोमा सेन्टर

372. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) एक ट्रोमा सेन्टर पर किस-किस प्रकार के उपकरण सहित क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश के सभी ट्रोमा सेन्टरों पर प्रावधानानुसार चिकित्सक सहित समस्त अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 57 ट्रोमा सेन्टर स्वीकृत हैं, जिनमें से 49 ट्रोमा सेन्टर कार्यरत हैं तथा शेष 8 ट्रोमा सेन्टर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। सूची परिशिष्ट- अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार की ट्रोमा गाइड लाइन के अनुसार ट्रोमा सेन्टर्स पर उपलब्ध सुविधाओं (उपकरण, आधारभूत ढांचा एवं मानव संसाधन) के नोर्म्स परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी

373. श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा योजना कब से लागू है? उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त योजना के तहत कोटा शहर के अस्पतालों में कितना बजट आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत विगत पांच वर्षों में कोटा शहर के अस्पतालों में प्रसूताओं को भोजन में क्या-क्या चीजें उपलब्ध करवाई गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2018 में 30 जून, 2019 तक कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं को क्या-क्या भोजन सामग्री उपलबध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों में उक्त योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितम्बर, 2011 से लागू है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं तथा जन्म के बाद 01 वर्ष तक बीमार बच्चों को सभी चिकित्सा सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। गर्भवती महिला/प्रसूताओं से संबंधित विवरण:-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1	नि:शुल्क संस्थागत प्रसव
2	आवश्यकतानुसार नि:शुल्क सीजेरियन आपरेशन द्वारा प्रसव
3	नि:शुल्क दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री
4	नि:शुल्क जांच सुविधाएं
5	नि:शुल्क भोजन
6	नि:शुल्क रक्त सुविधा
7	नि:शुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट
8	यूज़रचार्ज से छूट

शिशुओं से संबंधित विवरण (1 वर्ष की उम्र तक) :

1	नि:शुल्क इलाज
2	नि:शुल्क दवाइयां एवं अन्य आवश्यक सामग्री
3	नि:शुल्क जांच सुविधाएं
4	नि:शुल्क रक्त सुविधा
5	नि:शुल्क रैफरल ट्रांसपोर्ट
6	यूज़रचार्ज से छूट

(2) विगत पांच वर्षों में कोटा शहर के अस्पतालों में आबंटित बजट का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के तहत विगत 5 वर्षों में विभाग के अधीन कोटा शहर के अस्पतालों में प्रसूताओं को भोजन में सुबह नाश्ते में मीठा दूध 250 ग्राम व बिस्किट 01 पैकेट 100 ग्राम, दोपहर के भोजन में मौसमी हरी सब्जियों युक्त नमकीन दलिया, सायंकालीन भोजन में लापसी, फल (2 केला/1 सेब/2 संतरा), रात्रिकाल में मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाता है।

(4) वर्ष 2018 से 30 जून, 2019 तक उक्त योजना के तहत न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल एवं जेके लोन चिकित्सालय में प्रसूताओं को उपलब्ध करवाई गई भोजन सामग्री निम्नानुसार है:-

जेके लोन चिकित्सालय:-

सुबह - दूध एवं बिस्किट, दोपहर - दलिया, हरी सब्जी/शाम - लाप्सी एवं फल, रात - दूध।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नवीन चिकित्सालय:-

सुबह - दूध, दलिया व बिस्किट, शाम - लापसी एवं ऋतु फल, रात - दूध।

(5) जी हां।

1- कोटा में जे.के. लोन चिकित्सालय में भ्रष्टाचार का मामला पाया गया जिसमें एसीबी द्वारा 7.7.2016 को संविदा लेखाकार (एनआरएचएम) को गिरफ्तार किया गया व नौकरी से हटा दिया गया। वर्तमान में मामला न्यायालय में लम्बित है।

नवीन चिकित्सालय कोटा में जे.एस.वाई. में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें पाई गईं। उसकी जांच हेतु गठित कमेटी के द्वारा जांच कार्य प्रक्रियाधीन है।

2- विगत 5 वर्षों में मार्च 2019 में जिला बाड़मेर में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिव पर उक्त योजना में प्रसूताओं को दिये जाने वाले निःशुल्क भोजन के संबंध में अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया है जिसकी जांच संयुक्त निदेशक (राजपत्रित) मुख्यालय द्वारा की जाकर डा. विष्णुराम विश्नोई, तत्कालीन ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना (बाड़मेर) एवं डा. ध्रुव सिंघल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिव (बाड़मेर) को आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

साथ ही जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को प्रकरण की जांच सौंपी गयी जिसके क्रम में मांगे गये सभी रिकार्ड जांच अधिकारी को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता

374. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हमीर सिंह भायल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सोनोग्राफी मशीन लगाने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो अब तक प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोनोग्राफी मशीनें लगा दी गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अब तक बाड़मेर जिले में कौन-कौनसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सोनाग्राफी मशीन लगाई जा चुकी है एवं शेष केन्द्रों पर कब तक मशीन एवं रेडियोलोजिस्ट नियुक्त कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सी.एच.सी. पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. की योजना के तहत सोनोग्राफी मशीन लगाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाड़मेर जिले से अब तक कौन-कौनसी सी.एच.सी. से उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें से कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? उक्त प्रस्तावों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नार्म्स के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सोनोग्राफी मशीन लगाने का प्रावधान नहीं है।

फिर भी बाड़मेर जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गडरारोड हेतु बार्डर एरिया डवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत सोनोग्राफी मशीन क्रय की गयी थी, किन्तु वह संचालित नहीं हुई, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गडरारोड के अन्तर्गत रेडियोलोजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है।

(3) जी नहीं। पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत सोनोग्राफी मशीन का केवल पंजीकरण कराये जाने का प्रावधान है।

(4) बाड़मेर जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों गडरारोड एवं कल्याणपुर से पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका नियमानुसार पंजीकरण किया जा चुका था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गडरारोड का पंजीकरण दिनांक 25.03.2011 को पंजीकरण संख्या 0017/2011 द्वारा किया

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

गया था , जहां पर बार्डर एरिया डवलपमेन्ट प्रोग्राम के तहत एक सोनोग्राफी मशीन क्रय की गई थी, किन्तु रेडियोलोजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण एवं संस्थान का नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण संस्थान का पंजीकरण दिनांक 24.03.2016 को समुचित प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर का पंजीकरण दिनांक 01.10.2012 को पंजीकरण संख्या 0023/2012 द्वारा किया गया, लेकिन संस्थान पर सोनोग्राफी मशीन क्रय नहीं होने के कारण एवं संस्थान द्वारा नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 30.09.2017 को पंजीकरण संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

वर्तमान में बाड़मेर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है एवं न ही कोई आवेदन लम्बित है।

जयपुर में रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजनाएं

375. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड (रजि.) नम्बर-2877/एल. जयपुर द्वारा पंजीयन के समय समिति के कार्यक्षेत्र का एरिया कहां तक था तथा वर्तमान में कहां तक है? अब तक कौन-कौनसी आवासीय व कामर्शियल योजनाएं कहां-कहां, कितने-कितने भूखण्डों की काटी गईं? उक्त योजनाओं हेतु समिति द्वारा भूमि कहां-कहां एवं किस-किस से खरीदी गई? क्या उक्त समिति ने ग्राम जोशीवास (ग्रामदानी) पटवार हल्का खेजड़ावास तहसील-फुलेरा जिला जयपुर में भी भूमि खरीदी है? सभी आवासीय हेतु खरीदी भूमि का बेचान किस प्रकार से किया एवं काश्तकार को किये गये भुगतान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति का पंजीयन कब हुआ? पंजीयन के समय से समिति की कार्यकारिणी के सदस्य एवं अध्यक्ष, मंत्री कौन-कौन थे? उक्त समिति की कार्यकारिणी के चुनाव कब-कब करवाये गये एवं वर्तमान में कार्यकारिणी में कौन-कौन सदस्य हैं? विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

(3) उक्त समिति का अंकेक्षण कब-कब व किस-किस के द्वारा करवाया गया? अंकेक्षण में क्या-क्या कमियां पाई गईं? क्या अब सरकार समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त समिति वर्तमान में कार्यरत है? क्या उक्त समिति में प्रशासक नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्यों और कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समिति का कार्यक्षेत्र समिति के उपनियमों अनुसार निम्न प्रकार है-

पंजीयन के समय- समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत कपूरावाला तहसील सांगानेर क्षेत्र तक सीमित होगा।

वर्तमान में- समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम पंचायत कपूरावाला तहसील सांगानेर तक के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत केवल स्वीकृत योजना तक सीमित रहेगा।

समिति की आडिट रिपोर्ट के प्रपत्र-अ में उपलब्ध सूचनानुसार अब तक सृजित कुल 115 आवासीय एवं कामर्शियल योजनाओं की सूची, योजनाओं हेतु भूमि खरीद किए जाने तथा भूखण्डों की संख्या की सूचना परिशिष्ट "01" पर संलग्न है।

उपलब्ध रिकार्ड अनुसार समिति द्वारा ग्राम जोशीवास (ग्राम दानी, पटवार हल्का) खेजड़ावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में कोई भूमि खरीद नहीं की गई है।

समिति द्वारा सृजित योजनाओं के भूखण्डों का बेचान नकद किया जा कर आबंटित सदस्यों को जमा राशि की रसीद उपलब्ध कराई गई। समिति द्वारा क्रय की गई भूमि के काश्तकार को किए गए भुगतान संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट "01" के कालम संख्या 12 में अंकित है।

(2) समिति का पंजीयन दिनांक 04.03.1975 को पंजीयन क्रंमाक 2877/एल पर किया गया है। पंजीयन से अब तक की निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची परिशिष्ट-"02" पर संलग्न है।

(3) समिति द्वारा वर्ष 2015-16 तक की ही आडिट पूर्ण करवाई गई है। समिति के वर्ष 2015-16 तक के वर्षवार अंकेक्षकों की सूची परिशिष्ट "03" पर संलग्न है। समिति की विभाग में उपलब्ध आडिट रिपोर्टों में अंकित आक्षेपों का ऑडिट रिपोर्टवार संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट ""04"" पर संलग्न है। समिति

(सहकारिता मंत्री)

को पाई गई कमियों/आक्षेपों की पूर्ति बाबत पत्र लिखा गया है। पालना अपेक्षित है। उक्त आक्षेपों की अनुपालना करना स्वयं समिति की वैधानिक जिम्मेदारी है। समिति द्वारा अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के संगत प्रावधानों के तहत समिति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

समिति में वर्तमान में संचालक मण्डल कार्यरत है। समिति में प्रशासक नियुक्त नहीं रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गबन के प्रकरण

376. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में संचालित केन्द्रीय सहकारी बैंकों में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गबन, राजकीय राशि के दुरुपयोग व घोटालों के विभिन्न मामलों की जांच कराई गयी है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों की बैंकवार प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्तानुसार प्रकरणों में दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य लोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत पांच वर्षो में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गबन राजकीय राशि के दुरूपयोग व घोटालों के विभिन्न मामलों के केन्द्रीय सहकारी बैंक में दर्ज प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य लोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की स्थिति परिशिष्ट-अ के बिन्दु संख्या 2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में फसली ऋणों का वितरण

377. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दिसम्बर, 2018 से 30 मई, 2019 तक कितने किसानों को फसली ऋण वितरित किया गया है? सहकारी समितिवार, नाम सहित देय ऋण राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फसली ऋण की कितनी राशि ऋण स्वीकृत होने के बाद दी जानी बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में दिसम्बर, 2018 से अब तक 525 किसानों को राशि रुपये 123.84 लाख का फसली ऋण वितरित किया गया है। समितिवाइज नाम सहित ऋण राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) फसली ऋण स्वीकृति के पश्चात नियमानुसार ऋण राशि संबंधित किसान के बचत खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है। स्वीकृत ऋण राशि में से कोई राशि दी जानी बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कानफैड की दुकानों पर पेंशनर्स को दवा की आपूर्ति

378. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कानफैड की दुकानों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी दुकानों से दवाई क्रय करनी पड़ रही है? यदि हां, तो क्यों? सरकार इस हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न जिलों में उक्त पेंशनर्स द्वारा निजी दुकानों से क्रय की गई दवाइयों के बिल जो कानफैड में जमा होते हैं, की राशि का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कानफैड द्वारा जारी एनएसी के आधार पर निजी दवा की दुकान से खरीदी गई दवा के बिलों का भुगतान विभाग में लम्बित है? यदि हां, तो सरकार लम्बित बिलों का भुगतान कब तक किए जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पेंशनरों को श्वांस, डायबिटीज, किडनी, हृदय रोग व कैंसर इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों की दवा कानफैड की दुकानों पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कानफैड के दवा विक्रय केन्द्रों पर जो दवाइयां उपलब्ध होती है वह पेन्शनर्स को उपलब्ध करवा दी जाती हैं एवं जो दवाइयां कानफैड के दवा विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं होती हैं उनके लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) जारी किया जाता है जिसके आधार पर पेन्शनर्स द्वारा निजी दुकानों से दवा क्रय कर दवाइयों के क्लेमों का पुनर्भरण कानफैड से प्राप्त किया जाता है।

(2) विभिन्न जिलों में पेन्शनर्स द्वारा एन.ए.सी. के आधार पर निजी दुकानों से क्रय की गई दवाइयों के बिल जो कानफैड एवं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों में जमा होते हैं, के पेटे कुल राशि 1240.98 लाख रुपये का भुगतान बकाया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। कानफैड/जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों/कोष कार्यालय की ओर एन.ए.सी. बिलों के पेटे राशि 1240.98 लाख रुपये का भुगतान बकाया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। कानफैड एवं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों द्वारा एन.ए.सी. बिलों का कोष कार्यालयों को क्लेम पेश किया जाता है तथा पुनर्भरण राशि प्राप्त होने के आधार पर पेंशनर्स को भुगतान किया जाता है।

(4) जी नहीं। पेन्शनर्स को श्वांस, डायबिटीज, किडनी, हदय रोग व कैंसर इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहावट में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं

379. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या-क्या योजनाएं/ कार्यक्रम संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

(2) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण व उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक किस-किस व्यक्ति/संस्था को किस प्रकार से लाभान्वित किया गया और उनको कितनी-कितनी राशि की सहायता/अनुदान का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की निम्नांकित योजनाएं/कार्यक्रम संचालित हैं :

<u>केन्द्र प्रवर्तित योजना :</u>

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत राज्य के 15 ब्लाक्स, 17 कस्बे तथा 2 जिला मुख्यालय में संचालित हैं जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं अन्य से जुड़े आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।
2. नया सवेरा: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों/विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना।
3. नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना।
4. अवसंरचनात्मक विकास के लिये योजना (IDMI)
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाती है।

<u>राज्य प्रवर्तित योजना :-</u>

1. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिये नि:शुल्क आवासीय छात्रावास की योजना।
2. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IITs AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NITs CLAT, IIMs, IISAR (Kolkata & Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कालेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

3. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता।

(इस योजना के तहत वित्तीय अनुदान का प्रावधान नहीं है, अपितु अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनकी पात्रता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है)

4. कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से नि:शुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।
5. आरएमएफडीसीसी द्वारा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं को टर्म लोन, शैक्षिक ऋण एवं लघु वित्त योजनान्तर्गत ऋण प्रदान किया जाता है।
6. राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में वर्तमान में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं :

1. आदर्श मदरसा योजना : इस योजना के अन्तर्गत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं तथा मदरसों को अन्य सुविधायुक्त बनाया जा रहा है।
2. जन सहभागिता योजना : इस योजना का मूल उद्देश्य मदरसों की आधारभूत संरचना एवं विकास में जनभागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना है।

मदरसा आधुनीकरण योजना : इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग्स अभ्यास पुस्तिकाएं, पैराटीचर स्टाफ के लिए फर्नीचर, बच्चों के लिए ड्यूल डेस्क एवं बैंच, खेल सामग्री व कम्प्यूटर इत्यादि सुविधाएं दी जा रही हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र लोहावट में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1. व्यावसायिक ऋण योजना
2. शैक्षणिक ऋण योजना
3. लघु ऋण योजना (स्वयं सहायता समूह ऋण योजना)
4. विरासत योजना

प्रोत्साहन परियोजनाएं :

i. कौशल से कुशलता योजना

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

ii. महिला समृद्धि योजना

iii. हस्तशिल्पियों के लिए विपणन सहायता

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु राज्य सरकार की योजनाएं संचालित करती है :

ब्याज अनुदान योजना : बजट घोषणा 2012-13 उद्यम स्थापित करने वाले अल्पसंख्यक आय वर्ग के अल्पसंख्यकों को बैंकों से ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

ब्याज में छूट की योजना : बजट घोषणा 2009-10 अल्पसंख्यकों को कारोबारी ऋण में समय पर चुकारा करने की शर्त पर 2 प्रतिशत की छूट दी गयी थी। बजट घोषणा 2011-12 द्वारा 2009-10 में की गई घोषणा के साथ ही ये घोषणा और कर दी गयी कि अल्पसंख्यक महिला उद्यमियों के द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट दी जाएगी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु लिये गए ऋण का समय पर चुकारा देने पर सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ कर दी जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र लोहावट में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लाभान्वित किये गये व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत क्षेत्र विशेष में न होकर जिले में संचालित है। जिला जोधपुर में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

मदरसा बोर्ड की उक्त तीनों योजनाएं विधान सभा क्षेत्र लोहावट में भी संचालित हैं।

आदर्श मदरसा योजना में विधान सभा क्षेत्र लोहावट से मदरसा जामिया इस्लामिया स्कूल, भय्यों की ढाणी (पंजीयन संख्या 2634) एवं मदरसा अक्सा खाजूसर (पंजीयन संख्या 2959) का चयन हुआ है जिनमें स्मार्ट क्लासरूम का कार्य प्रक्रियाधीन है।

जन सहभागिता योजना में विधान सभा क्षेत्र लोहावट से किसी भी मदरसे का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मदरसा आधुनीकरण योजना का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

मदरसों में चलाई जा रही योजनाओं से मदरसे में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राएं लाभान्वित होते हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 18 से 35 वर्ष के पात्र इच्छुक अल्पसंख्यक युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से नि:शुल्क कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण

380. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड की सम्पति कहां-कहां पर कितनी-कितनी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वक्फ सम्पित्तियों पर बहुत सी जगह अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कहां-कहां पर कितनी-कितनी भूमि/सम्पत्ति पर किन-किन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदेश में वक्फ बोर्ड की बोर्ड रिकार्ड में पंजीकृत कुल 18948 वक्फ सम्पत्तियां हैं जिनमें से 17443 वक्फ सम्पत्तियां पूर्व से राजस्थान राजपत्र में बतौर वक्फ प्रकाशित हैं तथा 1505 वक्फ सम्पत्तियां केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बतौर जदीद वक्फ पंजीकृत है। राजस्थान प्रदेश की बोर्ड में पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वक्फ सम्पत्तियों पर जगह-जगह अतिक्रमण हो रहे हैं जिनकी शिकायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने पर केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के अन्तर्गत सुनवाई की जाती है। वर्तमान में प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(वक्फ मंत्री)

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड के समक्ष अतिक्रमण की शिकायत प्रस्तुत होने पर वक्फ अधिनियम 1995 के धारा 54 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर उचित सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा धारा 54 के अन्तर्गत सुनवाई कर 738 का निस्तारण कर धारा 55 के तहत कब्जा हटाने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित 2013) के पश्चात् प्रकरणों की सुनवाई कर धारा 54(4) के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय वक्फ अधिकरण जयपुर में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54(4) के अन्तर्गत निर्णीत प्रकरणों की पालना वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-55 प्रावधित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बालकों के विकास हेतु संचालित योजनाएं

381. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में महिला एवं बालकों के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? इन योजनाओं पर वर्ष 2018-19 में व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जोधपुर में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने महिला एवं बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं प्रति इकाई कितनी राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला एवं बालकों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में महिला एवं बालकों के विकास हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 301.38 करोड़ का व्यय किया गया। समेकित बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 1729.06 करोड़ व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनावार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जिला जोधपुर में उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला एवं बालकों का विवरण एवं प्रति इकाई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित महिला एवं बालकों की संख्या विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

382. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में संचालित 3175 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 2727 पर पेयजल सुविधा उपलब्ध है तथा 448 केन्द्रों पर पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। उदयपुर जिले की पेयजल सुविधा रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की विधान सभावार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजश्री योजना को पुन: चालू करने की योजना

383. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब लागू की गई तथा इसमें क्या प्रावधान हैं तथा बालिका के अभिभावकों को कितनी आर्थिक सहायता कब-कब दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना लागू होने से अब तक कितने अभिभावक लाभान्वित हुए हैं तथा उन्हें कितनी राशि दी गई है? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिसम्बर 2018 से 15 जून, 2019 तक उक्त योजना में कितने अभिभावक लाभान्वित हुए तथा उन्हें कितनी राशि दी गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त योजना को बन्द कर दिया है? यदि हां, तो कब व क्यों तथा यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त योजना को चालू रखने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून, 2016 से लागू की गई। योजनान्तर्गत 6 चरणों में कुल 50000 रुपये की राशि राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को देय है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजना लागू होने से अब तक 1514057 अभिभावक प्रथम किश्त से लाभान्वित हुए तथा उन्हें प्रथम किश्त के रूप में कुल 378.51 करोड. रुपये की राशि वितरित की गई तथा द्वितीय किश्त के तहत 833999 अभिभावक लाभान्वित हुए जिन्हें 208.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) दिसम्बर 2018 से 15 जून, 2018 तक उक्त योजना में 217799 अभिभावक प्रथम किश्त से लाभान्वित हुए तथा उन्हें प्रथम किश्त के रुप में कुल 54.44 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। द्वितीय किश्त के तहत 152864 अभिभावक लाभान्वित हुए, जिन्हें 38.22 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। सरकार ने उक्त योजना को बन्द नहीं किया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में माडा योजना में विकास कार्य

384. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमंद जिले में बिखरी जनजाति योजना एवं माडा योजना में वर्ष 2014 से 2019 तक प्रतिवर्ष क्या-क्या विकास कार्य किन-किन तहसीलों में करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बिखरी एवं माडा योजना में वर्ष 2019-20 के लिए क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019-20 में राजसमंद जिले की किन-किन तहसीलों में क्या-क्या कार्य करना प्रस्तावित हैं एवं इसके लिए कितना बजट आबंटन हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में बिखरी जनजाति योजना एवं माडा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2019 तक संपर्क सडक, हैण्ड पम्प, सामुदायिक भवन, जनजाति आश्रम छात्रावास निर्माण/मरम्मत आदि कार्य राजसमन्द, खमनोर, नाथद्वारा एवं कुम्भलगढ़ तहसील में कार्य करवाये गये। तहसीलवार विकास कार्य की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बिखरी एवं माडा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य योजना मद से प्रस्तावित कार्य की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2019-20 का राज्य का बजट दिनांक 10-07-2019 को सदन के पटल पर रखा गया है। अत: राज्य बजट के सदन द्वारा पारित किये जाने पर राजसमन्द जिले को बजट आबंटन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर (अलवर) में माडा योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्य

385. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कौशल विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) अलवर जिले की बानसूर तहसील में माडा योजना के तहत गत चार वर्षों में कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? उक्त क्षेत्रों में कौशल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

विकास स्वरोजगार के लिए कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां किस एजेंसी के मार्फत कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए माडा योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो अलवर जिले में तहसील स्तर पर उक्त योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष फरवरी 2015 से निरन्तर कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर के मार्फत प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से संपादित कराये जा रहे हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर माडा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

(3) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए विभाग द्वारा माडा क्षेत्र प्रदेश के 17 जिलों (माडा क्षेत्र) में अलवर जिले में तहसील स्तर पर माडा क्षेत्र अन्तर्गत पंचायत समिति राजगढ़, रेणी, लक्ष्मणगढ़, कठूमर व थानागाजी आती हैं।

पंचायत समिति राजगढ़, रेणी व थानागाजी में 10 माडा बालिका आश्रम छात्रावास व 02 एकलव्य माडल स्कूल संचालित हैं।

उक्त छात्रावास/स्कूलों में नि:शुल्क भोजन, यूनिफार्म, आवास सुविधा, स्टेशनरी व पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति व अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता, जनजाति छात्राओं को नि:शुल्क स्कूटी वितरण, एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम योजनाएं संचालित हैं।

वर्ष 2018-19 में राशि 0.60 लाख रु. अलवर तहसील में महाविद्यालय में अध्ययनरत 12 जनजाति बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 101 जनजाति बालिकाओं को राशि 40.40 लाख रु. की स्कूटियां स्वीकृत की गयीं।

औषधीय पौधों के संरक्षण की कार्ययोजना

386. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में लुप्त हो रहे औषधीय पौधों का संरक्षण करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस प्रकार और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार टोडारायसिंह उपखण्ड में औषधीय पौधों की पौधशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड से प्राप्त सूचना अनुसार ''सेन्ट्रल सैक्टर स्कीम'' एवं ''नेशनल आयुष मिशन'' के अंतर्गत औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं कृषिकरण हेतु अनुदान दिया जा रहा है। किसानों के लिए ''बायर-सेलर'' मीट के आयोजन के साथ ही समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। टोडारायसिंह उपखण्ड में औषधीय पौधों की पौधशाला खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पाली में संचालित सैण्ड क्रेशर की अनुमति

387. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में क्रेशर द्वारा बनाई जा रही सैण्ड के कितने क्रेशर कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एम सैण्ड बनाने वाले क्रेशरों पर एम सैण्ड धुलाई हेतु (वाशिंग प्लान्ट) संचालित है? क्या धोने के जलस्रोत को विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? यदि हां, तो उक्त प्रमाण पत्र किन-किनको जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने एम सैण्ड के वाशिंग प्लान्ट बिना अनुमति के संचालित हैं तथा उनके विरुद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जिला पाली में एम सैण्ड की कोई क्रेशर कार्यरत नहीं है।

(2) जी नहीं। खण्ड 1 के उत्तर अनुसार सूचना शून्य है।

(3) खण्ड 1 के उत्तर अनुसार सूचना शून्य है।

पाली नगर परिषद् में वृक्षारोपण के कार्य

388. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजनार्थ पाली में किस-किस स्थान पर, कितनी-कितनी हैक्टेयर भूमि पर, कितनी-कितनी राशि व्यय कर, कितने-कितने पेड़ लगाने थे एवं इनमें से कितनी-कितनी राशि व्यय कर कितने-कितने पेड़ लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली शहर में उक्त कार्य में वृक्षारोपण के अतिरिक्त कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए व्यय की जानी थी एवं इसके विरुद्ध कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में इनमें से किस-किस स्थान पर कितने-कितने वृक्ष जीवित हैं? उक्त कार्य हेतु नगर परिषद्, पाली द्वारा किस-किस अवधि में कितनी राशि वन विभाग पाली को हस्तान्तरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन (शहरी वृक्षारोपण) अभियान अंतर्गत पाली जिले में कार्यकारी एजेन्सी कार्यालय उप वन संरक्षक, पाली द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र में कराये गए वृक्षारोपण कार्यों का क्षेत्रफल, उनमें रोपित पौधों की संख्या एवं व्यय राशि का कार्यस्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन (शहरी वृक्षारोपण) अभियान अंतर्गत पाली शहर में कार्यकारी एजेन्सी कार्यालय उप वन संरक्षक, पाली द्वारा कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में अनुमोदित कार्य माडल एवं स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण कार्य एवं आगामी 4 वर्षों में संधारण कार्य कराया जाना है। उक्तानुसार वर्षवार प्रस्तावित व्यय राशि एवं मार्च, 2019 तक व्यय की गई राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन (शहरी वृक्षारोपण) अभियान अंतर्गत पाली शहर में कार्यकारी एजेन्सी कार्यालय उप वन संरक्षक, पाली द्वारा कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में जीवित पौधों एवं नगर परिषद्, पाली द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को हस्तानांतरित राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर में वृक्षारोपण के कार्य

389. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कितने विभागीय कार्य किस श्रेणी के व किस क्लस्टर में चल रहे हैं? कौन से स्वीकृत कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य था? उसमें से कितना कार्य पूर्ण हुआ तथा कितना शेष रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर अधीनस्थ क्षेत्र में तेजाणा (ग्राम पंचायत बडेरण) में 75 हैक्टेयर क्षेत्र में ''जलवायु परिवर्तन'' योजना अंतर्गत एक वृक्षारोपण कार्य स्वीकृत हुआ है जिसमें अग्रिम मृदा कार्य एवं पौध तैयारी का कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं एवं पौधारोपण कार्य वर्षा ऋतु में पूर्ण किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत वन संवर्धन के स्वीकृत 33 कार्यों में से 31 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 2 कार्य, कार्य कोड गलत होने के कारण मस्टररोल इश्यु नहीं होने से प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण का 288.43 हैक्टेयर (साइट वाइज सूची संलग्न परिशिष्ट-ए) लक्ष्य था, जिसे पूर्ण कर लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध की योजना

390. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर कब से प्रतिबंध है? सरकार द्वारा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए विगत 5 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये?

(2) प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के कितने प्रकरण विगत पांच वर्षों में पकड़े गये एवं उक्त प्रकरणों में क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में प्लास्टिक कैरीबैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 लागू किया गया है जिसके क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, स्वायत्त शासन विभाग व समस्त जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(2) विगत 5 वर्षों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 996 निरीक्षण किये गये एवं 23118.105 किग्रा प्लास्टिक कैरीबैग्स जब्त किये गये जिनमें से 9 संस्थानों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत परिवाद दायर किये गये जो कि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। (संलग्नक-अ)

स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार उनके द्वारा माह जून, 2019 तक 123571.302 किलोग्राम प्लास्टिक/पोलीथीन वेस्ट जब्त किये गये हैं तथा उनसे 20.02 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवीन आईटीआई केन्द्रों की स्थापना

391. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कौशल, नियोजन एवं उदयमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) प्रदेश में कितने आई.टी.आई. केन्द्र संचालित हैं तथा क्या आवश्यकता को देखते हुए सरकार नवीन आई.टी.आई. संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? जिलेवार, आईटीआई वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संस्थानों को नवीन तकनीकी युक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराडा, सेमारी, सलूम्बर, झल्लारा पं.स. में कितने आई.टी.आई. संस्थान में किन-किन ट्रेड (व्यवसाय) के युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किन-किन संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है? क्या सरकार सराड़ा, सेमारी, झल्लारा, सलूम्बर में नवीन आई.टी.आई. संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 1940 आईटीआई संचालित हैं जिसमें 229 राजकीय व 1711 निजी आईटीआई केन्द्र संचालित हैं।

राज्य सरकार की नीति राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत करने की है। तदनुसार राज्य के सभी पंचायत समितियों में आईटीआई का संचालन किया जा रहा है।

जिलेवार राजकीय व निजी आईटीआई का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार राजकीय संस्थानों को समय-समय पर नवीन तकनीकी युक्त बनाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त राज्य में संचालित राजकीय आईटीआई में नवीन संसाधन विकसित किये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, झल्लारा पं. स. के अन्तर्गत स्वीकृत औ.प्र. संस्थानों का व्यवसायवार विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

जी नहीं। राज्य सरकार की नीति अनुसार राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी हैं।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा के पत्रांक 1(3)त.शि./2013 जयपुर दिनांक 09.06.2016 द्वारा सेमारी, झल्लरा में राजकीय आई.टी.आई. खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं सलूम्बर में राजकीय आईटीआई वर्ष 1996 से संचालित है।

पंचायत समिति सराड़ा में एक निजी आईटीआई संचालित है। अत: पंचायत समिति सराड़ा में वर्तमान में राजकीय आईटीआई खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के गांवों में खेल मैदान विकसित करने की योजना

392. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में कितने गांव ऐसे हैं जिसमें खेल के लिए भूमि आबंटित है? खसरा नंबर, जमाबंदी व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र सोजत में तहसील स्तर पर कोई खेल मैदान विकसित नहीं है जिसके कारण उक्त क्षेत्र की प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील स्तर पर खेल मैदान विकसित करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल स्टेडियम स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग को 5 गांव में खेलों के लिए भूमि आबंटित है आबंटित भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग की 3.00 हैक्टेयर भूमि आबंटित है। विभाग द्वारा इस भूमि पर समतलीकरण कराया जाकर कार्यालय भवन व दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। इन विकास कार्यों हेतु विभाग द्वारा अब तक 21.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

(3) समन्वित स्टेडियम (खेल संरचना) विकास कार्यक्रम-2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर इनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल में श्रमिक कल्याण की संचालित योजनाएं

393. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं? श्रमिक कार्डों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में किस-किस योजना के अन्तर्गत कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं तथा क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा ''निर्माण श्रमिकों'' हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में कुल 21972 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पंजीकृत समस्त श्रमिकों को योजना की पात्रतानुसार आवेदन करने पर लाभान्वित किया जाता है। विगत 5 वर्षों में योजनावार लाभान्वित किये गये श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर है। श्रमिकों को योजनावार दी गई सुविधाओं/सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मार्बल खानों में कार्यरत महिला मजदूरों के कल्याण की योजना

394. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रदेश में पत्थर मार्बल की खानों आदि में काम करने वाली महिला मजदूरों के कल्याण हेतु कोई योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी तथा विगत पांच वर्षों में किन-किन जिलों में कितनी महिलाओं को उक्त योजनाओं से लाभान्वित किया गया है?

उत्तर

जी नहीं। प्रदेश में पत्थर मार्बल की खानों में काम करने वाली महिला मजदूरों के कल्याण हेतु श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोई योजना पृथक से संचालित नहीं की जा रही है।

महुवा में आईटीआई संस्थान की स्थापना

395. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्ष 2018-19 में आईटीआई कालेज स्वीकृत किए गए थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आईटीआई कालेज प्रारम्भ कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या सरकार उक्त आईटीआई कालेज को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के पत्रांक प.सं.7(1)त.शि./2018 जयपुर दिनांक 10.04.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। परिशिष्ट-01 सलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के पत्रांक प.सं.7(1)त.शि./2018 जयपुर दिनांक 10.04.2018 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है परन्तु इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं की गई। वित्तीय प्रबंधन होने की स्थिति में ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा भूमि का आबंटन आदेश क्रमांक

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

आर11एस(2)2018/5019 दिनांक 26.6.2018 द्वारा किया गया है। परिशिष्ट-02 संलग्न है। बजट की उपलब्धता के आधार पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में इंजीनियरिंग कालेज के भवन का निर्माण

396. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इंजीनियरिंग कालेज किराये के भवन में संचालित है?

(2) क्या उक्त कालेज के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत है? यदि हां, तो कितना? क्या भवन निर्माण शुरू कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक शुरू कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर में वर्तमान में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर वर्तमान में अस्थाई रूप से पोलीटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के परिसर में संचालित है।

(2) जी हां। इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर के भवन निर्माण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा प्रावधित 26 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

निर्माण एजेन्सी का चयन कर भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 12 करोड़ RSRDC Ltd. को हस्तान्तरित किये गये हैं तथा निर्माण एजेन्सी एवं Contractor द्वारा Foundation हेतु तैयारी, Site Preparation, Soil Testing का कार्य सम्पादित कर लिया गया है। शीघ्र भवन निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

(3) इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर में वर्तमान में कुल 81 छात्र अध्ययनरत है।

इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर सोसाइटी के अन्तर्गत संचालित है। इसकी 5वीं BoG की दिनांक 10.5.2018

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

को आयोजित बैठक में 21 शैक्षणिक पद स्वीकृत किये गये थे जो कि स्वीकृति दिनांक से ही रिक्त हैं।

सरकार द्वारा प्राचार्य का पदस्थापन किया जा चुका है तथा महाविद्यालय प्रारम्भ अकादमिक सत्र 2018-19 से 10 अतिथि प्रवक्ताओं से शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है।

श्रीगंगानगर जिले में संचालित संस्कृत विद्यालय

397. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नये संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में कुल 29 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संस्कृत विद्यालय खोलने संबंधी निर्धारित नीति में वर्णित प्रावधान को पूरा करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर ही नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

घाटोल में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

घाटोल विधान सभा क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले के अन्तर्गत माही बांध बांधा हुआ है जिससे दायीं-बायीं नहरें निकाली गई हैं। विधान सभा में बायीं नहर निकली है जिसकी अनेक छोटी माइनरें निकाली गयीं। मैं माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में माही की नहरों की मरम्मत करने के लिये 159 करोड़ रुपया दिया जिससे पेवर पद्धति से युद्ध स्तर पर काम दोनों बड़ी नहरों का हुआ। घाटोल क्षेत्र में उदपुरा माइनर (आरएमसी से) निकाली है, जो उदपुरा गांव के पास टूट गई है। बार-बार विभाग के अधिकारियों को कहने पर भी इस माइनर का काम नहीं हुआ है जिससे काश्तकार परेशान होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में उक्त माइनर को बड़ा बनाने के लिये माही बांध की पाल पर पावर हाउस के पास एक हजार होर्स पावर की मोटर लगाकर पाइपलाइन से उक्त माइनर में पानी सोमपुर की घाटी पर डालने का प्लान वसुन्धरा जी की सरकार में हुआ है लेकिन आज तक बजट के अभाव में यह कार्य नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में उक्त माइनर को बड़ा बनाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। इसी तरह पीपलखूंट में हाई लेवल कैनाल का बजट स्वीकृत है। सर्वे हो चुका है। इसका कार्य शुरू कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 में बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

हरेन्द्र निनामा

(घाटोल)

बाड़मेर, सिरोही व जालौर में पानी की समस्या का निराकरण

महोदय,

बाड़मेर-जालौर एवं सिरोही के लिए 52 वर्ष पूर्व बनी माही बजाज परियोजना को लेकर 1966 में गुजरात एवं राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ, उसमें 40 टी.एम.सी. पानी अरावली पर्वतमाला में सुरंग बनाकर इन जिलों को दिये जाने का प्रस्ताव था। 300 किलोमीटर लम्बी सुरंग बनाकर

65000 करोड़ रुपये खर्च करना निर्धारित था लेकिन 52 वर्ष पूर्व हुए समझौते पर दोनों सरकारें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी हैं।

वर्तमान में बाड़मेर जिले के सिवाना, जालौर एवं सिरोही जिलों के सभी गांवों में पानी एवं सिंचाई के लिए कोई प्रबंधन नहीं है। भूमिगत जलस्तर रसातल में चला गया है। किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। माही बजाज परियोजना का पानी अरावली पर्वतमाला में सुरंग के रास्ते आने से 32 लाख 62 हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 40 टी.एम.सी. सरप्लस पानी ही दिया जाना है। 2015 में तत्कालीन जिला कलेक्टर बाड़मेर एवं जालौर ने राज्य सरकार को सुझाव भी भेजा था। पानी माही सागर से डूंगरपुर जिले के टिमूवा बांध, वहां से सुरंग के रास्ते सई बांध, फिर जवाई बांध के रास्ते सिवाना तक माही बजाज परियोजना कछार से अधिकोष जब गुरुत्वाकर्षण द्वारा सामान्य प्रवाह से सिवाना आ सकता है जिसको लूणी नदी में डाला जा सकता है। मानदण्डों पर आकलन नहीं करते हुए माही बजाज परियोजना को शीघ्र गति देकर क्षेत्र को राहत प्रदान कराएं।

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

डूंगरपुर चौराहे पर राणा पूंजा भील की मूर्ति का अनावरण

महोदय,

पिछली भाजपा सरकार के समय 2016 में डूंगरपुर कालेज चुनाव जीतने के बाद विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया था। उसी ज्ञापन के अनुरूप 10 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय एकता आजादी बरकरार रखने के लिये रैली की गई थी। ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष राणा पूंजा भील का स्टेच्यू लगाकर चौराहे का नामकरण राणा पूंजा भील चौराहा किया गया था।

करीब साढ़े पांच महीने बाद षड्यंत्रकारियों द्वारा रात को 11:45 बजे चौराहे पर नामकरण का बोर्ड उखाड़कर अतिक्रमण किया गया जो अभी तक विवाद का कारण बना हुआ है। हमारी मांग है कि आदिवासी समुदाय की जन भावनाओं की कदर करते हुए महान ऐतिहासिक महापुरुष राणा पूंजा भील की मूर्ति लगाकर चौराहा बनाया जाए।

रामप्रसाद

(सागवाड़ा)

बगरू के रीको क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या

महोदय,

बगरू विधान सभा क्षेत्र के रीको एरिया में प्रदूषण इतना अधिक है कि वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। फैक्ट्रियों ने अपनी तरफ से कोई व्यवस्था कचरे को डिलीट करने की नहीं की है। रीको क्षेत्र में छोड़े गये पार्कों की आरक्षित भूमि में फैक्ट्रियों का कचरा डाल रहे हैं व प्रदूषित पानी आस-पास इकट्ठा हो गया है जिसे पीते ही जानवर मर जाते हैं।

अतः वहां के एरिये में सांस की बीमारी व कैंसर जैसी अनेकों तरह की बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि फैक्ट्रियों को पाबन्द करें, कचरे का डिस्पोजल करने की व्यवस्था करें, जिससे बगरूवासियों को राहत मिल सके।

गंगा देवी

(बगरू)

कठूमर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कठूमर जिला-अलवर उपखण्ड मुख्यालय से जिलामुख्यालय करीब 80 कि.मी. दूर है। कठूमर में कालेज खोलने की मांग हर वर्ष छात्र व जिला कालेज संघर्ष समिति, कठूमर उठाते रहे हैं, लेकिन गत भाजपा सरकार के समय मात्र आश्वासन मिले हैं, लेकिन कालेज नहीं खुला। कठूमर दलित व आदिवासी बहुल एरिया है। यहां करीब एक लाख दलित आबादी व पचास हजार जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या है। कठूमर में कोई मील व फैक्ट्री नहीं है, कोई बांध व नदी नहीं है तथा पिछले 10 वर्षों से औसतन बारिश बहुत कम होने के कारण किसानों को खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यहां की 80 प्रतिशत आबादी आर्थिक दृष्टि से कमजोर है इसलिए अपने लड़के व लड़कियों को आगे पढ़ाने में असमर्थ होने के कारण वह पढ़ाई छोड़ देते हैं तथा आगे नहीं पढ़ पाते। कठूमर में 1952 से आज तक 15 विधान सभा बनीं जिसमें 12 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है तथा 3 बार बीजेपी जीती है। कठूमर कांग्रेस बहुल इलाका है। अलवर के सभी विधान सभा क्षेत्रों में कालेज हैं तथा अलवर मुख्यालय के पास स्थित है। मात्र कठूमर

उपखण्ड मुख्यालय ही ऐसा है जो 80 कि.मी. दूरी के साथ दलित, गरीबों का मुख्यालय है। 10 जुलाई, 2019 को मुख्य मंत्री जी बजट में घोषणा भी कर चुके हैं कि यदि आवश्यक हुआ तो उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोले जा सकते हैं।

महोदय, मैंने गत विधान सभा चुनाव भी इसी वादे से लड़ा था कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं 100 प्रतिशत कठूमर में कालेज खुलवाऊंगा। अब कांग्रेस सरकार बन गई व जनता ने मुझे कांग्रेस टिकट पर जिताया है तो मैं सरकार व मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कठूमर क्षेत्र की गरीब व दलित जनता पर तरस खाकर इसी समय कालेज खोलने की घोषणा करें। मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी।

बाबूलाल

(कठूमर)

नर्सिंग भर्ती, 2013 के विज्ञापित पदों में कटौती

महोदय,

निवेदन है कि विगत कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों को राहत प्रदान करते हुए संविदा कर्मी एवं नव अभ्यर्थियों को समान रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से नर्सिंग भर्ती 2013 ए.एन.एम. के तहत 12278 पदों की फरवरी 2013 में विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन विगत भाजपा सरकार द्वारा विज्ञापित पदों में कटौती करते हुए मात्र 5559 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई एवं बजट का अभाव बताते हुए शेष पदों में कटौती कर दी गयी।

अतः नई भर्ती निकालने से पूर्व नर्सिंग भर्ती 2013 के विज्ञापित पदों में शेष रहे पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें।

मनीषा पंवार

(जोधपुर)

मकराना नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताएं

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगर परिषद् मकराना में नियमित व निर्धारित बैठकें नहीं होती हैं, जिससे विकास के काम रूके हुए हैं। बैठकों की सूचना नगर पार्षदों को कभी भी समय पर नहीं दी जा रही है। आज मकराना के हर वार्ड में गन्दगी फैल रखी है।

मकराना में सीवरेज लाइन का काम सही तरीके से नही होने की वजह से जगह-जगह लीकेज हो रखा है व सीवरेज लाइन कई जगह पर बैठ गयी है। मकराना नगर परिषद् का भवन निर्माण करीब डेढ़ वर्ष से बंद है व भवन निर्माण का काम भी सीवरेज ठेकेदार को दे दिया है जो गलत है। इस विषय में स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार सामान्य लेखा परीक्षा राजस्थान ने बगैर टैण्डर प्रक्रिया के नगर परिषद् भवन निर्माण को अमान्य बताते हुए इसे अनियमित व्यय माना है व कैग ने राजस्थान नगर परिषद् के (सामग्री का क्रय व संविदा) नियम 1974 के नियम 3, 6 व 14 का उल्लंघन माना है व भवन निर्माण बाबत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अलग से लेनी चाहिए परन्तु नगर परिषद् मकराना के अधिकारियों ने अपनी मनमानी की है। बिना टेण्डर प्रक्रिया के भवन निर्माण शुरू करने का मामला विधान सभा की जन लेखा समिति में विचाराधीन है। केन्द्र द्वारा वितरित कचरा पात्र (बाल्टी) में भी व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। अखबार की कतरन संलग्न है।

अन्त में मकराना नगर परिषद् द्वारा 01.10.2018 में 40 वार्डों के लिए 1-1 लाख कुल 40 लाख का रोड रिपेयरिंग व 10 लाख का अगल नाली क्रास व सीवरेज मरम्मत का टेण्डर जारी किया था परन्तु पार्षदों ने आरोप लगाया है कि इस राशि से एक रुपये का भी काम नहीं हुआ है।

अतः आपके माध्यम से नगरीय व स्वायत्त शासन विभाग मंत्री जी से उपरोक्त कामों की जांच करवाकर दोषियों को सजा दिलवाने का अनुरोध है।

रूपाराम

(मकराना)

लोक जुम्बिश परियोजना के नियमितीकरण से वंचित कार्मिक

महोदय,

निवेदन है कि उक्त नियम के तहत राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार व गुणात्मक सुधार के लिए जून 1992 में लोक जुम्बिश परियोजना की

शुरुआत की गई, जो जून 2004 तक चली। परियोजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोक जुम्बिश कार्मिक सेवा नियम 1993 के द्वारा समय-समय पर विभिन्न पदों पर कार्मिकों की भर्ती की गई।

सभापति जी, यह उल्लेखनीय है कि उक्त सेवा नियम राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.21 (5) शिक्षा-1883 दिनांक 16-09-1993 के द्वारा अनुमोदित होने के कारण लोक जुम्बिश कर्मचारियों को भी राज्य-कार्मिकों की भांति ही सभी तरह के सेवा-परिलाभ यथा उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश व पुनर्भरण, वार्षिक वेतनवृद्धि, बोनस व पांचवें व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया गया था, लेकिन छठे वेतन आयोग में इनका वेतन तो कुछ बढ़ाया गया था, किन्तु एरियर से वंचित किया गया और सातवें वेतन आयोग में तो इन कार्मिकों को साफ दरकिनार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 2004 में जब यह परियोजना बंद हुई तो इसमें कार्यरत सभी कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समाहित तो कर लिया गया, किन्तु उक्त सेवा-नियमों के तहत मिल रहे सभी सेवा-परिलाभ बंद कर दिए गए। वर्ष 2008 की प्रबोधक पदों की सीधी भर्ती में शामिल कर अधिकांश को नियमित भी कर दिया गया, लेकिन नियमितीकरण से वंचित रहे कार्मिक पिछले 15 वर्षों से आज तक लगातार शोषित व उत्पीड़ित हैं।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या लोक जुम्बिश सेवा नियम 1993 को सरकार ने बंद किया था? यदि शासन ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जाए और यदि उक्त नियम वर्तमान में अस्तित्व में है तो लोक जुम्बिश कार्मिकों का पिछले 15 सालों से शोषण क्यों किया जा रहा है? सदन को इसका कारण बताया जाए। विधान सभा में विशेष उल्लेख पर चर्चा हेतु अनुमति चाहता हूं।

सधन्यवाद!

बिहारीलाल

(नोखा)

झालावाड़ नगर परिषद् में पार्षदों का त्यागपत्र

महोदय,

सविनय निवेदन है कि नगर परिषद् झालावाड़ में कुल वार्ड व पार्षदों के पदों की संख्या 35 है। वर्तमान में 35 में से 24 पार्षदों में नगर परिषद् झालावाड़ पार्षद के पद से त्यागपत्र दे दिये हैं। वर्तमान में नगर परिषद्

झालावाड़ में पार्षदों की संख्या मात्र 11 रह गई है, जो कुल सदस्यों की 1/3 से भी कम है। ऐसी स्थिति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 से स्पष्टीकरण (1) यदि किसी भी कारण से किसी नगरपालिका में रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो तो नगरपालिका को उस पर इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं समझा जाएगा। वर्तमान नगर परिषद झालावाड़ में पार्षदों की संख्या 1/3 से भी कम रह गई है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद् झालावाड़ मण्डल (बोर्ड) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 322 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार नगर परिषद् झालावाड़ के वर्तमान पदासीन पार्षदों का नगर परिषद् झालावाड़ उक्त अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं है। उक्त अधिनियम की "धारा 322 के स्पष्टीकरण (3) "ख" के अनुसार विघटन की कालावधि के दौरान नगरपालिका की सभी शक्तियों को कर्तव्यों का पालन ऐसे अधिकारी के द्वारा प्रशासक के रूप में किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस निमित नियुक्त करें।

इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

नरेन्द्र नागर

(खानपुर)

राजसमंद की ग्राम पंचायत कुंवारिया में बेरोजगार श्रमिक

महोदय,

ग्राम पंचायत कुंवारिया जिला राजसमन्द के सैकड़ों की संख्या में नरेगा श्रमिकों को विगत डेढ़ माह से कार्य नहीं मिलने से बेराजगारी के कारण उनका घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पंचायत क्षेत्र में नरेगा कार्य को बंद हुए डेढ़ माह से ज्यादा समय हो चुका है। शुरुआत में श्रमिक जल्द ही कार्य फिर से शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन एक माह बाद भी कार्य शुरू नहीं हुए तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगीं। साथ ही उनके समक्ष रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे में श्रमिक बार-बार पंचायत के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। कुंवारिया पंचायत क्षेत्र में करीब ग्यारह सौ नरेगा श्रमिक कार्ड बने हुए हैं। इनमें से करीब आधे श्रमिकों को तो प्रतिदिन मजदूरी करनी आवश्यक होती है क्योंकि जिस दिन वे मजदूरी करते

हैं, उसी दिन उनकी रोजी का जुगाड़ हो पाता है। ऐसे में डेढ़ माह से श्रमिकों को काम नहीं मिलने से उनके समक्ष भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि उक्त पंचायत में नरेगा कार्य फिर से शुरू करवाकर नरेगा श्रमिकों को राहत प्रदान करें।

किरण माहेश्वरी

(राजसमंद)

राज्य राजमार्ग 58 पर सोजत शहर में नया बाईपास

महोदय,

राज्य राजमार्ग 58 जो जोधपुर वाया पाली, राजसमंद है उस पर नये बाईपास की स्वीकृति हेतु क्योंकि यह राजमार्ग सोजत शहर के मध्य से होकर गुजरता है। महोदय, यदि इस राजमार्ग का निर्माण सोजत शहर के मध्य से होता है तो 700 रिहायशी मकान, समाजों के भवन, ऐतिहासिक मेला चौक, सरकारी भवन, श्मशान घाट इत्यादि इस राजमार्ग की भेंट चढ़ जायेंगे। यदि इस राजमार्ग पर नये बाईपास को 162 राष्ट्रीय राजमार्ग दांतिया बालाजी मंदिर से कहीं भी सोजत शहर के बाहर निकालकर मिलाया जा सकता है जिससे रिहायशी मकान धार्मिक स्थल नहीं टूटेंगे। इस हाईवे के निर्माण से जनआक्रोश व आंदोलन होंगे।

शोभा चौहान

(सोजत)

कुचलवाड़ा (जहाजपुर) में गंदे नाले के पानी की समस्या

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहाजपुर उपखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा के राजस्व ग्राम कोटा रोड स्थित हनुमान नगर में नगरपालिका देवली द्वारा गन्दे पानी का नाला खुला छोड़ा हुआ है। उक्त खुले नाले के कारण गन्दा पानी हनुमान नगर के अन्तर्गत खाली पड़े खेतों/प्लाटों में भरा रहता है जिसके परिणामस्वरूप मच्छर/मक्खियों के पैदा होने व महामारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। खुले में गन्दे पानी के फैले रहने के कारण आने वाली दुर्गन्ध से उक्त सड़क मार्ग पर

से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। गौरतलब है कि उक्त राजस्व ग्राम हनुमान नगर में लगभग 4500-5000 लोग निवास करते हैं जिनके स्वास्थ्य/जीवन के साथ गन्दे नाले का पानी उक्त ग्राम में खुले में जोड़कर इनके व इनके परिवार के लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले व कार्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत कुचलवाड़ा के नाले से देवली नगरपालिका के गन्दे नाले को जुड़वाकर राजस्व ग्राम हनुमान नगर के निवासियों को राहत प्रदान करें।

गोपी चन्द मीणा

(जहाजपुर)

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नगरपालिका द्वारा कराये गये कार्यों में घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में शिड्यूल के अनुसार सीवरेज लाइन का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

3. राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं में मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

4. वर्तमान समय में प्रदेश में आमजन की भावना के अनुसार स्थानीय निकायों के वार्ड सीमांकन निर्धारण के संबंध में चर्चा के लिये।
5. प्रदेश में नगरपालिका एवं नगर परिषद् द्वारा खाली भूखण्ड एवं आवासीय मकान के पट्टे जारी करने की नियमावली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की तरह नगरपालिकाओं एवं नगर परिषदों में भी आवास के लिये बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर निगम में अध्यक्ष, मेयर का चुनाव सीधा जनता द्वारा होता है, उसको पार्षदों द्वारा ही चुने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

8. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर में सीवरेज योजना के द्वितीय व तृतीय चरण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र मावली के फतहनगर के सरदार पटेल स्टेडियम में आडिटोरियम व पार्किंग स्थल का बहुमंजिला भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

10. ब्यावर शहर में यू.आई.टी. की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

11. नगर सुधार न्यास बाड़मेर में मास्टर प्लान अनुसार नई कालोनियां विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

12. आहोर ग्राम पंचायत को नगरपालिका में बदलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

13. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हैरिटेज सिटी को विकसित करने एवं सफाई व्यवस्था को लेकर पर्याप्त अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

14. नगर परिषद् राजसमंद के मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

15. नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

16. नगर परिषद् अलवर में पिछले काफी समय से रिक्त A.T.P. का पद को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नगरपालिका क्षेत्र में पैरीफेरी के अन्तर्गत आने वाले गांवों को नगरपालिका क्षेत्र में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र में ठोस कचरा-प्रबन्धन एवं निस्तारण नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नगरपालिका क्षेत्र सलूम्बर में सीवरेज लाइन बिछाने की व्यवस्था में सुधार नहीं करने से देय अनुदान के औचित्य के संबंध में चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सेमारी चावण्ड को नगरपालिका घोषित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका क्षेत्र के आवास विहीन निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

22. चूरू शहर में अमृत योजना में ड्रेनेज के शेष बचे कार्य पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

23. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्रों में आवारा घूमने वाले जानवरों की वजह से होने वाले दुर्घटना एवं नुकसान के निराकरण हेतु कांजी हाउस निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में स्थित एवं संचालित रोडवेज बस स्टैण्ड को आबादी क्षेत्र से बाहर बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा में आबादी बढ़ने व नवीन स्थापित आवासीय कालोनियों के पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु नवीन पाइप लाइन डलवाने एवं टंकियों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

26. द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट में देलावास एसटीपी से सीवरेज का जो पानी सीधे गिर रहा है, उसे साफ करने के लिए नया एसटीपी संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत करतारपुरा नाले के दोनों ओर बसी लगभग 50 कालोनियों में रहने वाले 50 हजार नागरिकों को एसटीपी संयंत्र लगाकर सीवरेज के पानी से निजात दिलवाये जाने के कार्य को शीघ्र पूरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जयपुर शहर में माल्स, कामर्शियल काम्प्लैक्स, मल्टीप्लैक्स इमारतों में लोगों से पार्किंग के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. जयपुर शहर की मालवीय नगर आवासीय कालोनी से बिना लाइसेन्स

चल रही मांस की दुकानों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

30. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित कालोनियों में सीवरेज डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की कालोनियों में सैक्टर सड़कों व क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की सांगानेर पुलिया टोंक रोड से चौरड़िया पम्प होते हुए मालपुरा गेट से सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया तक एलीवेटेड रोड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

33. पृथ्वीराज नगर के पट्टे बांटने एवं सैक्टर रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

34. कोटा शहर के वार्ड संख्या 4, 5 तथा 25 के जो क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड के पास हैं, उसे नगर निगम व नगर विकास न्यास को सुपुर्द करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

35. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के नगरपालिका में कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

36. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में स्थित सरमथुरा को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बसेड़ी को नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

38. विधान सभा क्षेत्र भादरा के शहर भादरा में सीवरेज के निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र भादरा में नगरपालिका भादरा में जोनल प्लान के नाम से लाखों रुपये के भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र भादरा में C-65 (भादरा शहर) में रेलवे फाटक पर अण्डर ब्रिज बनाने की मांग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र भादरा में समुचित पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र भादरा समेत प्रदेश में सफाई की स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

43. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की नगरपालिका क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने व खेल प्रतिभाओं को आगे लाने हेतु सुमेरपुर शहर में खेल स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि पर आउटडोर-इण्डोर खेल स्टेडियम निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. सुमेरपुर शहर में सीवरेज I फेज के कार्य के बाद भी आधे से ज्यादा शहर सीवरेज लाइन से वंचित हैं अत: सीवरेज II फेज कार्य को शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. सुमेरपुर नगरपालिका क्षेत्र में जाखा नगर एनएच 62 चौराहे से मंगल कलश चौराहे तक सड़क चौड़ी कर फोरलेन में परिवर्तित कर गौरव पथ के रूप में विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

46. नगरपालिका भीनमाल के Dy. SP Office के पास स्थित सरकारी जमीन को होटल हेतु आबंटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

47. विधान सभा क्षेत्र मावली के मावली को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं):

48. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के लाडनूं शहर में नया बस स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के लाडनूं में पार्क विकसित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. लाडनूं शहर में खेल स्टेडियम का निर्माण व ग्राउण्ड की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में टाउन हाल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

52. नगर परिषद् बाड़मेर में कचरे का निस्तारण करने हेतु ठोस संग्रहण केन्द्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. प्रदेश में सफाई कार्मिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने एवं सीवरेज सफाई हेतु मशीनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. नगर परिषद् बाड़मेर में सीवरेज लाइन से वंचित कालोनियों में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

55. चिड़ावा शहर में सीवरेज का कार्य पूरा कराने व इस योजना को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

56. विधान सभा क्षेत्र कठूमर की नगरपालिका खेड़ली में ग्राम पंचायत सोंखर व ग्राम खेरली रेण को समायोजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. नगरपालिका खेड़ली (अलवर) में खेरली रेण ग्राम पंचायत सोंखर को इसी चुनाव से पहले मिलाकर नई नगरपालिका का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. नगरपालिका खेरली जिला अलवर में सीवरेज लाइन स्वीकृत कर कार्य चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

59. श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में ड्रेनेज प्लांट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में सफाई व नालियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में इन्दिरा गांधी कैनाल से पीने के मीठे पानी की सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

64. फलौदी क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में तलघरों में पानी निकासी की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

65. फलौदी नगर में सीवरेज लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

66. नगर निगम उदयपुर में पैरीफैरी एरिया की ग्राम पंचायतों को जोड़ कर विकास करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. उदयपुर के हिरण मगरी शान्ती वाटिका से झामर कोटड़ा की टूटी सड़क को ठीक कर उसको एकलिंगपुरा तक चौड़ा करके नया निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. पूरे उदयपुर शहर में बिजली की लाइनों को अण्डर ग्राउण्ड करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. उदयपुर नगर निगम में उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वार्डों को सीवरेज लाइन से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

70. जैतारण नगरपालिका द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती में अनियमितता व स्टोर शाखा द्वारा बाजार भाव से अधिक भाव से क्रय किये गये सामान की जांच एसीबी से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. जैतारण नगरपालिका में 47 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना के अधूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

72. जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व कचरा व्यवस्था के लिए डम्पिंग यार्ड बनाये जाने एवं नयी छोटी अग्निशमन गाड़ी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. जैतारण नगरपालिका क्षेत्र की गौशाला रोड से देवरिया चौराहा प्राइवेट बस स्टैण्ड से राम प्याऊ झुझण्डा चौराहा तक, बिजलीघर चौराहा से तालकिया की ओर एक किलोमीटर तक सी.सी. रोड डबल नाला सहित बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जैतारण नगरपालिका क्षेत्र में एक टाउन हाल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

75. सिरोही जिले के शिवगंज नगर के मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित बाईपास के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

76. राज्य में सफाई कर्मियों के 75 प्रतिशत पद वाल्मीकि समाज हेतु आरक्षित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा मांगी गई अभियोजन स्वीकृति स्वायत्त शासन विभाग द्वारा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. सिरोही नगर के मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित बाईपास के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

79. ईको सेंसेटिव जोन माउंट आबू में लागू किए गए बिल्डिंग बाइलाज में वर्ष 2019 में 1500 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड/पुराने भवन में निर्माण स्वीकृति में बी.ए.आर. व्यवस्था हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

80. नगरपालिका विराटनगर का नया भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

81. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की सीवरेज परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

82. जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 7 के अन्तर्गत विधान सभा नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या 1 से 7 तक तथा इसके आसपास एवं ब्लाक एस-25 में किये गये अतिक्रमण को हटाकर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महुवा):

83. विधान सभा क्षेत्र महुवा की नगरपालिका महुवा में शहर से पानी की निकासी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

84. नगरपालिका नीमकाथाना में ओवर ब्रिज एवं अण्डरपास बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

85. रायसिंहनगर में हड्डारोडी की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. रायसिंहनगर नगरपालिका क्षेत्र की आबादी 50,000 से अधिक होने के उपरान्त भी क्षेत्र में सीवरेज व ट्रीटमेंट प्लांट न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. रायसिंहनगर के वार्ड नं. 13 की हरिजन बस्ती में वाटर वर्क्स का ओवर हैड टैंक बनवाकर पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. श्रीविजयनगर में वार्ड नं. 1 से 5 तक में गन्दे पानी की निकासी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. न्यू हाप पायनियर सीनियर सैकण्डरी स्कूल से तहसील परिसर तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

90. बाड़ी के नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डाले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. बाड़ी में नगरपालिका के जर्जर भवन के स्थान पर नवीन कार्यालय भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैंपऊ को नगरपालिका घोषित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

93. नगरपालिका के रिक्त पदों को तुरन्त भरने तथा सफाई कर्मियों की नई भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

94. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में टूटी-फूटी सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा की नगरपालिकाओं में सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. लाइट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा नगरपालिका सीमा क्षेत्र में पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण नालों की सफाई एवं मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

97. नगरपालिका कपासन में नकली व घटिया LED लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. नगरपालिका कपासन की भूमियों का भौतिक सत्यापन एवं चिन्हित कर अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेरर):

99. जयपुर शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने के नाम पर 'यूज़र चार्ज' की वसूली को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

100. सीवरेज का पानी बिना साफ किये जोजरी नदी में छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

101. सादुलशहर नगरपालिका के सादुलशहर कस्बे में सीवरेज (गन्दा पानी) के निकासी की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद):

102. राजसमंद नगर परिषद् का भूमि रजिस्टर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. राजसमंद नगर परिषद् को क्षेत्र में सफाई हेतु उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. नगर परिषद् राजसमंद में गन्दे पानी की निकासी एवं सीवरेज के RUIDP से पूर्व स्वीकृत कार्य जो अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मुख्य मंत्री जन आवास योजना व प्रधान मंत्री आवास योजना द्वारा निर्मित आवासों का आबंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका के वार्डों में नाली निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका से घर-घर कचरा संग्रहण होने के बावजूद शहर में गंदगी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में लम्बित आवासीय पट्टों के आबंटन शीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन):

110. प्रदेश की सभी नगर निकायों में शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, चिकित्सा, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर आवश्यकतानुसार बजट आबंटन कर जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. प्रदेश की सभी नगर निकायों में आग की घटनाओं पर समय पर काबू पाने के लिये बड़ी अग्निशमन गाड़ियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. प्रदेश की नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में सफाई कर्मियों की भर्तियों करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले बेघर परिवारों को योजनाएं बनाकर आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. प्रदेश की सभी नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम क्षेत्रों में सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

115. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज के संबंध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण होने के बावजूद शहर में गंदगी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में लंबित पड़े हुए पट्टों के आबंटन शीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. नगरपालिका अनूपगढ़ द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. नगरपालिका अनूपगढ़ में स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

120. पाली शहर की आबादी बस्तियां बसंत विहार (कालेज के सामने) एवं मानसरोवर योजना (रामदेव रोड-हाउसिंग बोर्ड के मध्य स्थित) में लंबित पड़ी पट्टों की पत्रावलियों को निस्तारित कर पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. पाली नगर परिषद् सीमा में निजी भवन निर्माताओं द्वारा निर्माणाधीन प्रधान मंत्री आवास एवं मुख्य मंत्री आवास के बहुमंजिला भवनों तक मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पाइपलाइन, सार्वजनिक प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. पाली शहर में रूडिप द्वारा निर्मित डामर की सड़कें जो एक वर्ष के भीतर-भीतर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. नगर परिषद् पाली के एम्पावर्ड कमेटी में निर्णीत किये गये कार्यों को करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. पाली शहर में रूडिप द्वारा करवाये गये कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार करवाने तथा नवीन सीमेंट की सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

125. नगर परिषद् मकराना में कचरा पात्र (बाल्टी) खरीदने में भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

126. नगर परिषद् मकराना की शहरी सीमा में भांखरो की ढाणी को शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. नगर परिषद् मकराना में डी.डी.टी. पाउडर व फिनाइल खरीद के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

128. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के भीतरिया कुण्ड के आगे चम्बल रिवर फ्रंट का विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के जी.ए.डी. सर्किल कोटा से घटोत्कच सर्किल नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित पट्टी का विकास कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. कोटा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत पैरीफेरी सड़क का दशहरा प्रगति मैदान के चारों ओर निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रस्तावित सुभाष नगर में बेटी गौरव उद्यान का निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

132. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की जवाहर नगर कच्ची बस्ती को रैगुलराइज के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

133. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की नवीन नगरपालिका परतापुर गढ़ी की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

134. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में बाईजी तालाब, गुलाब सागर व फतेह सागर का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

135. जोधपुर शहर में नई सड़क में नगर निगम की पार्किंग विषय पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में नेहरू पार्क जोधपुर को विकसित करना एवं उम्मेद उद्यान में Amusement पार्क की स्थापना करने की चर्चा के लिये।

137. जोधपुर शहर में भीतरी शहर व बाहरी कालोनियों में महिला शौचालयों की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

138. चौमूं में सीवरेज का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. हाउसिंग बोर्ड द्वारा चौमूं में अवाप्त भूमि पर आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. नगरपालिका चौमूं द्वारा पट्टे के आवेदनों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

141. बांदीकुई कस्बे के बसवा रोड पर दोनों ओर नाले के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

142. बांदीकुई में आगरा फाटक से स्व. श्री राजेश पायलट महाविद्यालय तक रोड लाइट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. नई अनाज मण्डी बांदीकुई से बसवा रोड पर स्व. श्री राजेश पायलट महाविद्यालय तक सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

144. शहरी क्षेत्र में सैफ्टी टेंक व गटर लाइन की सफाई के दौरान लगातार हो रही मौतों पर चर्चा के लिये।

145. नगरपालिका रानी में Organic waste processing machine + material recovery facilities उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

146. नगरपालिका रानी (पाली) में सीवरेज लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

147. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर के बगराना कच्ची बस्ती को बसाने हेतु बनाए गए राजीव गांधी विकास आवासीय योजना को Allot नहीं करने पर उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जवाहर नगर बाईपास पर एलिवेटेड रोड बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. प्रदेश में जोनल प्लान बनाए जाने एवं त्रुटि पूर्ण कार्य कर करोड़ों रुपये का भुगतान उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की सीवरेज लाइनों का अण्डर कैपिसिटी होने व लाइनों के ऊपर हैवी प्रेशर से Leakage व Over Flow रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

151. जालौर जिले की तीनों नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

152. जालौर नगर परिषद् क्षेत्र में सड़कों, नालियों एवं रोड लाइटों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. जालौर शहर में सीवरेज लाइन का द्वितीय चरण लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. जालौर शहर में आवारा घूमते पशुओं को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

155. जालौर शहर स्थित सुन्देलाव तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दो और हाईमास्ट लाइटें लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

156. सीमावर्ती जालौर जिले को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

157. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में नगरपालिका शाहपुरा द्वारा उम्मेद सागर चौराहा पर भूखण्डों की नीलामी वर्ष 2004 में कर पंजीयन वर्ष 2016 में कराने की स्वायत्त शासन विभाग की स्वीकृति नहीं लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की शाहपुरा नगरपालिका में फायर ब्रिगेड स्टेशन पर नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका शाहपुरा द्वारा विधायक निधि द्वारा स्वीकृत कार्यों को रोकने एवं कार्यादेश देने के बावजूद भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका शाहपुरा द्वारा पीवणीया तालाब के माणाघाट के सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि से अधिक खर्च करने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका शाहपुरा के द्वारा करवाये गये कार्यों की गुण नियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता की जांच करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

162. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के विशनसिंहपुरा गांव के ग्रामवासियों के लिये द्रव्यवती नदी पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) के क्षेत्राधिकार में आने वाले 41 गांवों के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कस्बा बस्सी में ग्राम पंचायत के स्थान पर नगरपालिका बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कस्बा बस्सी में कृषि भूमि पर बसी हुई कालोनियों के नियमन के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के बस्सी कस्बे को सीधा जयपुर से जोड़ने के लिये इन्दिरा गांधी नगर से बस्सी तक रेलवे लाइन के समानान्तर सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

167. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की फुलेरा, सांभरलेक तथा किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिकाओं की चुंगी की पुनर्भरण राशि में कटौती करने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिका में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

169. प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों तथा नगर निकायों में आशुलिपिकों तथा कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा नगरपालिका क्षेत्र में ज्योतिबा फुले सर्किल से जोबनेर रोड तक तथा फुलेरा पांच बत्ती चौराहे से जेल की तरफ नाला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभरलेक, फुलेरा तथा किशनगढ़-रेनवाल नगरपालिकाओं को पर्याप्त अनुदान राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

172. किशनगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में वेंडर जोन निर्धारित कर सुव्यवस्थित रूप से वेंडर जोन बनाकर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की किशनगढ़ नगर परिषद् क्षेत्र में सीवरेज परियोजना तथा शहरी जल प्रदाय योजना से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

175. बहरोड़ कस्बे में सफाई व्यवस्था को सुधारे जाने पर चर्चा के लिये।

176. बहरोड़ में बस स्टैण्ड के लिए आबंटित भूमि की सीमा में आ रहे भवनों को अन्यत्र शिफ्ट करके बस स्टैण्ड के निर्माण करवाए जाने पर चर्चा के लिये।

177. बहरोड़ के जागवास रोड पर गंदे पानी के भराव की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिये।

178. बहरोड़ में नई फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. बहरोड़ में सिसेड़ा जोड़ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

180. विधान सभा गढ़ी की नगरपालिका परतापुर गढ़ी में फायर ब्रिगेड व उनके संचालन हेतु नई भर्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

181. ओसियां, तिंवरी बस स्टैण्ड पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. ओसियां में सच्चियाय माता मंदिर में पार्किंग सुविधा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. तिंवरी, मथानियां, ओसियां में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

184. पंचशील अजमेर स्थित आवासन मण्डल की कालोनियों में सफाई व्यवस्था बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत ब्रहमपुरी, अजमेर क्षेत्र के नाले के निर्माण कार्य पर अकारण रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. अजमेर में अजमेर विकास प्राधिकरण की योजना महाराणा प्रताप नगर, एच.बी.यू. विस्तार व मुख्य में पेयजल व्यवस्था हेतु पाइप लाइन डालने व टंकी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

187. अजमेर में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमनशुदा गैर-योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. अजमेर स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

189. नगरपालिका फतेहपुर में ऐतिहासिक नवाबी बावड़ी का जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. नगरपालिका फतेहपुर एवं रामगढ़ शेखावाटी में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर में पानी निकासी की समस्या पर चर्चा के लिये।

192. फतेहपुर शहर में सड़कों एवं नालों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

193 मुख्य मंत्री जन आवास योजना में आवासों का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं होने व पात्र लोगों को आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

194. स्वच्छ भारत मिशन की गाइड-लाइन एवं दिशा-निर्देशों में उल्लेखित होने के बावजूद अजमेर नगर निगम द्वारा प्रात: एवं सायं दिन में दो बार कचरा संग्रहण केन्द्र से कचरा नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. अजमेर नगर निगम के वार्ड नं. 26 पंचवटी गली नं. 7 में गंदे पानी की निकासी का प्रबन्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. अजमेर शहर के समस्त घरों में शौचालय निर्माण नहीं होने के बावजूद शहर को खुले में शौच से मुक्त की घोषणा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. प्रदेश में रेरा कानून लागू होने के उपरान्त भी अजमेर शहर में कल्याणीपुरा, मदार, जे.पी. नगर, नेहरू नगर में रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर के बगैर प्रोपर्टी डीलरों द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

198. विधान सभा क्षेत्र डग के डग को नगरपालिका में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र डग की नगरपालिका भवानीमण्डी में सीवरेज/वाटर सप्लाई की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. नगरपालिका भवानी मण्डी में माण्डवी रोड श्मशान के पास पुलिया बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. नगरपालिका भवानीमण्डी में भवानीमण्डी व पचपाहड़ में पार्क बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. नगरपालिका भवानीमण्डी में सफाई इंस्पैक्टर का पद रिक्त होने व नई भर्ती में चयनित कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

203. जैसलमेर शहर में अम्बेडकर सर्किल से हनुमान चौराहा-गीता आश्रम चौराहा तक सड़क मय ड्रैनेज प्रणाली (2.5 कि.मी.) के निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. जैसलमेर शहर में बाड़मेर रोड पर स्थित सिटी पार्क में विकास के कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. जैसलमेर शहर में महाराणा प्रताप मैदान पर मल्टीस्टोरी 5 लेवल की पार्किंग के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. जैसलमेर शहर में रेलवे स्टेशन से गीता आश्रम चौराहा वाया गडीसर चौराहा, हनुमान चौराहा एवं जैसलमेर किला रिंग रोड पर डेकोरेशन हेतु लाइटें लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. जैसलमेर शहर में जैसलमेर हैरिटेज वाक परियोजना (गडीसर से सालम सिंह की हवेली से चिड़िया हवेली से जैसलमेर किला तक 2.8 कि.मी.) की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

208. नगरपालिका सागवाड़ा में नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

209. नवगठित नगरपालिका नसीराबाद में फायर ब्रिगेड एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. नगरपालिका नसीराबाद हेतु भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. नवगठित नगरपालिका नसीराबाद के वार्डों का गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. नगरपालिका नसीराबाद का क्षेत्र बढ़ाये जाने एवं नसीराबाद के कैन्ट वार्डों को नगरपालिका में जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

213. बीकानेर में मेडिकल कालेज चौराहे टी.बी. हास्पिटल से मुख्य नाला खुला होने एवं पानी अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. बीकानेर मुख्य मार्ग एवं टूटी सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. बीकानेर के पब्लिक पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाए तथा विशेष बच्चों के लिए झूलों आदि लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. बीकानेर के यू.आई.टी. पार्क में टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन व टेनिस के कोर्ट बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

217. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सदर थाने के पास बसे आदिवासी लोगों को नि:शुल्क पट्टा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नगर परिषद् में घाटी मौहल्ले में नई पानी की टंकी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नगर परिषद् द्वारा नाना माई पार्क में टिकट लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नगर परिषद् में पाइप लाइन व पानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

221. वर्षों से कच्ची बस्तियों में रह रहे लोगों को पट्टा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

222. नगरपालिका मेड़ता के वार्ड सं. 5 में संत लिखमीदास कालोनी से जैतारण चौकी जाने वाली सड़क बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

223. नगरपालिका मेड़ता के पालिका क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

224. नगरपालिका मेड़ता में स्वीकृत कालोनियों में विकास कार्य करवाये जाने के संबंध में।

225. नगरपालिका मेड़ता में कालोनियों में पार्कों को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

226. नगरपालिका मेड़ता में कच्ची बस्तियों में विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

लिखित वक्तव्य

मांग संख्या-29 पर माननीय सदस्य श्री संदीप शर्मा का लिखित वक्तव्य

आई.एल.

आवश्यकता है कि शैक्षणिक नगरी कोटा में स्मार्ट शहर के अन्तर्गत बड़े शिक्षण संस्थान आए जैसे आई.आई.एम., एम्स अथवा कोई भी राष्ट्रीय स्तर का बड़ा शिक्षण संस्थान स्थापित हो सके। आई एल स्थित भू भाग में 50 प्रतिशत ग्रीन आक्सीजोन, 25 प्रतिशत राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान अथवा मिनी सचिवालय जो पिछली सरकार की घोषणा में था, स्थापित कराएं और बाकी में व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग में लें। शेष शापिंग काम्प्लैक्स आदि जो भी व्यावसायीकरण हो, किया जाए पर आई.एल. कर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। आई एल कर्मियों की पीड़ा को आपने नजदीक से देखा है।

एयरपोर्ट

साथ ही वर्तमान एयरपोर्ट को शम्भूपुरा में शिफ्ट कर उसके 50 प्रतिशत भूभाग को ग्रीन जोन में लेते हुए शेष भाग का उपयोग अन्य कार्य में करें। शहरवासियों को आवश्यकता है।

बरसाती नालों का सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण

कोटा शहर में बड़े नाले शहर के मध्य में से होकर गुजर रहे हैं जो खुले हैं तथा बाढ़ के साथ बीमारियों का कारण बनते हैं तथा कोटा शहर के सौंदर्य को भी कम करते हैं। गत सरकार में इनके व सौंदर्यीकरण व पानी के तकनीकी रूप से निकासी के लिए इनके व्यवस्थित विकास के लिये स्मार्ट योजना में लिया गया था। इन्हें 'निरस्त कर दिया गया है, इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

स्टूडेन्ट फैसेलिटी सेन्टरः-

देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन मिल सके जहां लाइब्रेरी, उनकी काउंसलिंग के लिये काउंसलर, छोटे-मोटे विवादों के लिये चौकी, योगा सेन्टर, स्पोर्ट सेन्टर इत्यादि सुविधाओं से पूर्ण हो, इसका निर्माण करवाया जाए। इसमें शिक्षण संस्थाओं का सहयोग व सी एस आर भी लिया जा सकता है।

यातायात व पार्किंग

कोटा में अवरुद्ध होता आवागमन अव्यवस्थित यातायात और पार्किंग व्यवस्था में कमी को सुधारने की आवश्यकता है।

आपने जो घोषणाएं की हैं एरोड्रम, इन्दिरा गांधी फ्लाई ओवर या अंडरपास निर्माण कार्य का भी जल्दी शुभारम्भ करवाया जाएं ताकि समय पर भी पूर्ण हो जाए और पार्किंग व्यवस्था हेतु गुमानपुरा, केशवपुरा आदि क्षेत्रों में मल्टीस्टोरी पार्किंग की आवश्यकता है। इस ओर ध्यान दिया जाएं।

मोदी कालेज फ्लाईओवर

गत कार्यकाल में मोदी कालेज फ्लाईओवर का कार्य प्रारम्भ हुआ था परन्तु संवेदक ने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया है तथा वो नक्शे के अनुरूप भी निर्माण कार्य नहीं कर रहा है कई जगह तकनीकी खामियां नजर आती हैं। बिना डी.एल.बी. की स्वीकृति के फ्लाईओवर के पिलर खड़े कर दिये हैं। वर्तमान में 70 मीटर बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है इसें महावीर थर्ड चौराहे के बाद उतारना चाहिए जिससे महावीर नगर थर्ड चौराहे पर भी यातायात में सुगमता होगी। कृपया इसके कार्य को भी गति प्रदान करें जिससे जल्दी ही इसकी सुविधा का लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके।

नगर विकास न्यास कार्यालय टीलेश्वर भवन तक भी यातायात का दबाव काफी रहता है। आपसे आग्रह है कि इस स्थान पर भी नया फ्लाईओवर या अंडरपास बनवाने का भी घोषणा करें।

आवारा पशु

कोटा शहर में आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है इससे कई बार शहरवासी दुर्घटना का शिकार होकर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं तथा कई लोग तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। शहर में फैली गंदगी का भी ये प्रमुख कारण है। शहर में पशुओं को निषेध करने के लिये गंभीर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला छोटी है, आवश्यकता है एक बड़ी गौशाला बनाने की। इस विषय में नगर विकास न्यास द्वारा जमीन भी आबंटित की जा चुकी है, परन्तु इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शहर में पशु विचरण पर रोक लगें।

मंत्री महोदय, आपसे अपेक्षा है कि आप कोटा की सभी ज्वलन्त समस्याओं की गंभीरता को समझते हैं, आपके गंभीर प्रयास होंगे। विज्ञान नगर व संजय नगर में मार्केट की दुर्दशा है। खुलेआम बिना लाइसेंस के मांस की दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों ने आधी रोड को घेर रखा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका आभार।

ऐसा कोटावासियों की आपसे अपेक्षा है।

धन्यवाद।